खण्ड-419, अंक-5
गुरुवार, 2 श्रावण, शक संवत् 1919
(24 जुलाई, 1997 ई0)

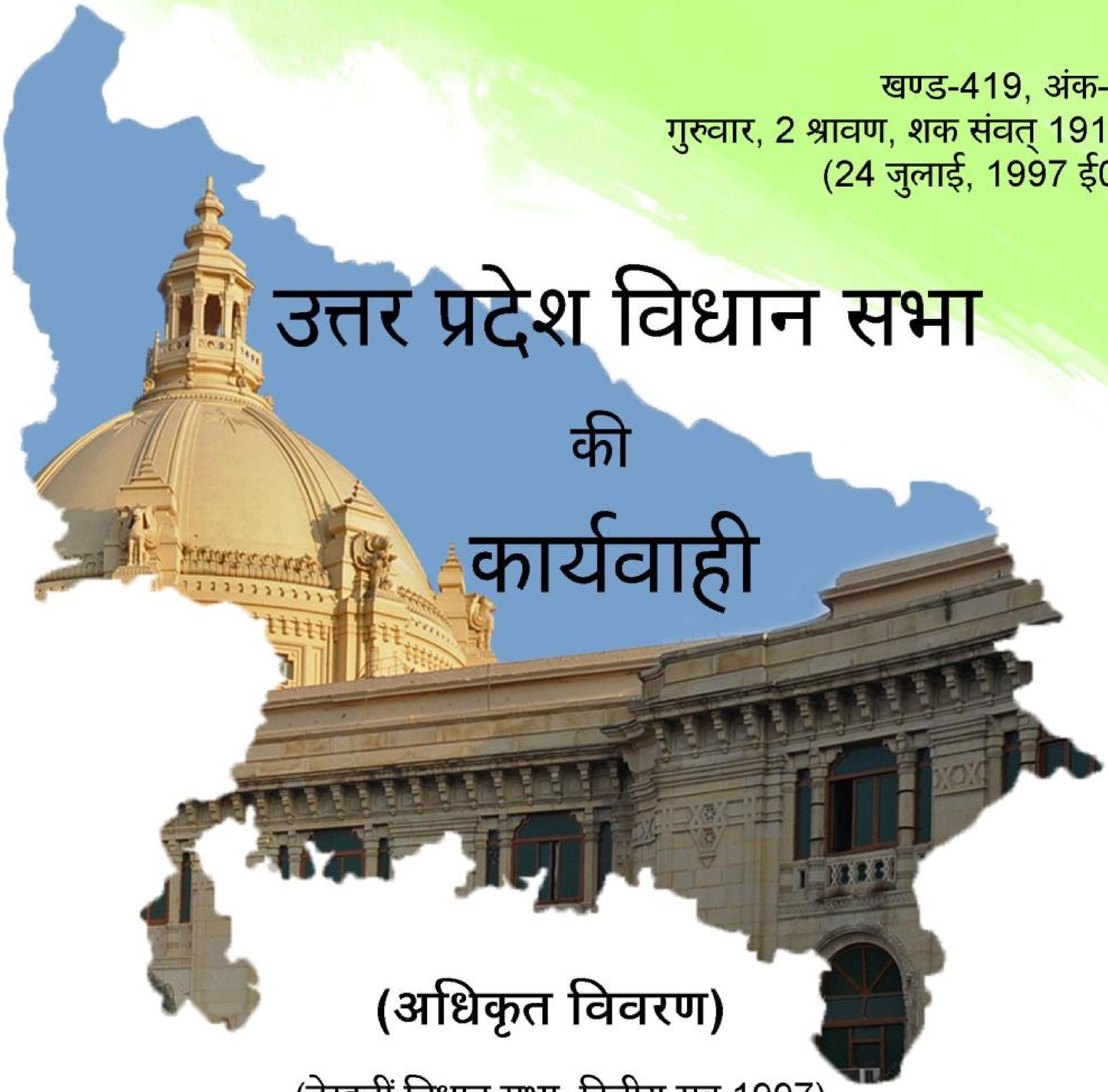

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 419 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
–उपस्थित सदस्य	
–नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास ...	1–2
–प्रश्नोत्तर	2–53
–प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न... ...	54
–गन्ना किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में दी गई सूचनाओं को सुने जाने की मांग	54–56
–नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	56
–जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा कस्बे में जलभराव की समस्या के निदान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	56–57
–इलाहाबाद के नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कई विकास खण्डों में विद्युत आपूर्ति न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
–वाराणसी जिले की तुलसीपुर आवासीय महायोजना के अन्तर्गत बने मकानों के नम्बर रद्द किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
जनपद सुल्तानपुर में अम्बेडकर ग्रामों में अनुसूचित जाति के अतिरिक्त अन्य गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद फतेहपुर की बिन्दकी तहसील में मुंशिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
राज्य योजना आयोग एवं राज्य नियोजन संस्थान आदि के समस्त प्रभागों में आरक्षण कोटा पूरा न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58–59
कृषि विभाग के भूमि संरक्षण विभाग में व्याप्त अनियमितताओं एवं कथित भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	59
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	60
विधान सभा के तीन अधिवेशन तथा 90 दिन का उपवेशन न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	60–68
विधान सभा मण्डप में तथा राज्यपाल दीर्घा में पेजर एवं सेलुलर/मोबाइल फोन का प्रयोग किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	69–71
दिनांक 22 जुलाई, 1997 को बजट प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त दिनांक 24 जुलाई, 1997 से ही उस पर साधारण चर्चा प्रारम्भ किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	71–78
नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं का अन्तिम उत्तर समय से प्राप्त न होने विषयक औचित्य का प्रश्न	78–81

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का सुस्पष्ट एवं सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	81–82
श्रीमती विजमा यादव, स० वि० सभा द्वारा अपने पति की हत्या के समय के कपड़े थाने से गायब होने की सूचना तथा अपनी सुरक्षा किये जाने की मांग (जारी)	82–86
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1997 (सदन के पटल पर रखा गया)	86
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997 (सदन के पटल पर रखा गया)	86
श्रीमती विजमा यादव, स० वि० सभा द्वारा अपने पति की हत्या के समय के कपड़े थाने से गायब होने की सूचना तथा अपनी सुरक्षा किये जाने की मांग ..	86–88
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	88
उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (पुर:स्थापित) ...	88–89
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 (पुर:स्थापित) ...	90-91
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (पुर:स्थापित) ...	91
उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 (पुर:स्थापित)	91–92
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित की गई सूचनायें	92
नियम 56 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	92–111
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	111–124
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 (संकल्प वापस तथा विधेयक पारित) ...	124–134
वित्तीय वर्ष 1997–98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	134–142
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	143
प्रदेश के मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश शुल्क तथा अध्ययन शुल्क बढ़ाये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य	144–145

विषय	पृष्ठ संख्या
जिला मैनपुरी के अन्तर्गत अपर गंगा नहर (कानपुर) ब्राच की पटरी को दुरुस्त कराये जाने व राजबहों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध में श्री राम औतार शाक्य की नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	145–146
गिलट लोहा आभूषण एवं चेन पर अक्टूबर 1994 में लगे व्यापार कर को हटाये जाने के संबंध में श्री राम बाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	146–147

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
आलमबदी, श्री	आजमगढ़
उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री	पिथौरागढ़
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया	गोरखपुर
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी
तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
भारत सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
महेन्द्र अरि दमन सिंह, राजा	आगरा
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर,	पडरौना
राजाराम पाल, श्री	कानपुर देहात
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम प्यारे, श्री	आजमगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री	मुरादाबाद
लाखी राम जोशी, श्री	मथुरा
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
*वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
सुशीला अग्रवाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

अनुभाग प्रदर्शन

सुरेश पटेल प्रधान सभा

गुरूवार, दिनांक 24 जुलाई, 1997

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैंने 311 में सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं ।

(श्री राम विशुन आजाद तथा कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है, कृपया बैठें ।

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

[नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने के उपरान्त श्री राम विशुन आजाद के खड़े रहने पर]

श्री अध्यक्ष–

राम विशुन आजाद जी कृपया आप बैठ जायं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मुझको सुनना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष–

किस नियम में ?

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राम विशुन आजाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आपकी कोई बात लिखी नहीं जायगी

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आश्वासन आ जाय कि 56 में इनकी बात ली जायेगी ।

प्रश्नोत्तर

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें माननीय श्यामदेव राय चौधरी खड़े हैं ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

न्यायालयों में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए मुकदमों को निपटाने एवं शीघ्र न्याय दिलाने हेतु शासन की कथित कार्य योजना

**1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि न्यायालयों में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुये मुकदमों के बोझ को कम करने और शीघ्र न्याय दिये जाने हेतु सरकार कोई कार्य-योजना बनाये जाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

वर्तमान में ऐसी कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, वादकारियों के साथ-साथ सभी न्यायालय यहां तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय भी उत्तर प्रदेश में लम्बित वादों की संख्या और उसके निपटारे में वर्षों का समय लग जाने के बाद निपटारे न होने से चिंतित हैं । मान्यवर, इसी सत्र में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मा० मुख्य मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा यह पूछा गया था कि कितने छोटे वाद लम्बित हैं तो उसमें यह उत्तर आया कि 260-261 धारा में लम्बित वादों की संख्या 3 लाख 99 हजार 440 है, धारा 320 में आच्छादित वादों की संख्या 1 लाख 8 हजार 718 है, यातायात नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप लम्बित वादों की संख्या 83 हजार 505 है । लेकिन, आज जो यह उत्तर मिला उससे घोर निराशा हुई है । लोगों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाये जाने की परिकल्पना लोक कल्याणकारी राज्य की होती है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक करें ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जो लम्बित वाद हैं लोग न्याय पाने से वंचित हैं। यह जो इस तरह से उत्तर आया है . इस प्रकार का उत्तर दिया जाना मेरी समझ में संवेदन शून्यता का परिचय है।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक करें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को उ० प्र० के अंदर विभिन्न प्रकार के लम्बित वादों की संख्या की जानकारी है तो इस प्रकार की कोई कार्य योजना न बनाये जाने का क्यों विचार नहीं किया जा रहा है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय चौधरी जी की इस राय से सहमत हूं कि उ० प्र० में बहुत ज्यादा वाद लम्बित हैं, जैसा कि उन्होंने लघु वाद का उल्लेख किया है कि इस प्रकार पेन्डेन्सी है। किसी न्यायालय की स्थापना के बारे में एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत माननीय उच्च न्यायालय प्रस्ताव भेजता है। सरकार अपने सीमित संसाधनों के अनुरूप कार्यवाही करती है। लघु वादों के त्वरित गति से निस्तारण के लिये 74 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति का निर्णय लिया है और यह प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय के पास है। अब माननीय उच्च न्यायालय जैसा निर्देश देगा, उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर वादों के निपटारे के लिए पहले न्याय पंचायत कार्य करती थी लेकिन इस सरकार ने न्याय पंचायतों को समाप्त कर दिया है। इनका गठन अभी नहीं हुआ है और क्या इन बढ़ते हुए वादों को निपटाने के लिए न्याय पंचायतों के पुनर्गठन करने पर विचार करेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

जो वादों को निपटाने के लिए इस सरकार ने 1987 में लीगल सर्विसेज अथारिटी ऐक्ट बनाया और उस ऐक्ट के तहत 12-5-97 को इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में लीगल अथारिटी, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल अथारिटी का हर जनपद में गठन कर दिया है। तहसील स्तर पर लीगल अथारिटी का गठन यू० पी० लीगल अथारिटी को करना है। सरकार इस बात से चिन्तित है और इसको निस्तारित करने के लिए 1987 का ऐक्ट है उसके तहत कार्यवाही कर रही है और इसके अतिरिक्त आल्टरनेटिव रिजाल्व कमेटी बनी है इसके अनुसार केन्द्र में एक समिति बनी है इसी तरह से उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए केन्द्र ने 22 लाख रुपये का प्राविधान किया है। यह जो विवादों को निपटाने की वैकल्पिक व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग करके ये लोग जो गांव में छोटे-छोटे विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करेंगे ताकि ये छोटे विवाद न्यायलाय में न पहुंच सके।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है। मैंने यह पूछा था कि क्या यह सरकार न्याय पंचायत स्तर पर लोक अदालतों का गठन करने का काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने वैकल्पिक व्यवस्था बता दी है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत उच्च न्यायालय प्रस्ताव भेजता है नये न्यायालय खोलने के लिए तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय ने कितने नये न्यायालय खोलने का प्रस्ताव किया है, उस पर कितना खर्चा होगा और कितना धन यह सरकार वहन कर सकती है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय ने 100 एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज के न्यायालय खोलने का प्रस्ताव भेजा है जिसमें से 70 एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज खोलने के लिए सरकार ने बजट में प्राविजन किया है । यह प्रस्ताव आया है उसमें प्राविधान करके यह बजट पास हो जाता है उसके बाद कार्यवाही की जायेगी । उसी तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल जज जूनियर डिवीजन के 100 न्यायालय खोलने का प्रस्ताव किया है, शासन उस पर विचार कर रहा है और विचार करके कार्यवाही करेंगे ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव आया है यह कब से विचाराधीन है ? और इन प्रस्तावों को पूरा करने के लिये शासन को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मैंने तो अभी बता ही दिया है कि बजट में प्राविजन कर दिया गया है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरा सीधा सवाल है कि कितने पैसे की जरूरत है ? जो प्रस्ताव भेजा गया है, वह रद्दी की टोकरी में पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न नहीं है । आप अनुपूरक प्रश्न पूंछे । आप बैठिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जैसा कि मूल प्रश्न है कि मुकदमों के बोझ को कम करने के लिये जिस नीति के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है, उसमें पिछले दिनों लोवर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक विभिन्न किस्म के वादों का निस्तारण करने के लिये जो कोटा निश्चित किया गया था और मान्यवर, आपको तो इस सम्बन्ध में सर्वाधिक अनुभव है, और कोटा पूरा हो गया, लेकिन न्याय का जो मूल उद्देश्य है, वह समाप्त हो गया, तो क्या आप इस पर पुर्नर्विचार करेंगे और मुंसिफ से लेकर हाई कोर्ट के जजों के पद रिक्त हैं, उनको भरने की कार्यवाही करेंगे, माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि कुल कितने पद रिक्त हैं ?

श्री अध्यक्ष–

कोटे वाला प्रश्न तो उच्च न्यायालय तय करता है । उसके सम्बन्ध में मैं नहीं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी उत्तर दें । माननीय मंत्री जी दूसरे भाग का उत्तर दे दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह जो कार्य योजना के बारे में सवाल पूंछा गया है, स्वीकृत पदों के बारे में पूंछा गया है, तो मान्यवर, जितने भी स्वीकृत पद हैं, उसमें कुछ खाली हैं ।

प्रदेश के किसानों को लाभ देने की दृष्टि से उर्वरकों पर सब्सिडी देने के सम्बन्ध में जानकारी

**2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार उ० प्र० के किसानों को लाभ देने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 1997-98 में उर्वरकों पर सब्सिडी देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किन-किन उर्वरकों पर कितनी और कब से सब्सिडी दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्र सरकार द्वारा सभी पोटेशिक एवं फास्फेटिक उर्वरकों पर केन्द्र सहायता प्रदत्त की जा रही है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आप सहमत होंगे और पूरा सदन सहमत होगा कि इस प्रदेश में 85 प्रतिशत जनता खेती पर आधारित है और जो उनकी उपज है, उससे उनको घाटा होता है । किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है । इसका कारण यह है कि बिजली, खाद आदि जो हैं, उनकी कीमतें बहुत अधिक हैं । इनका प्रयोग जब वह करता है, तो उसे घाटा होता है, तो मान्यवर, मैंने सवाल किया था कि क्या सरकार द्वारा उर्वरकों पर सब्सिडी देने पर कोई विचार किया जा रहा है । इसका उत्तर आया जी नहीं और अंश के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा सभी पोटैशिक एवं फास्फेटिक उर्वरकों पर केन्द्र सहायता प्रदत्त की जा रही है । मान्यवर, मैंने केन्द्र सरकार के बारे में सवाल नहीं किया था । मैंने सवाल किया था कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट से किसानों को उर्वरकों पर सहायता या छूट देने पर विचार करेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, जहां तक उत्तर प्रदेश के किसानों को सहायता देने की बात है, तो यह दोनों खादों को बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया है । इससे हमारी सरकार द्वारा लगभग 65 करोड़ रुपया किसानों को मदद के रूप में दिया जायेगा । बिक्री कर नहीं लेंगें, तो उससे उनको मदद मिलेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि सेल्स टैक्स में छूट दी गयी है । मान्यवर, सवाल सेल्स टैक्स का नहीं है । जिस प्रकार की छूट माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था और जिस प्रकार की छूट हरियाणा और पंजाब में किसानों को दी जाती है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को बोनस देगी खाद्य में सब्सिडी देगी ? अगर देगी तो कब तक किन-किन खादों में कितनी-कितनी सब्सिडी देगी यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जहां तक बोनस देने की बात है वह प्रश्न से बाहर है । बोनस का इसमें प्रश्न ही नहीं किया गया था । जहां तक सब्सिडी देने की बात है तो वह मैंने पहले ही कह दिया जी नहीं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

श्रीमान् मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो मूल प्रश्न है उसकी जो भावना है और पूछा गया है कि क्या सरकार उर्वरकों पर सब्सिडी देने पर विचार कर रही है । इसके उत्तर में आपने कहा नहीं । प्रश्न में जो भावना निहित है उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों को

घाटे से बचाने के लिए कोई लाभकारी योजना बनायेगी । किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है । राज्य सरकार द्वारा उर्वरकों पर सब्सिडी न देने का क्या कारण है ।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

सीमित संसाधनों को देखते हुये ही निर्णय लेंगे ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

श्रीमन्, यह सरकार किसान विरोधी है ।

(कई सदस्य नारे लगाने लगे कि यह सरकार किसान विरोधी है)

श्री अवधेश प्रसाद–

सरकार के इस किसान विरोधी रवैये पर हमारा दल सदन त्याग करता है ।

(श्री अवधेश प्रसाद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रामजग–

मान्यवर, हम भी इस सरकार के किसान विरोधी रवैये पर सदन त्याग करते हैं ।

(श्री रामजग सदन त्याग कर चले गये)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों के साथ ज्यादती कर रही है इसके विरोध में हमारा दल सदन त्याग करता है ।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी मैंने मित्रसेन जी को अवसर दिया है ।

(व्यवधान)

(सदस्यों के पुनः सदन में वापस आने पर)

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, मैं प्रश्न पूछना चाहता था मैं बाहर नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

[गुरुवार, दि० 24 जुलाई, 1997 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ।

पर्वतीय जनपदों में तैनात पटवारियों से पुलिस कार्य वापस लिये जाने का मामला

*1–श्री भारत सिंह रावत–

क्या राजस्व मंत्री पर्वतीय जनपदों में तैनात पटवारियों से केवल राजस्व से संबंधित कार्य ही लिये जाने तथा उक्त क्षेत्र में पटवारियों को दी गयी पुलिस पावर्स वापस लिये जाने का निर्णय लेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री अशोक यादव)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

क्योंकि कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों की पर्वतीय पट्टियों में तैनात पटवारी भूलेख संबंधी कार्य के साथ-साथ पुलिस कार्य वर्ष 1830 से सम्पादित कर रहे हैं । पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति पटवारी व्यवस्था के पक्ष में जाती है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पर्वतीय क्षेत्रों के लोग पटवारी की व्यवस्था को पुलिस व्यवस्था से अच्छा समझते हैं । पर्वतीय पटवारियों द्वारा किया जा रहा पुलिस कार्य सम्पादन उत्तर प्रदेश पटवारी सेवा नियमावली, 1963 के नियम–12 (2) के अन्तर्गत उनकी सेवा शर्तों के अन्तर्गत आता है । अतएव जनहित एवं लोक हित में पटवारियों से पुलिस पावर्स वापस लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

गोरखपुर मण्डल में सामयिक संग्रह अमीन तथा चपरासियों को कार्यमुक्त करने का आधार एवं पुनर्नियुक्ति कर उनके कार्य अवधि के वेतन के भुगतान का मामला

*2–श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर मण्डल में गत 2 वर्षों में सामयिक संग्रह अमीन तथा चपरासियों को कार्यमुक्त कर दिया गया जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गये ? क्या यह सही है कि उन संग्रह अमीनों तथा चपरासियों में से सैकड़ों लोग 10 वर्ष से भी अधिक समय से कार्यरत थे ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उसमें सैकड़ों बेरोजगार अनुसूचित जाति के भी हैं ? यदि हां,तो इस प्रकार के निर्णय का क्या आधार है ? क्या सरकार पुनः उन संग्रह अमीनों तथा चपरासियों को सेवा में रखने तथा उनके द्वारा कार्य किये गये अवधि के 3 माह के बकाये वेतन भुगतान का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अशोक यादव–

जी हां । सामयिक संग्रह अमीन तथा सामयिक संग्रह चपरासी की तैनाती जनपद गोरखपुर, महराजगंज, कुशी नगर में दिनांक 1-4-1996 से तथा जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं देवरिया में माह जनवरी, 1996 से नहीं की गई है ।

जी हां ।

जी हां ।

मानक के अनुरूप वसूली न होने के कारण मण्डलायुक्त द्वारा मण्डल के जनपदों में सामयिक संग्रह अमीन एवं सामयिक संग्रह चपरासी की नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की गई ।

नियमानुसार मांग सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर मण्डलायुक्त द्वारा जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं कुशी नगर में सामयिक संग्रह अमीन एवं सामयिक संग्रह चपरासी की नियुक्ति हेतु स्वीकृति माह जून, 1997 में प्रदान की गई है । अन्य जनपदों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । ऐसे सामयिक संग्रह अमीन एवं संग्रह चपरासियों जिनसे स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य लिया गया था, के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान कर उनके वेतन के भुगतान हेतु मण्डलायुक्त द्वारा संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, पुराने गोरखपुर मंडल में संग्रह अमीनों और चपरासियों को कार्य मुक्त करके हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है और स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सैकड़ों की तादाद में

अनुसूचित जाति के लोग भी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर मंडल में वसूली का मानक क्या था और उस मानक के अनुरूप कितने प्रतिशत वसूली की गयी और अन्य कमिश्नरियों में जैसे आजमगढ़ और वाराणसी में तुलना की दृष्टि से क्या मानक था । अगर मानक कम था तो स्वीकृति दिये जाने का औचित्य क्या था यदि दूसरी कमिश्नरी में स्वीकृति प्रदान की गयी तो गोरखपुर मंडल में स्वीकृति क्यों नहीं प्रदान की गयी । जो हजारों लोगों को बेरोजगार किया गया है उसके लिये जिम्मेदार तत्कालीन आयुक्त श्री हरिश्चन्द्र के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अशोक यादव–

मान्यवर, जहां तक मानक का प्रश्न है यू० पी० कलेक्शन मैनुअल में जो संग्रह अमीन के लिये मानक है वह एक अमीन के लिये 6 लाख रुपया होता है और इसके लिये 10 महीनों का समय निर्धारित होता है । इसके लिये ए० बी० सी०, कैटेगरी बनायी जाती हैं । यदि 70 प्रतिशत रेवेन्यू कोई अमीन जमा नहीं कर पाता है तो दूसरे साल कमिश्नर चाहे तो उसको हटा सकता है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा है और मंत्री जी उत्तर दूसरा दे रहे हैं ।

श्री अशोक यादव–

माननीय सदस्य, आप मेरी बात तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी आप आपस में बात न करें ।

श्री अशोक यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक सवाल मानक का पूछा है और दूसरा सवाल आयुक्त ने दोबारा क्यों नहीं नियुक्त किया इस बारे में पूछा है । मैं बताना चाहता हूं कि मानक का आकलन उनके द्वारा किये गये कलेक्शन पर आधारित होता है । अगर कमिश्नर को पूरा कलेक्शन नहीं मिलेगा तो कमिश्नर बाउन्ड नहीं है उनको रखने के लिये । दूसरे जैसा कि आपने कहा हजारों लोगों को निकाल दिया गया है तो ऐसी बात नहीं है 975 लोगों को कार्य मुक्त किया गया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय मंत्री जी से मैं यह बताना चाहता हूं कि पूरी कमिश्नरी के किसी जनपद में क्या कोई ऐसा अमीन नहीं था जिसने मानक को पूरा किया हो । पूरी गोरखपुर कमिश्नरी में इस तरह की स्वीकृतियां प्रदान की गयी हैं इसके लिये कौन जिम्मेदार है । हजारों लोगों को बेरोजगार किया गया है जिसके कारण करोड़ों रुपयों की वसूली नहीं हुयी है । इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अशोक यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं । 75 अमीन और 175 चपरासी दोबारा कमिश्नर ने रखे, तीन महीने के लिये कि इस अवधि में जो कलेक्शन होगा उससे उनका पेमेन्ट हो जायेगा । 21 जुलाई को उन लोगों को पेमेन्ट कर दिया गया । आप का जो जनपदों के बारे में प्रश्न है उसमें से दो जिले निकाल दिये गये और उसके बाद जो सामयिक सीमा बनी थी कहीं कलेक्शन नहीं हुआ ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शुक्ला जी को प्रश्न कर लेने दें। यह मूल प्रश्नकर्ता हैं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जिस आधार पर यह कहा है कि कलेक्शन के आधार पर अमीनों की पुनर्नियुक्ति होती है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में कलेक्शन के आधार पर नियुक्तियां क्यों नहीं हुईं। दूसरी यह हरीश चन्द्र के ऊपर इस बात का आरोप नहीं लगाया गया था ? क्या वहां के लोगों ने हरीश जी से मिलकर, मिलने के बाद समाचार पत्र में यह नहीं कहा था कि हरीश चन्द्र रुपया लेकर अमीन की नियुक्तियां करना चाहते हैं। मान्यवर, जैसा शाही जी ने प्रश्न किया है उसी के साथ मुझे इन दो बिन्दुओं पर माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें। हरीश जी के ऊपर जो रुपया लेने का आरोप लगाया गया था उन लोगों को दण्डित करने का काम करेंगे। 10-10 वर्षों से लोग सड़कों पर मारे-मारे घूम रहे हैं और उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं। इन लोगों की पुनर्नियुक्ति के बारे में विचार करेंगे।

श्री अशोक यादव–

मान्यवर, जहां तक मानक का प्रश्न है। मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूं कि मानक ए० बी० सी० कैटेगरी के हिसाब से बनाया जाता है। राजस्व की वसूली के हिसाब से 70 प्रतिशत ए० कैटेगरी को, 60 प्रतिशत बी० कैटेगरी और 60 प्रतिशत से नीचे सी० को दिया जाता है। कमिश्नर के पास टैम्परेरी कैजुअल एप्वाइन्टमेन्ट होते हैं मण्डलायुक्त यदि चाहें कि मानक के अनुरूप वसूली हुई है तो संग्रह अमीन की दोबारा नियुक्ति कर सकता है। दूसरी बात आपने कही है हरीश चन्द्र के बारे में तो उसको हम दिखवा लेंगे। एक दो लोगों की कमेटी बनाकर जो समुचित व्यवस्था होगी कर देंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, मुझे तो उम्मीद थी कि नवजवान मंत्री हैं और प्रदेश सरकार की वसूली की जो क्षति हुई है उसके लिये वह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा करेंगे। मुझे तो उम्मीद के विपरीत मायूसी हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर गोरखपुर के तत्कालीन मंडलायुक्त ने जनवरी माह, 1996 से बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया जनपद में एक फैसले से संग्रह अमीनों और सामयिक संग्रह चपरासियों की नियुक्ति पर बैन लगा दिया। फिर जाकर माह जून, 97 में जब उनका तबादला हो गया और नये कमिश्नर ने नियुक्ति हेतु सहमति दी। पांच जनपदों में राजस्व की वसूली की जो हानि हुई है उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा। मान्यवर, चूंकि व्यवस्था यह है कि यदि कोई संग्रह अमीन मानक के अनुसार वसूली नहीं करता है तो उसको निकाल दिया जायेगा। इतने लोगों को एक साथ निकाल दिया जिससे डेढ़ साल तक राजस्व की वसूली प्रभावित होती रही। इस संबंध में सरकार संज्ञान में लेकर भविष्य में क्या कार्यवाही करेगी।

श्री अशोक यादव–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो सवाल उठाया है और कहा है कि उन संग्रह अमीनों को निकाल दिया गया। यू० पी० कलेक्शन मैनुअल में कैजुअल एप्वाइन्टमेन्ट होते हैं। एक बार जो अमीन रखा जाता है और उसको फिर दोबारा बुलाते हैं तो गणना दो नहीं होगी। सवाल 975 लोगों का था।

(व्यवधान)

श्री अशोक यादव–

माननीय सदस्य अगर शांति से सुनेंगे तो उन्हें जवाब मिल जायेगा।

जैसा कि मैंने बार-बार कहा मानक संग्रह अमीन संग्रह पर आधारित होते हैं जिस अधिकारी के खिलाफ आपकी मंशा है (व्यवधान) उनके खिलाफ कार्यवाही हो, जिससे राजस्व की वसूली प्रभावित हुई। अमीनों का लक्ष्य 70 प्रतिशत नहीं रहा। मंडलायुक्तों के अपने निर्देश हैं, अपनी नियमावली है आगे वह चाहें तो संग्रह अमीन को रखें या न रखें यह मानक होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संग्रह अमीनों ने अपेक्षाकृत मानक के अनुसार संग्रह नहीं किया, राजस्व की वसूली कम हुई और उसके कारण आपने सेवा मुक्त कर दिया। जनवरी और जून, 1997 तक कोई वसूली हुई या नहीं, अगर वसूली हुई तो संग्रह अमीन ने वसूली की होगी तो वह लक्ष्य से कम हुई या ज्यादा हुई। वसूली में जो कमी आयी है या वसूली नहीं हुई तो उनके खिलाफ क्या करेंगे ?

(सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री अशोक यादव–

मेरे पास यह सवाल नहीं आ रहा था यदि माननीय सदस्यों ने सवाल किया होता तो मैं जवाब देता। इस संदर्भ में जहां भी कोताही बरती गई है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी–

संग्रह अमीनों ने मानक के अनुसार वसूली नहीं की उन्हें हटाया गया बाद में वसूली हुई लेकिन समायोजन नहीं हुआ तो क्या संग्रह अमीनों का समायोजन करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अशोक यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि संग्रह अमीनों का रखना पूरी तरह से कलेक्शन के प्रतिशत पर निर्भर करता है यही इसका मानक है जिन संग्रह अमीनों का योगदान 70 प्रतिशत आयेगा उन अमीनों को मण्डलायुक्त रखेंगे इससे नीचे वालों को नहीं रखेंगे।

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया उससे लगा कि वह मैनुअल पढ़ रहे हों मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि राजस्व राज्य मंत्री अपने को जवाब देने में अक्षम साबित हो रहे हैं मेरा सिर्फ एक ही सवाल है आपने जो प्रश्न पूछा है उसका पूरक प्रश्न है जिन संग्रह अमीनों और संग्रह चपरासियों ने मानक के अनुरूप कलेक्शन नहीं किया उनकी तो नौकरी चली गई लेकिन माननीय हरीश चन्द्र मण्डलायुक्त

श्री अध्यक्ष–

आप किसी का नाम न लें।

श्री प्रमोद कुमार–

तत्कालीन मण्डलायुक्त के इस तुगलकी निर्णय के कारण जो वसूली नहीं हो पाई है या अगर हुई है तो 70 प्रतिशत से कम है तो उन मण्डलायुक्त के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है या नहीं । दूसरे एक स्पष्ट आरोप आया है उसी क्षेत्र के विधायक का उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ इसलिए किया गया है और यह प्रतीत भी होता है कि छटनी के बाद जो कि बड़े पैमाने पर की गई है जो नियुक्तियां की गई हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि नियुक्तियों के संबंध में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है उसकी जांच करके तत्कालीन आयुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी ।

श्री अशोक यादव–

मान्यवर, इस प्रकरण की जांच करके मैं सदन को 20 दिन के अन्दर सूचना दे दूंगा ।'

(श्री शिव प्रताप शुक्ला के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री शुक्ला जी बैठ जाएं अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं ।

प्रदेश में भूमिहीन दलित एवं कमजोर वर्ग के लिए चलाये जा रहे भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार कार्यक्रम की जानकारी

*3–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भूमिहीन दलित एवं कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या को देखते हुए प्रदेश में प्रभावी रूप से भूमि सुधार लागू किया जायेगा जिससे गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले उपरोक्त वर्ग के लोगों के स्थाई रूप से जीवकोपार्जन के साधन मिल सके और प्रदेश की कृषि योग्य सरकारी भूमि को बड़े पैमाने पर मुक्त कराया जा सके ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन से कारगर कदम उठाकर सुनिश्चित कार्यक्रम के तहत समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अशोक यादव–

जी हां ।

प्रदेश में भूमिहीन दलित एवं कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या को देखते हुए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे है :–

1–प्रदेश के समस्त भूमिहीन परिवारों को ग्राम सभा में निहित कृषि योग्य भूमि का आवंटन एवं दिनांक 1-4-1995 के बाद के भू–आवंटियों को आवंटित भूमि के विकास के लिए रु० 1000/- प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता ।

2–सीलिंग कानून के अर्न्तगत अतिरिक्त घोषित भूमि का आवंटन एवं रु० 1000/–प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता ।

3–भूदान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि का आवंटन ।

4–ग्राम सभा में निहित सार्वजनिक उपयोग की भूमि एवं ऐसी भूमि जो जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–132 में उल्लिखित है, को छोड़कर अन्य भूमि पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को 3 जून, 1995 तक के कब्जों की भूमि को उनके द्वारा धृत समस्त भूमि को मिलाकर 3.125 एकड़ तक की सीमा तक उनके साथ बन्दोबस्त किया जाना ।

5–राजकीय आस्थान की कृषि योग्य भूमि का कृषि हेतु आवंटन ।

6–मछुवा समुदाय की सहकारी समितियों एवं सदस्यों को मत्स्य/सिंघाड़ा उत्पादन हेतु तालाबों का आवंटन ।

7–कुम्हारी कला एवं मूर्ति कला से सम्बद्ध परिवारों को मिट्टी निकालने हेतु भू–स्थलों का आवंटन ।

8–वृक्षारोपण हेतु हरियाली पट्टा दिया जाना ।

9–अनुसूचित जाति/जनजाति तथा ग्रामीण शिल्पकार परिवार के सदस्यों द्वारा 3 जून, 1995 तक ग्राम सभा तथा खातेदारों की भूमि पर बने उनके आवासों की भूमि को (सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि को छोड़कर) उनके साथ व्यवस्थित किया जाना एवं उपर्युक्त श्रेणी के शेष पात्र व्यक्तियों को आवास हेतु भूमि का आवंटन ।

10–प्रदेश में उपलब्ध ऊसर भूमि कृषि योग्य बनाने हेतु ऊसर सुधार निगम के माध्यम से भूमि का विकास करके भूमिहीन कमजोर एवं दलित वर्ग के लोगों को वितरित किया जाना ।

11–10 वर्ष तक के पट्टेदारों के भूमि पर संक्रमणीय भूमि का अधिकार दिया जाना ।

उपर्युक्त कार्यों को सम्पादित करने के लिए समयबद्ध रूप से विशेष अभियान भी वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर चलाया जा रहा है ।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बड़ा लम्बा उत्तर दिया है । मैं अपने मूल प्रश्न के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि इनकी चार महीने की सरकार हुई है, मैंने इनसे पूछा है कि भूमिहीन दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों को प्रदेश में उनकी संख्या को देखते हुये जीवकोपार्जन हेतु भूमि आवंटन के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है । मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जब से यह सरकार बनी है तब से कितने भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध थी तथा इन चार महीनों के दौरान सीलिंग और ग्राम समाज की जमीन कितने लोगों को आवंटित किया गया तथा सीलिंग और ग्राम समाज की कितनी जमीन थी ?

श्री अशोक यादव–

मान्यवर, इस संबंध में मेरे पास काफी सूचना है अगर अनुमति हो तो मैं पढ़ दूं या अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनके पास भिजवा दूं ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है केवल आंकड़े बता दें ।

श्री अशोक यादव–

मान्यवर, ग्राम सभा में निहित भूमि 29,67,341 व्यक्तियों को दिया गया और भूदान में प्राप्त का वितरण हुआ उसमें 21,611 व्यक्तियों को दिया गया । सीलिंग भूमि का आवंटन कर 3,55679 व्यक्तियों को दिया गया । 41,553 को मत्स्य पालन पालन हेतु तालाबों का पट्टा दिया गया ।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि वर्तमान सरकार के दौर में प्रदेश में कितने भूमिहीन थे और कितनी सीलिंग और ग्राम समाज की जमीन हमारे पास उपलब्ध थी उसमें से कितने का आवंटन हो गया ? कितनी सीलिंग भूमि न्यायालय की परिधि में पड़ी हुई है ? हम केवल आंकड़े चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मित्रसेन जी आपका प्रश्न बहुत विस्तीर्ण है । देखा जाय तो मूल प्रश्न से निकल नहीं रहा है । मैं अगला प्रश्न ले लेता हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री दल बहादुर कोरी–

माननीय अध्यक्ष जी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है इस पर मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

दल बहादुर जी आप बैठ जायें, मैंने श्री अवधेश प्रसाद जी को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह वर्तमान सरकार की मुख्य मंत्री जी अपने को दलित की बेटी कहती है । यह जो सवाल आया है कि उत्तर प्रदेश में कितने भूमिहीन हैं ? एक सवाल यह कि उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी भूमि चाहे वह सीलिंग की हो, गांव सभा की हो, है, जो उत्तर प्रदेश के भूमिहीन दलितों में बांटी जा सकती है । मुझे आपका संरक्षण चाहिये । यह दलितों की सरकार है । सरकार बड़ा दम भरती है कि हम दलितों की बेटी हैं । जब दलित का मामला आया तो लीपापोती का उत्तर दिया जा रहा है । इस प्रकार की मंशा दलितों के लिये कितना काम करने की है, यह इससे जाहिर है । मुंह में क्या है, दिल में क्या है, यह बात जाहिर हो रही है ? इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर दिलाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह था कि प्रदेश में भूमिहीन दलित एवं कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या को देखते हुये प्रदेश में प्रभावी रूप से भूमि सुधार लागू किया जायेगा, प्रश्न तो भूमि सुधार पर केन्द्रित है, आप इधर-उधर की बातें कर रहे हैं ।

(श्री राम जग का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दीजिये ।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थान से एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

व्यवधान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैंने रामजग जी को बुलाया है ।

(रामजग जी को पुनः अनुमति दिये जाने पर श्री अवधेश प्रसाद, श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री गोपाल कृष्ण, श्री अशोक बाजपेयी सहित कई सदस्य एक साथ सदन के फ्लोर पर आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान होता रहा)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपने स्थान पर जायें । आप लोग शान्त नहीं रहेंगे तो कोई बात लिखी नहीं जायेगी । मैंने रामजग जी को अवसर दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(श्री गौरीशंकर एडवोकेट द्वारा अपने स्थान से कुछ कहने का प्रयास करने पर)

गौरी शंकर जी का कुछ लिखा नहीं जायेगा, आप कृपया बैठ जायें ।

(व्यवधान)

यह प्रश्न काल है और आप लोग जैसा विचार विमर्श कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है । आप भाषण दे रहे हैं इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । आप कृपया बैठ जायें ।

श्री रामजग–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप भाषण दे रहे हैं और अनुपूरक प्रश्न नहीं किया है इसलिये यह नहीं लिखा जायेगा और आप बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री दलवीर सिंह–

(व्यवधान) मान्यवर, भूमि बांटने के संबंध में जिला अधिकारियों को आदेश 25–30 तारीख के बीच में जनपद अलीगढ़ में तथा उत्तर प्रदेश के हर जिले में भेजा गया लेकिन बिना नियमित कार्यवाही किये हुए जैसे कि भूमि प्रबंध कमेटी की नोटिस दी जाती है तो बिना उसके लेखपाल, ए० डी० एम० और डी० एम० सबकी मिली भगत से एक-एक गांव से 10–10 लाख रुपये कलेक्ट किया है और नियम विरुद्ध पट्टे किये गये हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भूमि के पट्टे देने में गरीबों की उपेक्षा की गयी है इसलिए इसमें मैं न्यायोचित कार्यवाही की मांग करता हूं । मैं यह भी चाहता हूं कि इसकी जांच करायी जाये ।

श्री अध्यक्ष–

यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है । इसलिए इसके लिए अलग से प्रश्न करें । और अलग से सूचना दें । आप बैठ जायें ।

प्रश्न संख्या–5 पुकारे जाने पर (व्यवधान) आप लोग बैठ जायें । इसमें मैंने कह दिया है कि अलग से प्रश्न करें चूंकि भाषण का उत्तर दिया जाता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हो सकता है कि सवाल पूछने में माननीय सदस्य उस तरह से नहीं पूछ पायें हों जैसा पूछना चाहिए । लेकिन यह लोक महत्व का प्रश्न है, इसमें हजारों एकड़ जमीन के पट्टे देने में भ्रष्टाचार की बात है इसलिए नियम–49 में लिखित सूचना दे देंगे तो आधे घण्टे की चर्चा आप करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना दे दें तो विचार कर लिया जायेगा ।

*4–श्री जगदम्बिका पाल–

[10वें सोम में ता० प्र० सं० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बनाने हेतु समिति की संस्तुतियां

5--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों ो सेवा शर्तों को बनाने हेतु किसी कमेटी का गठन हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या संस्तुतियां ो गयी थीं ? क्या सरकार उन्हें लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चायती राज राज्य मंत्री श्री बालेश्वर त्यागी (स्वतंत्र प्रभार)--

जी हां ।

समिति की संस्तुति प्रतीक्षित है ।

समिति की संस्तुतियां व सुझाव प्राप्त होने पर उन्हें लागू किये जाने के संबंध में विचार किया ायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं । पहला तो यह है के इस कमेटी का गठन कब हुआ और उसमें कौन-कौन लोग हैं और दूसरा सवाल यह है कि इस कमेटी से रिपोर्ट देने की अपेक्षा कब थी और इसकी अब तक की प्रगति क्या है, कितनी बैठकें हुईं ?

श्री बालेश्वर त्यागी--

मान्यवर, 25-11-94 को इस कमेटी का गठन किया गया था और पंचायती राज के विशेष सचिव श्री दुर्गेश जोशी की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ, श्री राधेश्याम, उप सचिव, पंचायती राज विभाग, मुख्य वित्त अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई वरिष्ठ लेखाधिकारी, उप निदेशक (श्री गुप्ता) जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक पंचायती राज विभाग, श्री राम नवल वर्मा, अपर मुख्य अधिकारी, कार्याधिकारी, संवर्ग से, जिला पंचायत, लखनऊ और श्री विश्व नाथ सिंह अपर मुख्य अधिकारी, (अभियन्ता संवर्ग से) जिला पंचायत, मऊ ये सदस्य थे, इन लोगों की कमेटी गठित की गयी थी और इस कमेटी की एक बैठक हो पाई । वर्तमान में चूंकि उन अधिकारियों का परिवर्तन हो गया । अतः इस कमेटी का पुनर्गठन कर दिया गया है और कमेटी की रिपोर्ट आने पर उसकी संस्तुतियों पर विचार किया जायेगा ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, 25-11-94 को माननीय मंत्री जी कमेटी का गठन बताते हैं इसके तीन वर्ष हो गये हैं और उसकी कोई प्रगति नहीं हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि इस संबंध में कोई स्पष्ट समय सीमा निर्धारित कर दें ।

श्री बालेश्वर त्यागी--

मान्यवर, चूंकि 73वां संविधान संशोधन विधेयक आ गया था उसके अनुरूप अनके विभागों को पंचायत राज को दिया जाना था कितने-कितने काम पंचायतों पर आयेंगे उसके लिए एक नई व्यवस्था आने वाली है उसमें इतना समय लग गया । कहां व्यवस्था होगी, कितने लोगों को उसमें लगाया जायेगा इस कारण से इसमें देरी हुई है जैसे ही प्रतिनिधायन का काम पूरा हो जायेगा इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, बैठकें कितनी हुई ?

श्री अध्यक्ष–

बैठकों से क्या होगा, वह इसे शीघ्र करा देंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, तीन वर्षों में एक बैठक हुई और अधिकारियों के स्थानान्तरण हो गये । क्या इसकी कोई गारन्टी ले सकता है कि जो नई समिति बनी उसका स्थानान्तरण नहीं होगा । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि नई पुनर्गठित समिति के लिए समय सीमा तय करेंगे कि तब तक इस समिति की रिपोर्ट हर हाल में आ जानी चाहिए ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, इस कमेटी का पुनर्गठन 14-7-97 को किया गया था उसके बाद 22 और 23 जुलाई, को बैठक हो चुकी है लेकिन जैसा मैंने पूर्व में अनुरोध किया था पंचायतों को 32 विभाग दिये जाने की बात है ।

श्री अध्यक्ष–

यह बता दें कि रिपोर्ट कब तक दे देंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, इसके लिए शीघ्राशीघ्र निर्देशित किया जायेगा कि अपनी रिपोर्ट दे दें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, 6 महीने में, 3 महीने में कब तक रिपोर्ट आयेगी इसकी एक समय सीमा तय कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कह दिया शीघ्रताशीघ्र, अब आप बैठें ।

''ग्रेटर नोएडा'' में किसानों की जमीन का मुआवजा तथा उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दिया जाना

*6. श्री नवाब सिंह नागर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि ''ग्रेटर नोएडा'' में किसानों का मुआवजा 100 रुपये प्रति गज की दर से दिया जायेगा एवं किसानों की अधिग्रहीत भूमि का 10 प्रतिशत उनके लिये छोड़ा जायेगा तथा किसानों के परिवार के सदस्यों को वहां लगने वाली फैक्टरियों में नौकरी दी जायेगी ? यदि हां, तो क्या उक्त घोषणा के अनुरूप शासन द्वारा कोई शासनादेश निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी हां । ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों एवं प्रभावित काश्तकारों के मध्य हुई वार्ता में यह निर्णय लिया गया था कि धारा–18 के अन्तर्गत जिला जज के यहां दायर मुकदमों में समझौते के आधार पर

काश्तकारों को रुपया 160/ प्रति वर्गगज प्रतिकर दे दिया जायेगा । मा० मंत्री जी ने तदनुसार ही घोषणा की थी । उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि अधिग्रहीत की जाने वाली कुल भूमि का 10% आबादी के विस्तार के लिये छोड़े जाने के सुझाव पर विचार किया जायेगा तथा प्रभावित किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिये जाने के संबंध में पहले से जारी किये गये शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ग्रेटर नोएडा द्वारा कार्यवाही की जानी है जिसके लिये उनसे अनुरोध किया जा रहा है ।

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, ग्रेटर नोएडा में किसान अपनी जमीन के मुआवजे के लिये लम्बे समय से आन्दोलनरत हैं । 12 फरवरी को वहां के अधिकारियों ने किसानों के साथ मेरी मध्यस्थता में एक समझौता किया, जिसके तहत 160 रु० प्रति वर्गगज मुआवजे का करार किया, 10 प्रतिशत भूमि छोड़ने का भी आश्वासन दिया । जब हमारी सरकार आयी उसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने उस करार को निरस्त कर दिया । मेरी मध्यस्थता से ही किसानों ने जमीन दी । माननीय राजस्व मंत्री ने घोषणा भी कि कि 160 रु० मुआवजा देंगे लेकिन उसका शासनादेश अभी तक निर्गत नहीं हुआ । वह मुआवजे का शासनादेश कब तक होगा और जिन अधिकारियों ने करार किया था, उसके अनुरूप कार्यवाही नहीं हो रही है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर में एक शासनादेश का उल्लेख भी आया है कि "प्रभावित किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिये जाने के संबंध में पहले से जारी किये गये शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । उत्तर में आश्वासन है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पूर्व शासनादेश का संदर्भ आपने भी दिया वह केवल नौकरी देने से संबंधित है, जो मुआवजे वाली बात है और भूमि छोड़ने वाली बात भी कही गयी है उन दोनों को कवर नहीं किया है, इनके बारे में शासनादेश कब तक हो जायेगा ?

श्री अशोक यादव–

मान्यवर, कीमतों के फैसले नोएडा में बराबर लिये जाते हैं । नोएडा अथारिटी और किसानों के बीच वार्ता हुई, डिस्ट्रिक्ट जज के यहां रेफरेन्स पेन्डिंग थे उनके तहत वार्तायें चलती रहीं । 1994 में फैसला हुआ जिसमें कीमत 110 रु० रखी गयी, 1996 में किसानों ने आन्दोलन चलाया, 130 रु० कीमत रखी गयी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायें, मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

श्री अशोक यादव–

30 अप्रैल, 1997 में एक और फैसला लिया गया जिसमें कीमत 160 रु० लिये जाने की घोषणा की गयी । यह अथारिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट के तहत आती है । घोषणा के उपरान्त मामला औद्योगिक विकास विभाग को गया है, जिसका फैसला आना शेष है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, इसी संबंध में मैंने 17 जुलाई, 1997 को एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आया था । उसमें ग्रेटर नोएडा के हल्दोना ग्राम में 50 रुपये मीटर तय किया गया और यह भी कहा गया कि 80 प्रतिशत भुगतान हो जायेगा । फिर 24-3-94 को फैसला लिया गया जिसमें 110 रुपये मीटर मुआवजा तय किया गया । रामपुर हुगलपुर, हल्दोना में 13 रुपये मीटर से 50 रुपये मीटर का मुआवजा दिया और 20 प्रतिशत जिला प्रशासन मांग रहा है । जो किसान दे रहे हैं उनको मुआवजा मिल रहा है तो इस प्रकार से किसानों की खुली लूट हो रही है । इसमें कोई ऐसी नीति बनायेंगे जिससे जो किसानों का शोषण हो रहा है, वह न हो सके और उनका पैसा मिल सके । जो 10 प्रतिशत जमीन की घोषणा की गयी थी मैं कहना चाहता हूं कि वह 10 इंच भी नहीं दी गयी है । इसके अतिरिक्त जो शासनादेश हैं नौकरी का कि उस क्षेत्र में जिन लोगों की जमीन ली गयी है उनको 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा वह भी नहीं दिया जा रहा है । हांडा स्टील फैक्टरी वहां पर बनी लेकिन लड़के नहीं रखे जा रहे हैं । तो इन तीन चीजों का वहां पर उल्लंघन हो रहा है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें । इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो समझैता 160 रुपया मीटर का 30-4-97 को हुआ है तो क्या उसी रेट से हल्दोना को भी दिया जायेगा ?

श्री अशोक यादव–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो नौकरी और 10 प्रतिशत जमीन की बात है, वह पहले के शासनादेश है, पहले सरकार उनको लागू कर चुकी है । हमारी घोषणा 160 रुपये की थी जैसा कि मैंने जिक्र किया । मान्यवर, जो गांव ग्रेटर नोएडा में आते हैं उस पर यह नियम लागू होगा ।

ग्रेटर नोएडा अथरिटी रेट तय करती है । जमीनों का आंकलन किया जा रहा है । 160 रुपया तय हुआ है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पूर्व सरकार ने नौकरी के संबंध में घोषणा की है तो क्या यह इसको मानेंगे, दूसरा यह कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रेटर नोएडा अथारिटी तय करता है और वह किसानों से बातचीत करके तय करेगा । किसानों की जमीनें कब की चली गयीं मगर रेट अभी भी नहीं मिला है ।...

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, आप भिज्ञ ही होंगे और सदन के माननीय सदस्य भी अवगत होंगे कि किसानों की जमीन लेने का प्रोसेस है और उस प्रोसेस के बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही की जाती है और उसका भुगतान एजेन्सी देती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें ग्रेटर नोएडा के सभी गांवों को जो सम्मिलित हैं, 160 रुपया का मुआवजा हम देंगे।

जिनके मुकदमें जिला जज के यहां पर चल रहे हैं, धारा 18 के अनुसार 160 रुपये प्रति गज के अनुसार मुआवजा देय होगा और मान्यवर जहां तक नौकरियों का सवाल है, जो शासनादेश है उसके अनुसार सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति गीडा और बबराला में हो गयी है, उस प्रकार की स्थिति यहां पर न आने पावे, इसलिये नोएडा के मामले पर गंभीरता पूर्वक सरकार को विचार करना चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिये जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गयी है, उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम पूरा किया जाये और उन किसानों को उनकी जमीन का पूरा मुआवजा देने का काम किया जाये और अगर हो सके तो 80 प्रतिशत मुआवजा की धनराशि किसानों को तुरन्त दे दी जाये। क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी व्यवस्था रही होगी और जो सरकारें रही होगी वह हीला हवाली करती रही होगी, लेकिन हमारी दृढ़ संकल्प सरकार है, सारे मामलों को निस्तारित करके सभी को मुआवजा दिलाया जायेगा।

श्री नवाब सिंह नागर–

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री नवाब सिंह नागर–

जो इकरार किसानों के साथ प्राधिकरण के अधिकारियों ने किया था, जिसके तहत किसानों ने अपनी भूमि का कब्जा दे दिया, क्या उसका अनुपालन किया जा रहा है और नहीं किया जा रहा है, तो कब तक किया जायेगा ?

श्री बी० आर० वर्मा–

यह सरकार हीला हवाली करने वाली नहीं है। शीघ्रातिशीघ्र इसका निस्तारण किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही

*7–श्री सीताराम निषाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों को वित्तीय अधिकार देने का सरकार ने निर्णय लिया है जो पहली अप्रैल, 1997 से लागू माना जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

मा० परामर्शदात्री परिषद् की बैठक दिनांक 1-3-97 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में जिन क्षेत्रों में संस्तुतियों का कार्यान्वयन हो सकता था, उनसे सम्बन्धित 17 विभागों द्वारा 30 शासनादेश माह जून, 1997 तक जारी कर त्रिस्तरीय पंचायतों–ग्राम पंचायतों क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों को प्रशासनिक अधिकार दिये गये है कतिपय विभागों द्वारा वित्तीय अधिकार भी प्रदान किये गये हैं शेष 15 विभागों द्वारा शासनादेश जारी करने की प्रक्रिया चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है 32 विभागों को जो ग्रामीण विकास से संबंधित है त्रिस्तरीय पंचायतों को अधिकार देने की बात की है लेकिन अभी तक 17 विभागों को, जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें केवल प्रशासनिक अधिकार दिये गये हैं, वित्तीय अधिकार नहीं दिये गये हैं शेष 15 विभागों को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देने की बात चल रही है । इससे ऐसा लगता है कि यह सरकार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देने के लिये बिल्कुल उदासीन है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो 32 विभाग हैं इनको सभी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार कब तक देंगे ?

जो शासनादेश जारी किया गया है 17 विभागों के संबंध में उसकी प्रति सदन के पटल पर रखकर सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करायेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुरूप उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट संशोधित किया गया तदनुसार उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए संशोधन के अनुरूप पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये बजाज आयोग का गठन किया गया । उसकी संस्तुतियों के परीक्षण के लिए एक हाई पावर कमेटी बनायी गयी जैसे ही इस लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ उसके साथ ही यह संकल्प जारी किया गया । हम चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता में उनकी वास्तविक हिस्सेदारी देंगे और इस अल्पकाल में 17 विभागों के शासनादेश निर्गत कर दिये हैं । 16 विभागों के शासनादेश पुस्तिका रूप में प्रकाशित हो चुके हैं । जो सबके लिये उपलब्ध हैं । यह सरकार अपने बचनों पर प्रतिबद्ध है कि चुने हुए प्रतिनिधियों की सत्ता में भागीदारी शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

उन्नाव जनपद के राजस्व अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक भुगतान की मांग

*8–श्री दीपक कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च, 1995 से 25-6-97 तक उन्नाव जनपद के राजस्व अधिवक्ताओं का पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, लखनऊ के स्पष्ट आदेश के उपरान्त भी भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या पारिश्रमिक भुगतान शीघ्र करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु शासन के प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी

*9–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पशुधन मंत्री बताने [illegible] क पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी [illegible] क्या है ? क्या पर्वतीय क्षेत्रों में उन्नत नस्ल के भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र खोले गये हैं ? यदि [illegible] कितने और 31-12-96 तक उनकी कुल संख्या क्या है ?

दुग्ध विकास [illegible] पशुधन मंत्री (श्री सुन्दर सिंह बघेल)–

जी [illegible] दुग्ध विकास विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु सहकारी दुग्ध संघों के माध्यम से उत्तरांचल के जनपद नैनीताल, उधमसिंह नगर तथा अल्मोड़ा के दुग्ध मार्गों पर नवीं पंचवर्षीय योजना काल में निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं :—

1–दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार हेतु नैसर्गिक तथा कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था ।

2–भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र की स्थापना ।

3–पशुओं के स्वास्थ्य रक्षा हेतु विभिन्न संक्रामक तथा छूत की बीमारियों के टीके की व्यवस्था ।

4–आकस्मिक पशु चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था ।

5–आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना ।

6–उचित मूल्य पर पशु आहार सुलभ कराना ।

7–पशुओं के लिए हरे चारे हेतु चारा, घास/वृक्षों के बीज उपलब्ध कराया जाना तथा नर्सरी की सुविधा उपलब्ध कराया जाना ।

जी हां । दुग्ध विकास विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत लालकुआं में दिनांक 31-12-96 तक एक उन्नत नस्ल के भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र की स्थापना की गयी है ।

भदोही जिले का मुख्यालय ज्ञानपुर में स्थापित किये जाने एवं भवनों के निर्माण कार्य हेतु कार्यवाही की जानकारी

*10–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि भदोही जिले का मुख्यालय ज्ञानपुर में स्थापित किया जाना घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब और मुख्यालय के निर्माण हेतु अब तक कुल कितनी धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है ? मुख्यालय की प्रस्तावित रूपरेखा क्या है ? उसे कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री अशोक यादव–

जी हां ।

शासन की अधिसूचना संख्या–5-4(1)/78-338-रा०–5, दिनांक 30-6-94 द्वारा जनपद भदोही का सृजन किया गया जिसका मुख्यालय ज्ञानपुर रखा गया । जनपद भदोही के मुख्यालय पर राजस्व विभाग के भवनों के निर्माण हेतु अभी तक कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है ।

जनपद मुख्यालय के निर्माण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है । कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण हेतु 386.00 लाख रुपये के आगणन अनुमोदित हैं । भूमि अर्जन की कार्यवाही के पश्चात् निर्माण कार्य हेतु कार्यवाही की जायेगी ।

नव सृजित जिला श्रावस्ती में दो नयी तहसीलें पयागपुर तथा इकौना के सृजन संबंधी जानकारी-

*11–श्री अक्षयवर लाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जिला श्रावस्ती में दो नयी तहसीलें पयागपुर व इकौना के सृजन का प्रस्ताव क्या सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उपरोक्त तहसीलें कब तक बन जायेंगी ?

श्री अशोक यादव–

जी हां ।

पयागपुर तथा इकौना को नई तहसील बनाये जाने पर राजस्व परिषद् की आख्या/संस्तुति प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आगरा स्थित फतेहाबाद मण्डी समिति के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक स्वीकृत प्रस्ताव एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

1–श्री विजय पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में फतेहाबाद मण्डी समिति के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने हेतु निदेशक मण्डी परिषद् उ० प्र० के द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा मार्गों का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वांछित आख्या एवं तकनीकी रिपोर्ट उपनिदेशक आगरा से प्रतीक्षित है ।

जनपद बस्ती के तहसीलों में कार्यरत लेखपालों/राजस्व निरीक्षकों की शासनादेश के अनुसार नियुक्ति की मांग

2–श्री वेद प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेखपालों/राजस्व निरीक्षकों की तैनाती/स्थानान्तरण नीति विषयक पत्र शासनादेश सं० 2756/(1)/1-9-94-11-16(32)/87–रा-9, दिनांक 26 मई, 1994 का पालन मण्डल गोरखपुर के राजस्व अधिकारियों ने नहीं किया है, जिसके कारण जनपद बस्ती के चारों तहसीलों में कुल 115 लेखपाल गृह ब्लाक और 233 लेखपाल गृह तहसील में उक्त शासनादेश के विरुद्ध 3, 6 व

12 वर्षों से अधिक दिनों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान सत्र 1997-98 में उक्त शासनादेश में निहित स्थानान्तरण नीति के अनुपालन कराये जाने हेतु कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती में पूर्व जिलाधिकारी श्री देवशरण सिंह यादव के कार्यकाल में राजस्व विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर हुई नियुक्तियों की जांच

3–श्री वेद प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व जिलाधिकारी श्री देवशरण सिंह यादव के कार्यकाल में जनपद बस्ती में राजस्व विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कितनी नई नियुक्ति की गयी ? नियुक्त कर्मचारियों का गृह जनपद क्या है ? क्या इन नियुक्तियों हेतु आवश्यक चयन प्रक्रिया अपनाई गई है ? क्या आरक्षण के अनुरूप नियुक्तियां हुई हैं ? यदि अनियमितता बरती गई है, तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

31 नियुक्तियां की गयीं जिसमें 13 मृतक आश्रित, 7 मा० उच्च न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में तथा कैमूर सर्वे के छटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजन में की गयी है । 11 नई नियुक्तियां की गयी हैं । मृतक आश्रित एवं मा० न्यायालय तथा कैमूर सर्वे एजेन्सी के छटनीशुदा कर्मचारियों को छोड़कर नई नियुक्तियों में 4 कर्मचारियों का गृह जनपद बस्ती, तीन का गाजीपुर एवं एक-एक जनपद गोरखपुर, गोण्डा, आजमगढ़ एवं अल्मोड़ा है ।

प्राप्त सूचनानुसार नियुक्तियों में चयन प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी । आरक्षण के नियमों तथा चयन प्रक्रिया न अपनाये जाने के संबंध में आयुक्त, बस्ती मण्डल को जांच हेतु आदेशित किया जा रहा है ।

4–श्री वेद प्रकाश–

[दि० 23-7-97 के द्वारा उत्तरित]

जनपद सोनभद्र की तहसील राबर्ट्सगंज के ग्राम बिल्ली मारकुण्डी अन्तर्गत श्री रामनाथ आदि पुत्रगण सुखदेव (अनुसूचित जाति) के भूमि के अवैध रजिस्ट्री बैनामे के निरस्तीकरण की मांग

5–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शीतल व राम नाथ व लक्ष्मण पुत्रगण नान्हू श्री रामेश्वर व रामजीत पुत्रगण सुखदेव निवासी व मौजा बिल्ली मारकुण्डी परगना अगोरी तहसील राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं ? यदि हां, तो इनकी आराजी संख्या 3492 ग दो बीघा बिना जिलाधिकारी के आदेश के श्री वेद प्रकाश गर्ग पुत्र राम स्वरूप गर्ग निवासी चोपन परगना अगोरी, तहसील राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के नाम किस आधार पर रजिस्ट्री बैनामा हो गयी ? क्या मंत्री जी उक्त रजिस्ट्री को निरस्त कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद महराजगंज के आनन्दनगर कस्बे में शुगर मिल की जमीन के कथित अनियमित आवंटन में आवश्यक कार्यवाही की मांग

6–श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज में फरेन्दा तहसील कस्बा आनन्दनगर में 1992 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम बन्द पड़ी गणेश की शुगर मिल की जमीन का आवंटन कर दिया गया है ? क्या इस आवंटन में आनन्दनगर के बड़े व्यापारी व सेठों को आवास हेतु भूमि आवंटित की गयी है ? क्या वर्तमान उप जिलाधिकारी फरेन्दा द्वारा अनियमित रूप से 7-5-97 को भारत सरकार की जमीन पर रातो-रात कब्जा दिलवाने की कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी व उपरोक्त व्यक्तियों के पट्टे खारिज करेगी ? उप जिलाधिकारी फरेन्दा द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की साजिश में शामिल होने पर उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जी नहीं । मिल की भूमि का आवंटन नहीं हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम भरतपुर में ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये अवैध निर्माण की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही

7–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य राजस्व अधिकारी, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा आदेशित क्रमशः दिनांक 4-2-97, 25-2-97 को उप जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक व उप पुलिस अधीक्षक, गौरीगंज, सुल्तानपुर को दिया गया मालती देवी, अध्यक्ष, युवक मंगल दल तथा आम हस्ताक्षरकर्ता ग्राम सभा–सीवन का गांव भरतपुर, ब्लाक–शाहगढ़, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र जिसमें गाटा सं०–167 ग्राम समाज (सुरक्षित) भूमि पर अवैध निर्माण ग्राम प्रधान द्वारा कराये जाने की शिकायत है, प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इसकी जांच क्या किसी अधिकारी द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो कब और जांच परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस पर निर्माण कार्य अभी भी जारी है ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी कौन-कौन हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, दिनांक 4-2-97 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रश्नगत शिकायत है ।

जी हां, इसकी जांच राजस्व निरीक्षक, शाहगढ़ से करायी गयी ।

(स) दिनांक 12-2-97 को जांच कराई गई ।

(द) प्रश्नगत भूमि पर अवैध निर्माण होता पाया गया, जिसकी राजस्व निरीक्षक एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा स्थानीय पुलिस की मदद से रुकवाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माण कार्य इसके बाद भी जारी रहने के फलस्वरूप दिनांक 26-4-97 को उप जिलाधिकारी एवं त्राधिकारी, कादीपुर, गौरीगंज द्वारा अवैध निर्माण गिरवाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी परिषद् में उप निदेशक (निर्माण) के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया की जानकारी

8–श्री विवेक कुमार सिंह तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् में निर्माण कार्यों के देख-रेख एवं रख-रखाव हेतु कितने उप निदेशक मण्डी परिषद् में सीधी भर्ती द्वारा रखे गये हैं और कितने उप निदेशक अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर रखे गये हैं ? क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति पर रखे गये अधिकारी कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश/दिशा निर्देश में दिये गये समयावधि समाप्त होने के बाद भी अपने विभागों में वापस नहीं भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं । मण्डी परिषद् में उप निदेशक (निर्माण) के समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं ।

जी नहीं, उप निदेशक (निर्माण) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कोई भी अधिकारी कार्यरत नहीं है, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

नारियाल गांव चम्पावत, जनपद पिथौरागढ़ में पशु प्रजनन भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र की स्वीकृति तथा भ्रूण प्रत्यारोपण के कार्य की जानकारी

9–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि नारियाल गांव चम्पावत, जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1988 में पशु प्रजनन भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र स्वीकृत किया गया था ? क्या उक्त केन्द्र में कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है । अतः वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र में इसका उपयोग आर्थिक एवं व्यवहारिक रूप से कार्यान्वित कराना औचित्य पूर्ण नहीं है ।

ग्राम देईडीह, तहसील भानपुर, जिला बस्ती में ग्राम समाज भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा

10–श्री बाबू राम तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम देईडीह, तहसील–भानपुर, जिला बस्ती में ग्राम समाज भूमि, गाटा सं०–193, 267, 275 व 194 रकबा कुल 20 बिस्वा पर क्या ग्राम के कुछ दबंग लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उसी ग्राम के कुछ निर्बल व्यक्तियों के पानी निकासी को लेकर उक्त भूमि के सार्वजनिक उपयोग व उपभोग से वंचित कर दिया गया है ? क्या ग्राम प्रधान के पत्र दिनांक 26-4-93 एवं 18-11-95 जो कि जिलाधिकारी, बस्ती को सम्बोधित है, शिकायत किये जाने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? क्या मंत्री जी अवैध कब्जे को हटवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी शिकायत की प्रति सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी बस्ती को प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र में ग्राम बिल्ली मारकुण्डी परगना अगोरी भूमि धारी आराजी की भूमि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के तहत रजिस्ट्री बैनामा कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

11–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के श्री सुखदेव पुत्र रामरतन, रामदेव पुत्र भोला, रामेश्वर पुत्र अमृत, राजपति पुत्र देव नारायण, लक्ष्मन पुत्र शिवनारायण निवासी ग्राम बिल्ली मारकुण्डी परगना अगोरी भूमिधारी आराजी की कितने बीघे भूमि किन-किन जाति के लोगों ने रजिस्ट्री बैनामा कराया है ? क्या क्रेता और विक्रेता अनुसूचित जाति के हैं ? यदि नहीं, तो उक्त व्यक्तियों की भूमि बिना जिलाधिकारी की अनुमति के किस नियम के तहत रजिस्ट्री बैनामा हुई है ? उक्त रजिस्ट्री बैनामा प्रक्रिया में कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं ? क्या दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक कम्पियरगंज के ग्राम गोपालपुर में पंचायत भवन के निर्माण के संबंध में प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

12–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक कम्पियरगंज के ग्राम गोपालपुर में कई पुरवे होने के फलस्वरूप प्रधान द्वारा ग्रामीणों को विश्वास में लिये वगैर मनमानी तौर पर अपनी सुविधा के अनुसार पंचायत भवन का निर्माण 1996-97 में कराया है ? क्या ग्रामीणों के हितों की अनदेखी करने एवं सार्वजनिक धन को निष्फल व्यय करने के कारण प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही करा देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा बिलग्राम, उन्नाव जरौली शेरपुर में तथा बेरिया–नजीरपुर ग्राम शाहपुर में सड़क निर्माण के संबंध में कार्यवाही की जानकारी

13–श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिलग्राम, उन्नाव, जरौली शेरपुर एक किलोमीटर मेंहदीघाट रोड से बेरिया–नजीरपुर ग्राम शाहपुर एक तीन किमी० सड़क निर्माण के संबंध में पत्र

सं०–एम–3/56-8/हरदोई/96, दिनांक 23-12-1996 पर दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निदेशक, मण्डी परिषद् ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जिलाधिकारी, हरदोई से प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग का प्रस्ताव एवं उप निदेशक (नि०) से तकनीकी आख्या उपलब्ध कराने हेतु मण्डी परिषद् के पत्रांक–मु०अधि०/रा०मा०/97-110, दिनांक 9-1-97 द्वारा अपेक्षा की गयी है । अभी प्रस्ताव एवं आख्या प्राप्त नहीं हुई है ।

जनपद महराजगंज के कस्बा/गांव शाहाबाद तहसील फरेन्दा में कब्रिस्तान की भूमि को वीरेन्द्र चौधरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बृजमनगंज शाहाबाद के नाम से दर्ज करने का कथित आरोप

14-श्री विनोद मणि–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज कस्बा/गांव शाहाबाद तहसील फरेन्दा में आ० नं०–1322, 1325, 1395 गांव सभा की भूमि प्रधान के प्रस्ताव पर स्वयं प्रधान ही को विद्यालय हेतु किन नियमों के तहत दे दी गयी है ? क्या 1395 में कब्रिस्तान पहले से है ? क्या इस आराजी नम्बर को भी स्कूल के नाम दिया गया है ? क्या खेलकूद मंत्री ने इसी विवादित भूमि (चकबन्दी में मुकदमा दौरान) पर दिनांक 9-5-97 को विद्यालय का शिलान्यास किया है ? क्या सरकार इस अवैध आदेश को निरस्त करने की कार्यवाही करेगी ? क्या उप जिलाधिकारी (तत्कालीन) द्वारा जिलाधिकारी को कब्रिस्तान न होने की गलत सूचना देने के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत भूमि में गाटा संख्या 1322 तथा 1325 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बृजमनगंज, शाहाबाद के नाम श्रेणी (62) में पहले से दर्ज थी । भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम सभा शाहाबाद ने बाद में उक्त विद्यालय का नाम बदल कर वीरेन्द्र चौधरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बृजमनगंज, शाहाबाद रखने का प्रस्ताव किया था । तदनुसार ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 21-7-92 के आधार पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने उक्त भूमि वीरेन्द्र चौधरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बृजमनगंज, शाहाबाद के नाम दर्ज करने का आदेश दिया था ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं । खेलकूद मंत्री जी ने शिलान्यास गाटा संख्या 1322, 1325 तथा 1359 की भूमि पर किया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बरेली, तहसील फरीदपुर के ग्राम कीरतपुर चीरी निवासी श्री चन्द्रपाल की भूमि के नीलाम कर्ता तत्कालीन परगनाधिकारी, फरीदपुर श्री भूकम्प सिंह के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

15-श्री नन्द राम–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बरेली, तहसील फरीदपुर के ग्राम कीरतपुर चीरी के निवासी श्री चन्द्रपाल की भूमि दिनांक 25-4-97 को तत्कालीन परगनाधिकारी फरीदपुर श्री भूकम्प सिंह द्वारा नीलाम कर दी गयी है ? क्या यह भी सही है कि नीलाम की गयी भूमि के विरुद्ध देय सम्पूर्ण ऋण नीलामी के एक माह पूर्व ही अदा कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध नीलामी

नीलामी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण इकाई (गोमती एवं मैदानी) में कार्यरत मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा धारक अवर अभियन्ताओं को हटाने की मांग

16–श्री रामपाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि भूमि संरक्षण की लखनऊ इकाई (गोमती एवं मैदानी) में मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा धारक अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या यह तैनाती नियमानुसार है ? क्या इन्हें हटाये जाने के (भूमि संरक्षण से) आदेश शासन से कई बार और इस वर्ष भी होने के बावजूद भी उपरोक्त अवर अभियन्ता भूमि संरक्षण इकाई में ही तैनात हैं ? यदि हां, तो सरकार इन्हें कब तक हटाकर उपयुक्त योग्यता वाले पात्र कर्मचारियों की तैनाती इनके स्थान पर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां । मात्र भूमि संरक्षण इकाई, लखनऊ (गोमती) में एक मैकेनिकल डिप्लोमाधारक अवर अभियन्ता कार्यरत है ।

भूमि संरक्षण इकाई, लखनऊ (मैदानी) में वर्तमान में कोई इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल डिप्लोमाधारक अवर अभियन्ता कार्यरत नहीं हैं ।

जी हां । लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित/नियुक्त अवर अभियन्ताओं के नियुक्ति पत्र में अभ्यर्थियों से यह संविदा होती है कि उन्हें प्रदेश में कहीं भी किसी भी वर्ग–2 (अभियंत्रण) के पद पर तैनात किया जा सकता है, जिसके लिये उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । इसी आधार पर भूमि संरक्षण इकाई लखनऊ में तथा प्रदेश के अन्य जनपदों की भूमि संरक्षण से सम्बन्धित इकाइयों में अवर अभियन्ताओं को तैनात किया गया है, जो नियमानुसार एवं विधिसम्मत है ।

शासन से इन्हें हटाये जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिये गये हैं । भूमि संरक्षण योजना में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, 2 एवं 3 के सरप्लस कार्मिकों को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत हटाये जाने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु उक्त निर्देश अवर अभियन्ताओं पर लागू नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण इकाई, लखनऊ (गोमती) में कैशियर के पद पर कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण की जानकारी

17–श्री रामपाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या भूमि संरक्षण इकाई लखनऊ (गोमती) में कैशियर के पद पर एक ही कर्मचारी बीस वर्षों से कार्यरत है ? यदि हां, तो शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुरूप इस कर्मचारी का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं ।

कैशियर के पद से हटा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पिरैला नरहरिया तहसील सोनहा जिला बस्ती में कथित रूप से पचास लोगों को जमीन के दिये गये पट्टों पर कब्जा दिलाने की मांग

18-श्री विश्वनाथ-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पिरैला नरहरिया तहसील सोनहा जिला बस्ती में पचास लोगों को 1992-93 में पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के पट्टेदारों की पैमाइश का आदेश हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के प्रभाव से पट्टे की पैमाइश नहीं होने दी गयी ? क्या अवैध कब्जा आज भी बना हुआ है ? क्या कुछ लोगों के विरुद्ध अवैध कब्जा करने की प्राथमिक रिपोर्ट भी स्थानीय थाने में दर्ज है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार पट्टेदारों के पट्टे की जमीन की पैमाइश कराकर कब्जा दिलाने पर विचार कर कर रही है ? यदि हां, तो कब तक कब्जा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया जनपद के जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी व अभियन्ता के पद पर नियुक्ति की मांग

19-श्री सुखपाल पाण्डेय-

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी और अभियन्ता का पद कई वर्षों से रिक्त पड़ा है ? क्या यह सच है कि एक अवर अभियन्ता को सम्पूर्ण दायित्व सौंपा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अपर मुख्य अधिकारी व अभियन्ता पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

जी नहीं ।

अपर मुख्य अधिकारी की अनुपस्थिति में अवर अभियन्ता जो प्रभारी के रूप में अभियन्ता के कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहा था, के द्वारा अपर मुख्य अधिकारी के कार्य को भी देखा गया है ।

श्री टी० वी० लाल, अपर मुख्य अधिकारी के पद पर वर्ष 1993 से ही तैनात हैं । अभियन्ता के पद पर आदेश दिनांक 10 जून, 1997 द्वारा श्री आनन्द शंकर राय की तैनाती के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ?

20-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कृषकों को अनुदान के वितरण नीति की जानकारी

21-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा कृषि कार्यक्रमों पर तिलहन एवं दलहन योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान पूरे प्रदेश के कृषकों को दिया जाता है ? यदि हां, तो स्प्रिंगकलर

सेट के अनुदान का 80 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश के 8-9 जनपदों में क्यों दिया गया ? क्या अनुदान को फसलों के क्षेत्रफल व सिंचाई सुविधा के अनुसार देने के लिये जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई मांग की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं ।

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के क्रमशः 50 तथा 40 चयनित जनपदों में अनुदान दिया जाना है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

स्प्रिंगकलर सेट का वितरण चयनित जनपदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति, भूगर्भ जल स्तर, पानी की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना है ।

जनपद झांसी में कार्यरत भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी द्वारा कथित रूप से गम्भीर अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

22–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि झांसी जनपद में कार्यरत भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी को वर्ष 1994-95 में गम्भीर अनियमितताओं के कारण हटाया गया था और वह बिना चार्ज दिये करीब 6 माह फरार रहे ? क्या उनके विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं का आरोप-पत्र कृषि निदेशक के द्वारा शासन को प्रशासनिक कार्यवाही हेतु भेजा गया था ? यदि हां,तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सत्य है कि उन्हें पुनः वर्ष 1995-96 में जिला कृषि अधिकारी, ललितपुर बना दिया गया जबकि झांसी जनपद में गम्भीर अनियमितताओं के कारण उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित नहीं की गयी थी ? यदि हां, तो पुनः जिला कृषि अधिकारी के पद पर किस प्रकार नियुक्ति हुई ? क्या मंत्री जी इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

जिलाधिकारी, अभिलेख अधिकारी, फैजाबाद को निर्देशित आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् के पत्र पर कार्यवाही की मांग

23–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् ने अपने पत्रांक 450/9-33बी/73, दिनांक 27 अप्रैल, 1992 द्वारा जिलाधिकारी अभिलेख अधिकारी, फैजाबाद को कोई निर्देश दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिये जिम्मेदार लोगों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी हां । प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 1992 में निर्दिष्ट कार्यवाही के सन्दर्भ में कतिपय बिन्दुओं पर जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा राजस्व परिषद् से स्थिति स्पष्ट करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका परिषद्, अकबरपुर, जनपद अम्बेदकरनगर के मौजा जौहरडीह मुरादाबाद में भगवन्त प्रसाद पाण्डेय की भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

24–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद्, अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के मौजा जौहरडीह मुरादाबाद की भूमि संख्या 122 के दस बिस्वा के पट्टेदार भगवन्त प्रसाद पाण्डेय की खतौनी दिनांक 16-5-97 एवं दिनांक 20-5-97 को प्रभावहीन होने का आदेश वापस ले लिया गया है ? यदि हां, तो इस खतौनी में हेरा-फेरी करने वाले नायब तहसीलदार के विरुद्ध मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अशोक यादव–

जी नहीं ।

16-8-89 को प्रश्नगत भूमि पर प्रश्नगत पट्टेदार के असंक्रमणीय भूमिधर होने के आदेश पारित हुए। 16-5-97 के आदेश द्वारा 16-8-89 के आदेशों का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया । 16-5-97 के आदेश बाद में वापस ले लिये गये ।

खतौनी की प्रविष्टियां पूर्ववत् रहने के नाते कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम जौहरडीह मुरादाबाद परगना व तहसील अकबरपुर का आंशिक भाग नगर पालिका परिषद् अकबरपुर में विलीन एवं श्री राम निहोर के नाम फर्जी दाखिल खारिज करने के संबंध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

25–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम जौहरडीह मुरादाबाद परगना व तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर वर्ष 1976 में नगरपालिका परिषद् अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर में विलीन हो गयी है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जौहरडीह मुरादाबाद की भूमि संख्या 122 में 6 बिस्वा भूमि 122 बी4एफ के रास्ते को रामनिहोर के नाम फर्जी दाखिल खारिज कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि राम निहोर नाम का कोई व्यक्ति इस ग्राम में नहीं रहता है ? यदि हां, तो यह फर्जी कार्य राजस्व जैसे महत्वपूर्ण रिकार्ड में कैसे हो गया ? क्या मंत्री जी आयुक्त, फैजाबाद मण्डल से जांच करवाकर दोषी लोगों को दण्ड देने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी हां । वर्ष 1976 में जौहरडीह मुरादाबाद का आंशिक भाग नगरपालिका परिषद् सुल्तानपुर में विलीन हुआ था ।

जी नहीं ।

वर्तमान समय में रामनिहोर ग्राम में निवास नहीं करता है ।

न्यायालय परगनाधिकारी, अकबरपुर वाद संख्या 31 तारीख फैसला 1-6-93 अन्तर्गत धारा 122 बी (4 एफ) का लाभ दिया गया है ।

प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपर आयुक्त, फैजाबाद मण्डल के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला फैजाबाद में श्री भवानी प्रसाद व भवानी भीख पुत्रगण स्व० बुद्धू अनुसूचित जाति (पासी) की भूमि पर स्वामित्व को कब्जा दिलाने संबंधी कार्यवाही की जानकारी

26–श्री मोती लाल–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्यायालय चकबन्दी अधिकारी, मकबरा, जिला फैजाबाद ने मुकदमा नं०–400, दिनांक 21 अप्रैल, 1982 का दिनांक 7 अप्रैल, 1992 को भूमि नं०–92 रकबा 18 बिस्वा पर श्री भवानी प्रसाद व श्री भवानी भीख पुत्रगण स्व० बुद्धू अनुसूचित जाति (पासी) निवासी ग्रा०–घोड़वल, तह०-मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद के पक्ष में निर्णय दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर स्वामित्व कराकर दोनों व्यक्तियों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत व्यक्तियों के नाम गाटा संख्या–992/1 में केवल रकबा 06 बिस्वा पर स्वत्व सम्बन्धी निर्णय दिया गया है।

चकबन्दी अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध दायर अपील में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी फैजाबाद द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका है।

जनपद फैजाबाद में ग्राम दसौली, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर में अनुसूचित जाति परिवारों की आबादी राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर भू-भाग दिये जाने के संबंध में कार्यवाही की मांग

27–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम दसौली, परगना पश्चिम राठ, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में आबाद सैकड़ों अनुसूचित जाति की बस्ती को राजस्व अभिलेखों में आबादी दर्ज नहीं की गयी है ? क्या यह सही है कि अभिलेखों में दर्ज नहीं होने के कारण उक्त परिवारों को गांव से उजाड़ा जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त गांव के किसी भू-भाग को अनसूचित जाति के लिये आबादी सरकार दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ?

श्री अशोक यादव–

जी हां। ग्राम दसौली में 27 अनुसूचित जाति के परिवारों में से 10 परिवार गाटा सं०–273 मि० 3 बी०–13 वि० पर आबाद हैं। यह भूमि पूर्व में श्री जगदीश पाल आदि के नाम दर्ज थी, परन्तु गाटा सं०–273 के पूरे क्षेत्रफल 3–17–0 को उप संचालक चकबन्दी के आदेश दिनांक 11-7-68 द्वारा आबादी दर्ज किया जा चुका है। शेष 17 परिवारों के मकान गांव सभा भूमि तथा निजी खातेदारों की भूमि पर बने हैं, को धारा–123 (1) तथा 123(2) उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत आबादी के रूप में विनियमित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जी नहीं। चूंकि उक्त परिवार 3 जून, 1995 के पूर्व से आबाद हैं, अतः उन्हें उजाड़े जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में चयनित अम्बेडकर ग्राम उछालपाली के सम्पर्क मार्ग विषयक जानकारी

28–श्री मित्रसेन यादव–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में वर्ष 1996-97 के चयनित अम्बेडकर ग्राम तिन्दौली विकास खण्ड अमानीगंज, व उछालपाली विकास खण्ड मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद के सम्पर्क मार्गों का निर्माण मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो चयनित ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण की प्रगति क्या है ? क्या यह भी सही है कि अम्बेडकर ग्राम उछालपाली उपरोक्त के सम्पर्क मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत होने के बावजूद भी कुछ समय बाद अस्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1997-98 में अम्बेडकर ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्राम उछालपाली के सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति दी गयी थी, किन्तु पूर्व निर्धारित लक्ष्य में कमी के कारण इसे बाद में अस्वीकृत किया गया ।

फैजाबाद जनपद में ग्राम चिरौली, परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर में ग्राम समाज की भूमि की फर्जी प्रविष्टियों का निरस्तीकरण

29–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम चिरौली, परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद में ग्राम समाज की सैकड़ों बीघे जमीन भूमि चोरों ने अपने नाम दर्ज करा ली है जो वर्ष 1994-95 में राजस्व अभिलेखों में भूमि चोरी प्रकाश में आयी थी ? यदि हां,तो अब तक कुल कितनी भूमि, भूमि चोरों के खाते से निकाली जाने के बाद अलग की गयी है ? उसे भूमि हीन पात्र व्यक्तियों में आवंटित न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

खतौनी के विभिन्न खातों से 76 बीघा 2 बिस्वा 12 विस्वांसी भूमि से फर्जी प्रविष्टियां निरस्त करके पुनः भूमि गांव सभा के खातों में पूर्ववत् दर्ज करा दी गयी है । इसके अतिरिक्त आधार वर्ष खतौनी में 22 बीघा 15 विस्वा भूमि पर फर्जी प्रविष्टियां जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 11-12-95 द्वारा निरस्त की जा चुकी है अब केवल 5 बीघा 3 विस्वा 9 विस्वांसी भूमि पर प्रविष्टियां निरस्त करने का वाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

5 बीघा 16 विस्वा कृषि भूमि का आवंटन दिनांक 31-3-97 को 9 व्यक्तियों को तथा 04 बीघा 10 विस्वा तालाब का मत्स्य पालन हेतु पट्टा 3 व्यक्तियों को किया जा चुका है । शेष भूमि कृषि योग्य भूमि चिन्हित करके पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा श्री गया प्रसाद चौरसिया पुत्र राम लाल के चक पर दबंग व्यक्तियों का कब्जा एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

30–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य राजस्व अधिकारी, सुल्तानपुर ने जांच कराने के उपरान्त दिनांक 5-12-96 को आदेश दिया था कि श्री गया प्रसाद चौरसिया पुत्र श्री राम लाल, ग्राम व पोस्ट बेलापश्चिम, तह० व जिला सुल्तानपुर के चक सं०–480 में कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को हटवा दिया जाय ? क्या इस आदेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो

क्यों ? क्या सरकार ने उक्त आदेश का अनुपालन न करने वाले अधिकारी एवं अवैध कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

भोगांव के क्षेत्र पंचायत बेवर एवं मैनपुरी में पक्की सड़कें बनवाने हेतु निदेशक, मण्डी परिषद्, लखनऊ को प्रेषित-पत्र

31–श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत का पत्र दिनांक 17-12-96 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव के क्षेत्र पंचायत बेवर एवं मैनपुरी में पक्की सड़कें बनवाने हेतु निदेशक, मण्डी परिषद्, लखनऊ को प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि दिनांक 30-12-96 को मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद् द्वारा प्रस्ताव मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं ? क्या चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित सड़कों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

सम्बन्धित मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण ।

मण्डी समिति द्वारा मैनपुरी के घिरोर एवं बेवर हेतु स्वीकृत इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प की स्थापना विषयक जानकारी

32–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1997-98 में 21-6-97 तक मण्डी समिति मैनपुरी घिरोर एवं बेवर में मण्डी परिषद् मैनपुरी से कितने-कितने इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प स्वीकृत हुए ? क्या मण्डी परिषद् के पत्रांक मु० अभि०/815 एवं 816 दिनांक 9-4-97 द्वारा स्वीकृत 10 एवं 5 नग हैण्डपम्प की स्थापना का कार्य स्थगित कर दिया गया है ? क्या यह सच है कि ब्लाक सुल्तानगंज व जनपद मैनपुरी में पीने के पानी की भारी समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वीकृत हैण्डपम्पों की स्थापना करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

वर्ष 1997-98 में मण्डी समिति मैनपुरी में 15 नग, घिरोर में शून्य एवं बेवर में 10 नग इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प स्वीकृत हुए ।

जी हां । धनाभाव के कारण कार्य स्थगित किया गया है ।

कृषि विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

सम्बन्धित मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर उक्त स्वीकृत हैण्डपम्पों की स्थापना करायी जायेगी ।

जिला परिषद् सेवानिवृत्त कर्मचारी की भांति जिला पंचायत के कर्मचारियों को पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की सुविधा प्रदान करने विषयक जानकारी

33–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्/जिला पंचायत के 20 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का नियम नहीं बनाया गया है जबकि अनेक कर्मचारियों की 20 वर्ष से अधिक की सेवायें नियमित रूप से हैं ? क्या शासन ने जिन कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद पेंशन नहीं मिलती थी उनकी विधवाओं को पेंशन देने का कोई प्राविधान तैयार किया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त विधवायें व कर्मचारी उससे लाभान्वित होंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जिला परिषद् कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1972 में जिला पंचायत के कार्मिकों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की गयी है ।

पंचायती राज अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–5205बी/33-2-94–107जी/85 दिनांक 28-1-95 द्वारा दिनांक 31-5-72 के पश्चात् जिला पंचायत के सेवानिवृत्त, मृतक कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन की सुविधा प्रदान करते हुए तदनुसार कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

ग्राम मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद में अनुसूचित जाति एवं अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को कृषि योग्य भूमि एवं आवास आवंटन के विषय में जानकारी

34–श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद में वर्ष 1990 से 1995 तक कितने अनुसूचित जाति एवं अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को गांव सभा की भूमि का कृषि एवं आवास हेतु पट्टा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किया गया है ? क्या सभी पट्टेदारों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पट्टेदारों की सूची में अपात्र एवं सरकारी कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपात्र एवं सरकारी कर्मचारियों के पट्टे निरस्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद में वर्ष 1990 से 1995 तक कृषि कार्य हेतु अनुसूचित जाति के 5 व्यक्तियों को तथा अन्य जाति के 9 भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पट्टा हुआ है तथा आवास हेतु अनुसूचित जाति के 27 व्यक्तियों/परिवारों को तथा अन्य जाति के 27 पात्र परिवारों को आवंटन हुआ है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । आवंटन के समय कोई भी प्रस्तावित व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं था । दो व्यक्तियों को आवंटन के पश्चात् नौकरी मिली है ।

जिला मऊ में लाड़नपुर (अहीर बस्ती) तहसील सदर, मऊनाथ भंजन के अन्तर्गत ग्राम सभा की भूमि पर श्री रमाकान्त यादव द्वारा अवैध कब्जा

35–श्री सुधाकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा लाड़नपुर (अहीर बस्ती) तहसील सदर मऊनाथ भंजन स्थित गाटा संख्या 393 जो कि राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा की सम्पत्ति है और सार्वजनिक उपयोग हेतु खलिहान के रूप में दर्ज है, पर श्री रमाकान्त यादव पुत्र श्री रामचन्द्र यादव द्वारा अनधिकृत रूप से पम्पिंग सेट लगाकर निजी उपयोग किये जाने के संबंध में राजस्व अनुभाग–1 के पत्र संख्या–935/एक–1-96-राजस्व–1, दिनांक 16 जुलाई, 1996 एवं पत्र संख्या–2753/1-1-96, दिनांक 15 नवम्बर, 96 के द्वारा जिलाधिकारी, मऊ को अवैध कब्जे हटाने के संबंध में भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध कब्जा हटा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्नगत गाटा संख्या 373 है ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत मामले में बेदखली का मुकदमा नं० 381 गांव सभा बनाम रमाकान्त यादव न्यायालय में चल रहा है ।

जिला बाराबंकी में तहसील फतेहपुर के ग्राम घुघतेर के अन्तर्गत श्री सन्तलाल, श्री कीढ़ालाल व श्री राम चरित की आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

36–श्री सुधाकर सिंह एवं श्री दल बहादुर कोरी–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि भूमि सं०–766/2 व 1783/2 ग्राम व थाना घुघतेर तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी में श्री सन्त लाल, श्री कीढ़ालाल व श्री राम चरित पुत्रगण स्व० श्री अशर्फी (तेली) (भूमिहीन) को आवंटित है, जिस पर ग्रामवासी हाजी मोहम्मद पुत्र अलाई, हैदर पुत्र सिद्दीक व इसमाइल पुत्र मैकू जबरदस्ती कब्जा किये हुए हैं ? क्या आवंटियों द्वारा दिनांक 4-7-96 को उच्चाधिकारियों से लिखित प्रार्थना करने के बाद भी उन्हें भूमि का कब्जा नहीं दिलाया गया है ? क्या सरकार उक्त आवंटियों को उसकी भूमि का कब्जा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

संदर्भगत प्रार्थना-पत्र की जांच के समय आवंटी का कब्जा पाया गया अतः कब्जा दिलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ में वर्ष 1995-96 व 1996-97 की राजस्व प्राप्ति एवं उस पर कार्य पर लगाये गये अधिकारी/कर्मचारियों के विषय में जानकारी

37–श्री सुधाकर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में 1995-96 व 1996-97 में कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है । कितने अधिकारी/कर्मचारी राजस्व प्राप्ति के कार्य में लगाये गये ?

श्री अशोक यादव–

जनपद मऊ में वर्ष 1995-96 में रुपया 5,60,46,003 व वर्ष 1996-97 में 5,37,37,883 रुपये की राजस्व की प्राप्त हुई है ।

जनपद में वर्ष 1995-96 में संग्रह कार्य में तीन तहसीलदार, 7 नायब तहसीलदार, 73 नियमित संग्रह अमीन, 81 नियमित संग्रह चपरासी, 131 सामयिक संग्रह अमीन, 131 सामयिक संग्रह चपरासी तथा वर्ष 1996-97 में 3 तहसीलदार, 7 नायब तहसीलदार, 76 नियमित संग्रह अमीन, 151 सामयिक संग्रह अमीन एवं 151 सामयिक संग्रह चपरासी संग्रह कार्य में लगाये गये ।

38–श्री रामपाल वर्मा–

[दि० 17-7-97 को अता० प्र० सं०–39 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के ग्राम डफलपुर में अग्निकाण्ड की घटना में प्रभावित परिवारों को सहायता

39–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम डफलपुर परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद में माह मई, 1997 में कोई अग्निकाण्ड की घटना घटित हुई है ? यदि हां, तो पीड़ित परिवारों की संख्या और सहायता राशि क्या है ? विलम्ब एवं नियमानुसार धनराशि न दिये जाने का कारण क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के ग्राम डफलपुर में दिनांक 18-5-97 को अग्निकाण्ड की घटना घटित हुई थी ।

अग्निकाण्ड की घटना से 10 परिवार प्रभावित हुए । 2 आवासीय तथा 8 गैर आवासीय घर क्षतिग्रस्त हुए । नियमानुसार आवासीय घरों की क्षति के लिये राहत सहायता अनुमन्य है । अतएव 2 परिवारों को रु० 12,000 गृह अनुदान तथा रु० 2,000 अहैतुक सहायता दिनांक 3-7-97 को वितरित की गयी ।

अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को नियमानुसार राहत सहायता वितरित की गयी है । तहसील मिल्कीपुर के कुछ अन्य गांवों में इससे अधिक भीषण अग्निकाण्ड की घटनायें घटित हुई थीं जिसकी जांच पड़ताल एवं राहत सहायता दिये जाने के कार्य में व्यस्तता के कारण ग्राम डफलपुर के 2 पीड़ित परिवारों को राहत सहायता दिनांक 3-7-97 को वितरित की जा सकी ।

जिला फैजाबाद में तहसील मिल्कीपुर के ग्राम इछोही व ग्राम गहनाग, परगना खण्डासा में घटित अग्निकाण्ड की घटनाओं में हुए क्षतिग्रस्त परिवारों की संख्या एवं देय राहत सहायता

40–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि अम्बेडकर ग्राम इछोही व ग्राम गहनाग, परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद में माह मई, 1997 में अग्निकाण्ड की घटनायें घटी थीं ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों ग्रामों में अलग-अलग अग्नि पीड़ित परिवारों की संख्या क्या है ? विलम्ब से और नियमानुसार धनराशि न दिये जाने का कारण क्या हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम इछोही में दिनांक 4-5-97 की अग्निकाण्ड की घटना से 16 आवासीय घर एवं 6 गैर आवासीय घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। ग्राम गहनाग में दिनांक 13-5-97 को अग्निकाण्ड की घटना से 17 आवासीय घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए।

नियमानुसार आवासीय घर की क्षति होने पर ही राहत सहायता देय है। इछोई के 16 क्षतिग्रस्त आवासीय घरों के परिवारों को गृह अनुदान रु० 7,800 तथा अहेतुक सहायता रु० 16,000 दिनांक 22-5-97 को वितरित की गयी। ग्राम गहनाग के 17 आवासीय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों वाले परिवारों को गृह अनुदान रु० 6,000 तथा अहेतुक सहायता रु० 17,000 दिनांक 29-5-97 को वितरित की गयी। राहत सहायता वितरण में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ।

जनपद फैजाबाद के तहसील मिल्कीपुर के ग्राम महोलिया मजरे डीली सरैया में हुए अग्निकाण्ड की घटना में अग्निपीड़ित परिवारों के अनुमन्य धनराशि का आवंटन

41–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम महोलिया मजरे डीली सरैया परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर जिला फैजाबाद में माह मई, 1997 में कोई भीषण अग्निकाण्ड की घटना घटने के कारण 67 घर जलकर राख हो गये थे ? क्या सरकार उक्त ग्रामों के अग्निपीड़ित प्रति परिवारों को अनुमन्य धनराशि एवं अतिरिक्त सहायता धनराशि प्रदान करने पर विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां, जनपद फैजाबाद को तहसील मिल्कीपुर के ग्राम महोलिया मजरे डीली सरैया में दिनांक 10-5-97 को अग्निकाण्ड की घटना से 64 आवासीय तथा 11 गैर आवासीय घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे।

अग्निकाण्ड से 64 पीड़ित पात्र परिवारों में नियमानुसार अनुमन्य गृह अनुदान रु० 30,000 तथा अहैतुक सहायता रु० 64,000 दिनांक 20-5-97 को वितरित किया गया। अतिरिक्त सहायता दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

42–श्री दलवीर सिंह–

[चौथे मंगल में अता० प्र० सं० 183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम व परगना बिजनौर तहसील व जिला–लखनऊ में श्रीमती सविता कनौजिया द्वारा क्रय की गयी भूमि पर निर्माण कार्य का स्थगन

43–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि खसरा नं०–1434 ग्राम व परगना बिजनौर तहसील व जिला–लखनऊ में से श्रीमती सविता कनौजिया ने 15.360 वर्ग फुट भूमि मे० कल्याण सहकारी आवास समिति लि० से क्रय की थी, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 5-1-95 को हुई थी ? क्या यह सही है कि उस भूमि पर वे गरीबों की सहायतार्थ चिकित्सालय का निर्माण प्रारम्भ करा चुकी थी और क्षेत्रीय लेखपाल ने उक्त भूमि को ग्राम समाज की भूमि होने की आपत्ति लगाकर निर्माण रुकवा दिया था ? क्या सरकार विधिक रूप से क्रय की गयी भूमि पर निर्माण करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां। प्रश्नगत रजिस्ट्री 5-1-95 को हुई थी।

जी हां । उक्त गाटा में 6 बीघा 17 बिस्वा । बिस्वांसी भूमि ग्राम सभा की है अतः खातेदार द्वारा अपनी भूमि का विधिक विभाजन/सीमांकन कराये बिना निर्माण कार्य कराना शासकीय हित में नहीं था । इसलिये लेखपाल ने उस निर्माण कार्य रोक देने को कहा था ।

जी हां ।

भूमि के विधिवत विभाजन/सीमांकन के बाद ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में सदर तहसील के अन्तर्गत लेखपालों, कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) एवं नायब तहसीलदारों की लगातार तैनाती की अवधि एवं स्थानान्तरण के संबंध में जानकारी

44 श्री ओम प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने लेखपाल कानूनगो एवं नायब तहसीलदार कितनी-कितनी अवधि से तहसील सदर, लखनऊ में लगातर तैनात हैं ? क्या तीन वर्षों से अधिक समय से तैनात इन कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानान्तरण अन्य तहसीलों/जिलों में किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जनपद लखनऊ की तहसील सदर लखनऊ में लेखपालों, कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) एवं नायब तहसीलदारों की लगातार तैनाती की अवधि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

लेखपाल संवर्ग

संख्या	अवधि
36	12 वर्ष
14	10वर्ष
22	8 वर्ष
21	6 वर्ष
10	4 वर्ष
103	

राजस्व निरीक्षक

2	5 वर्ष 10 माह
1	3 वर्ष
1	2 वर्ष 10 माह
2	0 वर्ष 1 माह
6	

नायब तहसीलदार

3	3 वर्ष

लेखपालों, राजस्व निरीक्षकों और नायब तहसीलदारों का स्थानान्तरण शासन की वर्तमान नीति 15 प्रतिशत तक सीमित रखे जाने की है ।

उपर्युक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर विचाराधीन है जो शीघ्र ही निर्णय लेकर कर दिये जायेंगे ।

स्थानान्तरण प्रस्ताव विचाराधीन है ।

45–श्री दल बहादुर कोरी (जनपद रायबरेली)–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

श्री गया प्रसाद निवासी–ग्राम वैला–पश्चिम की भूमिधरी की जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा बनवायी गयी सड़क के हटवाने से फसल की क्षति पूर्ति की मांग

46–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, सदर, सुल्तानपुर के कार्यालय से श्री गया प्रसाद निवासी–ग्राम वैला पश्चिम की भूमिधरी जमीन गाटा संख्या 480/0.6 रकबे पर ग्राम प्रधान द्वारा बनवायी गयी सड़क को हटवाने व श्री गया प्रसाद की फसल की हुई क्षति ग्राम प्रधान से व्यक्तिगत रूप से वसूल करने हेतु आदेश संख्या–426/आशु० उ० जि० सदर, दिनांक 30-5-97 जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या इसका पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद भदोही में सुरियावां को तहसील घोषित कराने की मांग

47–श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद भदोही में सुरियावां को तहसील घोषित करने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 24-4-97 को दिया गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक सुरियावां को तहसील घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी हां ।

सुरियावां को तहसील घोषित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 23-4-97 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

इस पर राजस्व परिषद्/जिलाधिकारी की आख्या मांगी गयी है, जो प्रतीक्षित है ।

जनपद महराजगंज में ग्राम पंचायत सबयां का पुरवा बुचियां बरगदही गांव के अनुसूचित एवं दलित भूमिहीन परिवारों के भूमि को कथित रूप से लेखपाल द्वारा भू-माफिया को कब्जा दिलाये जाने विषयक शिकायत

48–श्री विनोदमणि–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत सबयां का पुरवा बुचियां, बरगदही जनपद महराजगंज में जो रकबा नं० 2474/2476/77 ख जो इ–099 एकड़ जमीन पर वन विभाग निचलौल रेन्ज गोरखपुर दर्ज है की खाली जमीन को उक्त गांव के अनुसूचित एवं दलित भूमिहीन परिवारों द्वारा

लगभग 20 वर्ष से कब्जे में लेकर जोतते, बोते चले आ रहे थे ? क्या उक्त भूमि को हल्का लेखपाल ने दलितों को डरवा धमका कर सिसवा बाजार के भू-माफिया अशोक कुमार सवर्ण को कब्जा दिलाकर वर्ष 1995 में गन्ने की बुआई करवा दी है ? क्या इसकी शिकायती पत्र पूर्व विधान सभा सदस्य श्री शारदा प्रसाद जायसवाल ने दिनांक 13-4-96 तथा 1-8-96 को शासन को दी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार शिकायत की प्रति तथा जांच रिपोर्ट सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

(क) जी हां, ग्राम सबया, तप्पा पुरानी करही परगना तिलपुर, तहसील निचलौल, जनपद महराजगंज में गाटा संख्या 2474–ख (क्षेत्रफल 0.437हे०), गाटा संख्या 2476 (क्षेत्रफल 4.548 हे०) व गाटा संख्या 2477 (क्षेत्रफल 0.024 हे०) अर्थात् कुल 3 गाटा क्षेत्रफल 5.009 हे० (वन विभाग निचलौल रेंज, गोरखपुर के नाम व गाटा संख्या 2477–क– (क्षेत्रफल 6.475 हे०) वन विभाग निचलौल के नाम दर्ज है गाटा संख्या 2474–क) क्षेत्रफल 0.809) है । हरीराम पुत्र विशेषर निवासी सिसवा बाजार के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है इस भूमिधरी खाते की भूमि पर टोला बरगदही के मुसहरों द्वारा वर्ष 1995 तक खेती की जा रही थी तथा टोला बुचिया के मुसहर वन विभाग के गाटा संख्या 2476 व 2477 की खाली भूमि पर बहुत पहले से खेती करते चले आ रहे हैं । वर्तमान समय में भी इन्हीं मुसहरों द्वारा खेती की जा रही हैं । गाटा संख्या 2474 ख (क्षेत्रफल 0.437 हे० वर्तमान समय में खाली है जो जलमग्न है ।

(ख) जी नहीं, लेखपाल द्वारा कभी भी मुसहरों को डरवा धमका कर प्रश्नगत भूमि का कब्जा अशोक कुमार को नहीं दिया गया है । संक्रमणीय भूमिधरी के खातेदार द्वारा वर्ष 1995 में आ० नं० 2474 (क) (क्षेत्रफल 0.8.09 हे०) से बेदखल करके भूमि अपने कब्जे में ले ली गयी है । वर्तमान में इस भूखण्ड पर श्री अशोक कुमार पुत्र पशुपतिनाथ निवासी सिसवा बाजार जनपद महराजगंज द्वारा गन्ने की फसल बोयी गयी है ।

(ग) जी हां, जनपद में श्री शारदा प्रसाद जायसवाल के दो पत्र दिनांक 1-8-96 व 24-10-96 प्राप्त हुए हैं ।

(घ) शिकायतों की प्रतियां व जिला अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार सिसवा, महराजगंज के माध्यम से करायी गयी जांच की रिपोर्ट मेरे कार्यालय में उपलब्ध है । माननीय सदस्य उसे देख सकते हैं ।

ग्राम मनैतापुर तहसील व जनपद बस्ती में श्रीमती दुरपाती पत्नी स्व० श्री बंशराज की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

49–श्री बाबू लाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती दुरपाती पत्नी स्व० श्री बंशराज आदि के नाम आराजी नं० 164 में ग्राम मनैतापुर, तहसील व जनपद बस्ती, थाना रुधौली के अन्तर्गत मकान के पश्चिमी दीवाल से पश्चिम एवं उत्तरी दीवाल से उत्तर एक एक विस्वा भूमि (दो विस्वा) पट्टे में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उपरोक्त जमीन पर ही ग्राम निवासी मूरत प्रकाश पुत्र झीनक तथा जगलाल जगायन तीरथ पुत्र घिसियावन द्वारा भूमि को जबरन कब्जा कर दीवाल व मढहा आदि उठा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध कब्जा हटवाते हुए विधवा की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

ग्राम मनैतापुर, तहसील व जनपद बस्ती के गाटा संख्या 164 के एक-एक बिस्वा का पट्टा श्रीमती दुरपाती के पति वंशराज तथा वंशराज के भाई रामदास के नाम हुआ है ;

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जिला इटावा में ग्राम गोपियापुर मौजा कमारा तहसील विधूना ब्लाक अछल्दा के अन्तर्गत चकबन्दी के दौरान निर्मित चकरोड पर अवैधानिक कब्जे को हटवाने की मांग

50–श्रीमती उर्मिला देवी–

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि ग्राम गोपियापुर मौजा कमारा तहसील विधूना ब्लाक अछल्दा जिला इटावा में चकबन्दी के दौरान निर्मित चकरोड, नाली पर ग्रामीणों ने अवैधानिक कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो प्रशासन द्वारा सार्वजनिक उपयोग की जमीन को मुक्त करवाने के क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । चकबन्दी के दौरान निर्मित नाली पर कोई कब्जा नहीं पाया गया । चकरोड संख्या 442 तथा 446 पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था जिसे मुक्त करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा ग्राम गोपियापुर, मौजा कमारा के पूर्व प्रधान श्री सुरजन सिंह यादव ने अपने प्रधानी के कार्यकाल में अनियमित तरीके से अपने सगे संबंधियों के नाम भूमि का आवंटन एवं निरस्तीकरण की कार्यवाही

51–श्रीमती उर्मिला देवी–

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि ग्राम गोपियापुर मौजा कमारा ब्लाक अछल्दा तहसील विधूना जनपद इटावा में पूर्व प्रधान श्री सुरजन सिंह यादव ने अपने प्रधानी के कार्यकाल में अवैध व अनियमित तरीके से आबादी एवं असंक्रमणीय भूमिधरी के पट्टे अपने परिवार-जनों एवं श्री किशन सिंह यादव पुत्र श्री सुधावासी लाल एवं अपने सगे संबंधियों के नाम कर लिये थे ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक पट्टों के निरस्तीकरण की क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम गोपियापुर, मौजा कमारा के पूर्व प्रधान श्री सुरजन सिंह यादव ने अपने प्रधानी के कार्यकाल में कृषि भूमि का आवंटन प्रस्ताव दिनांक 31-10-92 को किया था, जिसमें प्रधान ने अपने सगे भाई श्री हाकिम सिंह व श्रीमती कोकिला देवी पत्नी श्री सुखवासी लाल को भूमि देने का प्रस्ताव था । आबादी का कोई प्रस्ताव नहीं था और न ही उप जिलाधिकारी, विधूना द्वारा कोई आवास आवंटन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है । श्री किशन सिंह यादव के नाम भी भू आवंटन का कोई प्रस्ताव नहीं था ।

कृषि भूमि आवंटन का प्रस्ताव अनियमित होने के कारण पूर्ण प्रस्ताव उप जिलाधिकारी, विधूना द्वारा दिनांक 4-9-96 को अस्वीकार किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम देवरा परगना खण्डाला तहसील मिल्कीपुर में ग्राम समाज की भूमि की फर्जी प्रविष्टि का निरस्तीकरण

52–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि ग्राम देवरा व कंजी परगना खण्डाला तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद में सैकड़ों बीघे ग्राम समाज की भूमि सम्पत्ति की चोरी का मामला प्रकाश में आया है जिसे राजस्व विभाग की साजिश से भूमि चोरों ने अपने खाते में दर्ज करा लिया है ? यदि हां, तो उक्त चोरी का प्रकरण प्रकाश में आने के बाद मामलें में क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? अभी तक इस गम्भीर अनियमितता के दोषी सरकारी, गैर सरकारी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां । सैकड़ों बीघे नहीं अपितु ग्राम देवरा परगना खण्डाला तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद में गांव सभा की 21 बीघे 3 विस्वा 19 विस्वांसी भूमि तथा ग्राम कंजी परगना खण्डाला में गांव सभा की 3 बीघा 5 विस्वा 5 विस्वांसी भूमि विभिन्न खातेदारों के नाम फर्जी प्रविष्टि का मामला वर्ष 1994 में प्रकाश में आया था ।

प्रकाश में आयी सभी फर्जी प्रविष्टियों को निरस्त कर भूमि पुनः गांव सभा में निहित की जा चुकी है ।

दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम अधियारी, परगना खण्डाला, तहसील मिल्कीपुर में राजस्व कर्मियों की जालसाजी से सरकारी भू-सम्पत्ति का फर्जी आवंटन करने वाले दोषी कर्मचारियों के संबंध में कार्यवाही की मांग

53–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम अधियारी, परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद में राजस्व कर्मियों की जालसाजी से सैकड़ों बीघे सरकारी भू-सम्पत्ति भूमि चोरों ने अपने खाते में दर्ज करा लिया है जो वर्ष 1995-96 में प्रकाश में आने के बाद भी अभी तक उनके खातों में खारिज नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इस प्रकार की गम्भीर अनियमितता के दोषी विभागीय कर्मचारियों एवं भूमि चोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? चोरी में पकड़ी गयी भूमि को भूमिहीन पात्र व्यक्तियों में आवंटित न किये जाने के लिये कौन लोग दोषी हैं ?

श्री अशोक यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम घोड़वल व इमामगंज, परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर में अग्निकाण्ड के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत

54–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रहमानीगंज व इमामगंज, परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में अग्निकाण्ड की गम्भीर घटनायें वर्ष 1996-97 में घटित हुई हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त घटनाओं का अलग-अलग विवरण क्या है और प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की आवंटित धनराशि क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर, परगना खण्डासा के ग्रामों में वर्ष 1996-97, दिनांक 8-2-97 व दिनांक 29-11-96 को अग्निकाण्ड की घटनायें घटित हुई थीं ।

ग्राम रहमानीगंज नाम का कोई राजस्व ग्राम नहीं है वरन् ग्राम घोड़वल का मजरा है । ग्राम घोड़वल में दिनांक 8-2-97 को अग्निकाण्ड से 24 घर आवासीय तथा 3 घर गैर आवासीय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए । ग्राम इमामगंज में दिनांक 29-11-96 को अग्निकाण्ड की घटना से 16 घर आवासीय तथा 2 घर गैर आवासीय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए ।

ग्राम घोड़वल के आवासीय क्षतिग्रस्त मकानों के 24 पात्र व्यक्तियों में राहत सहायता के रूप में गृह अनुदान रु० 12,800/- , अहेतुक सहायता रु० 25,900/- तथा ग्राम इमामगंज के आवासीय क्षतिग्रस्त

मकानों के 16 पात्र व्यक्तियों में गृह अनुदान रु० 7,800/- एवं अहेतुक सहायता रु० 24,000/- नियमानुसार वितरित किया गया ।

जनपद गोरखपुर के ग्राम भुजौली तप्पा रिगौली, विकास खण्ड कम्पियरगंज तहसील सदर की भूमि का श्री रामधनी के पक्ष में पट्टा

55–श्री बाबू लाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम भुजौली तप्पा रिगौली, विकास खण्ड कम्पियरगंज, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर में गाटा संख्या–487 में रकबा 0–40 डि० का पट्टा वर्ष 1983 में रामधनी पुत्र श्री छब्बू के पक्ष में हुआ है ? क्या फरवरी, 1995 में संबंधित हल्का लेखपाल ने फर्जी पैमाइश करके उक्त नम्बरान को राजाराम पुत्र राम बदल ग्राम चकदहा, विकास खण्ड कम्पियरगंज, तहसील व जनपद गोरखपुर को उनकी जमीन बताकर दे रहे थे ? यदि हां, तो क्या संबंधित प्रकरण की जांच कराकर पुनः उक्त नम्बरान की पैमाइश कराते हुए उपरोक्त लिखित लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायत जांच में निराधार पाई गई । अतः लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद की 34 तहसील टूण्डला मौजा रूथल में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की आवंटित भूमि के समतलीकरण की मांग

56–श्री सुशील शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद की 34 तहसील टूण्डला मौजा रूथल में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 5-5 एकड़ भूमि आवंटित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या वह भूमि बीहड़ में दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आवंटित भूमि को समतल करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शासन द्वारा गन्ने पर कृषि उत्पादन मण्डी शुल्क लेने का निर्णय

57–श्री सुशील शाक्य–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने गन्ने पर कृषि उत्पादन मंडी शुल्क लेने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कब और किस कारण से और गन्ने पर कृषि उत्पादन मण्डी शुल्क लेने का निर्णय कब रद्द किया गया ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित पशु जैविक औषधि संस्थान में कारखाना अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं उनके श्रमिकों की सुविधाएं

58–श्री श्यामलाल रावत–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाह बाग, लखनऊ कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है ? यदि हां, तो क्या उसमें कार्यरत श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के तहत सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

जी हां ।

जी नहीं ।

क्योंकि उक्त संस्थान में कार्यरत श्रमिकों ने कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने का विकल्प पत्र नहीं भरा था ।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत भाटपाररानी कस्बे को तहसील बनाने के कथित प्रस्ताव की जानकारी

59–श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद देवरिया स्थित भाटपाररानी कस्बे को तहसील का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जनपद देवरिया स्थित भाटपाररानी कस्बे को तहसील का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव सम्प्रति शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद फैजाबाद के कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य की पूर्णता

60–श्री मित्रसेन यादव–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि ग्राम भिटारी सागर पट्टी सम्पर्क मार्ग, विकास खण्ड हरिंगटनगंज, फैजाबाद व भिटारी घाटमपुर मिल्कीपुर सम्पर्क मार्ग फैजाबाद मण्डी समिति द्वारा निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों सम्पर्क मार्गों के निर्माणार्थ प्रस्ताव कब प्राप्त हुए हैं और स्वीकृत के उपरान्त विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्गों के निर्माण की प्रगति क्या है ? दोनों सम्पर्क मार्गों का निर्माण अधूरा होने के कारण आवागमन बाधित है ? उपरोक्त अधूरे कार्यों को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? विलम्ब का कारण क्या है और कौन-कौन लोग दोषी हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं । दोनों मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में मई व जून, 1997 में ग्राम मजरे चंदौरा व ग्राम रानिकपुर में हुए अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को समय से अनुमन्य राहत सहायता

61–श्री मित्रसेन यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मेंहदी मजरे चंदौरा व ग्राम रानिकपुर परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद में क्रमशः माह मई, 1997 तथा रानिकपुर में 16 जून, 1997 में अग्निकाण्ड की घटनायें घटी थीं ? यदि हां, तो अग्निकाण्ड पीड़ित परिवारों को शासन द्वारा विभिन्न मदों से अनुमन्य धनराशि समय से न दिये जाने का कारण क्या हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को विभिन्न मदों से अनुमन्य राहत सहायता वितरण में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ ।

62–श्री तेजभान सिंह–

[दि० 17-7-97 को अता० प्र० सं० 32 द्वारा उत्तरित]

63–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा में पड़े ओले के कारण पीड़ित परिवारों को अनुदान दिये जाने विषयक जानकारी

64–श्री अमर मणि –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तह० इटवा जिला सिद्धार्थनगर में गत वर्ष पड़े ओले से पीड़ित को अनुदान दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा में गत वर्ष 1996 में ओला वृष्टि से 42 गाम प्रभावित हुये थे । इन ग्रामों में से 4 ग्रामों को जिलाधिकारी द्वारा रु० 1,64,000/– की धनराशि 465 पीड़ित परिवारों में वितरित की गई, शेष 38 ग्रामों के ओला पीड़ितों को राहत सहायता वितरित किये जाने हेतु जिलाधिकारी की मांग पर रु० 17,37,900/– की धनराशि रेडियोग्राम संख्या 1717/1–10–96–12(61)/95 (III), दिनांक 31–03–96 द्वारा जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को शासन द्वारा आवंटित की गई थी ।

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त धनराशि का आहरण न हो सकने के कारण राहत वितरण नहीं किया जा सका है । इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है । जहां तक राहत वितरण का प्रश्न है, धनराशि रु० 17,37,900/– पुनः जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराई जा रही है कि वह राहत वितरण एक माह के भीतर सुनिश्चित करें ।

जनपद महराजगंज में स्थित ग्राम परसा सुमाली तप्पा सिरसिया परगना बिनयकपुर में 3.39 एकड़ भूमि का सरकारी अभिलेखों में धोखाधड़ी एवं उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही की मांग

65–श्री अमरमणि–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम परसा सुमाली तप्पा सिरसिया, परगना विनयकपुर, जो०च० आकार पत्र 45 जोत चकबन्दी अधिनियम धारा 26 के अधीन तैयार की गई खतौनी के आधार पर खतौनी खाता संख्या–1 सड़क पी० डब्लू० डी० आराजी नं० 6.33 रकबा 3.39 एकड़ है और जो नौतनवा तहसील जनपद महराजगंज में स्थित है, को कुछ लोगों ने सरकारी कागज में धोखाधड़ी करके अपने नाम अंकित करा लिया है ? क्या सरकार सरकारी अभिलेखों को ठीक कराकर कब्जा प्राप्त करेगी तथा धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी हां ।

इस पूरे प्रकरण की जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई जा रही है । जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही तत्परता से की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद महराजगंज तहसील नौतनवा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की कथित सीलिंग भूमि एवं आवंटन

66–श्री अमर मणि–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रघुनाथपुर, रानीपुर, रजापुर,गौहरपुर हरपुर, पाठक रेहरा, एकसउवा, बवईडीहा, हनुमान गढ़िया, सिंहपुर कला, धौति अहवा, कजरी तहसील नौतनवा जनपद महराजगंज में सीलिंग की भूमि मौजूद है ? क्या सीलिंग की भूमि पात्र व्यक्तियों को वितरित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में पिपरहवां (कपिलवस्तु) की खुदाई में प्राप्त सामग्री एवं उसे रखने हेतु संग्रहालय की व्यवस्था

67–श्री अमरमणि–

क्या सरकार की कृपा बताने करेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर में पिपरहवां (कपिलवस्तु) की खुदाई में क्या-क्या सामग्री भारतीय पुरातत्व उत्खनन को प्राप्त हुई थी ? क्या भगवान बुद्ध का अस्थिकलश भी खुदाई में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो वह इस समय कहां है ? क्या सरकार खुदाई से प्राप्त सामग्री को रखने हेतु कोई संग्रहालय सिद्धार्थनगर जनपद में बनवाने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार कपिलवस्तु महायोजना को भी लागू करने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री (श्री मारकण्डे चन्द्र)–

पिपरहवां (कपिलवस्तु) का पुरातत्व उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली द्वारा कराया गया था । खुदाई में मुद्रायें व मुद्रा छाप, सिक्के, मनके, कांच की चुड़ियां, पाषाण सामग्री, मिट्टी की मानव व पशु आकृतियां, धातु की वस्तुयें, मृणपात्र, पशुओं के अवशेष प्राप्त हुये थे ।

जी हां । इस समय यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दल्ली में है ।

पिपरहवां में बौद्धिक सुविधाओं के अन्तर्गत संग्रहालय के निर्माण हेतु शिलान्यास 22 मई, 1997 को किया जा चुका है ।

आवास विभाग द्वारा कपिलवस्तु महायोजना तैयार कराये जाने का कार्य प्रगति पर है ।

68–69–श्री लाखीराम जोशी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उत्तराखण्ड क्षेत्र के लिए कृषि विभाग में स्वीकृत श्रेणी–2 के रिक्त पदों को भरने विषयक प्रस्ताव

70–श्री लाखीराम जोशी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखण्ड क्षेत्र के लिये कृषि विभाग में स्वीकृत श्रेणी–2 के कितने पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों को भरने के लिये मार्च, 1996 में विभाग द्वारा शासन को कोई

प्रस्ताव भेजा गया था ? यदि हां, तो प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

15 पद रिक्त हैं ।

जी हां ।

प्रस्ताव के आधार पर चयन की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण लोक सेवा आयोग को भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही पूर्ण करके परिणाम घोषित करने पर रिक्त पदों को भरा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के अन्तर्गत भूमि संरक्षण के कार्यों के निष्पादन हेतु व्यवस्था विषयक जानकारी

71–श्री लाखीराम जोशी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण के कार्यों का सम्पादन करने हेतु शासन की कौन सी नीतियां हैं ? क्या भूमि संरक्षण कार्य ठेकेदारी प्रथा से करवाये जाते हैं अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से ? क्या कार्यों की गुणवत्ता की जांच की शासन स्तर पर अथवा निदेशालय स्तर पर कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस हेतु कोई नीति निर्धारित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के अन्तर्गत भूमि संरक्षण के कार्यों का निष्पादन भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 के अधीन किये जाते हैं ।

भूमि संरक्षण कार्य आवश्यकतानुसार स्थानीय दैनिक श्रमिकों से सम्पादित कराये जाते हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

नीति पूर्व से ही निर्धारित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद देवरिया के ग्राम सुन्दरपुर के गाटा सं० 444-0-30 एअर गडही पर हरिनाथ के अनधिकृत कब्जे के विरुद्ध तहसीलदार द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

72–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया तहसील देवरिया के ग्राम सुन्दरपुर के गाटा सं०–444-0-30 एअर गडही पर हरिनाथ पुत्र कपिलदेव ने अनाधिकार कब्जा कर लिया था जिनके विरुद्ध तहसीलदार देवरिया के यहां मुकदमा सं० 616 अन्तर्गत 122 बी चलाया गया जिसमें तहसीलदार ने अतिक्रमण होना साबित मानकर दिनांक 25-5-92 को बेदखली तथा क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या अनाधिकार अतिक्रमण से बेदखली की कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेश का अनुपालन कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री अशोक यादव–

जी हां । एक पक्षीय आदेश 25-09-92 को पारित किया गया था ।

जी नहीं ।

एकपक्षीय आदेश दिनांक 25-9-92 के विरुद्ध कायमी प्रार्थना पत्र श्री हरिनाथ द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त अवैध कब्जा न पाये जाने पर आदेश दिनांक 25-9-92 निरस्त कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं, उठता ।

जनपद देवरिया के ग्राम सुन्दरपुर तप्पा मलसी सरैनी के खाता संख्या 34 का गाटा संख्या 444 क्षेत्रफल .077 एअर भूमि पर प्रधान द्वारा अनधिकृत कब्जा व निर्माण कार्य के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

73–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया तहसील देवरिया के ग्राम सुन्दरपुर की खाता सं० 340 क गाटा सं०–44 ख क्षेत्रफल संख्या 77 एअर जो सुन्दरपुर बिन्दकी मार्ग के किनारे हैं और पोखरी का भीटा है, को वहां के ग्राम प्रधान ने अनधिकृत कब्जा कर पक्का निर्माण करा लिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि क्या अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, देवरिया ने 24-8-96 तथा मुख्य राजस्व अधिकारी ने दिनांक 19-4-96 को क्रमशः थानाध्यक्ष बधौचघाट तथा तहसीलदार देवरिया को अवैध निर्माण रोकने तथा ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

तहसील व जनपद देवरिया के ग्राम सुन्दरपुर तप्पा मलसी सरैनी के खाता संख्या 34 का गाटा संख्या 444 क्षेत्रफल 0.077 एयर खतौनी वर्ष 1397 से 1402 फसली में बंजर अंकित था । प्रश्न में खाता संख्या 340 क गाटा संख्या 44 क अंकित है, जो सही नहीं है । उक्त गाटा पर वहां के ग्राम प्रधान का कब्जा है ।

उक्त गाटा परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 6-6-1994 द्वारा आबादी दर्ज हो चुका है और वर्तमान खतौनी में आबादी के खाते में ही अंकित है और मौके पर भी आबादी के रूप में ही है । ग्राम प्रधान का उक्त गाटे पर कब्जा चकबन्दी के पूर्व से है, जिसे अनधिकृत नहीं कहा जा सकता है । अतः निर्माण रोकने व प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला देवरिया के अन्तर्गत ग्राम सुन्दरपुर तप्पा मलसी सरैनी में खलिहान की भूमि के पट्टे सम्बन्धी मामला न्यायालय के विचाराधीन

74–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सुन्दरपुर तप्पा मलसी सरैनी, तहसील व जिला देवरिया में तत्कालीन परगनाधिकारी, देवरिया व तहसीलदार, देवरिया द्वारा पट्टा आवंटन से संबंधित शिकायतों की जांच की गई, जिसमें क्षेत्र सं० 491–572 खलिहान तथा 681–06 वि आबादी 6(2) मौके तथा खतौनी में पाई गई जिस पर ग्राम प्रधान द्वारा अवैध पट्टों का प्रस्ताव किया गया था, को निरस्त करने हेतु दिनांक 2-11-91 को परगनाधिकारी ने अपर जिला अधिकारी को संस्तुति हेतु भेजी थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ? क्या खलिहान के भूमि के पट्टे के प्रस्ताव को निरस्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

पट्टा निरस्तीकरण का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

श्रीमती सोना देवी, ग्राम सभा पिपरा इस्माइलगंज, परगना बूढ़ा पायर, तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा का परिवार नियोजन के अन्तर्गत प्राप्त भूमि का विवरण

75–श्री राजेन्द्र सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के 6ठे गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न सं० 1 तथा विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के 2सरे गुरुवार को उत्तरित अतरांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सोना देवी, ग्राम सभा–पिपरा इस्माइलगंज, परगना बूढ़ा पायर, तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा को परिवार नियोजन के अन्तर्गत आवंटित प्रश्नगत भूमि का कब्जा उन्हें दिनांक 25-3-87 को ही दे दिया गया था तथा उक्त भूमि पर यह अब भी खेती कर रही हैं? यदि हां, तो त्रुटिपूर्ण आवंटन का मामला किस तिथि को जनपद प्रशासन की जानकारी में आया और कथित पूर्व आवंटी का नाम, पता एवं आवंटन आदेश संख्या व तिथि तथा आवंटित करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम क्या है? क्या श्रीमती सोना देवी के इतने वर्ष के कब्जे को देखते हुये कथित पूर्व आवंटी का आवंटन निरस्त कर उसे अन्य भूमि आवंटन पर शासन विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

(क) श्रीमती सोना देवी, ग्राम सभा पिपरा इस्माइल, परगना बूढ़ापायर, तहसील मनकापुर, जनपद गोण्डा का परिवार नियोजन के अन्तर्गत गाटा संख्या–25 क्षेत्रफल 1.00 एकड़ दिनांक 25-3-87 को आवंटित किया गया था किन्तु उक्त आवंटन त्रुटिपूर्ण पाया गया क्योंकि उक्त गाटा सं०–25 क्षेत्रफल 2-93 एकड़ का आवंटन उसके पूर्व दिनांक 12-7-1986 को 6 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को किया जा चुका था किन्तु श्रीमती सोना देवी उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करके अब भी खेती करती हैं।

(ख) श्रीमती सोना देवी के नाम त्रुटिपूर्ण आवंटन दिनांक 25-3-87 को किया गया जिसकी जानकारी आवंटन स्वीकृति के तत्काल बाद हुई जिससे श्रीमती सोना देवी को पट्टा नहीं दिया गया और न अभिलेखों में पट्टे का अंकन ही हुआ। पूर्व आवंटियों को आवंटन की स्वीकृति दिनांक 12-7-1986 को हुई है। आवंटियों का विवरण निम्नवत् है :–

1–लौटू पुत्र झपटी, 25 मि०/0–50 एकड़

2–गया लाल, 25 मि०/0–50 एकड़

3–विफई पुत्र बद्दो, 25 मि०/0–50 एकड़

4–नन्द किशोर पुत्र जसई, 25 मि०/0–50 एकड़

5–सुमेर पुत्र जसई, 25 मि०/0–50 एकड़

6–बुलकरे पुत्र झिनकान, 25 मि०/0–43 एकड़

पट्टे की स्वीकृति तत्कालीन परगना अधिकारी श्री डी० के० सिंह द्वारा दी गई है।

(ग) चूंकि श्रीमती सोना देवी के नाम का उक्त भू आवंटन ही त्रुटिपूर्ण था, इसलिए पूर्व आवंटित व्यक्तियों के भू आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती बल्कि श्रीमती सोना देवी के उक्त त्रुटिपूर्ण भू आवंटन को निरस्त कर उन्हें दिनांक 02-9-1995 को गाटा सं०–255/0–135, 418/0–

418/0–28, 446/0–25 एवं 917/0-24 एकड़ (कुल 4 किता क्षेत्रफल 0–905 एकड़) का पट्टा कर दिया गया है ।

श्री वंश बहादुर सिंह सेवानिवृत लेखपाल, मऊ गौरीगंज सुल्तानपुर की भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धन का भुगतान कराये जाने की मांग

76–श्री तेजभान सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री वंश बहादुर सिंह, लेखपाल, मऊ गौरीगंज, सुल्तानपु, 30 जून, 1991 में सेवानिवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी जमा भविष्य निधि खाते का अवशेष भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में उक्त वंश बहादुर ने 9-4-97 को कोई प्रार्थना-पत्र उप जिलाधिकारी, गौरीगंज, सुल्तानपुर को दिया है ? यदि हां, तो इस पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अशोक यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पशुपालन विभाग के निगम में डा० आर० पी० सिंह, प्रबन्ध निदेशक, कैपको को यू०पी० पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेसलिटीज लि० का अतिरिक्त कार्यभार के कार्यकाल की जानकारी

77–श्री पारसनाथ यादव–

क्या पशुधन विकास मंत्री को ज्ञात है कि पशुपालन विभाग के निगम यू० पी० पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेसलिटीज लि० के प्रबन्ध निदेशक डा० आर० पी० सिंह का कार्यकाल किस तिथि तक था ? यदि कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो वे किस आदेश के अनुसार प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं ? दो निगमों के अकेले प्रबन्ध निदेशक डा० आर० पी० सिंह के विरुद्ध कितनी जांचें चल रही हैं और जांच अधिकारी कौन-कौन हैं ?

श्री सुन्दर सिंह बघेल–

डा० आर० पी० सिंह, प्रबन्ध निदेशक, कैपको को यू० पी० पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेसलिटीज लि० का अतिरिक्त कार्यभार कार्यालय आदेश संख्या–2964/57–मत्स्य–95–6–10(204)/93, दिनांक 11 अगस्त, 1995 द्वारा दिनांक 11–8–96 तक के लिये सौंपा गया था ।

कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० पोल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेसलिटीज लि० के अतिरिक्त कार्यभार की अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या–1907/57–मत्स्य–97–6–10(204)/93, दिनांक 28 मई, 1997 द्वारा दिनांक 31–3–1998 तक बढ़ाई गई है ।

वर्तमान समय में डा० आर० पी० सिंह के विरुद्ध कोई जांच नहीं चल रही है । अतः जांच अधिकारी नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में जिला पंचायत के गेस्ट हाउस (डाक बंगला) के नव निर्माण की मांग

78–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में जिला पंचायत का कोई गेस्ट हाउस (डाक बंगला) है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य स्तर से वित्तीय वर्ष 1997–98 में कोई डाक बंगला बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला पंचायत मैनपुरी के बोर्ड द्वारा डाक बंगला बनाये जाने हेतु दिनांक 15–4–97 को प्रस्ताव पारित कर सरकार से 20 लाख रुपये आवंटित करने की मांग की है ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

सम्प्रति जिला पंचायतों में डाक बंगले के नव निर्माण हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

जी हां ।

प्रश्नगत योजना के अभाव में कार्यवाही संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में तहसील वाइज अनुसूचित जाति/जनजाति के असंक्रमणीय भूमिधरी के पट्टेदारों को कब्जा दिलाने का विवरण

79–श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में तहसील वाइज मार्च, 1997 के बाद से अब तक कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के असंक्रमणीय एवं संक्रमणीय भूमिधरी के पट्टेदारों को कब्जे दिलाये जा चुके हैं ? क्या संक्रमणीय भूमिधारी के पट्टेदारों को कब्जे दिलाने की वैधानिक प्रक्रिया धारा 41 लैंड रेवेन्यू ऐक्ट है ? यदि हां, तो ऐसे पट्टेदारों को कब्जा दिलाने से अब तक इस अवधि में कितने रुपये राजस्व की हानि हुई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

(क) माह मार्च 1997 से दिनांक 16-7-97 तक जनपद मैनपुरी की तहसील मैनपुरी से 2,688, भौगांव में 4429 तहसील करहल में 1,011 असंक्रमणीय भूमिधरों को कब्जा दिलाया गया है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति भी सम्मिलित है ।

(ख) धारा 41 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1901 के अन्तर्गत संक्रमणीय भूमिधरों की जमीन की पैमाइश कराकर नियमानुसार कब्जा दिलाया गया है ।

(ग) जब उक्त भूमि में संक्रमणीय भूमिधर को कोई कब्जा नहीं दिलाया गया है तो राजस्व हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के ग्राम बन्दरहा और मानीपुर ग्रिन्ट में चकबन्दी प्रक्रिया शुरु करने की जानकारी

80–श्री रामविशुन आजाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद गोण्डा विकास खण्ड छपिया के ग्राम बन्दरहा और मानीपुर ग्रिन्ट में चकबन्दी प्रक्रिया शुरू हो गई है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो कब तक चकबन्दी प्रक्रिया शुरू हो जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम बन्दरहा में चकबन्दी प्रक्रियायें दिनांक 20-11-77 से प्रारम्भ हो चुकी है । ग्राम मानीपुर ग्रिन्ट अभी चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत शामिल नहीं है । ग्राम मानीपुर ग्रिन्ट को चकबन्दी प्रक्रिया में शामिल करने हेतु जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर ग्राम को चकबन्दी योग्य पाये जाने की दशा में राजकीय गजट में विज्ञप्ति जारी होने के उपरान्त ही सम्भव है ।

81–श्री दलवीर सिंह–

[चौथे मंगलवार में अता० प्र० सं० 185 पर स्थानान्तरित ।

82-83-श्री लाखी राम जोशी-

[दि० 17-7-97 को अता० प्र० सं० 122 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा में दैवीय आपदा राहत कोष में वर्ष 1995-96 और मार्च 1997 तक आवंटित धनराशि के नियमित व्यय की जानकारी

84-श्री रघुबर दयाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के दैवीय आपदा राहत कोष में वर्ष 1995-1996 और मार्च, 1997 तक कितना धन जिला आगरा को इस खाते में आवंटित हुआ है ? क्या यह सही है कि आगरा में इस मद में करीब 9 लाख रुपये अवशेष था जिसका उपयोग जिलाधिकारी के आदेश पर संयुक्त कार्यालय एवं रिकार्ड रूम के वाह्य सुन्दरीकरण पर किया गया है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

जनपद आगरा को वित्तीय वर्ष 1995-96 में रु० 80,26,300/- (अस्सी लाख छब्बीस हजार तीन सौ रुपये मात्र) एवं वर्ष 1996-97 (मार्च 1997 तक) रु० 76,25,000/- (छिहत्तर लाख पचीस हजार रुपये मात्र) दैवी आपदा राहत कोष से आवंटित किया गया था। यह पूर्ण धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों में वितरित की गई।

उक्त आवंटित धनराशि में से कोई धनराशि अवशेष नहीं थी। शासन द्वारा राजस्व परिषद् को जनपदों के क्षतिग्रस्त राजस्व भवनों के पुनर्निर्माण/मरम्मत हेतु वर्ष 1995-96 में राहत कोष में अलग से धनराशि भी आवंटित की गई थी जिसमें से राजस्व परिषद् द्वारा जनपद आगरा को रु० 9.25 लाख की धनराशि प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त राजस्व भवनों एवं इनके परिसर में स्थित सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु आवंटित की गई थी। इसका उपयोग जनपद आगरा के कलेक्ट्रेट व जिले की सभी तहसीलों में राजस्व भवनों/सड़कों की मरम्मत में ही किया गया है। नियमित व्यय किये जाने के कारण किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा, क्षेत्र मनकापुर के कतिपय मार्गों के मरम्मत हेतु आवन्टित धन के व्यय की जांच की मांग

85-श्री राम विशुन आजाद-

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगी कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में जिला पंचायत गोण्डा द्वारा रौजा से टिकरी मार्ग और दिलाही से गुनौरा विशुनपुर होते हुये मदनापुर तक जाने वाली मार्ग पर वर्ष 1993 से वित्तीय वर्ष 1996-97 तक मरम्मत कार्य हेतु कितना-कितना धन खर्च किया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त मार्गों पर संबंधित अधिकारी द्वारा फर्जी कार्यों की पूर्ति दिखा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा कर संबंधित दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है अब मैं नियम–301 पर आता हूं । (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) अब समय नहीं है 8 माननीय सदस्य खड़े हैं अनुपूरक प्रश्नों के लिए, तो उसके लिए समय नहीं है । पहले 301 और उसके बाद 300 लेता हूं ।

* श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, कल विधान सभा में माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने जो 301 प्रश्न हैं उनके कार्यान्वयन रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया उसको देखने से प्रतीत हुआ हर माननीय सदस्य को सरकार ने एक ही भाषा लिखी है कि अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ इसलिए उत्तर नहीं दिया । जो माननीय सदस्यों की सूचनायें आती हैं उनका उत्तर अविलम्ब दिया जाना चाहिए । मैं चाहता हूं कि प्रश्नों को गम्भीरता से लें और उनके उत्तर भी सरकार गम्भीरता से दे क्योंकि यह हमारे अधिकारों की रक्षा का सवाल है । आप सरकार को निर्देश दें कि प्रश्नों के उत्तर समय से आयें ताकि हम आगे की कार्यवाही कर सकें ।

श्री अध्यक्ष–

इसे मैं सुनिश्चित करूंगा ।

(व्यवधान)

गन्ना किसानों की समस्याओं के संबंध में दी गयी सूचनाओं को सुने जाने की मांग

*श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, गन्ना किसानों की गम्भीर समस्या है करोड़ों गन्ना किसान भुखमरी के कगार पर हैं, 435 करोड़ रुपया मिल मालिकों पर बकाया है हम लगातार 3 दिन से इस प्रश्न को उठा रहे हैं । आज आप इसे अवश्य ले लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप अपना स्थान ग्रहण करें । नई-नई परम्पराएं डाली जा रही हैं ।

(व्यवधान)

(अनेक सदस्य वेल में आकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है । प्रदेश का गन्ना किसान आज भुखमरी के कगार पर है । यह पूरे प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्या है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । (शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

हम नियम 311 में इसको 3 दिन से दे रहे हैं। आप चर्चा कराने का आश्वासन दें।

श्री अध्यक्ष–

सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे सुनाई देगा ?

श्री जगदम्बिका पाल–

प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया दिलाया जाय।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 1 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात 12 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

[समय 1 बजे]

* श्री कौकब हमीद –

अध्यक्ष जी मैंने तीन बार सूचना दी है।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

देखिये सभी सदस्यों की 311 की सूचनाएं नियम–56 में परिवर्तित कर दी गई हैं।

श्री कौकब हमीद–

श्रीमन् यह इतना महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चर्चा कराया जाना आवश्यक है। आप चर्चा के लिये कह दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आप लोगों से परामर्श करके कोई रास्ता निकालूंगा।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, आप हमारी भावनाओं को नहीं सुन रहे हैं। आपका संरक्षण चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है। आज पूरे प्रदेश की यह समस्या है। इस विषय पर चर्चा करा लें ताकि समस्या का समाधान हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, कोई रास्ता निकालते हैं । कृपया बैठ जायं । कृपया स्थान ग्रहण कर लें । सदन की कार्यवाही चलने दीजिये । जब कार्य स्थगन का प्रस्ताव आयेगा तब देखते हैं । आपसे विचार विमर्श कर लेंगे । कोई रास्ता निकाला जायेगा । आप इसके लिये भी तैयार नहीं हैं तब तो मजबूरी है ।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब सब एक साथ बोलेंगे तो सुनाई कैसे देगा ? सदन में सुनाई नहीं देगा । न आपकी बात मैं सुन सकता हूं । न मेरी बात आप सुन सकते हैं । कृपया अपने स्थान पर बैठ जायं ।

*श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष जी, कैश क्राप के नाम पर आलू और गन्ना है । गन्ने के विषय में जो मैं कहना चाहता हूं । यह हमारी ही चिन्ता नहीं सभी माननीय सदस्यों की है ।

गन्ने का बकाया का भुगतान न होने से कितने बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, कितनी शादियां नहीं हुई हैं कंगाली की स्थिति उत्पन्न हो गई है अभी मा० जगदम्बिका पाल जी ने बताया मा० समरपाल जी ने बताया । मान्यवर, 435 करोड़ रुपये का प्रश्न है यह चिन्ता की स्थिति है । आप भी नियमों में बंधे हैं । आप पांच कार्य स्थगन में ले चुके हैं और इसके अलावा एक आपने अपने विवेक से ली है इसके अलावा आपने 311 में स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कार्य-स्थगन में इस विषय के महत्व को देखते हुए आप कृपा पूर्वक सुन लेंगे तो कृपा होगी यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री अध्यक्ष–

कल सूचना दे दीजियेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

ठीक है मान्यवर, सहमत हैं ।

–नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 जुलाई, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई :–

जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा कस्बे में जल भराव की समस्या के निदान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मोहम्मद मुकीम–

[महोदय, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र–171, इटवा जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा कस्बा के मुख्य मार्ग इटवा बढ़नी मार्ग की तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण और पानी का निकास न होने के कारण पूरे कस्बे में जलभराव की स्थिति पैदा हो गयी है, जिससे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भयंकर रोग फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है । यदि शीघ्र इस मार्ग के मरम्मत एवं जल निकासी का प्रबन्ध नहीं किया गया तो आवागमन अवरुद्ध हो जायेगा एवं जल से भयंकर रोग का सामना नागरिकों को करना पड़ेगा ।

अतः मैं आपके माध्यम से यह अपेक्षा करता हूं कि इस महत्वपूर्ण समस्या पर सरकार को कार्यवाही करने का निर्देश देने की कृपा करेंगे । ।

इलाहाबाद के नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कई विकास खण्डों में विद्युत आपूर्ति न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विक्रमाजीत मौर्य–

। महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड होलागढ़, कौडिहार, मउआईमा में विद्युत की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है । होलागढ़ व आसपास के गांवों में एक या दो घन्टे बिजली पहुंच जाय, तो बहुत बड़ी बात होती है । कौडिहार विकास खण्ड की स्थिति और भी भयावह है । मन्सूराबाद विद्युत सब स्टेशन पर अधिकारी कर्मचारी गायब रहते हैं मऊआईमा विद्युत उपकेन्द्र की दशा भी बहुत ही खराब है । 15–20 साल से कर्मचारी एक ही जगह नियुक्त हैं । बगैर सुविधा शुल्क के कोई कार्य नहीं होता है । लालगोपालगंज टाउन एरिया का विद्युत स्थल बहुत खराब है । दो-दो दिन तक लोग पीने के पानी के लिये तरस जा रहे हैं ।

जनपद इलाहाबाद के अधिकारियों की स्थित यह है कि क्षेत्र में कभी भ्रमण नहीं करते । जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें करना पाप समझते हैं ।

मेरा निवेदन है कि इस प्रकरण को शासन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही कराने का कष्ट करें । ।

वाराणसी जिले के तुलसीपुर आवासीय महायोजना के अन्तर्गत बने मकानों के नम्बर रद्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

। महोदय, वाराणसी जिले में 1983 में आवास विकास परिषद् द्वारा चार सौ एकड़ भूमि का अधिग्रहण तुलसीपुर क्षेत्र में किया गया । उस आवासीय महायोजना के अन्तर्गत किसानों की भूमि ली गयी है उसका मुआवजा किसानों को नहीं दिया ।

सन् 1983-84 में आयुक्त ने यह घोषणा कर दी चूंकि उपरोक्त भूमि पर जल भराव अधिक होता है अतः इसे किसानों को उनके पक्ष में अवमुक्त कर दी जायेगी । इसका फ़ायदा उठाकर सहकारी समितियों के कालोनाईजरों ने उपरोक्त भूमि को कालोनी बनाकर बेंच दी, जिस पर लोग मकान बनाकर तथा नगर निगम से नम्बर एलाट कराकर बकायदे आवास बनाकर रहने लगे ।

जून, 1997 के तीसरे सप्ताह में हाईकोर्ट द्वारा उपरोक्त महायोजना के चार सौ एकड़ भूमि पर बने मकानों के नम्बर रद्द करने के निर्देश दिये गये थे, माननीय नगर विकास मंत्री से मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकरण की कार्यवाही शासन के द्वारा की जा रही है, तुलसीपुर आवासीय महायोजना पर बने मकानों के नम्बर रद्द होंगे तो उक्त जमीन के प्रकरण से सम्बन्धित नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारियों को दंडित किया जायेगा । ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद सुल्तानपुर में अम्बेडकर ग्रामों में अनुसूचित जाति के अतिरिक्त अन्य गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजभान सिंह–

[महोदय, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग संख्या–आर–2–जी–632/वि०का०/97 दि० 31-5-97 के पत्रांक के अनुरूप शासन को अपेक्षानुसार अम्बेडकर ग्रामों के संतृप्तीकरण के लिए योजनानुसार 60% संसाधनों के अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को और 40% संसाधनों से गरीबी की रेखा से नीचे से जीवनयापन करने वाले अन्य जातियों के परिवारों को लाभान्वित किया जाना था परन्तु प्रदेश में इसका शासनादेश की मंशानुरूप अनुपालन नहीं हो रहा है। 40% के अन्तर्गत आने वाले गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। मेरी निजी जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर में ऐसे गांवों में अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जातियों को, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, एक भी इन्दिरा आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। जहां अधिकारियों की इस घोर अनियमितता, उपेक्षात्मक रवैया से जनता में भारी असन्तोष है वहीं 40% में लाभान्वित होने वाले अन्य गरीब व्यक्ति वर्षों पीछे रह गये हैं।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये इन उपेक्षित गरीबों को भी तुरन्त लाभ पहुंचाने की मांग करता हूं।].

जनपद फतेहपुर की बिन्दकी तहसील में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र सिंह पटेल–

[मान्यवर, मेरे जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी में अभी तक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय की स्थापना नहीं हुई है। शासनादेश के तहत पर तहसील पर न्यायालय की बात को दृष्टिगत रखते हुये बिन्दकी तहसील में न्यायालय की स्थापना हेतु वहां की जनता लगातार धरना प्रदर्शन करती है।

मेरा आपसे आग्रह है कि आप कृपया शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें कि बिन्दकी तहसील में मुन्सिफी की स्थापना की जाये।]

(श्री मेजर जगतपाल सिंह तथा श्री सरवर अली का नाम पुकारे जाने पर वे उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रतीक्षा सूची से दो सूचनाओं को ले रहा हूं।

राज्य योजना आयोग एवं राज्य नियोजन संस्थान आदि के समस्त प्रभागों में आरक्षण कोटा पूरा न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम नक्षत्र–

[राज्य योजना आयोग/पी०पी०एम०सेल/भूमि उपयोग परिषद्/नियोजन विभाग एवं राज्य नियोजन संस्थान के समस्त प्रभागों में विभिन्न श्रेणी के कई संवर्ग में आरक्षण कोटा पूरा नहीं है और अनुसूचित जाति से सम्बन्धित अधिनियम/शासनादेश का अनुपालन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है और उदाहरण स्वरूप राज्य योजना आयोग में प्रवर वर्ग सहायक के आरक्षित पद के विरुद्ध आरक्षित वर्ग के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यरत कार्मिक की तदर्थ रूप से वर्ष 1984 में प्रोन्नति के कारण ऊपर के, पद पर सेवा नियमित न होने का बहाना बनाकर अनुभाग अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी के पद पर प्रोन्नति नही दी जा रही है और आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को कागजों पर दो-दो तीन-तीन पदों पर प्रोन्नति होने की झूठी सूचना तैयार की जाती है ।

तदर्थ रूप से प्रवर वर्ग सहायक के पद पर कार्यरत सामान्य वर्ग के कार्मिकों की प्रोन्नति की जाती है लेकिन अनुसूचित जाति के मामले में ऐसा नहीं किया जाता है । यदि इस मामले में मा० सांसदों/मा० अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा यदि जनहित में पत्र विभाग को लिखा जाता है तो उपसचिव नियोजन द्वारा पत्रों को इधर-उधर बांधकर रख दिया जाता है इस प्रकार जन-प्रतिनिधियों के पत्रों की अवहेलना की जाती है और अनुसूचित जाति के मामले को जानबूझकर नजरअन्दाज किया जाता है । सम्बन्धित मामले की पत्रावली उपसचिव द्वारा प्रमुख सचिव को न प्रस्तुत करके विलम्ब से बचने के लिए पत्रावली न्याय विभाग को भेज दी गयी है और प्रवर वर्ग सहायक के आरक्षित पद के विरुद्ध कार्यरत कार्मिक के मामले में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है । पी०ए०/स्टेनों/टंकक में उपसचिव द्वारा फर्जी नियुक्तियां की गई है ।

अस्तु मैं इस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को जनहित में चर्चा कराने की मांग करता हूं । ।

कृषि विभाग के भूमि संरक्षण विभाग में व्याप्त अनियमितताओं एवं कथित भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में नियम 341 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय सिंह–

। मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुये प्रकरण में उच्चस्तरीय जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।

कृषि का भूमि संरक्षण विभाग इस समय भ्रष्टाचार के आंकठ में डूबा हुआ है । राष्ट्रीय जलागम परियोजना/ऋवा के चेयरमैन ने अपने पत्र दिनांक 9-1-96 में अपर निदेशक की उदासीनता के बारे में सचेत किया था । मस्टर रोल में 500 करोड़ के फर्जी भुगतान दिखाकर पैसा डकारने की भी जांच कराई जाये । स्थानान्तरणों में अरबों खाये जाने की सतर्कता जांच करायी जाये तथा 50 लाख रुपये गबन के जांच के शासनादेश संख्या–3040/12-1-97/976/90 कृषि–1, दिनांक 9-7-97 पर तुरन्त रिपोर्ट मंगायी जाये । विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) के पत्रांक 5/93 दिनांक 23-6-97 द्वारा 94 लाख कमीशन की शिकायत पर भी शीघ्र जांच रिपोर्ट सरकार सदन में प्रस्तुत करे । इसी तरह इस अपर निदेशक द्वारा अरबों के घोटालों से सम्बन्धित लगभग 35 शिकायतों पर जांच रिपोर्ट शीघ्र मंगाकर इन्हें निलम्बित करें तथा इनकी पेंशन रोककर इनके शासकीय धन की वसूली की जाय तथा किसी भी दशा में ऐसे भ्रष्ट आचरण के दोषी को सेवा विस्तार न दिया जाये अन्यथा किसानों से जुड़े इस विभाग का बंटाधार सुनिश्चित है । ।

श्री अध्यक्ष–

सर्वश्री शौफीक अहमद, हरिश्चन्द्र "हरीश जी", शिव सिंह चक, सुरेश कुमार खन्ना, डा० राम बाबू हरित, श्री सुधाकर सिंह, श्री विनोद मणि, श्रीमती गौरी देवी, सर्वश्री रामतेज यादव, रामाधार सिंह, अमरमणि, अरिमर्दन सिंह, राम सिंह सैनी, नन्दराम, चेतराम, श्रीमती कृष्णाराज, सर्वश्री मुरलीधर

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एडवोकेट, चन्द्रनाथ सिंह, ज्वाला प्रसाद यादव, अम्बिका चौधरी, जगदीश नारायण राय, मित्रसेन यादव, पारसनाथ यादव, मुन्ना चौहान एवं लाल जी वर्मा की (कुल 25) सूचनाएं अस्वीकार की गई ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–300 ले रहा हूं ।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मेरी सूचना नहीं ली गई है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 की सूचना को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है ।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मेरी सूचना ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले देख लें शलाका में आई या नहीं । नहीं आई तो उपाय देखेंगे अभी उस क्रम तक पहुंचे नहीं ।

(व्यवधान)

श्रीमती गौरी देवी–

मेरी सूचना नहीं आई है ।

श्री अध्यक्ष–

कल दुबारा दे दीजिएगा ।

आज दिनांक 24-7-97 को नियम–300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उसमें पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह डा० अशोक बाजपेयी जी की है ।

विधान सभा के तीन अधिवेशन तथा 90 दिन का उपवेशन न किये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने नियम 300 के अन्तर्गत जो औचित्य का प्रश्न उठाया है वह पूरे सदन के लिए महत्वपूर्ण है । एक बार नहीं अनेक बार आपकी पीठ से भी निर्देश हुआ है और अभी दो दिन पहले माननीय सदस्य फैजाबाद श्री मित्रसेन यादव जी ने यह सवाल विधान सभा में उठाया था सवाल यह था कि विधान सभा सुचारु रूप से चले, नियमपूर्वक चले इसलिये इस बात की व्यवस्था की गई है नियम 14 में कि 90 दिन का उपवेशन प्रत्येक वर्ष साधारण होना चाहिए और 3 उपवेशन साधारणतया बुलाए जायेंगे । एक बजट सत्र, एक वर्षा कालीन सत्र और एक शीतकालीन सत्र लेकिन आपने अभी अपने निर्देश में कहा था यह चिन्ता का विषय है कि सदन के उपवेशन कम होते जा रहे हैं ।

इसी सदन में आप देख लें कि 12 दिन का बजट सत्र हुआ है जबकि कम से कम 39 दिन का होना चाहिए और 12 दिन के अन्दर आप भी अधिकतर कह देते हैं कि जब बजट आए उस पर आप

अपनी बात रखें । मैंने देखा है कि बजट सत्र में बिजली पर, सिंचाई पर, पी० डब्लू० डी० पर शिक्षा पर दो-दो दिन की बहस होती थी अब केवल आधा-आधा दिन की बहस होती है इस आधे दिन एक-एक डेढ़ घण्टा माननीय मंत्री जी बोलेंगे कटौती का प्रस्ताव लाने वाला उस पर कटौती प्रस्तावक अपनी बात रखेंगे इस प्रकार माननीय सदस्यों को केवल एक-एक मिनट भी नहीं मिल पाएगा जिसके कारण चर्चा नहीं हो पाती है ।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने टालने की दृष्टि से अपने उत्तर में उस दिन कहा था उनके उत्तर को सुनकर मुझे निराशा हुई उन्होंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि साधारणतया 90 दिन का सदन होगा इसका पालन किसी सरकार ने नहीं किया इसलिए मेरी भी सरकार इसको नहीं करेगी । इन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी । वह 90 दिन तो छोड़ दीजिए 50 दिन का भी उपवेशन करने को तैयार नहीं हैं । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब इस तरह की परिस्थिति है तो लोक सभा में जो व्यवस्था की गई है पार्लियामेन्ट्री कमेटी सिस्टम वही व्यवस्था यहां पर भी लागू कर दी जाए । केवल लोक सभा में ही नहीं ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में यही व्यवस्था है । अमेरिका के सिनेट की कमेटी बहुत पावरफुल है । यहां पर एक अफरा तफरी रहती है, कि विधायक पी० ए० सी० में जांए या पी० यू० सी० में जाए या आश्वासन समिति में जाए । यहां पर बजट पर विचार नहीं हो पा रहा है यह बात सरकार के हित में होगी । मान्यवर, आप हम लोगों के संरक्षक हैं अगर आप 90 दिन के उपवेशन नहीं करवा सकते हैं तो पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम की तरह यहां पर भी व्यवस्था करवा दें । जिससे बजट पर पूर्ण रूप से विस्तार से बहस हो सके उससे सरकार को लाभ मिलेगा तथा सदन के सभी सदस्यों को लाभ मिलेगा ।

* डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्य विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से यह चिन्ता व्यक्त करते रहते हैं कि सदन 90 दिन तक चले । उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 14 में व्यवस्था की गई थी कि सदन कम से कम 90 दिन तक चले लेकिन इस व्यवस्था का अनुपालन नहीं हो पा रहा है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने पूर्व में अपने उत्तर में कहा था कि साधारणतया 90 दिन का उपवेशन होगा इसकी बाध्यता नहीं है ।

मान्यवर, संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की थी कि इसका अनुपालन करने वाले लोग इसकी संवेदनशीलता को इसकी पवित्रता को समझेंगे लेकिन पिछले लंबे अरसे से देखा जाता रहा है कि सदन कभी भी 90 दिन तक नहीं चला । तीन उपवेशन होने चाहिए वह भी नहीं होते हैं जिससे माननीय सदस्यों को क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर नहीं मिल पाता है । तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा नहीं हो पाती है । अलग-अलग विभागों के जब बजट प्रस्तुत किए जाते हैं तो एक-एक दिन में 3-3 विभागों के बजट प्रस्तुत कर दिए जाते हैं जिससे पूरे प्रदेश की समस्याओं जिसके लिए हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर ठीक तरह से सुचारु रूप से चर्चा नहीं हो पाती ।

और मान्यवर, इसीलिए लोक सभा में यह व्यवस्था की गयी है कि विभागीय कमेटियां बनायी जाय । आप अध्यक्ष हैं, विधान सभा की नियम समिति बनी हुई है आप उसके भी अध्यक्ष हैं । मान्यवर मैं चाहूंगा कि विधान सभा की नियम समिति में इसको रखें । आप स्वयं इस बात से भिज्ञ हैं कि आज की परिस्थितियों में विधान सभा की नियमावली में बहुत से नियमों के संशोधन की आवश्यकता है, नियमों के प्रारूपण की आवश्यकता है । आप जैसा विद्वान व्यक्ति इस पीठ पर बैठा है तो हम सबकी अपेक्षायें बढ़ जाती हैं । जन समस्यायें उठाने के लिये विधान सभा के इस कार्यक्रम में समय नहीं होता है । नियम समिति के अध्यक्ष होने के नाते ऐसी नियमावली बनायी जाये जिससे बजट पर पर्याप्त समय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मिल सके । मैं कौल और शकधर का उदाहरण देना चाहूंगा, जिसमें 1989 में यह संकल्पना की गयी थी कि वन आफ दि मोस्ट सिग्नीफिकेन्ट चेन्ज रिक्मेन्डेड वार्ड दि रूल कमेटी वाज सेटिंग अप आफ थ्री सबजेक्ट कमेटी वन ईच आन एग्रीकल्चर साइंस एण्ड टेकनालोजी एण्ड इन्वार्णमेन्ट एण्ड फारेस्ट्स फार कैरिंग आन ऐन आनं गोइंग स्टडी एण्ड स्क्रूटनी आफ दि एक्टीविटीज आफ दि कान्सड मिनिस्ट्रीज एण्ड एलाइड डिपार्टमेन्ट आर्गनाइजेशन्स आन बिहाफ आफ दि हाउस दि कान्स्टीटूशन आफ दि कमेटी आन एग्रीकल्चर एण्ड दि कमेटी आन साइन्स एण्ड टेक्नालाजी वाज एप्रुण्ड बाई दि एर्थ लोक सभा ड्यूरिंग इट्स थर्टीन्स सेसन दि रिपोर्ट आफ दि रूल्स कमेटी विथ रिगार्ड टू सेटिंग अप आफ ए कमेटी आन इन्वर्नमेन्ट एण्ड फारेस्ट्स वाज लेड आन दि टेबुल आफ दि हाउस ड्यूरिंग दि फोर्टीन्स सेसन आफ दि एट लोक सभा एण्ड रिलेवेन्ट रूल्स केम इन्टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्राम 1 अगस्त, 1989।

मान्यवर, संसदीय समितियां बन जायेंगी तो बजट पर विचार करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा और उसकी गुणवत्ता और धन के आवंटन के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे । जब श्री शिवराज पाटिल साहब लोकसभा के स्पीकर बने तो समिति के आधार पर एक कमेटी गठित हुई और पार्लियामेंटरी स्टैन्डिंग कमेटी के संबंध में उस समिति ने गंभीरता पूर्वक विचार किया और उसी के अनुरूप कमेटियों का गठन हुआ । मान्यवर, इसको देखें ।

"वन आफ दि इम्पारटेन्ट फक्शन्स आफ दीज कमेटीज इज टू कन्सीडर दि डिमान्ड्स फार ग्रान्ट्स आफ आल दि मिनिस्ट्रीज एण्ड डिपार्टमेन्ट आफ दि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एण्ड मेक रिपोट्स आन दि सेम टू दि पार्लियामेन्ट टू अन्डरटेक दिस टास्क दि हाउसेस आर एडजर्न फार ए फिक्सड पीरियेड ड्यूरिंग दि बजट सेसन ।

दि सिस्टम एण्ड स्ट्रक्चर आफ दि डिपार्टमेन्टली रिलेटेड स्टैन्डिंग कमेटीज इन इट्स प्रेजेन्ट फार्म वाज कन्सेप्टएलाइज्ड एण्ड इनीट्यूटेड वाई श्री शिवराज वी पाटिल आनरेवुल स्पीकर लोक सभा विथ हिज सस्टेन्ड एण्ड अनफेलिंग इफोर्ट्स ही व्राट एवाउट ए कान्सेन्सेज फार इम्प्लीमेन्शन दि प्रेजेन्ट कमेटी सिस्टम ए लिटिल मोर देन थ्री इयर्स वैक व्हेन दि सेवेन्टीन बी आर एस सीज वेयर कान्स्टीट्यूटेड डब्लू ई एफ एर्थ अप्रैल, 1993 ।"

मान्यवर, 3 वर्ष बाद लोक सभा इस बात का सहमत हुई कि इन विभागीय समितियों का गठन किया जाय जो बजट की तैयारी में एक निश्चित अवधि के लिये सस्पैंड हो जायेगी । उस बीच मे बिन्दुवार गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और उसके बाद प्राथमिकतायें तय करेंगे और उसकी रिपोर्ट विभागीय मंत्रालय को चला जायेगा । उसके बाद सदन में सुविचारित बजट प्रस्तुत होगा ।

"दि टू हाउसेज आफ पार्लियामेन्ट वेयर एडजर्न्ड फार दिस परपस फ्राम 31स्ट मार्च टू 23 अप्रैल, 1995. ड्यूरिंग दिस पीरियड दि बी आर एस सीज कन्सीडर्ड दि डिमान्ड्स फार ग्रान्ट्स फार दि ईयर एण्ड एडाप्टेड 51 रिपोर्ट्स व्हिच वेअर प्रेजेन्टेड टू दि पार्लियामेन्ट कापीज आफ दीज रिपोर्ट्स वेयर सेन्ट टू दि कन्सर्नड मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट्स आफ दि गवर्नमेन्ट फार फरनीशिंग स्टेटमेन्ट सेविंग एक्शन टेकेन आन दि रिकमेन्डेसन्स आफ दि कमेटीस दि रिप्लाइज आफ दि गवर्नमेन्ट वेअर कन्सीडर्ड वाई दि रिस्पेक्टिव कमेटीज एण्ड एक्शन टेकेन रिपोर्ट्स प्रेजेन्टेड टू दि हाउसेज ।"

मान्यवर, स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट मेरे सामने है कि किस तरह से सब्जैक्ट पार्लियामेंटरी कमेटीज फंक्शन करती है और किस तरह से सही ढंग से बजट प्रस्तुत होता है । रूल्स कमेटी ने 17 कमेटियों के गठन का संयुक्त रूप से निर्णय लिया । इसमें 15 लोक सभा के सदस्य होंगे और 7 राज्य सभा के सदस्य होंगे । इनका कार्यकाल एक वर्ष होगा और एक वर्ष की अवधि में वह विभाग की फंक्शनिंग और बजट के लोकेशन का चिन्तन करेंगे । रूल्स कमेटी की संस्तुति को लोकसभा ने अप्रूव करके वहां पर कमेटी सिस्टम लागू कर दिया है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी विधान सभा है, 14 करोड़ लोगों के लिए बजट तैयार करती है लेकिन यहां पर कभी भी बजट पर सही ढंग से चर्चा नहीं होती है । 8-9 सिटिंग में ही पूरा बजट पास कर दिया जाता है । जो चिन्तन बजट पर होना चाहिए वह नहीं होता है । इसलिये मैंने आपसे यह अपेक्षा की है और मैं चाहूंगा कि आप जैसे विद्वान जरूर इसकों गंभीरता से लेंगे और नियम समिति के माध्यम से समितियों का गठन करेंगे । मुझे आशा है कि आप जैसे अध्यक्ष के रहते एक बहुत बड़ा निर्णय होगा जिससे कि बजट जैसे गंभीर निर्णय पर विभाग की फंक्शनिंग के संबंध में विधान सभा के सदस्य ज्यादा हिस्सा लेकर अच्छा बजट प्रस्तुत करेंगे और विभागों को अच्छी मदद दे सकेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की विधान सभा लाभान्वित हो सके । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने व श्री अशोक बाजपेयी जी ने एक ऐसा सन्दर्भ आपके व माननीय सदन के संज्ञान में प्रस्तुत किया है, जिस पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है । श्रीमन् परम्परा बनती जा रही है सदन में, कि बजट सत्र जितना कम से कम हो, चलाया जाय और सत्रों की बात तो मैं कहता नहीं । बजट सत्र इतना कम किया जा रहा है जिससे सदन के अधिकारों का हनन किया जा रहा है । श्रीमन् यह देखें कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में शासन की एक धारणा बन गई है, कि एक व्यक्ति पूरी सम्पत्ति का मालिक बनकर खर्च करने की प्रवृत्ति चली आ रही है, यह बहुत ही हानिकारक है ।

जिन-जिन विभागों का बजट हो, उस पर विधान सभा का कोई नियंत्रण नहीं रहे, यह एक गम्भीर मामला है । मैं इस बात से बहुत अच्छी तरह सहमत हूं कि इस प्रदेश के इतने बड़े बजट पर कम से कम विधान सभा का नियंत्रण अवश्य हो, जिससे वह उसके खर्च का हिसाब रख सके । आज सदन में चर्चा का समय है नहीं, एक-एक बजट पर कम से कम दो दिन का समय होना चाहिये, एक दो मिनट में पारित करने की परम्परा होती जा रही है, ऐसी परम्पराओं का निर्वाह नहीं होना चाहिये । परम्परा यह होनी चाहिये कि जो हमारा बजट है, वह सही प्रकार से सबके विचार से बने । मान्यवर, इस तरह की लोक सभा में समिति है, वहां एक-एक विभाग के बजट के लिये पूरी रूपरेखा बनती है, पूरा विचार होता है, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में लागू होना बहुत जरूरी है । क्योंकि उत्तर प्रदेश के बजट का सारा भाग जिस तरह से खर्च करने की प्रवृत्ति बनती जा रही है, यह इस प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है ।

माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस तरह की स्थायी समितियां बनाकर प्रत्येक बजट पर हमारे सदस्यों के बीच विचार हो, चर्चा हो और तब कोई नीति बने, तब कोई अच्छा बजट बन पायेगा । लेकिन मान्यवर, इस कार्य में जिस तरह की बाधायें आ रही हैं, उन बाधाओं के रहते एक संकट पैदा हो रहा है । सदन में समय नहीं, चर्चा का समय नहीं और समय के अभाव का नाम लेकर सदन की गरिमा को कम किया जा रहा है । जब हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग सवाल करते हैं और कहते हैं कि आप सदन में बैठकर क्या करते हैं ? इन सब बातों से सदन की गरिमा खत्म हो रही है, बजट में अंकुश नहीं हो पा रहा है, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है । मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है और सरकार से भी प्रार्थना है कि शुचिता-पवित्रता के साथ इस प्रदेश की जनता के साथ बजट का पैसा खर्च हो, इसलिये जरूरी है कि समितियां बनें और पैसा विवेक से खर्च हो, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को कदाचित यह गलतफहमी न हो जाय कि स्थायी समितियां तो आलरेडी बनी हुई हैं । हमारा तात्पर्य उन स्थायी समितियों से नहीं है । यह बात यहां इसलिये कही जा रही है जैसे किसी प्रजातंत्र की सार्थकता के लिये हाउस की कमेटीज हैं, हम लोग यहां

की अपेक्षा हाउस की कमेटीज में ज्यादा कन्ट्रीब्यूट कर लेते हैं । यहां विभागीय समितियों की बात हो रही है । कृपया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उदारतापूर्वक इस पर विचार कर लें । इस प्रजातंत्र में, जिस मंशा से सब लोग चुनकर आते हैं, उसके लिये यह मील का पत्थर साबित होगा ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, श्री रेवती रमण सिंह जी और श्री अशोक बाजपेयी जी ने जिस तरह से इस प्रश्न को यहां रखा है । वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । लोक सभा और राज्य सभा दोनों के माननीय सदस्यों को मिलाकर संयुक्त समितियां बनाई जाती हैं, मैं यह इसलिए कह रहा हूं चूकि मुझे भी वहां मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समिति का चेयरमैन बनाया गया था, वे समितियां डेवलपमेण्ट और हेल्थ से संबंधित थी । मान्यवर, पार्लियामेंन्ट्री जहां है वहां ऐसी समितियां है । डेमोक्रेसी इस तरह की कमेटियां बनाने से बजट की जो स्थिति होती है । उसमें विभिन्न विभागों के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श किया जाता है । इन समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्य सदस्य बनाये जाते हैं जो गम्भीरता से विचार करते हैं । बजट के संबंध में इन समितियों की 14-15 दिनों तक बैठकें होती हैं और उसके बाद वह अपनी रिपोर्ट देती हैं । सरकार उनकी रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी करती है कि क्या-क्या कार्यवाही हो रही है और क्या-क्या होना चाहिए तथा भविष्य में जब बजट रखा जाता है तो उसमें निर्णय लेने में मदद मिलती है ।

दूसरे राज्यों में भी इस समिति प्रणाली पर विचार किया जा रहा है । मेरा आपसे अनुरोध होगा कि उत्तर प्रदेश जैसे हर क्षेत्र में अगुवाई करता रहा है उसी तरह आप भी इसमें अगुवाई करें । संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं । वह कहेंगे कि विचार करेंगे । लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इससे ज्यादा दूसरा कोई महत्वपूर्ण यह प्रश्न नहीं हो सकता है चूंकि बजट में निर्धारित समय होता है इसलिए विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती है । सदन का संचालन 90 दिन नहीं हो पाता है, धीरे-धीरे उसमें कमी हो रही है इसलिए ऐसी कौन सी व्यवस्था होगी जिसके आधार पर इस सदन के लोग अपनी सारी बातों को यहां रख सकें ।

मान्यवर, सरकार के जो निर्णय और नीतियां बजट में दी जाती हैं उस पर गम्भीरता से विचार कर सके और रिपोर्ट दे सकें इस हेतु लोकसभा की तरह यहां भी समिति प्रणाली लागू की जाय तो इससे सुन्दर बात और कोई नहीं हो सकती है । इसलिए आपसे मैं चाहता हूं कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश में आप अगुवाई करने का निर्णय लें जिससें विभिन्न समितियों में बजट पर विचार विमर्श करके उचित निर्णय लिये जा सकें और इससे सदन का काम आसानी से हो सकेगा । इसमें विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए ।

'ावधान

श्री अध्यक्ष–

श्री हरि शंकर तिवारी जी ने इस विषय पर एक पत्र कल दिया था, इसलिए उनके विचार भी आ जाने दें ।

श्री हरि शंकर तिवारी–

अध्यक्ष महोदय, दो दिन पूर्व इस संबंध में मैंने आपको लिखकर दिया था यह सोचकर कि 1991 में इस पर कुछ पहल किया था समितियों के गठन के बारे में जिसके संबंध में कुछ माननीय सदस्यों ने अभी यहां चर्चा उठाई है और आए दिन सदन जब आहूत होता है तो यहां चर्चा होती है कि 90 दिन सदन नहीं चलता है । बाहर इस संबंध में जब चर्चा होती है तो सदन के सम्माननीय सदस्य उस समय अपने को निरीह पाते हैं कि उन्हें क्या जवाब दिया जाय कि क्षेत्र से संबंधित उनके सवाल जो यहां उठाये जाते हैं जिनका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है । सवालों पर यहां चर्चा हो और घोटालों जैसे आयुर्वेदिक घोटाला, भूमि संबंधी घोटालों पर चर्चा हो लेकिन सदन की अधिक बैठकें न होने से इन मामलों पर चर्चा नहीं होती है ।

मान्यवर, इस तरह से धन का दुरुपयोग किया जाता है और उसकी जिस तरह से बाहरी एजेन्सिय जांच करती हैं तो उससे सदन की अवमानना होती है तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए । मैं निवेदन करूंगा कि इन समितियों का गठन करें ताकि विस्तृत चर्चा कर सके और सम्मानित सदस्यों का इस सदन में सम्मान बढ़ सके ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस विषय पर माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया है और इस विषय को आपने लिया है । मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूं । 2-3 दिनों से माननीय सदस्यगण के बीच में यह विस्तृत चर्चा का विषय रहा है, इस पर आपने कृपापूर्वक मुझे अनुमति दी है । मुझे भी स्मरण है, सन् 1974 में सबसे कम उम्र का विधायक मैं यहां पर आया था, तबसे मैं देख रहा हूं । बहुगुणा जी के बाद से जैसे-जैसे समय बीतता चला गया इसमें परिवर्तन आता चला गया । जिस तरह से सत्र लम्बे चलते थे, और उसका बहुत प्रभाव होता था जब कोई प्रश्न दे दिया जाता था और उसकी सूचना जिलों में जाती थी ।

मान्यवर, जब प्रश्न मंजूर हो जाता था, तो जिलों में हलचल हो जाती थी कि इस विषय में यह प्रश्न हो गया है सारे जिले में हड़कम्प मचता था और यदि आश्वासन हो जाता था तो यह रहता था कि बहुत बड़ी कार्यवाही होने जा रही है । इस बात का मैंने स्वयं अनुभव किया है । आज 20 सालों के अन्तराल के बाद धीरे-धीरे चाहे प्रश्न के मांध्यम से या और किसी माध्यम से जो नियमावली में है जिन-जिन विषयों को उठाया जाता है । वह विषय आपके संज्ञान में आ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट जैसा पड़ता था । वह नहीं दिखाई पड़ता है चाहे नियम 300 हो, 301 हो या 56 हो । मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक सिस्टम प्रभावी ढंग से लागू हो, 90 दिन का सत्र हो और पार्लियामेन्ट का जो सिस्टम बनाया गया है कमेटी का उसकी व्यवस्था हो ।

मान्यवर, मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आप इतने विद्ववान हैं, इतना जानते हैं कि हम सब मिलकर उतना नहीं जानते हैं । मेरा निवेदन है कि आप एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेंगे जिससे आने वाली पीढ़ियां भी याद रख सकें । एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि इस तरह की व्यवस्था लागू करें ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

श्रीमन्, औचित्य का प्रश्न जिसके संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, बहुत ही गंभीर है । इसे निश्चित तौर से सरकार बहुत हल्के फुल्के ढंग से लेकर टालना चाहती है । थोड़ी देर में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जवाब देने वाले हैं कि स्टैंडिंग कमेटियां बने, इसका कोई औचित्य नहीं । मैं श्रीमन्, इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि समेकित निधि का जो पैसा है और विभिन्न बचतों में जो आवंटित किया जाता है इन बचतों पर विस्तार से चर्चा आज के माहौल में नहीं हो पाती है, समय नहीं मिलता और समय भी मिलता है तो माहौल इस तरह का है कि चर्चा नहीं हो पाती हैं शोरगुल के कारण या और तमाम परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण बजट जल्दी जल्दी पास हो जाता है । तो मेरा अनुरोध है कि जनता के धन का सदुपयोग हो, अच्छे कामों में लगे । इसलिए परामर्शदात्री समितियां जैसे लोक सभा में बनी हुई हैं विभिन्न मदों के लिए उसी तरह से बने जो औचित्य प्रश्न रखा गया है जिसकी पूरी मंशा यह है कि आपके निर्देश को संसदीय कार्यमंत्री जी को, सरकार को मान लेना चाहिए और बना देना चाहिए । यही मेरा अनुरोध है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बहुत ही उपयोगी विषय पर चर्चा हो रही है आपने मुझे अवसर दिया है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, यह आजादी की स्वर्ण जयन्ती वर्ष है यह बहुत सही समय है जब हम विचार करें कि कैसे हम अपनी स्थितियों को बेहतर बना सकते है। मान्यवर, हमने ब्रिटिश पार्लियामेन्ट्री सिस्टम को स्वीकार किया है और उसी सिस्टम के आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। भारत की सर्वोच्च संस्था लोकसभा में यह बात महसूस की गयी कि पूरी तरह से हम बजट पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी नहीं कर पाते हैं। विवश होकर देश के हित में सभी दलों में एक राय बनी कि पहले इन बजट प्रस्तावों पर कमेटियां विचार कर लें और जो सुझाव दें उसके अनुसार लोकसभा में बजट पारित हो।

मान्यवर, जब देश आजाद हुआ तो शुरू में सदन की ज्यादा बैठकें होती थीं लेकिन उसके बाद चाहे आपकी सरकार रही हो, हमारी सरकार रही हो या चाहे मौजूदा सरकार हो, बैठकों की गिनती कम होती चली गई। उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे कम दिनों में बजट पारित होने जा रहा है। क्षमा करें बजट गुण–दोष के आधार पर नहीं संख्या बल के आधार पर पारित होना है। साधारण सदस्यों को छोड़ दें हम विरोधी दल और सत्तारूढ़ दल को छोड़ दें, मंत्रियों को भी बजट का पूरा ज्ञान नहीं होता है। बजट अधिकारियों की मर्जी से बनता है और मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह उसे सदन में रखे। सत्तारूढ़ दल को सरकार चलानी है तो बजट को स्वीकार करना है अन्यथा सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। वे बजट को समझें या न समझें अपना समर्थन दे देते हैं। हम अगर कोई अच्छी बात का उसमें समर्थन भी करना चाहें तो यह कहा जाता है कि विपक्ष का तो धर्म ही विरोध करना रह गया है। हर स्थिति में बजट पास हो जाता है।

मान्यवर, हम कोई नयी परम्परा संसदीय इतिहास में नहीं कायम करने जा रहे हैं। भारत की संसद में यह परम्परा स्थापित हो चुकी है। वहां तीन गुना ज्यादा बैठकें होती हैं लेकिन उनके पास भी समय नहीं है तभी उन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार किया है। हम भी इस व्यवस्था को स्वीकार कर लें तो कोई गलत नहीं होगा। अब सवाल है कि पहल कौन करेगा। उत्तर प्रदेश नहीं करेगा तो कौन और करेगा ? जो भी संसदीय मर्यादायें हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की इस विधान सभा ने पहल की है। सत्तारुढ़ दल को इसमें क्या दिक्कत हो सकती है ? कमेटियां तो बजट अस्वीकार नहीं कर सकती, बजट तो सदन में ही स्वीकार होगा।

मान्यवर, कई बार तो बजट 2-3 घंटे में, एक घंटे में पारित होता है, और इस कार्यवाही में भी लिखा रहता है कि बिना चर्चा के पारित होता है। कुल मिलाकर लब्बोलबाब यही है कि जिस दिन कमेटीज बन जायेंगी उस दिन बजट जन प्रतिनिधित्व बजट बनेगा और जन प्रतिनिधि बजट पारित करेंगे। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह कह देंगे कि नियम में यह व्यवस्था है वह अपने धर्म का निर्वहन करेंगे मान्यवर, जो हाउस है वह "मास्टर आफ हिज ओन बिजनेस" है। आप अपने विवेक से सोचें यह जनहित में है। इससे व्यवस्था बेहतर हो सकती है। आप इसका प्रस्ताव ले आयें नियमों में परिवर्तन करायें और कमेटियां बनवायें। जो उनका स्वरूप होगा वह आप तय करेंगे। मेरी रुचि गृह विभाग में हो, किसी की रुचि राजस्व में हो सकती है किसी की रुचि खेल में हो सकती है उन सदस्यों को उन समितियों में रखें उनके अनुभवों के आधार पर समिति में सुझाव आ जायेंगे और हममें जो रुचि है उसका उपयोग भी हो जायेगा।

मान्यवर, यह सदन सर्वोच्च है यह अपने नियम खुद बना सकता है, इसे जनहित में ले आयें जो आप उचित समझेंगे उसके अनुसार नियम बना लेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें घबराइये नहीं, ऐसी बात नहीं है कि समितियां बन जायेंगी तो आपकी बात

नहीं होगी । संख्या बल के आधार पर सत्तारूढ़ दल क सदस्य उनम रहग सरकार की मंशा क्या है उसमें ज्यादा वह बात आयेगी, लेकिन सबको मौका मिलेगा । आप इतने कम समय में बजट पास करा रहे हैं, यह आपकी मजबूरी हो सकती है लेकिन यह प्रदेश के साथ न्याय नहीं है ।

यह बजट पारित होगा संख्या बल के आधार पर, अपनी क्षमता और अपनी मेरिट के आधार पर नहीं होगा । इसलिए जो प्रस्ताव आया है उस पर गम्भीरता से विचार कर लें । 1991 में जब आप स्पीकर थे तब भी इस पर आपने विचार किया था और काफी सोच समझकर विचार किया था । कल जब मैं आपके कक्ष में गया था और भी माननीय सदस्य थे तब वहां पर यह बात रखी थी । मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप सरकार से अनुरोध कर लें कि वह इसे स्वीकार कर ले और सभी दलों के नेताओं की एक समिति बनाकर इसके नियम और कानून क्या होंगे यह तय कर लें ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, काफी अच्छा सुझाव भी माननीय सदस्यों ने रखा है । प्रदेश का जो धन है वह डेवलपमेंट पर खर्च होना चाहिए और वह खर्च हो रहा है या नहीं और सही ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं, ऐसा न हो कि वह गैर डेवलपमेंट में खर्च हो जाये या अन्य दूसरी मदों में खर्च हो जाये उस पर हम अंकुश लगा सकें और वित्तीय अनुशासन बना सकें । इस बात को माननीय सदस्यों ने काफी गम्भीरता से लिया है और अपनी बात को रखा है और जो सुझाव दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं । यह सही है कि आज जो यह प्रस्ताव आया है वह कोई पार्टी पालिटिक्स से नहीं आज जो हालात पूरे प्रदेश में बन रहे हैं उस हालत के बारे में सोचना होगा चिन्तन करना होगा क्योंकि आज जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडाप्ट किया उसका सतत् विकास हो । आगे भी हम इसमें सुधार करेंगे ।

आज परिस्थितियों के अनुरूप एक विचार जिसे पार्लियामेंट ने अंगीकार किया उसके साथ ही कुछ अन्य स्टेटों ने स्वीकार किया है इस पर जैसा कि माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने अपने पिछले कार्यकाल में विचार किया था वह कहां तक पहुंचा इस पर पुनः विचार शुरू होना चाहिए । यह निश्चित ही एक अच्छा सुझाव है और इस सुझाव के अनुरूप सारे पहलुओं पर जैसा कि तिवारी जी तथा अन्य सदस्यों ने कहा कि किस तरह से इसकी नियमावली हो इन सारे बिन्दुओं पर समय की आवश्यकता होगी और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पर विचार किया जाय और विचारोपरान्त उसके गुण दोष पर विचार करना होगा । पार्लियामेंट और दूसरे स्टेटों में इसका स्वरूप क्या है इस पर विचार करना होगा । यह सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी और विचारोपरान्त इस पर जो निर्णय होगा उसके अनुसार इस सुझाव को लागू करने की कोशिश करेगी । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि इस सम्बन्ध में सदन की एक समिति बना दी जाय जो कि दूसरे राज्यों या पार्लियामेंट में जैसा हुआ है उसका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करे और फिर एक महीने में अपनी रिपोर्ट दे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों के तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के विचार इसमें आये । सदन के उपवेशनों की दिन-प्रतिदिन संख्या घटती जा रही है इसमें कोई संदेह नहीं है । कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में विचार नहीं हो पा रहा है । बजट पर भी विचार नहीं हो पा रहा है, हमारे बहुत से माननीय सदस्य सामान्य चर्चा में और विभिन्न विभागों की अनुदानों में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन कभी एक मिनट, कभी दो मिनट, और कभी 5 मिनट उनको

मिलते हैं और वह अपनी बात को पूरी तरह से रख नहीं पाते हैं। इस कारण समिति पद्धति पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस पद्धति के अपने लाभ हैं। लोक सभा में दो-तीन वर्षों के गहन विचार विमर्श के बाद इसको लागू किया गया और सफलतापूर्वक अपनाकर बजट पारित करने की प्रक्रिया है, वह पूरी की जा रही है। बुद्धिमत्ता किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। कभी-कभी हमारे वह सदस्य जो चुप रहते हैं, उनके सुझाव बहुमूल्य रहते हैं, लेकिन किसी कारण अपनी बात रख नहीं सकते हैं। उनकी क्षमता और योग्यता का लाभ उठा सकेंगे, इस पद्धति पर विचार करना आवश्यक है।

सदन की एक नियम समिति है। नियम समिति नियमों में संशोधन करने पर विचार करती है, कौन सा नियम बढ़ाना है, कौन से नियम में परिवर्तन करना है और किस नियम को संशोधित करना है, वह अपनी जगह पर है, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यदि आपकी ओर से कोई आपत्ति या गम्भीर आपत्ति न हो तो इस बात के औचित्य पर विचार कर लें, क्या इस सदन की छोटी समिति बन जाये, जो इस मामले पर अपनी रिपोर्ट नियम समिति को दे दे और नियम समिति विचार कर ले कि प्रक्रिया नियमावली में किस प्रकार संशोधन किया जाये, क्या हो और क्या न हो।

श्री बी० आर० वर्मा–

गम्भीरता पूर्वक विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई सरकार के खिलाफ बात नहीं है।

श्री बी० आर० वर्मा–

सर्वदलीय समिति बन जाये, आपने इच्छा जाहिर की है, वह सरकार के लिये आदेश हुआ करती है, इस तरह की समिति बन जाये, जो इस बिन्दु पर विचार करे। सरकार विचार करेगी, समिति बनाने पर विचार करेगी।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय मंत्री जी को साफ-साफ स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

सहमत होंगे तो इसके लिये प्रस्ताव लाना पड़ेगा।

श्री बाबू राम यादव–

सरकार अपनी सहमति दे दे।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता विरोधीदल और सभी दलों के नेताओं की एक औपचारिक बैठक बुला लूंगा। उसमें इस समिति का क्या स्वरूप होगा, कितने दिनों के अन्दर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी, आदि विषयों पर विचार करके अग्रिम कार्यवाही कर लेंगे और इन शब्दों के साथ इसका निस्तारण करता हूं, निरस्त नहीं करता हूं।

विधान सभा मण्डप में तथा राज्यपाल दीर्घा में पेजर एवं सैल्यूलर/मोबाइल फोन का प्रयोग किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय रंगनाथ मिश्र जी की है इस पर माननीय मिश्र जी मेरे विचार से कोई बहुत ग्राह्यता और अग्राह्यता की बात नहीं है। एक मिनट कह लीजिए।

* श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, काफी गम्भीर चर्चा हुई कि इस सदन को 90 दिन चलाया जाय। हमें इस पर भी गम्भीर होना चाहिए, कि दिनों के लिए जितने हम चिंतित हैं उतना ही घंटा-मिनट के लिए भी चिंतित होना चाहिए। उसका उपयोग हम करें। समय-समय पर आपकी पीठ से निर्देश भी हुए हैं कि यहां रिवाल्वर या अन्य हथियार नहीं लाने चाहिए। आपने पिछले दिनों यह निर्देश भी दिये थे कि यहां पर सैल्यूलर और मोबाइल फोन माननीय सदस्य यूज न करें। माननीय सदस्य सैल्युलर और मोबाइल फोन ले आते हैं तो उनकी देखादेखी हमारे अधिकारी भी राज्यपाल दीर्घा में बैठे सैल्युलर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने लगे। इस तरह बीच-बीच में फोन आने से विधान सभा के संचालन में व्यवधान होता है। जो आपकी पीठ से निर्देश हैं उनका व्यवहार में सब पालन करें। अनेकों माननीय सदस्य जो नए-नए हैं उनको बोलने का अवसर भी नहीं मिलता है। इस पर भी हमको गम्भीरता से सोचना चाहिए। हमारे विपक्ष के साथी बात-बात में सदन के वेल में आ जाते हैं हम भी विपक्ष में रहे लेकिन कभी हमने इस प्रकार का आचरण नहीं किया। वैल में आकर नारे लगाना ऐसा लगता है कि (व्यवधान) विधान सभा नहीं बल्कि हजरतगंज के चौराहे पर खड़े होकर नारेबाजी हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें, जितनी देर व्यवधान हुआ इतने में तो उनकी बात समाप्त हो जाएगी।

श्री रंगनाथ मिश्र–

हमारे कुछ साथी सैल्युलर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि सदन से ज्यादा गम्भीर और कोई बात क्या होगी जिस पर बात करना अनिवार्य हो जाता है हमारे कुछ वरिष्ठ साथी मैं नाम नहीं लेना चाहता कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ साथी पता नहीं उनका दिल कहां लगा रहता है बाहर फोन पर बात करने के लिए सेल्युलर फोन का प्रयोग करते हैं। बाहर दिल लगाने की बजाय यहां दिल लगायें तो बेहतर होगा। आपके निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। हमारा आचरण जनहित में काम करने का हो इसलिए मैं अपने औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब इसमें चर्चा क्या होगी ?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय रंगनाथ मिश्र जी का कांग्रेस से बड़ा प्यार है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य सेल्युलर फोन लाते हैं। मैं कहता हूं कि कोई नहीं लाता है। वह अपने घर में जाकर पूछ लें मैंने इनके घर फोन तो नहीं किया ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सदन में इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से इस बात की चिन्ता व्यक्त की गयी है कि सदन का उपवेशन 90 दिन का होना चाहिए और नियमावली में इस बात के करने के निर्देश भी हैं। इस उपवेशन में शायद यह पहला दिन था कि प्रश्नकाल किसी न किसी कारण से स्थगित नहीं हुआ। मान्यवर, यही नहीं अंग्रेजी में कहते हैं वेल में आना, अगर इसका हिन्दी रूपान्तर किया जाय तो अर्थ होगा कुएं में कूदना। दिन भर में हमारे मित्र कई बार कुएं में कूद जाते हैं। मेरा निवेदन है कि 90 दिन के उपवेशन की मांग करना अपनी जगह पर ठीक है लेकिन हमें अपने आचरण को भी मर्यादित करना होगा। अभी आपने देखा कि दर्शक दीर्घा में स्कूलों के बच्चे बैठे हुये थे।

श्री अध्यक्ष–

हम दर्शक दीर्घा को संज्ञान में नहीं लेते हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

दर्शक दीर्घा में प्रदेश की जनता आकर बैठती है और यहां की कार्यवाही को देखती है।

एक सदस्य–

मान्यवर, मुझे समय दे दें। बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष–

डा० डंग जी अपनी बात पूरी कर लें, आप कृपया बैठ जायं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

विधान सभा और संसद में वहां की कार्यवाही देखने बच्चे इसलिये लाये जाते हैं ताकि वह लोकतंत्र की परम्पराओं को सीखें लेकिन यदि हम वेल में जाते हैं और ऐसा कार्य करते हैं तो उनकी क्या राय बनती होगी हम अपने आचरण से क्या शिक्षा दे रहे हैं हमें इस पर विचार करना चाहिये और इस गंभीर विषय पर हम सबको चर्चा करनी चाहिये। मैंने देखा है कि सदन में गंभीर विषयों पर जिनका संबंध प्रदेश के जनजीवन से होता है उस पर जब चर्चा होती है तो भी उस समय टोका टाकी की जाती है। इस सदन में चौथी बार मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां तक कि नेता सदन की भी बात कभी-कभी नहीं सुनी जाती है।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, यह किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ? इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री यक्ष–

डाक्टर साहब अपनी बात अभी समाप्त करते हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा निवेदन है कि जहां हम 90 दिन के उपवेशन की मांग सदन में करते हैं वहां हमें इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। आपने समय दिया इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना के संबंध में सभी मंत्रियों, माननीय सदस्यों को मेरे सचिवालय से पत्र भेजा गया है और अनुरोध किया गया है कि वे सदन में इलेक्ट्रानिक उपकरण न लायें ताकि सदन की ध्वनि प्रणाली में बाधा न उत्पन्न हो । मैं पुनः सभी मंत्रियों और माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं और आशा करता हूं कि जो परिपत्र जारी हुआ है उसका पालन करेंगे ।

दिनांक 22 जुलाई, 1997 बजट प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त दिनांक 24 जुलाई, 1997 से ही उस पर साधारण चर्चा प्रारम्भ किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल, माननीय जगदम्बिका पाल और माननीय सतीश शर्मा की है ।

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, 22 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 1997-98 का बजट पेश किया है । आज 24 जुलाई, 97 की कार्य सूची को आप देखें इसकी मद संख्या 3 पर है वित्तीय वर्ष 97-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा । मान्यवर, नियमावली के नियम 187 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसमें लिखा है कि आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के कम से कम दो दिन बाद अध्यक्ष द्वारा बजट पर चर्चा शुरू करायी जायगी । इसमें कम से कम दो दिन की मिनिमम टू डेज की व्यवस्था है । आपने अपना अधिकार सीमित कर लिया है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब 22 तारीख को बजट पेश किया गया तो उसके बाद 23 और 24 दो दिन का गैप होना चाहिये और 25 तारीख से इस पर चर्चा शुरू होनी चाहिए ।

[समय 2 बजकर 5 मिनट ।

आज नेता विपक्ष, प्रतिपक्ष जो हैं बजट पर अपने विचार रखने जा रहे हैं । नियमावली के नियम के अनुसार देखा जाय तो आज के दिन बजट पर चर्चा नहीं हो सकती है । क्योंकि आशय है कि बजट प्रस्तुत होने के कम से कम दो दिन बाद ताकि माननीय सदस्यों को बजट को गंभीरता से पढ़ने का अवसर मिल सके और वह गंभीरता पूर्वक उस पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकें । संसदीय कार्य मंत्री जी अपने जवाब में एक भी दृष्टान्त नहीं दे पायेंगे कि जबसे विधान सभा गठित हुई है, उसकी नियमावली बनी है । एक भी साल का उदाहरण ऐसा नहीं दे पायेंगे जब बजट प्रस्तुत होने के दो दिन के अन्दर ही उस पर चर्चा आरम्भ हो गई हो ।

मैंने अपने औचित्य के प्रश्न के रूप में आज इसे इसीलिये उठाया है । उस दिन माननीय मित्रसेन जी ने बात कही थी कि पांच दिन चर्चा होनी चाहिये । वह चार दिन कर दी गई । आपने भी कहा कि कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय लिया था । इसलिये इस सदन ने मान लिया । मान्यवर, हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं होगी तो सदन में गंभीरता से अपनी बात कैसे कह सकेंगे ? मेरा यह अनुरोध है कि नियमावली के जिस नियम के अन्तर्गत मैंने इसे उठाया है आप इसे स्वीकार करें । मैं जानता हूं आज आप यह नहीं कहेंगे कि नरेश चन्द्र अग्रवाल जी आपने यह औचित्य का प्रश्न किस नियम के तहत उठाया है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, जो आज औचित्य का प्रश्न इस सम्मानित सदन के समक्ष उपस्थित हुआ है इसे औचित्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जायेगा तो कदाचित इस सदन में कोई ऐसा प्रश्न औचित्य के रूप में आगे ग्राह्य नहीं किया जा सकेगा । मान्यवर, यह प्रश्न औचित्य की सारी परिस्थितियों में है और जैसा कि नरेश जी ने नियमावली का स्पष्ट उल्लेख किया है जिसमें लिखा है कि बजट प्रस्तुत करने के दो दिन उपरान्त ही सामान्य बजट पर चर्चा होगी ।

मान्यवर, मैं 1982 से आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का और सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । 1982 में 29 जनवरी को बजट प्रस्तुत हुआ । इस बजट पर सामान्य चर्चा दो दिन 30, 31 को छोड़कर 1,2,3,4,5 फरवरी को हुई थी । 83 में 10 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ और 14 तारीख से सामान्य बजट पर चर्चा हुई । 82 में दो दिन का समय था और 83 में तीन दिन का समय । समय बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है । 89 में 14 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ और सामान्य चर्चा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 को हुई उसके बाद मतदान हुआ । 90 में 15 जून को बजट प्रस्तुत हुआ और सामान्य चर्चा 19 से लेकर 22 जून तक हुई । मान्यवर, मैं इन तिथियों का जिक्र आपके समक्ष इसलिये कर रहा हूं ताकि आपको इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करने के लिये किसी उद्धरण या रेफरेंस के लिये समय न लेना पड़े । आपके समक्ष सारे आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप तत्काल विचार करके इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें । चूंकि अभी तक चर्चा गंभीरता से हुई ।

माननीय नेताओं और कुंवर रेवती रमण जी ने भी कहा कि सामान्य चर्चा के दिन हो या उपवेशन के दिन घट रहे हैं । लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों की मान्यवर, निरन्तर चिन्ता बढ़ रही है ।

सदन में जहां गंभीरता से बजट पर, विधेयकों पर, संकल्पों पर, प्रस्तावों पर, गैर सरकारी विधेयकों पर चर्चा हो सके । मान्यवर, निरन्तर कार्य दिवसों में घटोत्तरी हो रही है यह बहुत ही चिन्ता का विषय है, पूरे देश की चिन्ता का विषय है आज बजट के अध्ययन के लिए सदस्यों को अवसर नहीं मिल पा रहा है पहले चार दिन मिलते थे उसमें घटोत्तरी कर दी गई है इन्डीविजुअल ग्रान्ट है उसमें घटोत्तरी हो गई है एक-एक दिन में दो-दो तीन-तीन बजट हैं । सिंचाई आदि महत्वपूर्ण और बड़े विभाग हैं इन पर कैसे चर्चा होगी ? मैं पिछले सालों का ब्यौरा देना चाहूंगा ।

मान्यवर, 1990 में 15 जून को बजट प्रस्तुत हुआ 19 से चर्चा शुरू हुई । 1991 में 22 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ और 11 मार्च से सामान्य चर्चा प्रारम्भ हुई । 1992 में 12 मार्च को बजट प्रस्तुत हुआ और 30-31 तारीख से चर्चा आरम्भ हुई । 1993 में भी इसी तरह हुआ । 1995 में 14 जुलाई को इसी सदन में बजट प्रस्तुत हुआ तो 17-18-19-20 का समय दिया गया पिछले साल राष्ट्रपति शासन था । उपरोक्त दृष्टान्त को आप देख लें किसी बार ऐसा नहीं हुआ है कि सदन के नियमों पर कुठाराघात हुआ हो । बजट की प्रस्तुति के बाद दो दिन का समय मिला यह सदन में पहली बार हो रहा है । पहली बार बिना किसी नियम के ऐसा हुआ है, क्या प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली को संशोधित किया गया है बिना किसी नियमावली, बिना सदन की सहमति के बावजूद मान्यवर, दो दिन के पहले ही पहली बार नया दृष्टान्त बना रहे हैं । आप इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करेंगे ? आज दो दिन से कम दिए जा रहे हैं फिर आने वाले समय में एक दिन का समय नहीं होगा फिर ऐसा होगा कि जिस दिन बजट प्रस्तुत होगा उस दिन चर्चा की बात होगी । यह औचित्य का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे स्वीकार करने का कष्ट करें ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, नियमों से परे न तो आप हैं और न हम, नियमों के अन्तर्गत संचालित होते हैं । आज जो औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत हुआ है इसको देखने की कृपा करें । नियमावली के नियमों का पालन नहीं हो

रहा है इसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता है । मैं समझता हूं कि सदन में कोई दृष्टान्त न बने और आपके ऊपर कोई आंच न आए । कार्य संचालन नियमावली के नियम–187 में जो चर्चा की बात है उसको आप पढ़ें और देख लें कि क्या करना चाहिए, सदन को क्या करना चाहिए । क्या अपने अधिकारों की अपने हाथों से हत्या कर देंगे ? इसको पढ़ लें जो नियम मैंने बताया है फिर अपना निर्णय दें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

जो औचित्य का प्रश्न नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने उठाया है इस प्रश्न को मैं तो घोषणा करने वाला था अपने कार्यक्रम के आज प्वाइन्ट 6 पर जो दिया गया है उसमें मैं उठाना चाहता था और इसलिये उठाना चाहता था कि किस समय उठाया जाना चाहिये । औचित्य का प्रश्न पहले लिखकर नहीं देना चाहिए । यह गलत परम्परा है इसको मैंने पिछले वक्त भी बहुत रोकने की कोशिश की इसमें साफ लिखा है ।

इस नियम में साफ लिखा हुआ है कि औचित्य का प्रश्न उठाया जाएगा जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो, श्रीमन् यह प्रश्न उस समय अगर मैं उठाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता मैं समझता हूं और मैं आपसे आज्ञा भी लेना चाहता हूं कि मद संख्या 6 के समय ही इस प्रश्न को हम उठा रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसके नियम 186 और 187 को पूरी तरह से उल्लेख न हो रहा है । पता नहीं आप जैसा विद्वान व्यक्ति कैसे इस चीज को नजरन्दाज कर रहा है । एक दिन के अन्दर ही आपने चर्चा करवाए जाने के लिए निश्चित कर दिया । इसमें साफ लिखा हुआ है कि नियम 187 में आय-व्ययक प्रस्तुत किए जाने के कम से कम दो दिन बाद अध्यक्ष द्वारा नियत दिनों पर आय-व्ययक पर या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्तों के किसी प्रश्न पर साधारण चर्चा सामान्यतया 5 दिन होगी, बजट पर चर्चा कम से कम दो दिन बाद होगी यह साफ लिखा हुआ है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पीठ से ऐसा कोई काम न हो जिससे नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन हो , यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । इसमें चर्चा दो दिन बाद ही होनी चाहिए । अगर आज इस पीठ से इस पर चर्चा कराने का आदेश दिया जायेगा तो यह नियमों के विरुद्ध होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छी बात आज कही और मैं नेता प्रतिपक्ष से यही अपेक्षा भी करूंगा कि उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर अडिग रहें आपने जो बातें कहीं हैं निश्चित तौर पर आप उनका अनुपालन सुनिश्चित भी करेंगे तथा अपने दल के माननीय सदस्यों से उसका अनुपालन सुनिश्चित भी करवायेंगे । आपने पीठ पर रह कर यह जो कोशिश की थी कि नियम 300 के अन्तर्गत लिखकर न दिया जाए बल्कि जो तात्कालिक हो और जो उस समय सदन के सामने हो उसी पर औचित्य का प्रश्न उठाया जाएगा और इसका अनुपालन कराने में आप कामयाब रहे । इससे निश्चित तौर पर सदन का काफी समय अन्य बातों पर चर्चा के लिए उपलब्ध हो सकेगा । जिस नियमावली के नियम 187 का जिक्र किया गया कि दो दिन बाद आय-व्ययक पर चर्चा होगी ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जनरल क्लासेज ऐक्ट 1904 इस अधिनियम की धारा 4 (1) ग में दिन की परिभाषा दी गई है इसमें दिन की परिभाषा में कहा गया है कि दिन का तात्पर्य मध्य रात्रि से शुरू होने वाले 24 घण्टे से है । यह बजट 22 तारीख को 12.20 पर प्रस्तुत किया गया है यानी 21/22 की मध्य रात्रि से 24 घंटे और 22/23 की मध्य रात्रि से 24 घंटे यानी कुल मिलाकर 48 घंटे...

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अनुसार बजट प्रस्तुत किए जाने के दो दिन बाद लिखा है..

श्री बी० आर० वर्मा–

यह जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है..

182 में जो 2 दिन की बात लिखी हुई है इसमें कोई मतभेद नहीं है । यू० पी० क्लाजेज ऐक्ट में दिन की परिभाषा दी गयी है ।

श्री धनीराम वर्मा–

संसदीय कार्य मंत्री जी परिभाषा बता रहे हैं वह भ्रमित कर रहे हैं । कार्य संचालन नियमावली जो अंग्रेजी में है उसमें आफ्टर शब्द आया है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

जो चीज नियमावली में नहीं लिखा है उसकी परिभाषा ये अपने तरीके से कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने अनुरूप व्याख्या करेंगे और संसदीय कार्य मंत्री जी अपने अनुरूप व्याख्या कर रहे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, 187 जिसका उद्धरण माननीय सदस्यों ने दिया है, उसमें दिन शब्द का प्रयोग किया है, कार्य दिवस या उपवेशन शब्द का नहीं हुआ है । दिन की परिभाषा यू० पी० क्लाजेज ऐक्ट 4(1) ग के अन्तर्गत दी गयी है जिसका सिद्धान्त इस पर लागू होता है, उसके तहत परिभाषा बता दिया । उसके अनुसार दो दिन से ज्यादा हो रहा है । 12.20 बजे भी मान लिया जाय तो 12.20 22-7-97 से 12.20 23-7-97 एक दिन, 12.20 23-7-97 से 12.20 24-7-97 एक दिन, कुल दो दिन हो जाते हैं इसलिये औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से व्याख्या की है उससे तो एक दिन का भत्ता 100/–12.00 बजे ए० एम० तक का मिलना चाहिए जबकि 12.00 पी० एम० से 100/–का भत्ता अलग से दिया जाना चाहिए जबकि अभी तक हम 10.00 बजे से 5.00 बजे तक रहते हैं तब 100/–के अधिकारी होते हैं । संसदीय कार्य मंत्री जी की परिभाषा जो अपनी किताब से लाये हैं और उन्हीं के यहां छपी होगी और संसदीय कार्य मंत्री ने ही पढ़ी होगी । अगर एक हस्ताक्षर पर दो दिन का टी० ए० बिल का भुगतान करने का अधिकार दे दिया जाये तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह –

माननीय अध्यक्ष जी, आप सदन के संरक्षक हैं । संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह बड़ी संवेदनशील सरकार है, परम्पराओं को मानने वाली सरकार है । जगदम्बिका पाल ने बताया कि 1986 से आज तक क्या परम्परा रही है । जो सर्वमान्य परम्परा रही है उसको मानें और इस तरह का मजाक सदन के साथ न करें । मैं कहता हूं कि अगर मंत्री जी और यह सरकार मानने वाली नहीं है कहीं तो आप भी अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

आपके प्रश्न का उत्तर मैं अपनी व्यवस्था में दूंगा ।

कार्य-मंत्रणा समिति ने इस विषय पर विचार-विमर्श के उपरान्त अपनी संस्तुति सदन में दे दी । सदन का कार्य किस प्रकार से चले, किस दिन चले वह सदन निर्धारित कर लेता है । कार्य मंत्रणा समिति की जो संस्तुति है उसे इस सदन ने स्वीकार कर लिया है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, प्वांइट 6 की अनुमति लेने के बाद ही हमने औचित्य प्रश्न को रखा है । कार्य-मंत्रणा की सिफारिश को कैसे मान लेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति को नियमावली के नियम को तोड़ने का अधिकार नहीं है, चाहे सदन में पास कर ले, उसके बावजूद नियम के अन्तर्गत चलना पड़ेगा और मान्यवर, प्रदेश में इसीलिये नियम समिति बनी है, वही नियमों में संशोधन कर सकती है । नियमों में संशोधन का अधिकार आपको नहीं है, कार्य-मंत्रणा समिति को नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री को नहीं है । अगर सदन ने कार्य-मंत्रणा की सिफारिश स्वीकार कर ली तो यह भी नियमों को तोड़ने का कार्य होगा । आप ऐसे विद्वान अध्यक्ष से हम लोग क्या यही अपेक्षा करें और आप चुपचाप सुनते रहें । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कहीं महाभारत दुबारा न हो जाय, इसके लिये आप ऐसी व्यवस्था दीजिये कि नियम न टूटे ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया मेरी बात सुन लीजिये । कार्य-मंत्रणा समिति की वह संस्तुति जो अभी तक स्वीकृत हो चुकी है उसके अनुसार कार्य होगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैं आज वाली की बात कर रहा हूं, इसीलिये मैंने प्वाइंट 6 पर अनुमति मांगी है ।

श्री अध्यक्ष–

उसे अभी आपने स्वीकार तो किया नहीं और अभी तक जो स्वीकृत है, उसमें तो संशोधन हुआ नहीं । जब वह संस्तुति आयेगी तो अपनी बात कहियेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैंने प्वाइंट 6 पर अनुमति मांगी, आपने दे दी । इसका मतलब यह हुआ कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश रख दी, उसी के तारतम्य में मैंने अनुमति मांगी और अपनी बात कही । जो बात अग्रवाल साहब ने कही, मैंने उस पर बल नहीं दिया है । मैंने स्वयं अपना औचित्य प्रश्न रखा है, उस पर अपनी बात कही है ।

श्री अध्यक्ष–

कार्य-मंत्रणा समिति की जो सिफारिश कल इस सदन ने स्वीकार की थी, उसके अनुसार आज इस बजट पर सामान्य चर्चा होनी है, उसमें अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, अतः वह स्वीकृति अपनी जगह पर सदन में कायम है । बिन्दु 6 पर जिसकी आपत्ति आपने उठा दी है, जब इसकी मद आयेगी उसकी बात तो अभी से आपने कह दी, उस पर जब मतदान की प्रक्रिया होगी, सिफारिश पर विचार होगा, तो अपनी बात आप दुबारा कह दें ।

श्री धनीराम वर्मा–

एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं । क्या नियमावली के नियम को कार्य-मंत्रणा समिति या या सदन अमान्य कर सकेगा, अगर अमान्य कर सकता है तो यह सदन इस नियमावली और संविधान व तहत जो नियमावली बनाई गई है, उसको अमान्य करते हुये कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश प्रस्तुत क जा रही है, जो आपका निर्णय है, उसमें भी यह बात आनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो दिनों का उल्लेख किया है, संविधान में इस बारे में कोई प्राविधान नहीं है ।

(व्यवधान)

भारत के संविधान में इस संबंध में कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, आप अपनी बात से हटें नहीं । मैं श्री अग्रवाल जी के औचित्य के प्रश्न पर बल नहीं रहा हूं बल्कि मैंने तो अलग से अनुमति मांगी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके सहयोग के लिए कह रहा हूं कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 187 को देख लें । उसमें लिखा है–आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के कम से कम दिन बाद मा० मुख्य मंत्री ने 12.20 पर बजट प्रस्तुत किया । इसमें विवाद नहीं है । मान्यवर, कम कम दो दिन बाद वह दिन जो प्रारम्भ होगा 12 बजे रात तक चलेगा । तो मान्यवर, जिस दिन बज प्रस्तुत किया वह तारीख 22 जुलाई, थी जो 12 बजे रात तक चली । दिनांक 23 को दूसरा दिन, 24 क तीसरा दिन और इसमें कम से कम दो दिन बाद लिखा है । तो एक दिन कहां ले गये यह बता दें मान्यवर, यह होता कि बजट प्रस्तुत किये जाने के दो दिन के अन्तर । लेकिन कम से कम दो दिन बा लिखा है । तो वह दिन तो आप समाप्त होने दें । मान्यवर, बात बहुत साफ है, कार्य-मंत्रणा समिति द्वार यह सरकार कर चुकी है लेकिन इससे सच्चाई और कुछ नहीं हो सकती है । मान्यवर, भाषा साफ जिसमें लिखा है कि आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के कम से कम दो दिन बाद । वह दिन तो हर हाल में आप को इन्क्लूड करना पड़ेगा ।

इसलिए मंत्री जी की इच्छा तो है कि चर्चा हो किन्तु इसके हिसाब से रात के बारह बजे के पह इस पर चर्चा नहीं हो सकती है । चूंकि रात के 12 बजे तक आज का दिन चला । मान्यवर, कभी-कभ गलतियां सबसे होती हैं यदि सरकार ने गलती कर लिया है तो उसको मान लें । वह कह दें कि दो दिन का जो नियम है उसका पालन नहीं किया, वह यह बात सदन के सामने कह दें तो हम पारित कर देंगे लेकिन जो गलती हो रही है उसमें आप भी शामिल हो जायेंगे । मान्यवर, सरकार इसमें फंस गई है ।

(एक सदस्य द्वारा बैठे-बैठे बोलने पर)

मान्यवर, इनसे कह दें कि खड़े होकर यह कहें कि हमने ऐसा किया है, गलती हो गयी है ।

एक सदस्य–

माननीय संसदीय् कार्य मंत्री दिन रात जोड़ते हैं इस तरह से तो इनका समय पूरा हो गया है । इन इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप देनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस संसदीय लोकतंत्र में सर्वोच्च सदन है ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, ऐसा नहीं है, पहले नियम हैं जो इस सदन ने बनाये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी पूरी बात कह दी । अब मैंने संसदीय कार्यमंत्री को बुलाया है या तो आप कृपा कर स्पष्ट कह दें कि आपको कुछ कहना शेष है तो मैं आपको पूरा समय दूंगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, इन्हें बार-बार अनुमति न दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो बात कही है उसका उत्तर मांगेंगे कि नहीं संसदीय कार्यमंत्री से ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस व्यवस्था में जैसा मैंने पहले ही कहा है कि जिस तरह से पार्लियामेन्ट देश में सर्वोच्च सदन है उसी तरह से यह प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है और इसमें इस सदन में 17 तारीख को ही जो कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश प्रस्तुत की गयी जिसे सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है इसमें है 22 तारीख को 12.20 बजे पर वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण, 24 गुरूवार और 25 शुक्रवार को वित्तीय् वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, सदन का समय क्यों नष्ट हो रहा है आप इस पर अपना निर्णय दीजिए ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसके बावजूद नियमावली में यह व्यवस्था है, यह अधिकार आपके पास सुरक्षित है कि नियमावली के किसी नियम को आप रिलेक्स कर सकते हैं, शिथिल कर सकते हैं और शिथिल करके कार्यवाही चला सकते हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, कैसे कर सकते हैं, संविधान दिखाइये ?

"पटेल" श्री रामकुमार वर्मा–

मान्यवर, एक साधारण सदस्य की तरह का आचरण माननीय नेता विरोधी दल कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें अब बहुत हो चुका है । मुझे वह प्रस्ताव दिखा दें जहां नियमों को शिथिल करने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा गया है । मैं संसदीय कार्य मंत्री की बात से सहमत हूं कि यह सदन नियमों को शिथिल कर सकता है तो यह जो नियम 184 है, वह प्रस्ताव कब सदन में लाये और कब सदन ने शिथिल किया तथा कब आपने स्वीकार किया ? यह 184 जिन्दा है कि शिथिल किया हुआ है ? आप इसके विपरीत नहीं जा सकते हैं ।

जब प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ तो यह नियम शिथिल नहीं हुआ तो सदन की कार्यवाही नियमों के विपरीत नहीं चल सकती है। (व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

17 तारीख का प्रस्ताव इसमें सम्मिलित है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, नियमों का कहीं पर जरा सा भी उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल जी, माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय सतीश शर्मा जी द्वारा दी गई सूचना पर सदन के नेता विपक्ष एवं माननीय सदस्यों तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। इस विषय पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में समय-समय पर चर्चा हुई है और समय-समय पर सदन में कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है। दिनांक 17 जुलाई को जो संसदीय कार्यमंत्री जी ने कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में जो प्रस्ताव रखा था जिसे सदन ने स्वीकार किया था उसमें था कि दिनांक 24 जुलाई गुरुवार को वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा होगी। इसके बाद दुबारा संस्तुति आई, यही संस्तुति थी सदन ने उसे भी स्वीकार कर लिया। फिर कल भी एक संस्तुति आई सदन ने उसे भी स्वीकार कर लिया।

नियम 187 में "कम से कम 2 दिन बाद" का उल्लेख है लेकिन यदि सदन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि 24 तारीख को चर्चा होगी तो मैं समझता हूं कि उस पर अधिक विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि सारा सदन अपने स्वयं के निर्णय को स्वीकार कर लेगा और आज चर्चा, जब वह कार्य सूची के अनुसार आयेगी, तो प्रारम्भ होगी। जब तीन बार समिति की सिफारिशें सदन के माध्यम से स्वीकार कर लीं गयी तो यदि कोई इसमें तकनीकी कारण है और औपचारिक प्रस्ताव नहीं हो तो भी यह माना जायेगा कि सदन इस पर सहमत है।

परन्तु जहां तक माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने नियम 187 की व्याख्या की है, मैं उस व्याख्या से सहमत नहीं हूं। यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट के आधार पर यदि इस नियम की व्याख्या करेंगे तो "कम से कम 2 दिन" का अर्थ यह हुआ कि जिस दिन वह कार्य सम्पादित हुआ है अर्थात् जिस दिन बजट प्रस्तुत किया है, वह दिन दिनों की गणना में छोड़ दिया जायेगा। यह बहुत स्पष्ट प्राविधान है। लेकिन चूंकि यह माननीय सदन अपनी ही भावनाओं का स्वयं आदर करता है इसी आधार पर मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का अन्तिम उत्तर समय से प्राप्त न होने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना श्री सीताराम निषाद जी की है।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, आज यह सदन नियमों के पालन पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा है । मेरा यह औचित्य का प्रश्न भी इस विधान सभा की नियमावली और उस नियमावली का पालन के लिये माननीय अध्यक्ष पीठ से जो निदेश जारी किये गये हैं, उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में है ।

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल जी वर्मा पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, इस तेरहवीं विधान सभा का प्रथम सत्र जो 21 अप्रैल से 25 अप्रैल, 1997 तक चला था उसमें विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम–301 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों ने जो सूचनाएं उपलब्ध करायी थीं, उसको माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया था । वह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं थीं उस पर सरकार को कार्यवाही के लिए माननीय अध्यक्ष पीठ से निर्देश दिया गया था लेकिन इस सरकार ने तीन महीने बीत जाने के बाद भी जो निर्देश दिया गया था उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है । इससे साफ जाहिर होता है कि यह सरकार इस सदन में जो निर्णय, जो निर्देश हैं, माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये जाते हैं, उसका भी अनुपालन करने के लिए तैयार नहीं है । यह सरकार की अक्षमता, उदासीनता और लापरवाही का सबसे बड़ा प्रमाण है ।

मान्यवर, पिछले सत्र में 125 की संख्या में नियम–301 की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं और उन सूचनाओं पर सरकार को कार्यवाही करने के आदेश दिये थे । मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश हैं उसके 14(1) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस अध्याय के अधीन सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं का अन्तिम उत्तर मंत्री के हस्ताक्षर से एक माह के भीतर संबंधित सदस्य को भेजा जायेगा । मान्यवर, 14(2) में यह लिखा है कि मंत्री द्वारा संबंधित सदस्य को दिये गये ऐसे प्रत्येक उत्तर की प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजी जायेगी और 14(3) में यह है कि प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा कार्यवाही का विवरण हो ।

मान्यवर, पिछले सत्र की जो 301 की सूचनाओं के संबंध में कृत कार्यवाही का जो विवरण माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने 14(3) के अन्तर्गत सदन के पटल पर प्रस्तुत किया था जो सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त हुआ है उसको देखने से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी सूचना पर सरकार ने कोई कार्यवाही पूरी नहीं करायी है और कृत कार्यवाही की सूचना पर अपर्याप्त अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ, इसी तरह से केवल एक सूचना को छोड़कर जो 16 नम्बर हैं बाकी 124 सूचनाओं में कोई कार्यवाही कराकर माननीय सदस्य को नहीं दी है । यह सभी सम्मानित सदस्यों के अधिकार का प्रश्न है । हम आपकी पीठ से संरक्षण चाहते हैं । माननीय सदस्यों ने बड़े ही महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर इस माननीय सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया और वह उस पर कार्यवाही की अपेक्षा भी करते हैं ... और माननीय अध्यक्ष नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाओं को स्वीकार करते हैं और सरकार को आदेश देते हैं । तीन महीने-बीत गये हैं, कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि एक महीने के अन्दर सम्बन्धित विभाग के मंत्री के हस्ताक्षर से माननीय सदस्य को कृत कार्यवाही की सूचना दी जानी चाहिये ।

मान्यवर, जो नियम 14(3) है, उसके अन्तर्गत जो विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसमें यह विवरण होगा कि क्या कार्यवाही की गयी है ? मान्यवर, यह सम्मानित सदस्यों के अधिकारों का हनन हुआ है और माननीय सदन की अवमानना हुई है । मान्यवर, एक और निवेदन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करना चाहूंगा कि आप इस सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि तीन महीने बीत गये, तो माननीय सदस्यों को सूचना क्यों नहीं दी गयी है ? सरकार तुरन्त कार्यवाही कराकर और जो सत्र चल रहा है, उसके रहते ही कृत कार्यवाही से सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराया जाये ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने नियम 301 की सूचनाओं के सम्बन्ध में सरकार की उदासीनता पर अपने विचार व्यक्त किये हैं । सरकार की उदासीनता के बारे में प्रश्न उठाया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार कितनी लापरवाह है और कितनी उदासीन है कि नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर नहीं देती है । मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदस्य प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को उठाते हैं और जो सूचनायें स्वीकार की जाती हैं, उनके बारे में यह व्यवस्था है कि 30 दिन के अन्दर सरकार उत्तर दे और 60 दिन के अन्दर उसको निस्तारित करेगी ।

मान्यवर, आज 90 दिन के बाद हम सब यहां पर एकत्र हुये हैं । 125 सूचनाओं में 124 सूचनाओं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की चलती नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री जी सारे विभागों की मलिका हैं, उनसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह नहीं सकते हैं, यह इनकी मजबूरी है । जब कोई प्रश्न यहां पर उठाया जाता है, तो इस उद्देश्य से उठाया जाता है कि कार्यवाही हो, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इन सूचनाओं पर कोई कार्यवाही नहीं होती है । मान्यवर, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नियम 301 की सूचनाओं के बारे में सरकार ने अनदेखी की हो और लापरवाही बरती हो । मान्यवर, आप की पीठ से सरकार को स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, नहीं तो जो सूचनायें हैं, वह रद्दी की टोकरी में चली जायेगी और जो सूचना यहां पर दी जाती है, उसका कोई महत्व नहीं रह जायेगा । मान्यवर, यह सदन की गरिमा का प्रश्न है । अगर सरकार आप के निर्देशों की अवहेलना करती है, तो उसे आप निर्देश दें । मान्यवर, मैं इस पर आपकी सुनिश्चित व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जिस नियम 301 के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि अधिकतर सूचनाओं की बावत कार्यवाही की गयी है और माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया गया है । यह सही है कि एक महीने के अन्दर माननीय सदस्यों को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाना चाहिये । मेरे पास 1989 और हर सत्र का आंकड़ा है, लेकिन विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार संवेदनशील है और इस बात के लिये तत्पर रही है.... जो भी माननीय सदस्य सूचना सरकार के संज्ञान में .... (शोर होने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय निषाद जी शांत रहें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

नियम 301 के माध्यम से जो भी जानकारी लाई गई उन पर तत्परता से कार्यवाही कराई और उसकी सूचना भी दी गई है । थोड़ी बहुत बाकी रह गई है उस पर तत्परता से कार्यवाही कराकर अवगत करा दिया जाएगा । मान्यवर, यह नियम 300 या संविधान के किसी अनुच्छेद या सदन की नियमावली की कार्यवाही को अवरूद्ध नहीं करता है । कृपया इसको अग्राह्य करें ।

श्री अधिष्ठाता–

दिनांक 23-7-97 को निर्देश संख्या–14 (3) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखी गई 301 की सूचनाओं के उत्तर के विवरण से स्पष्ट है कि उक्त सूचनाओं का समय से उत्तर नहीं दिया गया है । मैं

माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि वे कृपया इस बारे में सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश जारी कर दें। औचित्य का प्रश्न निरस्त किया गया।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–36 का सुस्पष्ट एवं सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राम औतार शाक्य–

मैंने नियम–300 के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट किया है। माननीय अधिष्ठाता जी आप इस बात से सहमत होंगे कि विधान सभा के अंदर जो माननीय सदस्य चुनकर आते हैं उनके अधिकारों में बराबर कटौती की जाती रही है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री या मंत्री लोग या मुख्य मंत्री इस तरह से प्रश्नों का जवाब देंगे। प्रायः यह देखा जा रहा है कि जो प्रश्न होते हैं चाहे वह तारांकित हों चाहे अल्पसूचित हों या अतारांकित हों उनका जवाब तोड़-मरोड़ कर दिया जा रहा है। माननीय सदस्यों का सबसे बड़ा अधिकार प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का होता है। मैं आपका ध्यान माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या–36 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें मुख्य मंत्री जी से प्रश्न के भाग 2 में मैंने पूछा है जनपद मैनपुरी में माह नवम्बर, 1996 से अब तक कितने लाइसेन्स किन-किन व्यक्तियों को स्वीकृत हुए ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि जनपद मैनपुरी में माह नवम्बर, 1996 से मई, 1997 तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 230 आग्नेयास्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत लाइसेंसों की सूची माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के कार्यालय में उपलब्ध हैं, जिसे किसी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

मान्यवर, एक तो मैंने सूचना मांगी थी कि अब तक कितने लाईसेंस दिए गये। उस हिसाब से भी जुलाई तक की सूचना आनी चाहिए वह भी पूर्ण नहीं दी गई। दूसरा जो संसदीय कार्य मंत्री के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है इस संबंध में अधिष्ठाता जी आपकी पीठ से संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जब कल मैं उनके कार्यालय गया तो मेरे प्रश्न का कोई नोटिस नहीं लिया गया। इसकी शिकायत मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से भी की है। हमें और बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं जिन्हें माननीय संसदीय कार्य मंत्री या अन्य मंत्रीगण के कार्यालय अपने उत्तर पाने के लिए जाना पड़ता है। जो प्रश्नों के उत्तर में निर्देश दिया जाता है उनका पालन नहीं होता मैं सुनिश्चित व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो उत्तर दिया जाता है उसकी सूचना हमें सदन में मिले। सबसे बड़ा अधिकार हमें सदन में सूचना प्राप्त करने का होता है। अपना सम्मान गिराकर किसी मंत्री का दरवाजा खटकायें और उनके कार्यालय जायें इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल की घटना मैंने बताई मैं अध्यक्ष जी और अपने साथियों के परामर्श से वहां गया मुझे कोई सूची नहीं दी गई है। इसकी शिकायत मैंने अध्यक्ष जी से की है।

एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें सदन के माननीय सदस्यों की गरिमा रहे और भविष्य में गलत प्रक्रिया न पड़े। आज जो सदन में निर्णय हो रहे हैं, अध्यक्ष पीठ से जो विनिश्चय किये जा रहे हैं वह कल का इतिहास होंगे। पालीटिकल साइंस के जो स्टूडेंटस होंगे उन निर्णयों का अध्ययन करके पी०एच०डी० और डी०लिट० लेंगे और रिसर्च करेंगे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है। मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, जिस अतारांकित प्रश्न का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है और जिन बिंदुओं की ओ माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था उसकी बावत सुस्पष्ट उत्तर दिया गया है । जिन व्यक्तियों को 1996 से लेकर अब तक लाइसेंस दिये गये हैं उनकी फेहरिस्त लंबी थी इसलिये उनकी संख्या बता दी गयी थी अगर सभी व्यक्तियों की पूरी सूची दी जाती तो एक मोटी सूचना हो जाती । माननीय सदस्य ने में कार्यालय में जाने की बात कही तो किसी मंत्री का कार्यालय उसका अपना निजी कार्यालय नहीं होता है उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री किसी एक व्यक्ति का मंत्री नहीं होता है वह प्रदेश के 15 करोड़ इंसानों का, पूरे उत्तर प्रदेश का मंत्री होता है । इसलिये माननीय सदस्य को एतराज नहीं होना चाहिये एक लंबी सूची थी इसलिये उत्तर में कहा गया था कि संसदीय कार्य मंत्री के कार्यालय में उपलब्ध है, माननीय सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हैं । माननीय सदस्य कल मेरे कार्यालय में गये, मैं उनको एश्योर करना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने अगर एक बार भी मुझे बता दिया होता तों सूचना मेरे कार्यालय में रखी हुयी थी मैं उसको निश्चित तौर से माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा देता ।

आज भी मेरे पास वह सूची है माननीय सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हैं । समय बता दें, मैं माननीय सदस्य को कार्यालय में उसको दिखा सकता हूं । जहां तक इसके नियम 300 के अन्तर्गत आने का प्रश्न है यह किसी तरह से संविधान के किसी अनुच्छेद या नियमावली के ऐसे नियम जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है उसके निर्वचन या प्रवर्तन से संबंधित नहीं है । इसलिये किसी तरह से यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री राम औतार शाक्य–

आपने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किसी एक व्यक्ति के लिये नहीं बने हैं । मान्यवर, जब कोई प्रश्न सदन में आता है और कार्यवाही में छपता है तो वह प्रदेश की 19 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है वह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं होता है । जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि मेरे पास सूची है तो उसमें दिक्कत क्या है, वह मुझे फोटो कापी कराकर दें दे, यहां पर दे दें ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने और माननीय शाक्य जी को सुनने के बाद, यह विषय औचित्य का नहीं बनता है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करुंगा कि इस सूची को माननीय अध्यक्ष के कार्यालय में दे दें, वह दिखा दें माननीय सदस्य को ।

| समय 3 बजकर 5 मिनट |

श्रीमती विजमा यादव स० वि० सभा द्वारा अपने पति की हत्या के समय के कपड़े थाने से गायब हो जाने की सूचना तथा अपनी सुरक्षा किये जाने की मांग

श्रीमती विजमा यादव–

मान्यवर, मेरे पति की 13 अगस्त को मर्डर हो गया था । उस मर्डर में उनके जो कपड़े थाना सिविल लाइन्स में सील हुए थे । वह कपड़े कुर्ता पजामा बनियान सब थाने से लापता हो गया है । मेरे पति वह सी०ओ०, इन्स्पेक्टर को बार-बार एप्लीकेशन देते थे कि मेरी जान को खतरा है । वहां के थाने के अधिकारी लाल जी शुक्ला दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे पति की हत्या करवाये हैं वह आज भी वहां मौजूद हैं । सी०आई०डी० इन्स्पेक्टर जब उन कपड़ों की मांग करते हैं थाने से कहा जाता है कि कपड़ों में दीमक लग गई है । मान्यवर, 10–10 साल तक दीमक नहीं लगती है । दस महीनों में कपड़ों में ऐसी दीमक लग गई कि कुछ भी नहीं बचा ।

दीवान और दरोगा छोटे अधिकारी तो वही कहेंगे जो उनसे बड़े अधिकारी सी०ओ० और इन्स्पेक्टर कहलवायेंगें । मान्यवर, मैं पूछना चाहती हूं कि वह कपड़े कहां चले गये ? ऐसी कैसी दीमक लग गई कि कुछ नहीं बचा । कुछ तो सबूत हो । मान्यवर, हमारी भी हत्या हो सकती है । मुल्जिम खुलेआम घूमते हैं। 15–20 असलहा लेकर हमारे घर के सामने घूमते हैं । हमें अपने क्षेत्र में जाना होता है

कार्यालय जाना होता है । किसी दिन हमारी भी हत्या हो जायेगी । मैं कहना चाहती हूं कि एक महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझती हैं तो ऐसे मुख्य मंत्री होने से क्या फायदा ?

श्री अधिष्ठाता–

जोखू लाल जी यह माननीय सदस्य का व्यक्तिगत मसला था । उस पर आप क्या कहना चाहते हैं ?

* श्री जोखू लाल यादव–

मान्यवर, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है । सारे सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जवाहर पंडित हमारे भूतपूर्व सदस्य थे उन्होंने अपने जीवन काल में जब वे जिन्दा थे संबंधित अधिकारियों गृह सचिव को भी लिख कर दिया था कि मेरी हत्या कर दी जायेगी ।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि शासन ने ध्यान नहीं दिया और 13 अगस्त को उनकी हत्या हो गई । हत्या के बाद खून से सने हुए कपड़े सील कर दिए गए । मान्यवर, वह खून से सने कपड़े थाने से गायब हो गए हैं । आज उनकी पत्नी इस सदन की सदस्या हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे कांस्टेबिल और एस०एन०आर०, उनको हटाकर रायफल वाले सिपाही को लगा दिया गया । सदन के सदस्यों के साथ इस तरह की घटनायें हो रही हैं यह सदन और सरकार चिन्तित नहीं है अगर यह सरकार संवेदनशील नहीं है तो कैसे सुरक्षा होगी माननीय सदस्यों की ? मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों की सुरक्षा की मांग करता हूं । जिन लोगों का हत्या में हाथ था सिविल लाइन थाना में जो अधिकारी हैं जो अधिकारी उनकी हत्या में लिप्त थे वह उसी जिले में तैनात हैं । ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए जिनका कपड़ा गायब करने में हाथ है । यह मैं आपसे मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पारसनाथ जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

* श्री पारसनाथ यादव–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

पारसनाथ जी नेता विरोधी दल का भाषण होना है समय का ध्यान रखें ।

श्री पारसनाथ यादव–

एक मिनट का समय दे दें ।

श्री पारसनाथ यादव–

मान्यवर, तीन दिन पूर्व मैंने अपने बारे में कुछ बातें कहीं थी । पंडित जवाहर जी मेरे मित्र थे जब वह जिन्दा थे तो कई बार हमने साथ मिलकर उनकी सुरक्षा के बारे में ऊपर के अधिकारियों से नेताओं से और राज्यपाल महोदय से मिलकर कहा था कि पंडित जी की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए लेकिन अधिष्ठाता महोदय कोई व्यवस्था नहीं हुई और सरेआम शहर में जिस तरह से हत्या हुई वह सनसनी वारदात है लेकिन हत्या के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था उनके परिवार को मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली । मैं संसदीय कार्य मंत्री से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सदन के सदस्यों की सुरक्षा कैसे होगी ?

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपके नेता खड़े हैं ।

श्री पारसनाथ यादव–

सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सुरक्षा से संबंधित प्रकरण है । यह प्रकरण विधायिका विजमा जी ने उठाया है यह मामला बहुत गम्भीर और संवेदनशील है । मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से और इस सरकार से आग्रह करुंगा । यह एक विधान सभा के सदस्य की सुरक्षा का प्रश्न है और उनकी जान को खतरा है जो अधिकारी चाहे वह सी०ओ० हों, चाहें इन्स्पेक्टर, जिस समय हत्या हुई जवाहर पंडित जी की उस समय मौजूद थे और कपड़ा गायब हुआ था उन से, यह बड़ी गम्भीर बात है । ... तो किसी समय इनकी हत्या भी हो सकती है । इसलिए उनको हटाया जाए और जो अपराधी घूम रहे हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए अन्यथा कभी भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है । यही हमारा आग्रह है ।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

जहां तक नियम 300 के अन्तर्गत इस नोटिस का सवाल है उसमें यह सूचना नहीं आती है ।

श्री धनीराम वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, आपने सुश्री विजमा जी को किस नियम के तहत सुना है ?

श्री अधिष्ठाता–

इन्होंने नियम 311 के अन्तर्गत अपनी सूचना दी थी जिसे माननीय अध्यक्ष ने नियम 56 में परिवर्तित कर दिया था चूंकि इनकी सुरक्षा से संबंधित मामला था इसलिए माननीय अध्यक्ष ने इसको पहले ले लिया था ।

श्री धनीराम वर्मा–

आपने इसे किस नियम के तहत टेक अप किया है । पहले कार्यवाही निकलवा ली जाए कार्यवाही निकलवाकर अध्यक्ष जी ने जो नियम 311 को नियम 56 में परिवर्तित किया है उसको देखा जाए उसके बाद आगे की कार्यवाही हो ।

श्री अधिष्ठाता–

इन्होंने अपनी नोटिस को नियम 311 के अन्तर्गत दिया था । माननीय अध्यक्ष जी ने उसे नियम 56 में कनवर्ट कर दिया चूंकि अभी नियम 56 की मद आई नहीं है इनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला था इसलिए अध्यक्ष जी ने इनको प्राथमिकता के आधार पर सुन लिया ।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा कि नियम 300 के अन्तर्गत इन्होंने अपनी बात कही, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इस समय आप नियम 300 की नोटिस ले रहे हैं । सम्भवतः और भी सूचनाएं शेष हैं इसलिए इस पर अन्य माननीय सदस्यों को भी सुना जाएगा । जहां तक अधिकार की बात है किसी भी नोटिस को किसी भी नियम में परिवर्तित कर सकते हैं यह अधिकार आपको है । प्रश्न की गम्भीरता को देखकर आप उसे किसी भी समय सुन सकते हैं । इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है । यह आपका विवेक है उसे गम्भीरता से आपने लिया भी है । सुश्री विजमा जी की जो व्यथा है उस पर हमारी संवेदना है पता नहीं कौन सा शब्द आप सुनना चाहते हैं जिससे आप संतुष्ट हो जाएं । इनके स्व० पति के साथ मुझे भी रहने का मौका मिला है । मैं भी इसी सदन में उनके साथ जुड़ा रह चुका हूं । इनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है हमारी पूरी संवेदना इनके साथ जुड़ी हुई है इनके पति की हत्या हुई है । इनकी सुरक्षा का मामला है इसलिए इनकी सुरक्षा के प्रश्न को हम गम्भीरता से ले रहे हैं । जो कपड़ों की बात आई है उसको हम दिखवा लेंगे । अगर इस सम्बन्ध में नियम विरुद्ध किसी ने कोई कार्य किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी ।

(श्री बाबूराम यादव के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाबू राम यादव जी संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आने दीजिये, संसदीय कार्य मंत्री जी के जवाब के बाद भी अगर कुछ बात रह जाती है तो कहें ।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं [× × ×] मान्यवर, बहुत ही संगीन मामला है जो कपड़े शील्ड हुए वह सरकार की सम्पत्ति हो गयी उसके बाद भी कपड़ा गायब हो गया ।

श्री अधिष्ठाता–

पीठ पर आप आरोप न लगाइये । आप तो नियमावली जानते हैं । संसदीय कार्य मंत्री ही नहीं जितने भी माननीय सदस्य हैं मैं उन सबका हितैषी हूं यह पीठ सर्वोपरि है इसलिये जो आपका आरोप है वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है । सील्ड कपड़ा भी गायब हो गया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे सूचना नहीं है, जो नोटिस दी गयी है उसमें लिखा हुआ है और एक घण्टे में सारी सूचना एकत्र की जा सकती है । मान्यवर, इसको हल्के तौर पर नहीं लेना चाहिए । यदि इसी तरह का रवैया रहा तो मान्यवर, चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों उनके जीवन की सुरक्षा नहीं रहेगी । जानबूझकर यह सरकार हर प्रकरण की अवहेलना कर रही है । आप पीठ से निर्देश दें कि जो कपड़े गायब हुए हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाये और माननीय सदस्या की सुरक्षा व्यवस्था की जाये ।

(श्री अवधेश प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अवधेश प्रसाद जी, सारे बिन्दु आ गये हैं, अब आप बैठ जायें ।

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है । यह कपड़ा गायब होने का प्रश्न नहीं है यह सबूत गायब करने का प्रश्न है । इस मामले में एक भूतपूर्व माननीय सदस्य जो कि इस आदरणीय सदन के सदस्य थे उनकी हत्या हुई है, 302 के मामले में आजीवन कारावास हुआ है । कपड़ा गायब कर दिया है या सबूत गायब कर दिया है यह चिन्ता का विषय नहीं है । चिन्ता का विषय है गायब करने वाले उसी थाने में हैं । सरकार की मंशा अस्पष्ट है, सरकार कटघरे में है । माननीय अधिष्ठाता जी, जिसने सबूत गायब किया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये, निलम्बित किया जाय और उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जो आरोप सरकार पर लगाये गये हैं, उसका मैं घोर प्रतिवाद करता हूं । जहां तक माननीय सदस्य भी भिज्ञ होंगे, जांच कर देने के बाद, चार्ज शीट दाखिल कर देने के बाद यह न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है और यदि न्यायालय में है तो न्यायालय के आदेश से ही कार्यवाही की जा सकती है । इसलिये

नोट –[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैंने कहा था कि यदि कहीं नियम बाधक नहीं हुआ तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो बात कही गयी है, सबूत गायब किया गया है, छिपाया गया है, नष्ट कर दिया गया है या हटा दिया गया है। जो कुछ भी बातें हैं, इसके लिये जांच कराने की जरूरत होगी, पता करने की जरूरत होगी। इसकी जांच कराकर, पूरे तथ्यों के बारे में नियमों का परीक्षण करके, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ यदि न्यायालय बाधक नहीं होगा, तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब कोई स्पष्टीकरण नहीं। काफी समय हो चुका है। मैं शासन को निर्देश देता हूं कि वह माननीय सदस्या की सुरक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही करे तथा जो बातें आयी हैं, इसकी जांच कराकर सरकार कार्यवाही करे। शेष जो सूचनायें नियम 3(X) की हैं, वह निरस्त की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1997, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्रीमती विजमा यादव स० वि० सभा द्वारा अपने पति की हत्या के समय के कपड़े गायब होने की सूचना तथा अपनी सुरक्षा किये जाने की मांग (क्रमागत)

(इस पर समाजवादी पार्टी के श्री पारसनाथ यादव, श्रीमती विजमा यादव, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री धर्मज्ञ मिश्र, डा० अशोक बाजपेयी सहित कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी सीटों पर जायें और जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह अपने स्थान से कहें।

* श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, जैसा कि माननीय सदस्या ने अपने पति की हत्या और अपनी हत्या कराने के बारे में चिन्ता जताई है, पूरा सदन उससे चिन्तित है। जो अधिकारी वहां हत्या के समय मौजूद थे, वह आज भी एक साजिश के तहत तैनात हैं, जिससे माननीय सदस्या की भी हत्या करा दी जाय। इसलिये मैं सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहना चाहूंगा कि अगर सरकार ऐसे अधिकारियों को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हटाती है तो सरकार भी हत्या में शामिल है और सरकार माननीय सदस्या की भी हत्या कराना चाहती है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पीठ से यह निर्देश आना चाहिए चूंकि इस मामले की सी० आई० डी० द्वारा जांच चल रही है, इसलिये जांच में बाधा न उत्पन्न हो, इसलिये जो अधिकारी उस समय तैनात थे, उनको तत्काल वहां से हटाया जाय और माननीय सदस्या की सुरक्षा की पूरी की पूरी व्यवस्था की जाय, यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)--

मान्यवर, कोई आरोप लगाया जायेगा तो उसके लिये पहले से एक व्यवस्था है । कोई भी आरोप लगाने से पहले आपकी पीठ को लिखकर दिया जायेगा, उसके बाद ही कोई व्यक्ति आरोप लगा सकता है । जो आरोप यहां माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये हैं, वह बेबुनियाद है, मैं उनका घोर प्रतिवाद करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इस मामले में सरकार को निर्देश दे दिया सरकार इस पर जांच कराकर कार्यवाही करे । साथ ही माननीय सदस्या की सुरक्षा की व्यवस्था करे । उसके बाद मैंने मद संख्या–3 पुकार ली, जिसे सचिव, विधान सभा ने सदन के पटल पर रख भी दिया, अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

* श्री ओम प्रकाश–

स्व० जवाहर की हत्या का आरोप वहां के अधिकारियों पर लगा है, इसलिये विधायक श्रीमती विजमा यादव के खिलाफ साजिश कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि उन अधिकारियों को वहां से दूसरी जगह स्थानान्तरित किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी । उनकी सुरक्षा के लिये अलग से कहा है ।

अब मैंने तीसरी मद पुकार लिया है । (व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, मेरी मांग है कि जिन अधिकारियों के सामने जवाहर जी की हत्या हुई जिसकी जांच चल रही है । कपड़े कैसे गायब हुए इसकी जांच करायें ? जिन अधिकारियों के सामने हत्या हुई उनको वहां से हटाया जाये और विधायक जी की सुरक्षा की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने पहले ही इस संबंध में व्यवस्था दे दिया है कि इनकी सुरक्षा की जाये । (व्यवधान) आप लोग शांत रहें । मैंने मद संख्या 3 को ले लिया है । इसलिये अब कोई बात आपकी नहीं सुनी जायेगी ।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य सदन के वेल में आ गये और जोर-जोर से नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पारसनाथ यादव–

(वेल से) मान्यवर, यह एक माननीय सदस्या की सुरक्षा की बात है ।

(वेल में आये हुए कुछ सदस्य रिपोर्टर्स टेबिल पर चढ़कर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायें ।

मैं सदन की कार्यवाही को 4 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री अधिष्ठाता ने 3 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 4 बजे अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

[समय 4 बजे]

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, हम लोगों की जो सूचना थी.....

श्री अधिष्ठाता–

जो विषय आप कार्य स्थगन के रूप में उठा रहे हैं वह मद संख्या 15 के बाद आती है, जो अभी कार्यवाही अवशेष है उसे चलने दें । जब कार्य स्थगन आयेगा तो उस स्थिति में फिर से आपको मौका मिलेगा । ऐसी बहुत सी स्थितियां आती हैं जिनमें संवेदनशीलता के आधार पर कुछ बातें होती हैं आपस में, उनको ध्यान में रखकर बात आती है । कार्यवाही चलने दें, 15 के बाद मद 16 पर कार्य स्थगन आयेगा ।

अब मद संख्या 6 लेता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 23 जुलाई, 1997 में सदन के दिनांक 24 जुलाई, 1997 से दिनांक 12 अगस्त, 1997 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में लिये जाने की सिफारिश की है :––

जुलाई, 1997

---

24 गुरुवार

(1) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण–

(क) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 (आधा घण्टा)

(ख) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 (आधा घण्टा)

(2) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

25 शुक्रवार

(1) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण–

(क) उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 (आधा घण्टा)

(ख) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1997 (आधा घण्टा)

(2) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

26 शनिवार

27 रविवार

बैठक नहीं होगी ।

28 सोमवार

29 मंगलवार

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।

30 बुधवार

31 गुरुवार

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

अगस्त, 1997

---

1 शुक्रवार

(1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

2 शनिवार

(1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक कीं अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) नियम 103 के अन्तर्गत श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा :—

"इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खोले गये पर्सनल लेजर एकाउन्ट के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाय और उसमें जमा धनराशि का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु किया जाय ।"

(3) प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने तथा गन्ने की पेराई की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा–दो घण्टा ।

(4) 5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
4 सोमवार 5 मंगलवार 6 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
7 गुरुवार 8 शुक्रवार 9 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
11 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
12 मंगलवा	(1) वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (4.00 बजे अपराह्न तक) (2) 4.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1997 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना जो आज माननीय अधिष्ठाता ने दी है, से यह सदन सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 †

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

† दिनांक 27-8-97 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश रुड़की विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 *

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 **

आवास एवं नगर विकास राज्य मंत्री (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

* दिनांक 29-8-97 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

** दिनांक 26-8-97 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित की गयी सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 24-7-97 को नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है । इस प्रकार नियम–56 में कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं । इनमें से प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

नियम 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

कार्य स्थगन में सूचनायें जो हैं, उनमें पहली सूचना श्री धनीराम वर्मा व अन्य की है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपने कहा था कि कार्य-स्थगन जब आयेगा, तो माननीय सदस्या विजमा यादव के मामले पर सुन लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले कार्य स्थगन हो जाये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपने ही तो व्यवस्था दी थी कि जब कार्य स्थगन आयेगा तो उनको सुन लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप तो स्वयं संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं । बातचीत के अन्तर्गत माननीय सदस्या की भावनाओं को पूरी तरह से सुना गया था और उनके साथ ही साथ नेता विरोधी दल को भी सुना गया था और व्यवस्था दी जा चुकी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

संसदीय कार्य मंत्री जी सूचित कर दें कि क्या व्यवस्था की गयी है और माननीय सदस्या को बता दें, क्या व्यवस्था की गयी है ?

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (बी० आर० वर्मा)–

जो व्यवस्था आपकी होगी, सरकार को वह शिरोधार्य होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

उन्होंने कह दिया है कि हम सुरक्षा व्यवस्था के लिये पूरी तरह से व्यवस्था करेंगे और जो मामला माननीय सदस्या ने उठाया है उसकी जांच करेंगे और जो भी जांच में दोषी पाया जायेगा, उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी । मैंने अब इसको समाप्त कर दिया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कोई व्यवस्था तो दी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्या की भावना और पीड़ा से वह अवगत हैं और सभी को चिन्ता है कि माननीय सदस्या की पूरी सुरक्षा हो, यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है । उसके बाद आप क्या व्यवस्था चाहते हैं ।

अब हम पहली सूचना को लेते हैं । पहली सूचना श्री धनीराम वर्मा, डा० अशोक बाजपेयी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री ओम प्रकाश और श्री राम तेज यादव एडवोकेट की है । इसी विषय पर श्री बाबू लाल की सूचना है, जिसे इस सूचना के साथ जोड़ दिया गया है । यह सूचना आगरा महानगर के मन्टोला मोहल्ला अन्तर्गत दो समुदायों के बीच हुई साम्प्रदायिक घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री विनय कुमार पाण्डेय की राजकीय अस्पताल बलरामपुर में व्याप्त भीषण दुर्व्यवस्था एवं अनियमितता तथा कालरा के प्रकोप के कारण जन सामान्य को हो रही असुविधाओं के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री मित्रसेन यादव और श्री सीताराम निषाद की श्री नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में हुई गोलीकाण्ड की घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसी में 3-क श्री रामतेज यादव एडवोकेट की सूचना भी सम्बद्ध की गयी है ।

चौथी श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान, श्री रामसिंह सैनी, श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री संजय सिंह, श्री गौरीशंकर एडवोकेट, श्री ओम प्रकाश, श्री रामतेज यादव एडवोकेट और श्री अम्बिका चौधरी की दिनांक 25 जून, 1997 को घण्टाघर, सहारनपुर में शान्तिपूर्ण ढंग से धरना दे रही महिलाओं तथा अन्य समर्थन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा किये गये बर्बर लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

5वीं सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की देवरिया जनपद के अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी से हो रहे कटान से उत्पन्न खतरे के संबंध में है ।

6वीं सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले गेहूं, चावल की मात्रा कम किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

7वीं सूचना श्री स्वामी ओइमूवेश की प्रदेश में कृत्रिम दूध की बिक्री से जन स्वास्थ्य को हो रही हानियों के संबंध में है ।

8वीं सूचना श्री विनोदमणि, श्री रामजग और श्री राम कृपाल की पूर्वांचल की विकास निधि के धन को माननीय विधायकों की अनदेखी कर अम्बेडकर ग्रामों के विकास के नाम पर व्यय किये जाने के संबंध में है । इसी से सम्बन्धित नियम–311 में श्री अमरमणि, श्री प्रमोद कुमार, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की सूचना है जिसे इसी में सम्बद्ध कर दिया गया है ।

9वीं सूचना श्री पारसनाथ यादव, श्री अफजाल अहमद की जनपद जौनपुर में दीवार गिर जाने से साजिदा गर्ल्स इण्टर कालेज की तीन छात्राओं की मृत्यु हो जाने के संबंध में है ।

10वीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह की वाराणसी महानगर में सीवर व्यवस्था ध्वस्त होने से फैल रही हैजे की बीमारी के संबंध में है ।

शेष जो शलाका में नहीं आई अस्वीकार किया गया है ।

डा० अशोक बजपेयी–

अधिष्ठाता महोदय, जबसे भा०ज०पा० और बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तबसे पूरा उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिक दंगों की आग में जल रहा है । एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हो रही हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आज से कुछ दिन पहले आगरा में मन्टोला मोहल्ला में अल्पसंख्यकों की 20 दुकानें जला दी गयीं और तमाम घर तबाह हो गये । अकलियत का जनजीवन अस्त व्यस्त है । मन्टोला मोहल्ले में जहां अल्पसंख्यक अधिक संख्या में रहते हैं वहीं पर उस दलित जाति के लोग भी जिस जाति के माननीय नेता सदन हैं जिन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाजपेयी जी मेरा निवेदन है और भी सूचनाएं हैं उसके बाद नेता विरोधी दल का भाषण होना है इसलिये थोड़ा संक्षेप में कहें तो अच्छा होगा ।

डा० अशोक बाजपेयी–

अधिष्ठाता महोदय, 20 जुलाई को दिन में एक बजे मन्टोला में अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला हुआ उनके घरों को जला दिया गया, एक अल्प संख्यक अध्यापक की हत्या कर दी गई । पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और गोलियां चलाई गयीं । इस घटना की पृष्ठभूमि यह है कि मन्टोला में जहां अल्पसंख्यक अधिक संख्या में रहते हैं वहीं पर उनकी जमीनों में एक जाति विशेष के लोगों ने सरकारी संरक्षण में जमीनों पर कब्जा कर लिया । जहां पर जुआं का अड्डा चल रहा है । यह काम सरकारी संरक्षण में एक वर्ग विशेष के लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं । इस आक्रोश के चलते जब अकलियतों ने अपनी बात उठानी चाही तो उनके ऊपर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किया गया और गोली चलाई गई जिसमें एक अध्यापक मारा गया । कल भी आगरा में लाठीचार्ज हुआ है और गोली काण्ड हुआ है । आज न जाने प्रदेश के कितने हिस्सों में ऐसी घटनायें हो रही हैं । आज पूरे प्रदेश में तनाव व्याप्त है । अगर इस पर तुरन्त कार्यवाही न की गयी तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जायगी ।

आगरा में जिन लोगों के घर जले हैं और सम्पत्ति का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए । आगरा हमारे प्रदेश का वैसे ही एक संवेदनशील जिला है । बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज 20 तारीख से 24 तारीख हो गयी है आज भी अकलियतों के दमन और उत्पीड़न का सरकार काम कर रही है । जो शांति व्यवस्था स्थापित करने का निष्पक्ष भाव होना चाहिए वह आज नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि अभी लखनऊ में 15 दिन कर्फ्यू रहा आज आगरा में कर्फ्यू है ।

यह जो बसपा और भा०ज०पा का साम्प्रदायिक गठबंधन है वह सारे उत्तर प्रदेश के अकलियत, अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार और अन्याय कर रहा है । इससे ज्यादा तात्कालिक और लोक महत्व की समस्या और कोई नहीं होगी । यह केवल आगरा की नहीं बल्कि प्रदेश के जनजीवन से जुड़ी समस्या है । यदि आगरा की लपटों को नहीं रोका गया तो यह पूरे प्रदेश की अपनी चपेट में ले लेंगी । इसलिये इस सुनिश्चित और तात्कालिक विषय पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । ताकि आगरा में शांति कायम हो सके और अल्पसंख्यकों और अकलियत के लोगों को न्याय मिल सके । एक जाति विशेष के लोग मुख्य

मंत्री के संरक्षण में पूरे प्रदेश में तांडव कर रहे हैं इसको रोका जाना चाहिए । जिस जाति का डी० एम० उस जाति का सी० एम, तो यह जो एक जाति विशेष की मनमानी हो रही है उसको रोका जाय । ऐसा न हो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाय । वैसे ही हरिजन एक्ट और तरह-तरह के जुल्म मुख्य मंत्री की सरकार के इशारे पर प्रदेश की जनता ढो रही है । मैं आपसे चाहता हूं कि आप स्पष्ट निर्देश दें ताकि आगरा में शांति कायम हो सके और एक जाति विशेष की मनमानी रोकी जा सके । नियम और कानून सबके लिये समान होने चाहिए इसके ऊपर कोई जाति नहीं होनी चाहिए । मैं चाहता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आज आगरा के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की जा रही है वह सत्य है । आगरा उत्तर प्रदेश का ही नहीं, हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि दुनियां में इसका नाम है । वहां हमारी ऐतिहासिक धरोहर है । आज सरकार को बने 4 महीने हो गये हैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन 4 महीनों में प्रदेश में 18 घटनायें आगरे जैसी हो चुकी हैं जिससे आपसी भाईचारा तोड़ने का काम किया गया है । जातिवादी और साम्प्रदायिक बसपा और भाजपा की सरकार जो सुश्री मायावती के नेतृत्व में काम कर रही है यह गठबंधन अवसरवादी है और नापाक गठबंधन है । आज इस घटना से पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान का माहौल सरकार ऐसा बना रही है जिससे पूरा प्रदेश जल जाय । आज जानबूझकर अल्पसंख्यकों के मन में डर और दहशत बनाने के लिये यह सरकार कृत संकल्प है । आगरे की यह जो घटना है इस पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाय और वहां पर जिनको क्षति पहुंची है उनको हर्जाना दिया जाय । इतनी बड़ी घटना हो गयी लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री या मंत्रिमण्डल का कोई सदस्य वहां पर नहीं गया है । मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आगाह करता हूं कि यह उत्तर प्रदेश किसी एक जाति विरादरी का प्रदेश नहीं है । मान्यवर, यह बीस करोड़ जनता का प्रदेश है और अमन चैन कायम करने के लिये जब तक फौरी तौर से इस सदन में कार्यवाही नहीं की जायेगी यह प्रदेश जल जायेगा । जब यह प्रदेश नहीं रहेगा, प्रदेश की जनता नहीं रहेगी, कानून का राज्य खत्म हो जायेगा। जंगल राज स्थापित हो जायेगा । सारे नियमों का उल्लंघन होगा । तो मान्यवर, इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर चर्चा करवायें ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)

मान्यवर, आगरा की यह अमानवीय घटना इस सरकार के दामन पर एक बदनुमा धब्बा है । जब से यह हुकूमत आयी है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के अन्दर एक भय व्याप्त है और इसका एक उदाहरण साफ दिखाई दे रहा है कि इस चार महीने की सरकार के कार्यकाल में चाहे मैनपुरी हो, आगरा हो या लखनऊ हो यह साम्प्रदायिक शक्तियां फली फूली हैं । सरकार के इस चार महीनों में कोरी समाज के अन्दर आतंक और भय व्याप्त है । भयमुक्त सरकार का नारा देने वाली यह सरकार आज उस कटघरे में खड़ी है जहां लॉ एण्ड आर्डर के नाम पर बड़े-बड़े अधिकारियों को हटाकर उनसे पैसा लेकर अपने जाति और धर्म के लोगों को बैठाकर प्रदेश में नापाक गठबंधन करके नाजी हुकूमत की जा रही है । जिसके नापाक इरादे हैं । आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन नहीं रह गया है, कानून व्यवस्था का राज नहीं रह गया है । इस गम्भीर सवाल पर इस हुकूमत में बैठने वाले लोगों को आदेश दें कि इस पर चर्चा करें । इसके लिये कोई न कोई व्यवस्था हो जिससे कि जनता महसूस करे कि यह हमारा प्रदेश है । यहां कानून व्यवस्था है और हमें चैन से जीने का अधिकार है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी को भी सुन लें । यह आगरा के हैं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरी भी बात सुनी जाय ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, प्रतिपक्ष के लोगों को सुनेंगे । हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कोई भी जो सूचना है उसकी ग्राह्यता और अग्राह्यता पर इस पीठ को किसी को भी सुनने का अधिकार है ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

हमें कोई ऐतराज नहीं है । पर हमको भी सुना जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आगरा से संबंधित होने के कारण मैं उनकी बात सुन रहा हूं । राम तेज जी को भी सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं बहुत सम्मान के साथ माननीय सदन के सदस्यों के सामने इस गम्भीर और संवेदनशील प्रश्न पर आदर सहित अपनी बात रखना चाहता हूं । मान्यवर, जो घटना आगरा में घटी यह घटना दो व्यक्तियों के आपसी झगड़े के कारण घटी, एक व्यक्ति ने गोश्त खरीदा उसी के पीछे यह विवाद हुआ और इसी झगड़े ने साम्प्रदायिक दंगे का रूप ले लिया । यह बहुत ही लज्जाजनक है । हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की घटनायें हों । एक पक्ष को एकदम से ऊपर उठा देना और एक पक्ष को एकदम से नीचे गिरा देना इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिये । इस साम्प्रदायिक घटना के दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये ताकि आगे आने वाले समय में ऐसा न हो । इस मामले की विवेचना इस मामले की जांच होनी चाहिये । वहां के कलेक्टर हरिजन हैं यह कहा जा रहा है वहां का कलेक्टर मिश्रा है । साम्प्रदायिक दंगे को रोकना है ।मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपका वहां पर कर लगाने का विचार है । दण्डात्मक कर लगाने का विचार है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जिस तरह से घटना का रूप दिया जा रहा है वह घटना इस तरह की नहीं है । इसमें कमिश्नर से जांच कराकर कार्यवाही की जाए ।

(शोर)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जुलाई, 1997 की घटना है सारे लोगों की जानकारी में है गई एक वर्ग के लोगों ने मुसलमान भाइयों के घरों पर हमला किया । जिसे पूर्व के वक्ताओं ने इसे आपके समक्ष रखा । जब से यह सरकार आई है सुश्री मायावती के लोग दूसरे के मकानों पर कब्जा कर रहे हैं । तथा उनके लोगों को

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तंग करने और परेशान करने का काम किया जा रहा है। चार महीने में आगरा का मामला तो इतना ज्वलन्त हो गया है कि 20 तारीख से आज तक कर्फ्यू लगा है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आगरा भी फैजाबाद बन सकता है। जमीन पर कब्जे किये जायेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री बाबू लाल–

मान्यवर, हर जगह [\\\] करने का कार्य बसपा के लोग कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपको अनुमति दी गई ? रामतेज जी आप बैठें।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

एक मिनट में बात खत्म कर देंगे यह गम्भीर समस्या है।

श्री अधिष्ठाता–

बाबूलाल जी बैठ जाएं। माननीय सदस्य को समाप्त करने दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। पूरे उत्तर प्रदेश में निर्दोष लोगों पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं आए दिन घटनायें हो रही हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य बैठ जाएं। शान्ति बनाये रखें। रामतेज जी अब आपकी बात आ गई है।

श्री बाबूलाल (आगरा)–

मान्यवर, लोगों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है प्रशासनिक अधिकारी निकम्मे हैं। [\\\] बसपा के नेता और मंत्री करा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठ जाएं। शान्ति बनाये रखें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट : [\\\] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री बाबूलाल–

| x x

(कई सदस्यों के एक साथ खड़ा होकर बोलने पर सदन में घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री बाबूलाल जी जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा । यह मेरी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, यह आगरा का प्रकरण कोई साधारण प्रकरण नहीं है यह एक महत्वपूर्ण घटना है यह लोक महत्व की और अविलम्बनीय भी है यह संवेदनशील इसलिये हैं कि सरकार की ओर से या यूं कहें मुख्यमंत्री की ओर से उसमें शह दी जा रही है । इसलिये एक बार घटना घटित हुई और दुबारा फिर आगे भड़की मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पर सदन में चर्चा करा ली जाए मेरा निवेदन यही है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण हम इस समय नियम 56 की सूचना पर सुन रहे हैं । जो माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य साथियों की तरफ से रखी गई उसकी ग्राह्यता पर सुन रहा हूं जिन माननीय सदस्यों ने इसको रखा उनको सुना इस पर सत्ता पक्ष की ओर से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का जवाब आ जाए जिससे सारी बातें सामने आ जाएं । आप सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि आज अन्य तमाम महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न कराने हैं नेता विरोधी दल जिसको सुनने के लिये पूरा सदन बेचैन है उनको बजट पर आज बोलना भी है इसलिये मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि सदन को सुचारु रूप से चलाने में आप सभी लोग हमारा सहयोग करें । जिससे कि हम नेता विरोधी दल का भी भाषण सुन सकें साथ ही साथ अन्य विधायी कार्य भी समय रहते हुए निस्तारित कराये जा सकें । इसलिये मेरा निवेदन है कि विशेष रूप से सत्ता पक्ष के बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि सदन चलाने में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग शान्ति रहें और आप सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं ।

(श्री केशो मेहरा के अपने स्थान से खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री बी० आर वर्मा–

मान्यवर, 20-7-97 को 1.45 बजे आगरा के मन्टोला मोहल्ले में जैसा बाजपेई जी ने कहा है, यह झगड़ा जमीनों पर कब्जा करने को लेकर के नहीं हुआ है, यह झगड़ा जुआ खेलने को लेकर के, जिसमें कहा सुनी हुई और कहा सुनी ने उग्र रूप धारण कर लिया और मारपीट हो गयी । सरकारी संरक्षण में उ० प्र० के किसी भी आदमी को इजाजत नहीं होगी कि किसी के संरक्षण में या सरकारी संरक्षण में अवैध रूप से कब्जा कर लें । दूसरी सरकारों में भले ही होता रहा हो । किसी भी व्यक्ति का जो जायज हक होगा उससे उसे वंचित नहीं होने देंगे उसके लिये हम कृतसंकल्पित हैं । यह जो घटना हुई उस पर तत्काल कार्यवाही की गयी और वहां पर शान्ति व्यवस्था बनी हुई है । हालांकि शान्ति व्यवस्था के लिये वहां कर्फ्यू लगाया गया था लेकिन 23-7-97 को कर्फ्यू में 9.00 बजे से 6.00 बजे शाम तक ढील दी गयी है और स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जहां तक अल्पसंख्यक समुदाय का सवाल है। सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में यह पहली सरकार है जो हर इन्सान के जान-माल का हिफाजत करना चाहती है। सवाल अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का नहीं है, सवाल यहां न्याय का है और जो लोग भी अन्याय के रास्ते में बाधक बनेंगे जो लोग कानून-व्यवस्था को तोड़ने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को किसी भी हालत में सरकार बख्सने वाली नहीं है। वह दर्द इस बात का नहीं है। शान्ति कायम करने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार उसका निर्वहन कर रही है। इन लोगों का दर्द तो कुछ और है, जो लोग इस देश में, प्रदेश में कुत्तों से भी बदतर समझे जाते थे, वह लोग आज समाज में ऊंचे उठे हैं, आज उसी समाज से एक महिला मुख्यमंत्री बन गई है, दर्द इसी बात का है, आज इस समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं, अभी तक उनको महत्वहीन पदों पर रखा जाता था, उनकी काबिलियत को ध्यान में न रखकर उन्हें किनारे रखा जाता था, आज वह महत्वपूर्ण पदों पर बैठने का मौका पा रहे हैं, आज ऐसे व्यक्तियों को प्रदेश का प्रशासन चलाने का सौभाग्य मिला है। जो उस ओर से आरोप लगाये गये हैं, उसका मैं घोर प्रतिवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है, इसमें हमारा मंशा है कि जीवन के हर क्षेत्र में सभी समाज तरक्की करेगा, तभी प्रदेश खुशहाल बनेगा, जब हर समाज की उसमें बराबर की भागीदारी होगी इसलिये आज बराबर की भागीदारी के आधार पर यह सरकार बनी है, जिस तरह से प्रशासन चल रहा है, उससे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, यह परेशानी उन लोगों की है जो सामन्तवादी व्यवस्था के परिचायक हैं।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग गलत परम्परा न डालिये। किसी भी सूचना पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री को जवाब देने का अधिकार है, उनके बोलने के बाद हम इसका निस्तारण कर देंगे।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आगरा की स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है और वहां पर पूरी शान्ति है। जो यह घटना हुई है, उस घटना के बारे में आयुक्त महोदय से जांच कराने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही दे चुकी हैं। यह भी निर्देश उनके द्वारा दिया गया है कि दो सप्ताह के अन्दर इसकी जांच पूरी कर ली जाय जिससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाय, ताकि कोई चीज छिपी न रह जाये। कौन लोग दोषी हैं, कौन प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, यह सारे तथ्य सामने आ जायें। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि लाख कोशिश कर लें, लेकिन इस सरकार के रहते प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ने वाली नहीं है।

एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा। यह सरकार कृत संकल्पित है, इस बात के लिये, कि जो लोग सदियों से दबे हुए हैं, जिन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला, वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इस काम में चाहे लाख बाधा डाली जाय, इससे यह सरकार विचलित होने वाली नहीं है। जहां तक आगरा की घटना का सवाल है, उसमें निष्पक्ष जांच के लिये व्यवस्था की गई है और दो सप्ताह का समय भी नियत कर दिया गया है ताकि हर तथ्य सबके सामने आ जाय। यह सरकार पारदर्शी सरकार है, कोई चीज छिपाने वाली नहीं है, न छिपाना चाहती है। इसलिये न इसकी तात्कालिकता है और न नियम–56 में यह आता है। इसलिये आप इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अभी मैंने डा० अशोक वाजपेयी, श्री धर्मराम वर्मा, श्री अवधेश प्रसाद, श्री ओम प्रकाश और श्री रामतेज यादव एडवोकेट द्वारा दी गई सूचना पर कई माननीय सदस्यों को तथा माननीय नेता विरोधी दल को सुना । इस संबंध में मैंने संसदीय कार्यमंत्री जी को भी सुना और सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह स्थानीय प्रशासन से संबंधित है । इसलिये यह नियम-56 में नहीं आता है अतः मैं इसको अग्राह्य करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शान्त रहें और बैठ जायें । दूसरी सूचना श्री विनय कुमार पाण्डे की है । आप लोग शान्त रहें ।

(व्यवधान)

* श्री विनय कुमार पाण्डेय--

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान राजकीय अस्पताल बलरामपुर में भीषण दुर्व्यवस्था एवं अनियमितता जो व्याप्त है उसकी ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि वहां अस्पताल में मरीजों की बड़ी दुर्दशा हो रही है । इसलिये महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमने नोटिस दिया है ।

मान्यवर, तराई अंचल में 50 लाख की आबादी पर सिद्धार्थनगर में गौसड़ी, उतरौला आदि को मिलाकर बलरामपुर में मात्र यह एक राजकीय चिकित्सालय है जहां जनता को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होती है । जनता की शिकायत के बाद 10 तारीख को वहां पहुंचा तो पाया कि पूरे अस्पताल में कोई भी कर्मचारी नहीं है ।

डाक्टरों की बात तो छोड़ दें वहां न नर्स है, न वार्डब्वाय है और न कोई चपरासी था । वहां घोर अनियमितताओं का वातावरण व्याप्त था । मरीजों से पता चला कि वहां भयंकर गैस्ट्रोइन्टाटिक्स कालरा फैला है । मरीज भर्ती थे और कई मरीज तो चिकित्सीय सुविधा दवाइयां प्राप्त न होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गये । वहां के मरीजों ने बताया कि दवाइयां होते हुए भी उन्हें नहीं दी जा रही हैं । दवाइयां, सुई, ग्लूकोज आदि जरूरी चीजों के लिये मरीजों से 20-20 रुपया अलग से फीस ली जाती है और जिसकी कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती है । स्टोर इन्चार्ज और डाक्टर बुलाने के एक घंटे बाद आए । स्टाक रजिस्टर मांगा तो उसमें जीवन रक्षक कुछ दवाइयां थीं लेकिन ओ० आर० एस० जैसी चीज उपलब्ध नहीं थी ।

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां का जो महिला चिकित्सालय है उसकी दशा तो राजकीय अस्पताल से भी बदतर है । मेरी मांग है कि आप वहां महिला डाक्टर पोस्ट कर दें । आप समय नहीं दे रहे हैं । इसलिये अन्त में मैं अपने इस लोक महत्व के प्रश्न पर बल देता हूं । महोदय, यह जो लिस्ट है, हमने पता किया तो यह डाइट वहां चढ़ी हुई थी लेकिन इसमें से किसी मरीज को दूध तथा फल नहीं दिया गया था । यह दवा की लिस्ट जिसमें दस्तखत हैं यह किसी मरीज को उपलब्ध नहीं कराई गयी है ।

बलरामपुर अब जनपद बन गया है 22 मई को जनपद घोषित कर दिया गया और 25 मई को उसे रेवेन्यू रिकार्ड में जनपद का दर्जा प्राप्त हो गया । लेकिन वहां चिकित्सालय को आज तक जनपद का दर्जा नहीं मिला है । मेमोरियल चिकित्सालय में चिकित्सकों का अभाव है वहां जीवन रक्षक दवाएं नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मिल रही है। वहां पर जनपद स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाय। मान्यवर, इस लोक महत्व के प्रश्न पर दो महीने हो गये मई में यह जिला बना था जून भी बीत गया जुलाई भी बीत गया तीन महीने बीत गये हैं। मैं इस सरकार के महीने गिना रहा हूं जैसे-जैसे महीना नजदीक आ रहा है इनकी पीड़ा बढ़ती जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, बाद में जो कहेंगे वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

| × × × |

(संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

डा० अशोक वाजपेयी–

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, वह जवाब दें संसदीय कार्य मंत्री क्यों जवाब दें।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है। संसदीय कार्य मंत्री की ही प्रार्थना पर सुना जाता है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिसका जिक्र माननीय विनय कुमार पाण्डेय जी ने किया है। मान्यवर, इस प्रदेश की जो बढ़ती हुई आबादी है उसके अनुरूप जो स्वास्थ्य का इन्तजाम होना चाहिए था जो अस्पतालों का औसत पूरे देश का है कि कितनी आबादी पर कितने अस्पताल हों कितनी सी० एस० सी०, कितनी पी० एच० सी०, कितनी एडीशनल पी० एच० सी० चाहिए, जितने डाक्टर चाहिए उसके स्तर पर नहीं है, यह चिन्ता का विषय है। जब से यह सरकार बनी है यह सरकार प्रदेश के हर इंसान के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, जो डाक्टर हैं वह सुनिश्चित रूप से अस्पताल में उपस्थित रह सकें इस सारे कामों के लिये जिम्मेदारी फिक्स की है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने जनरल सी बात कही है उसे वह लिखकर दे देंगे कि वह कहां देखने गये, कहां के अधिकारी नहीं थे, कर्मचारी नहीं थे, यह सब यह लिखकर दे दें तो मैं उसे दिखवा लूंगा।

[समय 5 बजकर 5 मिनट]

मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी लापरवाही बरतता हुआ पाया गया तो दण्डित होगा वह बक्शा नहीं जायेगा। मान्यवर, यह नियम 56 में किसी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इस प्रश्न पर माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह विषय स्थानीय समस्या से संबंधित है यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री मित्रसेन यादव, श्री सीताराम निषाद की है जो नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में हुए गोली काण्ड से सम्बन्धित है।

नोट -| × × × | यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, जो सूचना दी है वह पूरे प्रदेश के शैक्षणिक जगत से जुड़ी है। मान्यवर, प्रदेश में तीन ही कृषि विश्वविद्यालय हैं। इनके शांतिपूर्ण वातावरण की विशेष आवश्यकता है। मान्यवर, आप कृषि विश्वविद्यालय के सदस्य भी रह चुके हैं आप वहां की परिस्थितियों से अवगत हैं। 4 जून की शाम 10 बजे कुछ असामाजिक छात्रों की शरारत से एक सूरजपाल पटेल जो बिहार का रहने वाला था उस की गोली से हत्या हो गयी। मान्यवर, आप के अम्बेडकर नगर के दो छात्र बुरी तरह से घायल हुए।

शाम 8 बजे शरारती तत्व उस परिसर में आ गये इस बात की जानकारी वहां के कुलपति और छात्रावास के प्रबन्धक को भी थी। लेकिन उन्होंने जानबूझ कर कोई नियंत्रण नहीं किया नतीजा यह हुआ कि एक गोली तो तब लगी जब पटेल नामक छात्र ने दरवाजा खोला दूसरी उस कमरे में लगे डा० अम्बेडकर की फोटो पर लगी। दो छात्र घायल हुए उनके नाम रवीन्द्र कुमार और विनोद कुमार है। 6 जून को विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् की बैठक होनी थी जिसमें वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की पुष्टि होने वाली थी वहां के निर्माण निदेशक जो वित्तीय अनियमितताओं के गम्भीर दोषी हैं उनको निलम्बित किया गया था। कृषि राज्य मंत्री भर जी ने उनको निलम्बित किया, कुलपति ने आदेश को नहीं माना, टिप्पणी करते हुए यह कहा कि प्रबन्ध परिषद् की बगैर अनुमति के किसी को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है।

कुलपति चाहते थे कि इसकी बैठक न हो किसी तरह से विश्वविद्यालय का वातावरण आन्दोलित हो जाये ताकि दोषी अधिकारी कर्मचारी किसी प्रकार से दण्डित न हों उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही न हो, उस प्रबन्ध परिषद् की बैठक में निश्चय ही काले कारनामों की पुष्टि हो जाती। कुलपति ने छात्रों को उकसा कर एक छात्र की हत्या करायी, दो छात्र गम्भीर रूप से घायल हुए। वहां इतना आतंक बना हुआ है कि जो दो छात्र घायल हुए हैं उन्होंने घटना को देखा, लेकिन नामजद रिपोर्ट नहीं करा सके। जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया उनको कुलपति ने आज तक निष्कासित नहीं किया विश्वविद्यालय से। वहां दूसरे प्रदेशों और विदेश से छात्र अध्ययन के लिये आते हैं।

मान्यवर, इसका असर दूसरे विश्वविद्यालयों पर भी पड़ा है। जो लोग दोषी हैं उनको निष्कासित किया जाय और पूरे प्रकरण की जांच की जाय और फैजाबाद पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट ले ली जाय ताकि पूरा मामला उजागर हो सके और सही बात सामने आ सके। इस पर चर्चा कराना आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय निषाद जी माननीय मित्रसेन यादव जी ने सारी बातें कह दी हैं मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया संक्षेप में कहें।

श्री रामाराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह बहुत ही गम्भीर तात्कालिक घटना है। कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है जहां पर इस हत्या की घटना करके उस विश्वविद्यालय का वातावरण खराब किया गया। मान्यवर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में शीतयुद्ध छिड़ा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के राज्य मंत्री द्वारा वहां के एक अधिकारी जो गम्भीर रूप से वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त थे उनके खिलाफ कार्यवाही करने के कारण वहां के कुलपति और अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, में शीतयुद्ध छिड़ा उसको छिपाने के लिये जो परिषद् की बैठक होने वाली थी उसमें यह अनियमितता उजागर न हो जाये इसलिए उस पर परदा डालने के लिये हत्या करायी गयी। वहां का वातावरण दूषित किया गया। यह बड़ा ही गम्भीर मामला है और तात्कालिक भी है अतः इसकी तत्काल जांच करायें और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है । वहां पर पांच कर्मचारी बिना कोई कारण बताये निलम्बित कर दिये गये । विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में अनियमितता की जो जांच हो रही है, और जो जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं, वह स्वयं दोषी हैं । वित्तीय और प्रशासनिक भ्रष्टाचार है । 15 करोड़ रुपया खर्चा हुआ इसके सत्यापन का आदेश हुआ लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । अधिशासी अभियन्ता नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज के ऊपर लाखों रुपये के घोटाले का आरोप है उसकी जांच होनी चाहिए । विश्वविद्यालय में जो वैज्ञानिक हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है । कुलपति जी के भवन निर्माण के बारे में भ्रष्टाचार है । स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त निदेशक ने सभी जिम्मेदार अफसरों की जांच की । उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 90-91 में विश्वविद्यालय द्वारा आडिट आपत्तियों के संबंध में उचित कार्यवाही नहीं की गयी है ।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 6 करोड़ 73 लाख 21 हजार रुपये भुनाये जाने के बाद प्राप्त धनराशियों को विश्वविद्यालय निधि में जमा करने आदि अभिलेखों की पुष्टि नहीं हुई है जिसके कारण संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है । अतः मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच करायी जाय और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह 4/5 जून, 1997 की घटना है । यह सही है कि इसमें एक छात्र की मृत्यु हुई है और दो छात्र घायल हुए हैं । घटना के बारे में एफ० आई० आर० दर्ज करा दी गयी और उसकी जांच हो रही है । विश्वविद्यालय की शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु ध्यान में रखते हुए 30 जून तक बन्द कर दिया गया था । आज वहां पर शांति व्यवस्था कायम है । जहां तक कुलपति का सवाल है तो कुलपति का इस घटना में या वहां की नियुक्ति में या दूसरी जो सामानों की खरीद फरोख्त हुई है में या, अन्य जो दोषी अधिकारी या कर्मचारी हैं उन सबका नाम इस घटना में है । यह 4/5 जून की घटना है । नियुक्ति का मामला है, सामानों की खरीद का मामला है, इस सारे प्रकरण पर जांच के लिये धारा 7(2) के अन्तर्गत आदेश दे दिये गये हैं और इसकी जांच जो है, प्रमुख सचिव, भारी उद्योग, श्री बाबूराम को सौंपी गयी है । हमारी जो सरकार है, यह पहली सरकार है, जो किसी को बचाने के लिये काम नहीं किया है । हम बराबर यह दुहराते रहे हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी है ।

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट के खड़े होने पर–व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मैं कहना चाहता हूं कि जांच में जो दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । जहां तक आरोपों का सवाल है भारतीय जनता पार्टी और बसपा में शीत युद्ध हो रहा है, यह बिल्कुल गलत आरोप है और निराधार है वहां पर इस प्रकार की कोई चीज नहीं है । दोनों की दिली चाहत है कि अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जायेगा, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, उसे छोड़ा नहीं जायेगा, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और नियमानुसार की जायेगी । मान्यवर, जहां तक इस सूचना की तात्कालिकता का सवाल है, तो यह घटना 4-5 जून की है, तो इसमें तात्कालिकता नहीं रह गयी है और जहां तक अविलम्बनीयता का प्रश्न है, तो वहां पर शांति है, तो यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है । इसको आप अग्राह्य करने की कृपा करें ।

श्री मित्र सेन यादव–

बहुत जल्दी जांच करके अवगत करा दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों को सुनने के बाद और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद, यह बात आयी कि एक स्थानीय मामला है और 4 जून का है, इसलिये यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है, लेकिन घटना गम्भीर है इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक ऐसी घटना को सदन के सामने रखने का अवसर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतिहास में अगर यह पहली घटना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो गिनी चुनी हुई घटनायें अत्याचार की हुई होंगी, सहारनपुर में 25 जून को घटी घटना उसी क्रम में एक है। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, उन्होंने खुद से एक सवाल किया था, व्हाट इज दि मीनिंग आफ लाइफ ?

इसका अर्थ है कि जीवन का क्या मतलब है ?

नेवर शुड ह्यूमन डिगनिटी बी सुपरेज्ड आर फ्रीडम डिनायड.

व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट न हो, उसको दबाया न जा सके, जीवन का मतलब यह है।

सहारनपुर में यही हुआ है। देवबन्द के नगरपालिका परिषद् की चेयरमैन श्रीमती जीनत नाज पर अत्याचार किया गया और इसके साथ ही साथ वहां के सभासद विनोद वर्मा के साथ अत्याचार किया गया। पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके खिलाफ वह धरना दे रही थी और गवर्नर साहेब सहारनपुर आये तो जीनत नाज उनसे मिलने गयी। थाना प्रभारी और वजीरुद्दीन ने चौकी शाह बिलोल में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो घंटाघर पर धरना दिया। धरने पर बैठी महिलाओं को पुलिस ने मारा, उनके साथ अत्याचार किया। मान्यवर, जिस जिले ने महिला को मुख्य मंत्री बनने का मौका दिया, उस जिले की महिलाओं के साथ अत्याचार हो, यह बड़े शर्म की बात है और उन अधिकारियों के द्वारा हुआ जिनको मुख्य मंत्री ने वहां पर रखा है और अपनी पसन्द के आधार पर रखा है, यह बात मैं रखता हूं। इतना ही नहीं उसके बाद सभासद विनोद वर्मा को जमीन पर लिटाकर पीटा गया जब उनको पानी की जरूरत हुई और उन्होंने पानी मांगा तो पानी की जगह उनको पेशाब पिलाई गई। यह इस देश के जनतंत्र के मुंह पर बहुत बड़ा कलंक है और इससे बड़ा कोई और कलंक नहीं हो सकता। घटना यहीं तक नहीं है इसमें जो अत्याचार हुआ उसके फोटो मेरे पास हैं उन्हें मैंने आपके पास भिजवा दिया है। सदन की मर्यादा को मानते हुए मैं उन्हें यहां दिखा नहीं सकता। आप जरा उन्हें देखने का कष्ट करें पुलिस जिप्सी में लादकर ले जाते हैं और किस तरह से उनके गुप्तांगों पर प्रहार करते हैं। इसी तरह से महिलाओं के साथ भी व्यवहार हुआ उनको गाड़ी में बैठाकर ले गये और फोटो में साफ है कि किस तरह से महिलाओं के ऊपर पुलिस वाले बैठे हैं और उनके पैर गुप्तांगों पर पड़े हुए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और हो नहीं सकती। पुलिस ने महिलाओं को सार्वजनिक रूप से सड़क में लिटाकर उनकी टांगे उठाकर लाठी से गुप्तांगों पर प्रहार किया गया। यह कितना घिनौना कार्य है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बरीष जी संक्षेप करें।

(व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार–

अधिष्ठाता महोदय, महिला आयोग की चेयरमैन मोहिनी गिरी भी सहारनपुर आयी थीं। इस दर्दनाक घटना को देखने के लिये (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस तरह से सदन नहीं चलेगा। (एक माननीय सदस्य द्वारा फोटो दिखाने पर) यहां पर फोटो दिखाना नियम के विरुद्ध है। यह आपत्तिजनक है, आप नियमावली देखें।

श्री अम्बरीष कुमार–

अधिष्ठाता जी, मोहिनी गिरी जो महिला आयोग की चेयरमैन हैं, वह सहारनपुर आई थीं उन्होंने पूरी जानकारी इस घटना की, की है। उत्तर प्रदेश की महिला मुख्य मंत्री मायावती जिनकी वह कांस्टीट्यूएन्सी है उनको पत्र लिखा है। किस तरह से महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार किया गया उन्हें पीटा गया। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सी० जी० एम० सहारनपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में श्री विनोद वर्मा के साथ जो व्यवहार किया गया लिखा जो शब्द उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं उनका यहां उपयोग करना भी मैं उचित नहीं समझता। उनको कहने में भी शर्म आ रही है। जिस तरह से नंगा नाच वहां किया गया वह सी० जी० एम० की रिपोर्ट में लिखा है।

महिलाओं के साथ जो अश्लील हरकतें की हैं उसका जिक्र महिला आयोग की अध्यक्ष मोहिनी गिरी ने किया है । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है । जनप्रतिनिधियों के साथ अत्याचार हुआ है उस क्षेत्र में हुआ है जहां से महिला मुख्य मंत्री चुनकर आयी हैं और महिला मुख्य मंत्री के शासनकाल में हुआ है । मैं सरकारी लोगों से कहना चाहता हूं कि सत्ता में पाशविक शक्ति का सहारा लेकर अत्याचार और अन्याय करने वाले ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते हैं आपने देखा है हिटलर, मुसोलिनी, अयूब खां और याहिया खां जैसे लोगों का क्या हस्र हुआ है । यही स्थिति बबराला में हुई है वहां बहिनों के साथ क्या-क्या अत्याचार हुए, आप जान लें । दिन गिन लें ज्यादा दिन आपके नहीं हैं ।आज इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप चर्चा स्वीकार करें । यह भावना पूरे देश व प्रदेश से जुड़ी है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मुन्ना चौहान जी बहुत से लोगों के इसमें हस्ताक्षर हैं आप इस बात से अवगत होंगे कि समय कम है बहुत से माननीय सदस्य ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि अम्बरीष कुमार जी के बोलने के बाद कोई बात शेष नहीं रह जाती है । मुझे सबको सुनने में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं । अगर आप लोग इजाजत दें तो अम्बरीष जी के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अधिष्ठाता जी, सहारनपुर में जो काण्ड हुआ है उसके विषय में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यह घटना स्थानीय नहीं है । इसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में पड़ने जा रहा है । आज यहां हम 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को लोक सभा और विधान सभाओं में देने की बात करते हैं जहां इस तरह की घटना महिलाओं के साथ होगी तो क्या मैसेज देश में जायेगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ किस प्रकार उत्पीड़न हो रहा है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि यह सरकार बहुत संवेदनशील है तो इन चार छः महीनों में कितनी घटनायें हुई हैं तो आप देखेंगे बाढ़ सी आ गयी है । हमारे माननीय सदस्य की रक्षा सरकार नहीं कर पायी है । नगरपालिका के सदस्यों की रक्षा नहीं कर पा रही है और जो नगरपालिका के चेयरमैन हैं उनके साथ इस तरह की घटना हुई है ।

माननीय अम्बरीष जी ने सारी बातें कह दी हैं इस पर चर्चा कराई जाय । यह अत्यन्त लोकमहत्व का प्रश्न है । सदन का सारा काम रोककर इस पर चर्चा करना आवश्यक है । इसकी जांच सी० बी० आई० से होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

(श्री गौरीशंकर एडवोकेट के खड़े होने पर) आप गौरी शंकर जी बहुत विद्वान हैं । बड़े तर्क से बात करते हैं लेकिन आप लोगों ने तय किया कि अम्बरीष जी को पूरा समय दे दिया जाय । आप तो बड़े अच्छे ढंग से किसी विषय को प्रस्तुत कर लेते हैं इसमें समय का ध्यान रखें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

आपकी बात आ गयी आप लोग कृपया बैठें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, बड़ी गम्भीर घटना है । मुझे 2 मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लीजिये, उनका जवाब आ जाने दीजिये ।

श्री गौरी शंकर एड़वोकेट–

अगर पीठ से यह आश्वासन आ जाय कि आप इस घटना पर चर्चा करवा देंगे तो हम बैठ जायेंगे।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, केवल एक मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

बहुत संक्षेप में कहें ।

श्री मुन्ना चौहान–

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सहारनपुर के अन्दर जिस तरीके से एक महिला जनप्रतिनिधि के साथ व्यवहार हुआ है वह बड़ा ही शर्मनाक है । जिस गांधी जी की तस्वीर के नीचे बैठकर हम न्याय की मांग करते हैं । उन्हीं गांधी जी के देश में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार आज हो रहा है । जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो इस देश के लोगों पर किस तरह के अत्याचार होते थे वह हम सब जानते हैं । लेकिन उसी तरह का अमानवीय व्यवहार सहारनपुर के अन्दर पुलिस ने [× × ×] । मान्यवर, विनोद वर्मा और जीनत नाज के साथ जो व्यवहार हुआ है वह शर्मनाक है । जिस जनपद से माननीय मुख्य मंत्री जी चुनकर आयी हैं उस जनपद की महिलाओं के साथ जिस तरह से अमानुषिक व्यवहार किया गया और जिस तरह से दुव्यर्वहार किया गया वह आज तक हिन्दुस्तान के अन्दर इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा । यदि इसकी तह में जाकर देखें तो जो दलितों की दुहाई देने वाली सरकार की साजिश मिलेगी ।

मान्यवर, यही नहीं विधान सभा के सामने जिस तरह से समाज के सबसे छोटे तबके के लोगों जिसको बाल्मीकि समाज के नाम से जाना जाता है उनको दौड़ा-दौड़ा कर लाठियों से पीटा गया है । ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है । मैं आपसे न्याय की मांग करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जो एक जनप्रतिनिधि महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसकी जांच सी० बी० आई से करायी जाय क्योंकि प्रदेश सरकार की किसी एजेंसी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद हम नहीं करते हैं । मैं यह भी मांग करता हूं कि इस विषय पर सदन के अन्दर चर्चा करायी जाय ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, केवल एक मिनट का समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समय नहीं दिया जायगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैं केवल एक सूत्र में अपनी बात कहना चाहूंगा ,

"हमारी सदा को तो दबाना खैर मुमकिन है,
मेरी हयात की तलवार कौन रोकेगा,
फसीले आतसो आहन बहुत बुलन्द सही,

नोट –[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा
नये ख्याल की परवाज रोकने वालो,
नये आवाम की आवाज कौन रोकेगा ?"

तो मान्यवर, यह जो नया आवाम है इसकी आवाज को दबाना गैर मुमकिन है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर निराधार तथ्यों पर आधारित करके जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है और सरकार के ऊपर जो आरोप लगाये जा रहे हैं मैं उनका खंडन करता हूं और वह सब निराधार हैं । इस घटना को अतिरंजित करके चित्रित करने की कोशिश की गयी है । अम्बरीष जी ने अपने शब्दों का जाल बड़े वाक् चातुर्य से रखने की कोशिश की है । यह घटना मात्र इतनी है कि 12 जून को दो परिवार के बच्चों में झगड़ा हुआ उसको लेकर विवाद औरतों में बढ़ गया । औरतों से शुरू होते-होते यह किसी ने किसी पर कुछ आरोप लगाये किसी ने किसी पर कुछ आरोप लगाये । इसको लेकर के मुकदमे बाजी भी हुई । दोनों तरफ से रिपोर्ट भी हुई । दोनों तरफ से 2/3 मुकदमें दाखिल किये गये । मेरे पास पूरा हवाला है । इसको लेकर मान्यवर, यह जो जीनत नाज हैं 15 तारीख को धरने पर बैठ गईं और 18 तारीख को दूसरा पक्ष भी धरने पर बैठ गया जिस कारण वहां पर घंटाघर जो जगह है वहां पर जाम लग गया । मान्यवर, वहां पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गयी । वहां पर जिस तरह का माहौल बनाया गया उसका जिक्र करना यहां पर अशोभनीय है ।

श्री बाबूराम यादव–

मुकदमे की धाराएं बता दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

अपराध सं०–209/97, 209ए/97, 212/97

(व्यवधान)

मान्यवर, वहां पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गयी । जिस तरह से वहां पर प्रदर्शन वगैरह किया गया पुलिस दल ने शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिये 5 महिलाओं और 6 पुरुष आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार किया । जब मान्यवर, पुलिस उनको ले जा रही थीं तो विनोद, हामिद सुल्ताना, रेहाना, माया शर्मा और जीनत नाज पुलिस अभिरक्षा से भाग गये ।

मान्यवर, इस तरह से इस घटना को जिस तरह से बताया जा रहा है उसमें कोई तथ्य नहीं है और यह निराधार है । 2 से 25 तारीख के बीच की घटना है वहां पर कोई तात्कालिकता नहीं है, अविलम्बनीयता नहीं है । जो लोग उसमें इन्वाल्व हैं उसकी पूरी सूचना है । मैं बताना नहीं चाहता । माननीय सदस्य चाहेंगे तो बता दूं । वे स्वयं भी अवगत होंगे कि यह किस तरह के लोग हैं और किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे थे । घटना बहुत मामूली है । इसको बढ़ा चढ़ा कर इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है प्रदेश की कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी है । वहां पर मान्यवर, कोई अशांति नहीं है । नार्मल सी घटना है दो लोगों के झगड़े को बढ़ा चढ़ा कर राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है । परन्तु बधाई की पात्र है यह सरकार कि इसने वहां पर किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होने दी । किसी प्रकार की दुर्घटना वहां नहीं हुई । इस तरह से यह नियम 56 के अन्तर्गत किसी भी रूप में रंचमात्र, लेशमात्र भी नहीं आता ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

पुलिस कस्टडी में लोगों के साथ थर्ड डिग्री मैथेड का इस्तेमाल किया जा रहा है । इस तरह की घटनायें हो रही हैं और सरकार उनको रोकने में अक्षम है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह जो अम्बरीश कुमार,मुन्ना चौहान, राम सिंह सैनी, चन्द्रपाल सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, संजय सिंह, गौरी शंकर एडवोकेट, ओम प्रकाश, रामतेज यादव एडवोकेट, अम्बिका चौधरी जी ने जो सूचना दी है यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है । इसको अग्राह्य करता हूं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य मेरी इजाजत के बगैर बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा ।

श्री मुन्ना चौहान–

महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है ।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है ।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

वह लोग अपना परीक्षण अस्पताल में कराये हैं । रिपोर्ट मेरे पास अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे किस अंग पर कौन सी चोट है ।

(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, जिस विषय पर मैंने सूचना दी है यह विषय लोक महत्व का है और निश्चित रूप से अविलम्बनीय विषय है । उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर बिहार की सीमा पर लगा हुआ जनपद देवरिया जिसमें देवरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्दर छोटी गंडक नदी के किनारे बैकुन्ठपुर एक जगह है एक सप्ताह पहले 18 तारीख को मैं स्वयं वहां गया था । छोटी गंडक नदी के पानी में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है । जिस स्थान बैकुन्ठपुर का जिक्र मैंने किया वह सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । वहां एक सप्ताह से ऊपर हो गया नदी की तेज धारा से कटान तीव्र गति से हो रहा है । वहां से वापस आने के बाद मैंने संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी दिया मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आज राम राज्य की कल्पना करने वाली पार्टी तथा मनुवाद को समाप्त करने वाली पार्टी दोनों के संगम से जो सरकार स्थापित है इसकी व्यवस्था यह है कि नदी से कट रहे गांव की सुरक्षा के लिये विभाग और सरकार के पास पैसा नहीं है ।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यदि गांव के अस्तित्व को खतरा पैदा होगा तो गांव की पूरी आबादी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा गांव के हिफाजत के कार्य हेतु एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा । विगत वर्षों में संबंधित विभाग ने वहां सात-आठ डैम्पनर बनाये । नदी की तेज धारा से वह सब डैम्पनर निष्प्रभावी हो गये हैं । मात्र एक ही ठोकर बचा है जिसकी वजह से बैकुन्ठपुर गांव बचा है । आज तक जिला प्रशासन या संबंधित विभाग ने उस गांव की हिफाजत के लिये कोई कार्य नहीं किया है । जिस दिन वह गांव विलीन हो जाएगा शायद उस दिन का जिला प्रशासन इन्तजार कर रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात कृपया संक्षेप में कहें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

जहां एक तरफ उस गांव के नदी में विलीन होने का खतरा उत्पन्न हो गया है वहीं जिला प्रशासन निष्क्रिय एवं निर्मम हो गया है। यहां पर शासन में बैठे हुए लोगों से भी मैंने इस संबंध में याचना की लेकिन आज तक मुझे जैसी कि सूचना मिली है कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर स्थल निरीक्षण के लिये नहीं गया। आपके संज्ञान में यह निवेदन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार जन कल्याण हेतु संकल्प बद्ध होने का ढिढोरा पीटती है और संसदीय कार्य मंत्री भी बराबर सदन में कहते रहते हैं कि उनका मजबूत संकल्प है। उनका दृढ़ संकल्प है लेकिन ऐसी निर्मम और संवेदनहीन सरकार मैंने कभी भी नहीं देखी।

आज वहां पर हजारों लोगों की जान जा सकती है। उसकी हिफाजत में कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गयी है और हमारे जनपद में जहां किसानों को नहरों के द्वारा पानी नहीं मिल पा रहा है अभी तक नहरों में पानी नहीं आ रहा है वहीं नदी के जल स्तर में बढ़ोत्तरी हो रही है। श्रीमन् इससे अविलम्बनीय और लोक महत्व की बात और क्या हो सकती है ? मैं आपके माध्यम से इस सरकार से गुजारिश है कि इस लोक महत्व और सुनिश्चित प्रकरण पर चर्चा हो तथा वहां के हजारों लोगों के जीवन का यह प्रश्न है हजारों एकड़ जमीनें बरबाद हो रही हैं इसलिये इस पर चर्चा की अनुज्ञा दें।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय विधायक जी ने घटना की बात बताई है। यह गांव नदी के पास जलभराव क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। वहां पर कटाव हो रहा है इसके लिये सरकार सचेष्ट है किसी की भी जान और उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिये सरकार संकल्पबद्ध है इसके लिये सरकार कार्य कर भी रही है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने केवल एक बात कही है यह एक गांव के विलीन होने का सवाल है आप नदी पर एक बांध बनवा दें।

श्री बी० आर० वर्मा–

जहां तक बांध का सवाल है जो कटाव हो रहा है वह नदी से होता है अगर बांध भी बनाया जाएगा तो वह भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसे लोगों के जिनकी जमीनें और घर बह गये हैं उनको [illegible]ाने का कार्य किया जा रहा है ताकि वह सुरक्षित जगहों पर रह सकें। उसका इन्तजाम सरकार की त[illegible] से किया गया है। जितने घर कटने वाले हैं उन सब लोगों को बसाने के लिये सुरक्षित जगह पर [illegible]माया जायगा इसकी कार्यवाही सरकार तत्परता से कर रही है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। वहां पर सरकार एक बांध बनवा दें इसको बनवाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये इसमें कौन सी बात हो जाएगी।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो जिज्ञासा माननीय सदस्यों की है मैं बता दूं कि सरकार ने अपने सीमित संसाधन को देखते हुए इस बात का परीक्षण कराया है कि इस गांव के लोगों को वहां पर बसाये रखने के बजाय दूसरी जगह पर अगर सुरक्षित बसा दिया जाये तो इससे उनको भी ज्यादा फायदा होगा और सरकार का कम पैसा खर्च होगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

जब आप गांव को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो अलग से गांव कैसे बसायेंगे ? मान्यवर इसकी गम्भीरता को देखते हुए सरकार कार्यवाही करे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इसको दिखवा लेंगे और जो उचित होगा वैसी कार्यवाही करायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव को और संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर सुना, यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता । इसलिये इसको अग्राह्य किया जाता है ।

छठें नम्बर की सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उलब्ध कराये जाने वाले गेहूं, चावल की मात्रा क्रय किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

सातवीं सूचना श्री ओइमवेश की प्रदेश में कृत्रिम दूध की बिक्री से जन स्वास्थ्य को हो रही हानियों के सबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारी सूचना अगर लाटरी में नहीं आयी है तो इसको आप आज स्थगित कर दें, हम दुबारा दे देंगे, लेकिन इस पर शासन का ध्यान आकर्षित न करें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी, जब मैंने आपका नाम पुकारा तो आपने अनुमति दी कि ध्यान आकर्षित कर दिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार–

जब आपने नाम पुकारा था तो आपने थोड़े ही कहा था कि हम ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं, हम जानते थे कि आप चर्चा करायेंगे अगर नहीं कराते हैं तो हम इसको वापस ले लें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आठवीं सूचना श्री विनोद मणि, श्री राम जग व श्री राम कृपाल एवं श्री अमर मणि, श्री प्रमोद कुमार व श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की पूर्वांचल विकास निधि के धन को माननीय विधायकों की अनदेखी क म्बेडकर ग्रामों के विकास के नाम पर व्यय किये जाने के संबंध में है, पर शासन का ध्यान अ ित किया जाता है ।

मूचना श्री पारसनाथ यादव एवं श्री अफजाल अहमद की जनपद जौनपुर में दीवार गिर जाने से दा गर्ल्स इण्टर कालेज की तीन छात्राओं की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

दसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री विवेक कुमार सिंह की वाराणसी महानगर में सीवर व्यवस्था ध्वस्त होने से फैल रही हैजे की बीमारी के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

शेष सारी सूचनायें शलाका में नहीं आ पायी हैं इसलिये वह निरस्त हो गयीं ।

(मद संख्या–17 पुकारे जाने पर समाजवादी पार्टी के अनेक माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

देखिये नियम 56 के भी कुछ नियम हैं, उसमें नियमों के अन्तर्गत पहली 5 सूचनाओं को ग्राह्यता के लिये सुना जाता है, बाकी 5 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और पहली 5 सूचनायें शलाका के आधार पर निकाली जाती हैं, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, हमारी सूचना अगर आज नहीं आ पायी है तो हम इसे बाद में दे देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

किसी दूसरे विषय पर लायेंगे तो आयेगी ।

श्री स्वामी ओइमवेश–

यदि आप नहीं बुलवाना चाहते हैं तो प्रश्न वापस कर दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सदन नियमों से चलता है ।

श्री विनोद मणि–

अगर यह सूचना मेरी आज नहीं ले पा रहे हैं तो इसे निरस्त कर दें, मैं कल दूंगा ।

मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि की पूर्व सरकार ने स्थापना किया था, उसके सारे पैसे को विकास का नारा देने वाली सरकार ने अम्बेडकर गांवों में ट्रांसफर कर दिया, यह पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय विनोद मणि जी, मैंने आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है, आपकी सूचना सदन में आ भी गयी, आप जो चाहते थे, वह हो गया । अब बाकी जो आप कहेंगे, वह लिखा नहीं जायेगा ।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–17, श्री प्रमोद कुमार, श्री अमर मणि आप अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

* श्री अमर मणि–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, व्यापार कर पहले इसका नाम सेल्स टैक्स, बिक्रीकर था । माननीय मुलायम सिंह जी ने इसका नाम परिवर्तन करके व्यापार कर रखा । मान्यवर, श्री मुलायम सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से वायदा किया था कि इस कर को समाप्त कर देंगे और समाप्ति के नाम पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांगने का काम किया । उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने सोचा था कि उन्हें कुछ राहत की सांस मिलेगी और उन्होंने एक स्वर से मुलायम सिंह यादव जी को अपना समर्थन उस कर की समाप्ति के लिये दिया था । लेकिन जब वह सत्ता में आये..... । (व्यवधान) तो लेखा-जोखा इकट्ठा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया तो उन्हें पता चला कि बिना सेल्स टैक्स के उत्तर प्रदेश का शासन चलाना कठिन है क्योंकि बिक्रीकर जो एक बहुत बड़ा आय का स्रोत है जो सेल्स टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है जिससे वह प्रदेश में विकास का काम करती है और जिसे उन्होंने समाप्त कर दिया तो धन कहां से मिलेगा ? इसलिये उन्होंने सेल्स टैक्स को समाप्त तो नहीं किया लेकिन उसका नाम बदल दिया और सेल्स टैक्स के स्थान पर व्यापार कर रख दिया ।

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने प्रयास किया कि इस कर को कम किया जाय और जगहों-जगहों पर इसका सरलीकरण किया जाय । कर जो बैरियर लगाकर वसूल किया जा रहा था जिसमें भ्रष्टाचार था उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया । लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार जिसका वोट बैंक व्यापारी है वह व्यापारियों को संरक्षण देने के नाम पर सरकार सत्ता में आयी तो जहां सरकार को व्यापार कर कम और सरल करना था तथा व्यापारियों को प्रोत्साहन देना था वहां आज लखनऊ में तथा प्रदेश के अन्य जिलों में व्यापारियों का अपहरण हो रहा है, गोरखपुर में बैंक लूटे जा रहे हैं, बनारस में व्यापारियों को सरेआम गोली मारी जा रही है और गुण्डों के माध्यम से 14-20 करोड़ रुपये रोज वसूले जा रहे हैं । ठेकेदारों और व्यापारियों के सीने पर गोली लगाकर धन वसूला जा रहा है । यह चिन्ता का विषय है ।

[समय 6 बजकर 5 मिनट]

व्यवसायी व्यापार कर तो देता ही है और इसलिये देता है कि उत्तर प्रदेश की ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में ऐसा वातावरण बने जिससे उसकी हिफाजत हो सके, सुरक्षा हो सके और उसको व्यापार करने के लिये मुक्त क्षेत्र मिल सके, वह कायदे से अपना व्यापार कारोबार कर सके । उत्तर प्रदेश में चाहे नोयडा हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो कानपुर हो यहां पर सरेआम व्यापारियों को फोन से धमकी देकर रुपये वसूले जा रहे हैं उनसे गुण्डा टैक्स वसूला जा रहा है । यह व्यापार टैक्स, गुण्डा टैक्स वह कौन-कौन सा टैक्स देगा ? मान्यवर, इस संकल्प के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपने अध्यादेश और विधेयक दोनों लाने का प्रयास किया है । जब अध्यादेश पर प्रतिबन्ध लग गया, रोक दिया गया तो विधेयक ला दिया गया । मान्यवर, हम आपसे आग्रह करेंगे इस संकल्प के माध्यम से कि आज उत्तर प्रदेश में व्यापार की विशाल समस्याएं हैं । उत्तर में चाहते हैं टाटा साहब कि वह अपनी कम्पनियां लगाये क्योंकि बिहार की स्थिति बहुत खराब है । बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गयी है । तमाम व्यापारी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योग लगाये, उद्योग पनपे । लेकिन ऐसे अराजक वातावरण में इस समय में जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से विनष्ट हो गयी है ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा व्यापारी अपना उद्योग नहीं लगा पायेगा आप देखें वही गुजरात की सरहदों पर बसे हुए जनपदों में बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कम्पनियां अपने उद्योग लगा रही हैं । वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है लेकिन उत्तर प्रदेश में व्यापारी व्यापार करने में घबड़ा रहा है । इसलिये मैं अपने संकल्प पर बल देते हुए इस सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज बनाया जाय । मान्यवर, बार-बार यह सरकार और इस सरकार के माननीय मंत्री लोग यह कह रहे हैं कि किसी कीमत पर कानून व्यवस्था को भंग होने नहीं दिया जायेगा जबकि आप रोज देखें अखबार उठाकर बड़े शर्म और दुख की बात यह है कि आज इस सदन के माननीय मंत्री जी को फोन पर धमकी दी गयी कि तुम्हारी जान मार दी जायेगी । मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी की सुरक्षा नहीं है तो मेरी आपकी व व्यापारियों की क्या सुरक्षा हो सकती है ? इसलिये मैं इस संकल्प पर बल देता हूं । मैं सारी दलीय बाधाओं को तोड़कर, प्रतिबन्ध को तोड़कर इस संकल्प पर प्रदेश के हित में बल देता हूं ।

* श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे साथी बिना किसी संदर्भ के हमारे नेता का नाम लिये हैं। मान्यवर, आप अखबार की कतरने उठाकर देख लें कभी भी माननीय मुलायम सिंह यादव ने नहीं कहा कि हम बिक्रीकर को समाप्त करेंगे उन्होंने यह जरूर कहा कि हम बिक्रीकर का सरलीकरण करेंगे और इसलिये करेंगे कि जितना धन व्यापारी बिक्रीकर में देता था उससे ज्यादा रिश्वत में देता था। तो इसे उन्होंने समाप्त करने को कभी नहीं कहा, केवल सरलीकरण की बात कही है।

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह विधेयक उ० प्र० में विकास का मुख्य बिन्दु बनेगा और उ० प्र० में औद्योगीकरण होगा, बेरोजगारी दूर होगी और व्यापार कर में सरलीकरण होगा।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे).

मान्यवर, जो विधेयक लाया गया है हम लोगों ने ध्यान से उसका अध्ययन किया है शायद माननीय मंत्री जी ने उसका अध्ययन नहीं किया है।

श्री राधेश्याम गुप्त–

मैं जन्म से व्यापारी हूं और व्यापार कर के बारे में बहुत जानता हूं।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, कोई जन्म से तो व्यापारी होता नहीं इस अवस्था में जब जाता है उसके बाद सीखता है। यह व्यापार कर संशोधन विधेयक जो लाया गया है इसमें जो परिवर्तन कराया गया है वह मोहम्मद बिन तुगलक की याद दिला रहा है। इसमें क उपधारा (1) ख के स्थान पर जो उप धारा रखी जा रही है, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वे जन्म से व्यापारी हैं लेकिन इस ऐक्ट में संशोधन में कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों के लिये चारागाह बना दे रहे हैं। स्वेच्छा से जो भी अच्छा लगे। इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि किन दशा में यह संशोधन लाया गया, यह निश्चय ही बहुत त्रुटिपूर्ण है। इसके लाने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन लगता है कि प्रदेश सरकार व्यापारियों के दबाव में या अधिकारियों के दबाव में या जो दलाली करते होंगे या कुछ उनके ऐसे जो पेट एजेन्ट होंगे जिन्होंने इस विधेयक को लाने का दबाव डाला होगा, इसमें अधिकारियों के लिये खुल्लम खुल्ला लूट की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसको ठीक से रखने के लिए इस सदन की एक प्रवर समिति में रख दिया जाय जो ठीक से इसका परीक्षण करे और एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे जिससे व्यापारियों को लाभ मिल सके।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी ने जो व्यापार कर अध्यादेश, 1997 का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, पूरे प्रदेश का व्यापारी आज माननीय मंत्री जी का आभारी है और आभारी रहेगा कि उन्होंने इस प्रकार से संशोधन कर व्यापारियों के लिए और इस प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये 1948 के व्यापार कर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी व्यापारी रहे हैं और वह व्यापारी परिवार से हैं। वे व्यापारियों की कठिनाइयों को अच्छी तरह से जानते हैं इसलिये ऐसा संशोधन आया है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें माननीय मंत्री जी ने अपनी सुविधाओं की दृष्टि से ऐसे किया है।

मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक बात अभी माननीय सदस्य ने सही कही थी लेकिन कुछ दबाव में आकर उन्होंने अपनी बात वापस ले ली, पिछली सरकार ने इस व्यापार कर के नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश की थी कि हम व्यापार कर को समाप्त करेंगे और चुनाव में वोट ले लिया लेकिन वापस करने का साहस नहीं हुआ। लेकिन आज की सरकार व्यापारियों के हित की बात करती है, इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता के हित की बात करती है वह ऐसा संशोधन लायी है और इससे निश्चित रूप से औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारियों को लाभ मिलेगा।

मान्यवर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे विरोधी दल को कष्ट हो। इनको तो विरोध की औचारिकता पूरी करनी है इसलिये कर रहे हैं। अगर विरोध करना ही है तो स्वस्थ विरोध करें तो अच्छा होगा। मान्यवर, आपने देखा जो पार्ट्स बाहर से खरीदे जाते थे उसमें सरलीकरण किया है उसमें छूट देंगे जिससे जो छोटे-छोटे औद्योगिक हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। यह पूंजी यहीं की यहीं रहेगी यह बाहर नहीं जायेगी। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि औद्योगीकरण को बढ़ावा देंगे। इसमें हमने 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष की छूट दे दी है। दूसरी बात इसमें दी गयी है कि इसमें छूट का प्राविधान किया गया है, इसलिये इनको अपने संकल्प को वापस लेना चाहिए। इस प्रकार से अनेकों छूटें व्यापारियों को दी गयी हैं। व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिये माननीय मंत्री जी ने यह अच्छा संशोधन पेश किया है। इसलिये विपक्ष की ओर से जो संशोधन आया है, उसे उनको वापस लेना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने जनता के साथ छलावा किया था और वह इसको नहीं कर पाये और हमारी पार्टी ने इसका सरलीकरण करके जनता के हित का काम किया है और वह धन्यवाद की पात्र है।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो यह विधेयक लाया गया है, इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने प्रस्ताव किया है। मैं उनके प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी जन्म से व्यापारी हैं और एक अच्छे व्यापारी हैं।

(व्यवधान)

व्यापारी होना अच्छी बात है। यह अकिंचन और सम्मानित सदन महसूस करता है और जो 1948 का एक्ट है और उसमें संशोधन के लिये 1997 का एक्ट लाया गया है। मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री जी इसके उद्देश्य और कारणों पर प्रकाश डालेंगे, तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मान्यवर, इस एक्ट में बहुत से संशोधन किये गये हैं, धारा 2 में संशोधन किया गया है, धारा 3–ए में संशोधन किया गया है, किसी में भी उसके उद्देश्य और कारण पर प्रकाश नहीं डाला गया है। सरकार व्यापार को बढ़ावा देने की बात कर रही है। मान्यवर, इस संशोधन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि माननीय मंत्री जी क्रय कर क्यों लगाने जा रहे हैं ? इसी तरह से यह नमक पर भी कर देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी इस विधेयक के लिये केवल आधा-घण्टा निर्धारित है और 20 मिनट हो गये हैं । अभी प्रस्तावक को बोलना है और माननीय मंत्री जी को उत्तर देना है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं किसी राजनीतिक विषय की बात नहीं कर रहा हूं । मैं अपने को केवल इस विधेयक तक ही सीमित रख रहा हूं । मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक का छिद्रान्वेषण होना चाहिए और इस पर पूरे तरह से विचार की आवश्यकता है । मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को आप एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें । अगर यह विधेयक एक माह तक प्रदेश में लागू नहीं होगा तो कोई गम्भीर संकट नहीं आने वाला है । प्रवर समिति में इस पर सम्यक् रूप से विचार हो जायेगा । वहां आनुपातिक रूप से हम माननीय सदस्य उस समिति में होंगे वहां पर बहुमत आपका ही होगा और वहां हम दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पर सम्यक् रूप से विचार करने के बाद जो पूरे प्रदेश के लिये हितकर होगा वह प्राविधान इसमें करेंगे और इसे सर्वसम्मत ढंग से पास करेंगे । इसी तरह से मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं ।

गिलट, लोहा और चेन पर व्यापार कर को हटाने के बारे में वक्तव्य आ रहा है । आपने कहा कि बनावटी आभूषण अब काफी महंगे बिकते हैं अतः इस पर टैक्स लगा दिया है इन आभूषणों को मान्यवर, कौन पहनता है आपने कहा है कि सम्पन्न लोग इनको पहनते हैं । मेरा कहना है कि सम्पन्न लोग तो हीरे, जवाहरात और सोने के आभूषण पहनते हैं । यह आर्टीफिशियल जेवरात गांव का गरीब और दलित पहनता है जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं । अगर आप उस पर टैक्स लगाते हैं तो निश्चित रूप से यह दुखदायी है । आप तर्क दे रहे हैं कि जीवनोपयोगी वस्तुएं गल्ला, दाल इत्यादि पर 4 प्रतिशत की दर से व्यापार कर लगाया जाता है तब बनावटी आभूषणों पर कर न लगाने का कोई औचित्य नहीं है । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश में कहीं पर भी टेंट हाउस पर कोई टैक्स नहीं है ।

प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के अन्तर्गत 25 हजार, एक लाख कर्ज लेकर छोटी-छोटी जगहों पर लोगों ने कुर्सियां, दरियां आदि खरीद रखी हैं और वह बिल्कुल कच्चा काम है, एक दरी 8–10 बार के इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाती है लोग जो छोटे-छोटे टेंट हाउस चला रहे हैं उन पर भी आपने टैक्स लगा दिया । पूरे प्रदेश के व्यापारी जो टेंट का काम करते हैं वह हड़ताल पर जा रहे हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें और वहां पर इस पर सम्यक् रूप से विचार हो जाय और उसके बाद इसको आप सर्वसम्मति से पारित किया जाय । धन्यवाद ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विषय पर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक है इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी उधर के माननीय सदस्य ने माननीय मुलायम सिंह जी का नाम लिया, वह कह रहे थे कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कुछ नहीं किया । मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय में ही यह विधेयक बना और उन्होंने इसका सरलीकरण किया था । 1995-96 में एक समाधान कर योजना लागू की थी और उस योजना में 5 लाख, 7 लाख तक के छोटे व्यापारी हैं उनको किश्तों में कर देने की व्यवस्था की थी । वह पच्चीस हजार दे दें । फिर 25 दे दें और फिर 25 दे दें । आपने क्या किया ? जब सरकार आई दूसरी दफे भी और फिर जब मायावती जी की सरकार बनी तो इस समाधान

कर योजना को समाप्त कर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि यह छोटे-छोटे व्यापारियों की विरोधी है। बड़े व्यापरियों की संख्या इस प्रदेश में कम है। यह जो संशोधन आप लाये हैं उससे जो 95-96 में व्यापार कर समाधान योजना थी उसको समाप्त कर दिया। इस अध्यादेश के जरिए कोई अच्छी चीज प्रस्तुत नहीं की है। जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं कर देते हैं वह इससे मुक्त नहीं हो पायेंगे या उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा उल्टे उन पर अधिक बोझ लादने का काम किया गया है। जो बड़े-बड़े धन्ना सेठ हैं, पूंजीपति हैं उनसे इनकी सांठ-गांठ जरूर है, उनके साथ ब्लैक मेलिंग जरूर है। उनको लाभ पहुंचाने के लिये यह काम किया गया है। छोटे-छोटे व्यापारियों के विरुद्ध यह सरकार काम कर रही है। तानाशाही का काम कर रही है। इनका नैतिक चरित्र भी गिर गया है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

* श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैं अपने इस संकल्प पर पूरी तरह से बल देते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपनी भावनाओं को नहीं रखा। वह जन्म से व्यापारी नहीं हैं। पता नहीं वह अपनी भावनाओं को रखेंगे भी या नहीं रखेंगे लेकिन जैसा पाल जी ने कहा, जैसा पूरे सदन की भावना है कि आज जो स्वस्थ व्यापार उत्तर प्रदेश में होना चाहिए उसके लिये वातावरण बनाने की आवश्यकता है। नियमों को ऐसे तरीके से रखा गया है जो समीचीन नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। एक महीने के लिये इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और सभी लोग दलीय भावना से ऊपर उठकर जो प्रासंगिक नहीं है उस संशोधन को ठीक करके हम सब लोग सर्वसम्मति से चाहेंगे कि इसको पास किया जाय इसलिये मैं अपने संकल्प पर बल देते हुए माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि इस समय कोई बहुत अरजेंसी नहीं है, बहुत ऐसी आवश्यकता नहीं है इस बात की कि यह कर ही दिया जाय। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि वह अपनी रिपोर्ट एक महीने में दे दे। यह समिति सर्वदलीय हो। हम सब मिल जुल कर उसका नाम तय कर देंगे। उस समिति का संशोधन जब आपके सामने लाया जाय जो सबको मान्य हो। मैं पुनः इस पर बल देता हूं।

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, मैं इस संशोधन विधेयक पर बल देता हूं। यह प्रदेश के हित में है। व्यापारियों के हित में और उद्योगीकरण के हित में इतना सरल और सुन्दर यह विधेयक संशोधन लाया गया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के विकास के लिये इसमें जो व्यवस्था दी है जो केन्द्रीय कर में हमको कर नहीं मिलता था ऐसे ही चला जाता था उसकी अब प्राप्ति होगी। हमारे प्रदेश को लाभ होगा। मोटर आयल, डीजल में इसकी व्यवस्था की गयी है। नम्बर–4 में बता रहा हूं कि जितनी भी वस्तुएं यहां से चली जाती थीं बगैर टैक्स दिये उसके लिये प्राविधान किया गया है कर वंचना न हो। कर मिलने से हमारे प्रदेश का विकास होगा। पैसा नहीं होगा तो विकास कैसे होगा ? इसमे इसके लिये व्यवस्था दी गयी है। मान्यवर, इतना सरलीकरण किया है 3-3 साल के केस लम्बित पड़े हैं उसकी सीमा निर्धारित की है तीन वर्ष की जगह दो वर्ष कर दिया गया है इस तरह का संशोधन हमने किया है। बनारस में लोकोमोटिव वर्कशाप है वह बाहर से पुर्जे खरीद कर बनाते थे। छोटे-छोटे यूनिट बेकार पड़े थे हमने छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रकार से सारी व्यवस्थायें की हैं जिसका सारे लोग पसन्द करें व्यापारी पसन्द करें, जनता पसन्द करे। आज उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन्डस्ट्री निकाली जा रही है हम उनको कर में छूट देंगे वह इन्डस्ट्रीज हमारे प्रदेश में आयेंगी और इस तरह से हमारे प्रदेश का विकास होगा।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मान्यवर, कर में उत्पीड़न होता था वह 20 प्रतिशत था उसको 4 प्रतिशत कर दिया है इस प्रकार की व्यवस्थायें की गयी हैं। यह संशोधन औद्योगीकरण के हित में है जनहित में है इसलिये यह विधेयक पारित कर दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं। श्री अमर मणि जी, पाल जी और श्री प्रमोद कुमार जी वरिष्ठ सदस्य हैं मैं चाहूंगा कि वह अपने संकल्प को वापस ले लें।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री रामजग–

माननीय मंत्री जी का जवाब आया है उनके जवाब से बहुत स्पष्ट है यह कि कर संशोधन बड़े व्यापारियों के हित में आया है बड़ी कम्पनियों के हित में आया है ऐसी स्थिति में इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री अमर मणि–

वापस लेने का सवाल ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री प्रमोद कुमार–

जिस समय आपने राय जाननी चाही कायदे से उधर देखना चाहिए था लेकिन आपने जाने क्यों इधर देख लिया वह लोग किसी भ्रम में हां कर गये। आप फिर से इसको प्रस्तुत कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड 18 तक खण्ड–1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा ।

(2) धारा 5 और 8 ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगी जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, धारा 9 के खण्ड (क) और खण्ड (घ) का उपखण्ड (एक) 1 दिसम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ङङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"(ङङ) किसी माल के संबंध में, "निर्माता" का तात्पर्य ऐसे व्यापारी से है जो माल का निर्माण किये जाने के पश्चात् राज्य में प्रथम बार उसकी बिक्री करे और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,–

(एक) ऐसा व्यापारी जो ऐसी साइकिलें बेचता है जिसके पुर्जे पूर्णतया अलग-अलग हों

(दो) ऐसा व्यापारी जो किसी ऐसे अन्य व्यापारी से, जो ऐक्ट की धारा 4.4–क और 4–ककक के अधीन छूट प्राप्त बिक्री से भिन्न, अपनी बिक्री पर कर का देनदार न हो, खरीद करता है ।"

धारा 3–क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा–3–क में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् :–

"(ग) सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब जिसमें मिथाइल अल्कोहल और संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 में यथापरिभाषित मोटर स्प्रिट, डीजल आयल और अल्कोहल सम्मिलित है, के विक्रय धन पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के स्थल पर या ऐसे अन्य एकल स्थल पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, बीस प्रतिशत की दर पर या छब्बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायगा ।"

4–मूल अधिनियम की धारा 3–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :– नई धारा 3–कक का बढ़ाया जाना

"3–कक बिक्री या खरीद के सभी स्थलों पर कर का उद्ग्रहण धारा 3–क और 3–घ में दी गयी किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, घोषित माल से भिन्न किसी माल या माल के वर्ग की राज्य के भीतर बिक्री या खरीद के सभी स्थलों पर धारा 3–क या 3–घ के अधीन जारी विज्ञप्तियों में विनिर्दिष्ट दरों पर और यदि कर की दर के सम्बन्ध में ऐसी कोई विज्ञप्ति जारी न की गई हो तो धारा 3–क की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में यथा विनिर्दिष्ट आठ प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहण करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि विक्रय धन के ऐसे भाग पर जिस पर राज्य के भीतर पूर्ववर्ती बिक्री या खरीद पर कर का पहले ही भुगतान किया जा चुका हो, या पूर्ववर्ती बिक्री या खरीद के ऐसे विक्रय धन पर जिस पर ऐक्ट के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन छूट दे दी गयी हो, कोई कर देय नहीं होगा।"

5–मूल अधिनियम की धारा 3–ककक में,– धारा 3–ककक का संशोधन

(क) शब्द "उपभोक्ता को बिक्री के स्थल पर" के स्थान पर शब्द "इस ऐक्ट के अधीन" रख दिये जायेंगे :

(ख) परन्तुक के खण्ड (एक) में शब्द "धारा 3–कक के अधीन" के स्थान पर शब्द "इस ऐक्ट के अधीन" रख दिये जायेंगे।

6–मूल अधिनियम की धारा 3–च में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में, और खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) में, शब्द "मूल्य" के स्थान पर शब्द "विक्रय मूल्य" रख दिये जायेंगे और 13 सितम्बर, 1985 को रखे गये समझे जायेंगे। धारा 3–च का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 3–छ में, उपधारा (2) में शब्द "विद्युत ऊर्जा" के स्थान पर शब्द "विद्युत ऊर्जा और रेल डीजल लोकोमोटिव इंजन" रख दिये जायेंगे। धारा 3–छ का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 4 में,– धारा 4 का संशोधन

(क) खण्ड (क) में शब्द "नमक" के स्थान पर शब्द "नमक" प्रसंस्कृत और ब्राण्ड नाम वाले नमक को छोड़कर" रख दिये जायेंगे।

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड (क) में शब्द "या सुगन्धित पानी" के स्थान पर शब्द "सुगन्धित पानी या कार्क से या अन्य प्रकार से सील बन्द पात्र में या कैप्सूल में बेचे जाने वाला निर्मित या प्रसंस्कृत पानी" रख दिये जायेंगे।

धारा 4–क का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 4–क में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "बारह वर्ष" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह वर्ष" रख दिये जायेंगे ;

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"प्रतिबन्ध यह है कि पचास करोड़ रुपये या अधिक का स्थिर पूंजी विनिधान करने वाली किसी नई इकाई में, या किसी विद्यमान इकाई, जो पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर जैसी विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाय विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण और वैकवर्ड इन्टीग्रेशन या उनमें से किसी एक में पचास करोड़ रुपये या अधिक का स्थिर पूंजी विनिधान करे, में निर्मित माल के संबंध में कर से छूट या उसकी दरों में कमी, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त गठित समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् प्रदान की जा सकती है ।"

(ख) उपधारा (2–ख) में,–

(एक) शब्द "यदि उसका उत्तरधिकारी कोई अन्य निर्माता होता है तो ऐसा उत्तराधिकारी निर्माता" के स्थान पर शब्द "यदि विक्रय, लाइसेन्स" संविदा, पट्टा, प्रबन्ध अभिकरण द्वारा या किसी अन्य रीति से उसका उत्तराधिकारी कोई अन्य निर्माता होता है तो ऐसा उत्तराधिकारी निर्माता" रख दिये जायेंगे ;

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कर की देनदारी के प्रयोजन के लिए ऐसा निर्माता और उत्तराधिकारी निर्माता धारा 3–ग के अधीन हस्तान्तरकर्ता और हस्तान्तरिती माना जायगा ।"

(ग) उपधारा (5) में, खण्ड (क) में शब्द "उक्त उपधारा में निर्दिष्ट सुविधा की अवधि के प्रारम्भ के सुसंगत दिनांक से छः मास के भीतर" के पश्चात् शब्द "या उपधारा के अधीन जारी विज्ञप्ति के दिनांक से छः मास के भीतर" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(घ) स्पष्टीकरण (5) में,–

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द "जिसकी उत्पादन क्षमता" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में यथाउपबंधित के सिवाय जिसकी उत्पादन क्षमता" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"(ङ) जो उसी जिले के भीतर स्थापित की गई हो जिसमें वर्तमान औद्योगिक इकाई स्थापित हो ।"

10–मूल अधिनियम की धारा 4–ककक के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी अर्थात् :– धारा 4–ककक का प्रतिस्थापन

4–ककक–धारा 4–क में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि कतिपय औद्योगिक उपक्रम का किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण कर दिया गया है तो वह विज्ञप्ति द्वारा ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को पन्द्रह वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए कर से ऐसी रियायत या छूट प्रदान कर सकती है, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाय ।'' कतिपय औद्योगिक उपक्रमों को विशेष रियायत

11–मूल अधिनियम की धारा 4–ख में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :– धारा 4–ख का संशोधन

''(5) यदि किसी व्यापारी ने, जिसके पक्ष में उपधारा (2) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस धारा के अधीन रियायत दर पर कर भुगतान या जैसी भी दशा होकर कर भुगतान किए बिना माल खरीदा हो, और ऐसे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो तो ऐसा व्यापारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का, जैसी कर निर्धारक अधिकारी निश्चित करें, देनदार होगा जो इस धारा के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर या खरीद पर देय कर की धनराशि और इस ऐक्ट के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अन्तर से कम न होगी किन्तु ऐसे अन्तर की धनराशि के तीन गुने से अधिक न होगी ।''

''(6) यदि किसी व्यापारी ने, जिसके पक्ष में उपधारा (2) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस धारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो कर का भुगतान किए बिना माल खरीदा हो और ऐसे कच्चे माल या प्रसंस्करित सामग्री से निर्मित माल या ऐसी पैकिंग सामग्री के साथ पैक किए जाने के पश्चात निर्मित माल राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है तो ऐसा व्यापारी इसधारा के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर या खरीद पर देय कर की धनराशि और ऐसे माल की बिक्री पर या खरीद पर चार प्रतिशत की दर से आंकलित कर की धनराशि के अन्तर के बराबर धनराशि का देनदार होगा ।''

12–मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात :– धारा 5 का प्रतिस्थापन

''5(1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी विनिर्दिष्ट हो,– कतिपय क्रय या विक्रयों पर कर की छूट

(क) किसी माल के विक्रय या क्रय पर, या

(ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा ऐसे माल जो उपर्युक्त विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किए जायं के विक्रय या क्रय पर, किसी विनिर्दिष्ट स्थल पर लगाये गये कर की पूरी धनराशि तक छूट दे सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन छूट विज्ञप्ति के दिनांक के पूर्व के दिनांक से दी जा सकती है ।

धारा 8 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 8 में,–

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3–ख के अधीन" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3–ख या धारा 4–ख की उपधारा (6) के अधीन" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2–क) में,–

(एक) शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "कमिश्नर" रख दिया जायगा ;

(दो) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

"प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को और से कमिश्नर ऐसे निर्माता के जिसकी किसी लघु इकाई के उत्पादन प्रारम्भ करने का दिनांक 1 अप्रैल, 1990 को या उसके पश्चात् पड़ता हो, प्रार्थना-पत्र पर धारा 4–क के अधीन छूट के बदले में स्वीकृत कर के भुगतान के लिए अधिस्थगन स्वीकार कर सकता है और ऐसा अधिस्थगन स्वीकार करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1993 द्वारा यथा संशोधित उत्तरप्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 के नियम 43 के उपबन्ध लागू होंगे ।"

धारा 9 का संशोधन

14–मूल अधिनियम की धारा 9 में,–

(क) उपधारा (1–ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :–

"(1–ख) इस ऐक्ट के अधीन कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि अपीलकर्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत विवरण-पत्रों या इस ऐक्ट के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर स्वीकार किए गए इसमें जो भी अधिक हो यथास्थिति, विक्रय धन या क्रयधन पर इस ऐक्ट के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि का भुगतान करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो" :

(ख) उपधारा (3–क) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड में,–

(एक) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"(1) इस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि उसे उपधारा (1) के अधीन अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत न किया जाय :'

(दो) खण्ड (2) निकाल दिया जायगा ;

(ग) उपधारा (7) का स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा ।

15–मूल अधिनियम की धारा 10 में,– धारा 10 का संशोधन

(क) उपधारा (6) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, खण्ड (1) में शब्द और अंक "धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 9 की उपधारा (1–ख) के अधीन" रख दिये जायेंगे :

(ख) उपधारा (10) में, खण्ड (क) उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"(1) दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायगा, यदि ऐसा आदेश अपर कमिश्नर (अपील) द्वारा दिया गया हो या विवादग्रस्त कर, शुल्क या अर्थदण्ड की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक हो :"–

16–मूल अधिनियम की धारा 13–क में,–उपधारा (9) निकाल दी जायगी । धारा 13 क का संशोधन

17–मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "ऐसे वर्ष के अन्त से तीन वर्ष, या 31 मार्च, 1996 जो भी पश्चात्वर्ती हो" के स्थान पर शब्द और अंक "ऐसे वर्ष के अन्त से दो वर्ष, या 31 मार्च, 1998 जो भी पश्चात्वर्ती हो", रख दिये जायेंगे । धारा 21 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1997 निरसन और अपवाद

18–(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड 18 तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1997 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री अमरमणि–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1997 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, उच्चतर शिक्षा की जो हालत है वह इस सदन के माननीय सदस्यों से छिपी हुई नहीं है । आप देखें कि उच्चतर शिक्षा की क्या हालत है । आज प्रदेश में बिजली पासी के किले का सौन्दर्यीकरण हो रहा है । आज शाहू जी महाराज का मेला लगाया जा रहा है । आज तमाम ऐसी विभूतियों के नाम सामने आ रहे हैं जिनको हम जानते तक नहीं थे कि यह कौन सज्जन है । अब हमें झलकारी देवी का इतिहास पढ़ाया जा रहा है जिनको हम जानते तक नहीं थे । श्रीमन् मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं मैंने कभी झलकारी देवी का नाम नहीं सुना आज हमें अपनी शिक्षा पर खेद है । तमाम ऐसे विषय जिनको हमें जानना चाहिए था, जिसका हमें संज्ञान होना चाहिए था वह संज्ञान हमें नहीं हुआ ।

हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि तमाम ऐसा ज्ञान जो सामाजिकता के लिए आवश्यक है वह ज्ञान होना चाहिए । शिक्षा ऐसी हो जो रोजगार परक हो । हमने मुहम्मद तुगलक को पढ़ा है, मोहन जोदड़ो और हड़प्पा को पढ़ा है लेकिन उसका विश्लेषण नहीं करते हैं । इतिहास के पन्नो को उठाकर आप देख लें हम उसका विश्लेषण नहीं करते हैं । आज जो शाहू जी के नाम पर मेला लग रहे हैं तो हमें पूछना पड़ रहा है कि यह शाहू जी महराज व पेरियार कौन थे ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

हमें यह पूछना पड़ रहा है कि यह पेरियार साहब कौन हैं ? इनका समाज के लिए क्या उपयोग है, समाज के प्रति क्या योगदान है यह मैं नहीं जानता ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

मान्यवर, कुछ सदस्य हर बात पर खड़े हो जाते हैं उनको ब्लैक लिस्ट करना पड़ेगा ।

मान्यवर, हमारा अभिप्राय यह है कि पेरियार साहब कोई महान आदमी हैं, जिनका समाज के लिये कोई न कोई योगदान रहा होगा । लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण है कि हमने न तो यह

जाना और न यह समझा ही कि पेरियार महोदय कौन थे ? आज बार-बार प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि हमारे इतिहास कारों ने मूल्यांकन गलत किया है । हिन्दुस्तान के इतिहासकारों ने महामनों और बड़ी-बड़ी विभूतियों का मूल्यांकन गलत किया है यह हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने और मुख्यमंत्री मायावती जी ने कई बार कहा है । हमने भी किताबों को पलटना शुरू किया । हमने कभी द्वितीय श्रेणी में कक्षा नहीं पास की है, प्रथम श्रेणी में कक्षा पास की है, हमने पोस्ट–ग्रेजुएट तक शिक्षा ली है । हमें हिन्दुस्तान के सभी विषयों पर जानकारी होनी चाहिए परन्तु ऐसे झलकारी देवी और पेरियार महोदय तथा ऐसे महान विभूति जो आज आ गये हैं, उनके नाम गुब्बारा बनाकर उड़ाया जा रहा है और प्रदेश के लोगों को बताया जा रहा है कि इनका योगदान अच्छा रहा होगा । मैं चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जाये कि ऐसे महान विभूतियों की जानकारी मुझ जैसे पढ़े-लिखे लोगों को भी प्राप्त हो सके । मान्यवर, यह कैसी विडम्बना है कि पेरियार महोदय का मेला लगाया जाता है, मैंने भाई प्रमोद कुमार जी से जानना चाहा कि यह पेरियार महोदय कौन थे तो उन्होंने बताया कि पेरियार महोदय वह थे जिन्होंने राम को अपमानित किया था और आज विडम्बना ऐसी है कि राम के नाम पर जीतने वाले और गाली देने वाले लोग एक साथ सत्ता में बैठे हुए हैं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन किया गया है, जो उसका संशोधन रखा गया है, उसमें कहीं इस बात की व्यवस्था नहीं की गयी है कि पेरियार महोदय को जानने का हक अमरमणि, विनय कुमार पाण्डेय, हरिशंकर तिवारी और प्रमोद कुमार जी को हो । इतना बड़ा मेला लगा रहे हैं, इतना साहित्य बांट रहे हैं । अगर हमें अपने पाठ्य पुस्तकों का परिवर्तन करना है, ऐसे अध्याय जोड़ना है तो मैं चाहता हूं कि अगर पेरियार महोदय का योगदान रहा है तो उनका उद्धरण होना चाहिए था, उनको हिन्दुस्तान के बच्चों को जानना चाहिए ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

एक माननीय सदस्य–

अधिष्ठाता महोदय, यह विषय से हटकर बोल रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं यह उच्चतर शिक्षा आयोग से संबंधित विधेयक है और आपको आयोग के गठन के संबंध में ही अपने को सीमित रखना चाहिए । इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप विषय पर बोलें और संक्षेप में अपनी बात कहें ।

(सत्ता पक्ष की ओर से कुछ सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर)

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैं शिक्षा पर ही बोल रहा हूं, अशिक्षा पर नहीं बोल रहा हूं, अगर इनकी समझ में न आये तो मुझसे पूछ लें, मैं पढ़ा दूंगा । मान्यवर, शिक्षा जिसे प्राप्त करके एक आदमी समाज में सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है और समाज के लिये अपना योगदान करता है । ऐसे आवश्यक विषय पर ऐसे अतिमहत्वपूर्ण विषय पर, जिसकी आवश्यकता आज पूरे प्रदेश को है, इसीलिये इसमें संशोधन लाया गया है । मैं इस सदन के माध्यम से चाहता हूं कि सदन तलीय भावनाओं से ऊपर उठकर हम, आपको, सबको उच्चतर शिक्षा जो होती है, उससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं होती है, उसको ऐसा बनाया जाय, जिसमें जो महापुरूष छूट गये हैं, जैसे झलकारी देवी हैं, पेरियार महोदय, हैं, साहू जी महाराज हैं....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अमरमणि जी, उत्तर भाषण में भी आपको फिर अवसर मिलेगा, कृपा समाप्त करें ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, उच्च शिक्षा मंत्री भाजपा के हैं मैं चाहूंगा कि वह इस बात को स्वीकार करें कि ऐसे महापुरूष जिनके नाम छूट गये हैं, को जोड़ने की व्यवस्था की जायेगी, इसके लिये आज तय नहीं होगा। अगर यह ऐसा चाहते हैं तो सुनियोजित तरीके से, दलीय भावना से ऊपर उठकर एक ऐसा विचार लिया जाय जो हमारी उच्चतर शिक्षा को और उत्तम बनावें, रोजगारपरक बनाये। मान्यवर, हमारे यहां लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है। मैं इस सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरा सदन दलीय भावना से ऊपर उठकर हमारे इस संकल्प में सहयोग करते हुये जो हमारी त्रुटिपूर्ण शिक्षा पद्धति है, उसको सुधारने में सहयोग करेगी, जिसके लिये यह संकल्प लाया गया है, मैं उस पर पुनः बल देता हूं, धन्यवाद।

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यहां पर जितने सम्मानित सदस्य उपस्थित हैं, हम सभी चाहते हैं कि प्रदेश की उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, जिससे जो छात्र छात्रायें हैं, उससे इनका भविष्य निर्धारित होगा। यह जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके माध्यम से जो शासकीय महाविद्यालय हैं, उसमें जो शिक्षक हैं, उनकी नियुक्तियों के प्राविधान के बारे में, साथ ही अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनकी अर्हता के बारे में एक भाग है। दूसरा भाग शासकीय महाविद्यालयों में जो तदर्थ अध्यापक हैं, उनका विनियमतीकरण किये जाने के संबंध में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है.... संभवतः यहां पर पहला जो भाग है उसमें अध्यक्ष सदस्य हैं और उनकी जो अर्हता थी उसमें परिवर्तन करने का सुझाव इस संशोधन द्वारा किया गया है।

मान्यवर, जैसे यदि कोई कांसटेबिल है और वह एस० आई० के चयन में बैठे तो यह ठीक नहीं होगा इसलिए कम से कम अपने समकक्ष का व्यक्ति चयन में होना चाहिए। पहले व्यवस्था थी लेक्चरर, प्रवक्ता प्राचार्य के लिए चयन में जो बैठते थे वह उनके समकक्ष नहीं थे, जो उचित नहीं था। इसलिए इस संशोधन के माध्यम से अर्हताओं में परिवर्तन किया है। इसी तरीके से सदस्य की अर्हता में परिवर्तन किया है कि कम से कम उस समकक्ष के जिसका चयन करना है सदस्य होना चाहिए। मान्यवर, वर्ष 1991-92 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय भी मैं उच्च शिक्षा मंत्री था, तो उस समय प्रदेश में काफी संख्या में तदर्थ अध्यापक थे जिनके विनियमितीकरण का प्रश्न उठा था और उसके पूर्व में भी कई सरकारें रही जिन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया लेकिन 91-92 में तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकरण के संबंध में अध्यादेश और बाद में विधेयक बना जिसमें लगभग 1,300 अध्यापकों का विनियमितीकण हुआ था लेकिन उसमें कुछ अध्यापक छूट गए थे चूंकि मानक कठोर थे। इसलिए उनको भी न्याय मिलना चाहिए।

मान्यवर, हमारी भा०ज०पा० और ब०स०पा के गठबंधन की सरकार है और शिक्षक योग्य हैं इसलिए तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकरण के संबंध में 26 मई को अध्यादेश निकाला गया और उसी के अनुरूप यह विधेयक है। इससे अध्यापक लाभान्वित होंगे। इसलिए अनुरोध है कि माननीय सदस्य सर्वसम्मति से इसका समर्थन करें।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मंत्री जी ने बड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से इस संशोधन प्रस्ताव को रखने का प्रयास किया है । लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो उन्होंने यह संशोधन रखा है इसको आज अभी इसी समय पास होने की कोई अत्यन्त आवश्यकता नहीं थी । यदि हमारा सुझाव आप मान लेते तो हो सकता है कि और अच्छे सुझाव आ जाते और एक महीने के अंदर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे देती । समिति में सारे दलों के सदस्य अपनी-अपनी भावना रखते जिससे यहां कोई आपत्ति नहीं होती और हम लोग सर्वसम्मति से इस संशोधन विधेयक को पारित कर देते ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने छोटा सा संशोधन प्रस्तुत किया है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । मान्यवर, इसे प्रवर समिति को सौंपने का अभिप्राय यह है कि इतने गम्भीर विषय पर सदन की एक कमेटी बना दी जाय जो इसकी छानबीन कर ले कि इस उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की पृष्ठभूमि क्या है ? मान्यवर, 19 वर्ष पहले इस सदन में उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में था तो उत्तर प्रदेश के महाविद्यालयों में अच्छे छात्रों का चयन हो, अच्छे अध्यापक आयें । मान्यवर, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की संकल्पना की थी उस समय इस सदन में प्रवर समिति का गठन किया था और मेरी अध्यक्षता में लगातार उसकी बैठकें हुई थीं और उस प्रवर समिति ने विचार कर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग बनाया था । हम सभी लोगों की मंशा है कि शिक्षा का उन्नयन हो और यह उच्चतर शिक्षा पक्षपात और भाई भतीजावाद से मुक्त हो । जो मेधावी छात्र हैं भले ही वह गरीब परिवारों में पैदा हुए हों झौपड़ियों में पले बसे हों अगर उनमें मेधा है, प्रखरता है तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिले इसलिए इस शिक्षा आयोग का गठन किया गया था लेकिन आज महाविद्यालयों में हजारों शिक्षकों के पद रिक्त हैं और जब से यह सरकार बनी हैं इसने आयोग को काम नहीं करने दिया आज अध्यापकों के चयन का काम अवरुद्ध है पिछली बार भी इस सरकार ने उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा आयोग की जगह 8 मण्डलीय आयोग गठित किया था नतीजा यह हुआ कि वर्षों वर्ष तक अध्यापकों के चयन का काम अवरुद्ध रहा ।

मान्यवर, इस आयोग का गठन बहुत सोच-समझकर किया गया था तमाम शिक्षाविद् और कुलपति इस प्रवर समिति के समक्ष साक्ष्य के रूप में उपस्थित हुए थे मुझे स्मरण है कि प्रवर समिति के समक्ष तमाम विद्वान साक्ष्य के लिए आए थे जब यह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में बना था । मान्यवर, मंत्री जी मेरे मित्र हैं उच्च शिक्षा में उनकी नीयत पर मुझे संदेह नहीं है लेकिन जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसमें राजनीतिक कारणों से मुझे शंका बनी हुई है । इसलिए माननीय मंत्री जी मुझे आश्वस्त करें कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा, किसी तरह का भाई भतीजावाद नहीं होगा , मेंधा के आधार पर चयन होगा, प्रतिभा, योग्यता के आधार पर चयन किया जायेगा ।

प्रदेश की 14 करोड़ जनता को शिक्षा देने वाले शिक्षक कम से कम उच्चतर शिक्षा की जो मान्यताएं हैं, जो उनके मानक हैं उनके अनुरूप ही अध्यापकों का चयन हो सके । आज पहाड़ी क्षेत्र में तमाम महाविद्यालय अध्यापक के अभाव में खाली पड़े हैं । मैदानी क्षेत्र में भी अध्यापकों का अभाव है । अगर चिन्ता होती तो इस दिशा में कदम उठाया गया होता । जैसा माननीय मंत्री जी को शंका थी हमारे समय में तमाम तदर्थ अध्यापकों का विनियमितीकरण बड़े पैमाने पर किया गया था । मान्यवर, हम आज भी सहयोग देना चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, उच्च शिक्षा गरिमामय हो और मानक के अनुरूप हो और यह महाविद्यालय राजनीति से प्रेरित न हो ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इस विषय से हटकर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग संशोधन ला रहे हैं और दूसरी तरफ कानपुर में एक राजनीतिक आयोजन हो रहा है । शैक्षिक संस्थाओं

को राजनीति से अलग माना है यहां तक कि हमारे जितने राजनीतिक महापुरूष हुए है उन्होंने भी विश्वविद्यालयों की गरिमा, उसकी सुचिता को बनाये रखा है लेकिन आज यह सरकार कानपुर विश्वविद्यालय में राजनीतिक ड्रामा और राजनीतिक मेला लगाने का काम करने जा रही है ।

मंत्री जी अगर आप में सदाशयता होती, मुख्यमंत्री आप पर दबाव डाल रही है आपकी बात नहीं मानती तो आप इस्तीफा दे दें । विश्वविद्यालय की सुचिता और गरिमा बनाये रखने के लिए उ० प्र० के शिक्षा मंत्री ने एक साहसिक कदम उठाया यह हम लोग कह सकते थे और हम आपकी सराहना करते । मान्यवर, यह छोटा सा संशोधन है इसे प्रवर समिति के पास भेज दें ।

* श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं डा० गौड़ के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं अभी माननीय अमर मणि बोल रहे थे । एक टी० वी० सीरियल चल रहा था जो अभी समाप्त हुआ है । जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने संबोधन में जिस तरह से झलकारी बाई को प्रस्तुत किया, उस वीरांगना को लाकर खड़ा किया था और भारत में उसने एक इतिहास रचा । मान्यवर, तीन तरह के जो इतिहास हैं प्राचीन, मध्य कालीन और आधुनिक । इन्होंने मार्डन को तो पढ़ा लेकिन जो महारानी लक्ष्मीबाई का इतिहास है उसको पढ़ नहीं पाये । अभी डा० बाजपेयी ने कहा कि अनेक पद खाली हैं । प्रबंधकों द्वारा जिन लोगों को लम्बे समय से तदर्थ रूप से नियुक्त कर रखा था आज उसमें साहस किया गया है, जब पिछली बार भी बी० जे० पी० की सरकार थी तब भी साहस करके तदर्थ लोगों को नियुक्त किया गया था । आज भी साहस करके हजारों शिक्षको को नियमित करने जा रहें हैं ? जो यह संशोधन विधेयक लाये हैं, प्रिन्सिपल का जो अप्वाईमेंट होगा उस चयन में अध्यक्ष के रूप में बैठेगा एक लेक्चरार, यह एक त्रुटि रही है एक लेक्चरार किसी भी स्थिति मे अधिकारी नहीं हो सकता ।

(इस समय 7 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, शिक्षा में नकल न हो इसके लिये एक योजना हम लोगों ने बनायी थी उस समय लेकिन, ज्यों ही हमारी सरकार गयी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आयी, उसके पहले ही उन्होंने कह दिया था कि सरकार में आने पर नकल करने की छूट देंगे इससे बुरी व्यवस्था किसी प्रदेश के लिये और क्या हो सकती है ? यह जितने लोग बैठे हुए हैं यह नकल करने वाले हैं, नकल करके पास हुए हैं ।

इनके तो अक्ल ही नहीं है नहीं तो यह इतना अच्छा प्रस्ताव आया है इसका समर्थन करते । जब अकल ही नहीं होगी तो यह कैसे सोचेंगे कि प्रिंसिपल बड़ा है या फिर लेक्चरर बड़ा है । इसी के साथ मैं इसका समर्थन करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी को साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रस्ताव यहां सदन के पटल पर रखा जिससे इस प्रदेश के हजारों लड़कों को विनियमितीकरण करने का काम किया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक जो इस सम्मानित सदन के समक्ष रखा है और उन्होंने जिन उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है, जो गुण गिनाये हैं वह देखने में तो अच्छे लगते हैं । जिस तरह से चाशनी में लपेटकर उन्होंने अपनी असली भावनाओं को पीछे करके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुन्दर लगने वाली बात सामने रखी है लेकिन जो उनकी अन्दर की भावना है उसको उजागर नहीं किया है । इस प्रकार के शब्द पहली बार नहीं प्रस्तुत किये हैं इससे पूर्व भी जब वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे थे तब भी इसी प्रकार के शब्दों को इन्होंने इस्तेमाल किया था और उसी की कड़ी के रूप में यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है ।

श्रीमन् इनकी जो असली मंशा है वह यह है कि इस सरकार में आने से पूर्व जितनी संस्थायें, जितने बोर्ड, जितने आयोग जितनी बाडीज इस तरह की है उनको किसी बहाने से हटाकर अपने जो लोग हैं उनको यहां पर बैठा दिया जाय और हेरा-फेरी की जाय । जिन लोगों के अधिकार थे, जिन दबे कुचले लोगों को अवसर मिला था उनको समाप्त करके अपने निहित स्वार्थों को आगे लाकर इन बाडीज और संस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए इनकी मंशा है । मान्यवर, पिछली बार भी जब यह शिक्षा मंत्री थे इन्होंने एक अपनी सीमा रेखा बनायी थी कि अमुक तिथि तक जो तदर्थ नियुक्तियां की गयी थी उनको विनियमितीकरण के लिए कह दिया और बाकी कोलटकने के लिए छोड़ दिया । मान्यवर, इन चार-पांच सालों में जो नये-नये महाविद्यालय खुले हैं विशेषतः मुलायम सिंह जी के मुख्य मंत्रीत्वकाल में जो महाविद्यालय खुले हैं उनमें जो नियुक्तियां लेक्चरर की हुई हैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों की पीड़ा बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं ।

मान्यवर, उच्च शिक्षा मंत्री जी मंत्री मण्डल के अन्य मंत्रियों की तरह नहीं है बल्कि यह कलाकार लोगों में से है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दो तरह के आदेश दिये गये । मान्यवर, मैं गोरखपुर और पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय की बात यहां पर करना चाहूंगा नियुक्ति के संबंध में एक तो विश्वविद्यालय का आदेश, दूसरा शासन का आदेश और तीसरा शिक्षा अधिकारी जो मंडल मुख्यालय पर बैठा हुआ है वह जो मिमांसा करता है. मान्यवर, गरीब परिवार से आया प्रतिभाशाली नौजवान जिसे प्रबन्धतंत्र ने नियमानुसार नियुक्ति दे रखी है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाय यही मंशा इस सरकार की जान पड़ती है ।

और आप अपनी मनमानी कर सकें, इस लिये इस विधेयक को माननीय मंत्री जी ने सदन में रखा है । मान्यवर, अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । शुक्ल जी बहुत ज्ञानी हैं, उन्होंने दो प्रकार की हिस्ट्री का जिक्र किया, दो प्रकार की हिस्ट्री नहीं होती है, तीन प्रकार की होती है । मैं स्मरण दिलाने की बात कर रहा हूं । पहले आप इसको आर्डीनेन्स के जरिये लाना चाहते थे, और नहीं ला सके । मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको भी विचार करके नहीं लाये हैं । नियुक्तियों का मामला बहुत ही पेचीदा है । इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि आप इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, जो इस पर विस्तार से विचार करके अपनी रिपोर्ट दे । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, उच्चतर शिक्षा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 के सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर जो बातें कही गयी हैं, अगर उनको देखें, तो प्रतीत होता है जैसा कि नौकरशाही उच्च शिक्षा व्यवस्था को अपने जाल में फसाने की बात हो रही हो । इस देश के लोगों ने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है । लेकिन इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आई०ए०एस० अधिकारियों और दूसरे नौकरशाहों का उच्चतर शिक्षा आयोग से भरने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है । मान्यवर, लाल-फीताशाही से देश की तरक्की को काफी नुकसान हो चुका है और उच्च शिक्षा से तो नौकरशाहों को दूर रखना चाहिए जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो इस पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दे और बताये कि चयन की जो प्रक्रिया

है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है ? शिक्षाविदों की राय लेकर बनाया जाना चाहिये ।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, हम लोगों ने इस विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव रखा था । माननीय मंत्री जी ने एक संशोधन विधेयक के रूप में इसको लाये हैं, यह उनकी बुद्धि का परिचायक है, हम लोगों की शंका है कि कहीं उसी बुद्धि का उपयोग करके स्वायत्तशासी संस्थायें जो हैं, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण न हो जाये, उनकी निष्पक्षता बनी रहे । इस बारे में और भी बहुत से बिन्दु थे, जिनको आपने सुना और अधिष्ठाता महोदय ने सुना ।

मान्यवर, सभी लोग चाहते हैं कि अभी इसकी आवश्यकता जल्दी नहीं है कि आज ही यह पास हो जाय इसमें कहीं सरकार को कोई असुविधा भी नहीं है । हमने संशोधन प्रस्ताव में ही कहा है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । जिसमें सभी दलों के लोग मिलकर एक सुनिश्चित समय के अन्दर अपना प्रतिवेदन दे दें । एक महीने में प्रतिवेदन देने की बात कही है कि जो सदन के सम्मुख रखा जाएगा उस समिति में सारे दलों के लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर अपने विचार रखेंगे उसके बाद यहां पर निर्विरोध यह पारित कर दिया जाएगा और एक अच्छा विधेयक बनेगा । इसमें कमियां दूर करने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत कमियां रह गयी हैं वह दूर हो जाएंगी और एक अच्छा विधेयक यह बनेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं माननीय नेता सदन भी आ गई हैं वह भी जानती हैं कि इसके जल्दी पास होने की आवश्यकता नहीं है । अतः इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । सदस्यों के नाम बाद में दे दिए जाएंगें ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, अभी कई सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए । माननीय अमर मणि जी ने कहा है कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्या थी ? सम्भवतः कल परसों ही चर्चा हुई कि अध्यादेश क्यों जारी किये जाते हैं । मान्यवर, 26 मई को यह अध्यादेश लाया गया था और सरकार ने तय किया था कि जल्दी इसे विधेयक के रूप में सदन में प्रस्तुत किया जाय । इसीलिए यथाशीघ्र हमने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है । कई सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं । शिक्षा में गुणवत्ता प्रतिष्ठित होनी चाहिए । मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं शिक्षा मंत्री होने के नाते मेरा स्पष्ट मत है कि शिक्षा ऐसा विषय है जिसे, राजनीतिक चश्में से नहीं देखा जाना चाहिए तभी हमारे छात्रों का भविष्य उज्ज्वल होगा ।

विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं और उनकी स्वायत्ता बनाये रखी गई है । कई सुझाव इस संबंध में दिए गए हैं उनका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, कैरीकुलम क्या होना चाहिए इसके लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र हैं । मैंने कल भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि शिक्षा में सुधार की दृष्टि से अच्छे विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान देने के लिए शासन ने विचार किया है । उसके लिए धन की व्यवस्था भी की है । जहां तक रिक्त पदों के बारे में बात आई अनेक पद पर्वतीय क्षेत्र में खाली हैं । वहां महाविद्यालयों में 135 पद तदर्थ रूप से भरे गए हैं । महाविद्यालयों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव लोकसेवा आयोग को सन्दर्भित किया है उनका चयन शीघ्र हो जाएगा तो राजकीय महाविद्यालयों के रिक्त पद भर दिए जायेंगे । जब तक शिक्षकों और प्राचार्यों के पद भरे नहीं जाएंगे उन संस्थाओं की व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं हो सकती है ।

हमारी सरकार बनने के बाद हमने डी० पी० सी० बनाई और 71 महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति शासन ने की है । आज की तारीख में कोई राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य का पद रिक्त नहीं है । इसी तरह से अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के पद जो रिक्त हैं उन पदों को भरने के लिये एक कार्य योजना बनायेंगे और वह पद भरे जायेंगे । हमारे माननीय सदस्य ने अभी कहा कि हमने अर्हताओं में परिवर्तन किया है और विज्ञान की बात जोड़ दी गयी है । मैं विज्ञान का प्राध्यापक हूं, कुलपति या प्रोफेसर विज्ञान का भी हो सकता है यह कहां की मंशा है कि वह अध्यक्ष नहीं हो सकता है । हमारी सरकार का प्रयास है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में योग्य से योग्य व्यक्ति आयें । एक बार जो प्राध्यापक बना वह 30-35 साल पढ़ायेगा इसलिये कम से कम वहां सही व्यक्ति आये इसलिये ऐसी व्यवस्था की गयी है । मैं समझता हूं कि हमारी बातों से आप असहमत नहीं होंगे । हम जो अध्यापक तदर्थ रूप से 5 साल से पढ़ा रहे हैं उनको नियमित करने के लिये यह विधेयक लाये हैं । मैं समझता हूं कि आप सब लोग इससे सहमत हैं, आप इससे सहमत हैं और प्रवर समिति में भेजने की बात भी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप अपने प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वापस ले लें और सर्वसम्मति से इसको पारित करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अमरमणि जी क्या आप इसको वापस लेते हैं ?

श्री अमरमणि–

आपकी भावना से हम सभी लोग अवगत हुए । आपकी भावना से हम सहमत हैं,अतः मैंअपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 20 का संशोधन वापस हुआ । अब मैं पद 21 ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 5 खण्ड 1. प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 26 मई, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह,––

(क) उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसने जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो ; या

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसने राज्य सरकार के सचिव का पद या राज्य सरकार के अधीन उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो ; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो ; या

(घ) किसी विश्वविद्यालय में आचार्य न हो या न रहा हो ।"

(2–क) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह,–

(क) उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसने जिला न्यायाधीश का पद उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो ; या

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसने राज्य सरकार के सचिव का पद या राज्य सरकार के अधीन उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो ; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो ; या

(घ) किसी विश्वविद्यालय में आचार्य न हो या न रहा हो ; या

(ङ) कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिये किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य न हो या न रहा हो ; या

(च) कम से कम पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिये किसी स्नातक महाविद्यालय का प्राचार्य न हो या न रहा हो ।"

धारा 6 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 6 में, उप धारा (1) में स्पष्टीकरण निकाल दिया जायेगा ।

धारा 31-ग का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 31-ग में,–

(क) उपधारा (1) में, ––

(एक) खण्ड (क) में शब्द और अंक "30 जून, 1991" पर शब्द और अंक "22 नवम्बर, 1991" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ख) धारा 16 की उपधारा (1) के, जैसी कि वह खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम द्वारा उसके निकाले जाने के पूर्व थी, अधीन तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, चाहे रिक्ति आयोग को अधिसूचित की गयी हो या न की गयी हो।" ;

(तीन) खण्ड (ग) में शब्द "पद पर अपेक्षित थी" के पश्चात् शब्द " या उसे ऐसी अर्हताओं से छूट प्रदान की गयी थी" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(चार) खण्ड (घ) निकाल दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"(5) उपधारा (4) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (घ) में किये गये संशोधनों की दृष्टि से प्रत्येक ऐसे अध्यापक के मामले में पुनर्विचार करेगी जो उपधारा (4) के अधीन पद धारण करने से प्रवरित हो गया हो और यदि ऐसे पुनर्विचार के परिणामस्वरूप कोई ऐसा अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाया जाय तो उसे उपधारा (1) में यथा उपबन्धित मौलिक नियुक्ति दी जा सकती है और वह समक्षा जायेगा कि वह पदधारण करने से कभी भी प्रविरत नहीं हुआ है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1997

निरसन और अपवाद

5–(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध के अधीन कृत कोई कार्य कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड–5 तथा खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं उत्तर प्रदेश उचतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय व्ययक पर साधारण चर्चा

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, आपने मुझे वर्ष 1997-98 के बजट पर साधारण चर्चा जो होने जा रही है उसमें भाग लेने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आभारी हूं । श्रीमन्, हमारी नेता सदन जो वित्त मंत्री भी हैं उन्होंने 37 पेज का बजट भाषण प्रस्तुत किया है । उसमें से केवल एक पेज नं०–8 पर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति जो पीछे हो रही है उसके संबंध में जो थोड़ा सा कहा है । उसको पढ़कर जो भी कहा है वह सत्य से परे है और मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आज सारे उत्तर प्रदेश की जनता प्रदेश के बजट पर आंख लगाये बैठी हुई थी ।

शोषित, पीड़ित, अल्प संख्यक और उच्च जाति के जो गरीब लोग हैं, उनकी बड़ी ही अभिलाषा थी और सोच थी इस बात की कि शायद इस बजट में उनके विकास के लिये कुछ प्राविधान किया जायेगा लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के विकास के लिये आपने जो प्राविधान रखे हैं उससे प्रदेश का विकास होने का कोई प्रश्न ही नहीं है और इसलिये नहीं है कि आपका बजट फिजूलखर्ची से इस बुरी तरीके से ओत-प्रोत है और अनुत्पादक मदों में ज्यादा खर्च किया गया है ।

अनुत्पादक मदों पर ज्यादा आवंटन किया गया है और इसके साथ ही साथ आपने जो अनेक जिले कमिश्नरियां और तहसीलें खोल रखी हैं उन पर जो नई मदों में व्यय हो रहा है वह प्रदेश के सारे बजट का लगभग 1/10 है और जो अम्बेडकर गांवों के विकास के लिये प्राविधान किया है वह करीब 700 करोड़ रुपये है और इतना ही नहीं लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपया और भी आपने अनुत्पादक मदों में व्यय करने के लिए आवंटित करने का प्राविधान किया है । जैसे अम्बेडकर उद्यान लखनऊ में 120 करोड़, संत रविदास पार्क वाराणसी 20 करोड़ रुपये, शाहू महाराज 12 करोड़, परिवर्तन चौक 10 करोड़, ज्योतिवा राव फूले 6 करोड़, अम्बेडकर स्टेडियम लखनऊ 5 करोड़, अम्बेडकर वी० आई० पी० अतिथि गृह 5 करोड़, अम्बेडकर छात्रावास 12 जिलों में 3 करोड़, अम्बेडकर आई० ए० एस० प्रशिक्षण केन्द्र 1 करोड़, अम्बेडकर प्रतिमा 25 लाख, वार्षिक अम्बेडकर पुरस्कार 25 लाख आवंटित करने के लिये प्राविधान किया है । इस दृष्टि से लगभग इस तरह से 30 प्रतिशत बजट का आवंटन किया गया है फिजूल खर्ची के लिये ।

बजट की राशि पिछले वर्ष से इस वर्ष लगभग 22-23 प्रतिशत के बीच में है इसी में महंगाई बढ़ेगी इसी से जो वेतन आयोग की रिपोर्ट है केन्द्र ने मान ली है प्रदेश में भी माननी पड़ेगी ऐसा फार्मूला पहले से तय है । तो लगभग दस प्रतिशत पैसा बढ़े हुए वेतन अन्य मदों में चला जायेगा चाहे वह आवास की सुविधा हो या अन्य सुविधायें हों । मैं यहीं पर यह कहना चाहता हूं कि जो विकास दर अगली पंचवर्षीय

योजना के लिए प्रदेश के लिए रखी गयी है यह सात प्रतिशत हो जायेगी । हर वर्ष दस प्रतिशत महंगाई बढ़ती है अधिकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ते हैं इस साल भी बढ़ेंगे इस साल जो बजट रखा गया है इससे तो किसी प्रकार से किंचित मात्र भी दशमलव एक भी विकास दर बढ़ने की संभावना नहीं है । आपने पूरा बजट बड़ी ही चालाकी से प्रस्तुत किया है मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं आपने कहा है कि हम समान विकास के फार्मूले के आधार पर बजट व्यय करेंगे, लेकिन इसका पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है । कर बिहीन बजट की जो घोषणा की है वह निहायत दंभपूर्ण है । इसलिये सारे सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी प्राप्तियां 25007.70 करोड़ रुपया है और अब विभिन्न मदों में व्यय करने जा रहे हैं 31.471.65 करोड़ रुपया इस तरह से दोनों का 31471.05 से आकर 25007.70 करोड़ रुपया घाटा दिया है शुद्ध घाटा बचता है 6.493.09 करोड़ । आपने इस घाटे को केवल 289.37 करोड़ ही दिखाया है आप देखेंगे क्या किया है आपने घाटे की पूर्ति के लिये लोक लेखा के अन्तर्गत सभी 5547.38 रुपये की की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियां ली हैं और अपने बजट में शामिल की हैं ।

श्रीमन् इस संदर्भ में मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह जो लोक लेखा के अन्तर्गत धनराशि हुआ करती है वह सारे प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के जी०पी०एफ० की हुआ करती है । जो ठेकेदार होते हैं उनकी जमानत की रकम हुआ करती है । इसी तरह से यह जनता की जो रकम बापस दी जायेगी वह सारी प्राप्तियां लोक लेखा में आया करती हैं । आपने बजट में इसमें समायोजित कर दिया यह रकम आपको देनी पड़ेगी । यह जरूर है कि यह रकम इकट्ठी न देकर आगे धीरे-धीरे देनी पड़े । पीछे के साल में जो बीता हुआ है प्रारम्भिक शेष उस प्रारम्भिक शेष में आपको लेना देना नहीं है । आपने इस साल क्या कमाया और क्या गवाया है इस पर ध्यान देना चाहिये ।

राष्ट्रपति शासन में उत्तर प्रदेश में जो प्रारम्भिक शेष रह गया था उसे भी आपने जोड़ दिया । यह जो वित्तीय घाटा है उसके और भी ज्यादा होने की सम्भावना है क्योंकि वित्तीय सहायता आपको अपने श्रोतों में तो मिलेगी नहीं । आप कह रहे हैं कि बजट के माध्यम से हम दलित, शोषित निर्धन एवं पिछड़ों को आगे बढ़ाकर विकास करेंगे । विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे लेकिन यह कैसे किया जायेगा इसको बताने का कष्ट करें । आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वजीफों की राशि को दो गुनी करने की बात की है आपने करीब पौने 22 प्रतिशत की राशि इन जातियों के विकास के लिये आवंटित की है लेकिन पिछड़ों के लिये आप केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । कहीं पाल मेला, कहीं शाक्य मेला कहीं शाहू जी के नाम पर मेले का आयोजन कर रही है । आपने पिछड़ों के वजीफे की राशि दो गुनी करने की घोषणा की लेकिन एक पैसा बजट में बढ़ाने आवंटित नहीं किया । पिछड़ी जातियों के लिये घड़ियाली आंसू बहाने वाली मुख्य मंत्री जी ने 22 अप्रैल को एक अध्यादेश निकाला उसमें क्या प्राविधान किया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के आरक्षण का कोटा भरा जायेगा ।

23 तारीख को फिर आदेश किया जाता है कि केवल अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा वह अनु०जाति और अनु० जनजाति से भरी जायेंगी, पिछड़ों से कोई सरोकार नहीं है, आप इसको देखियेगा और जवाब दीजियेगा । पिछड़ों के लिये केवल घड़ियाली आंसू बहा रही हैं पिछड़ों के आप बड़ी हमदर्द बनती है और शिड्यूल कास्ट के लिये भी बता देना चाहता हूं कि केवल अम्बेडकर स्टेचू में पैसा व्यय कर देने, अम्बेडकर पार्क बनवा देने या गांव-गांव और शहर-शहर में स्टेचू लगवा देने, अम्बेडकर गांवों को सम्पर्क मार्ग और बिजली और इंदिरा आवास दो-तीन चीजों के माध्यम से अम्बेडकर गांवो को आच्छादित करने की कोशिश की है बिजली, सड़क इससे क्या तरक्की हो जायेगी ? कैसे तरक्की होगी वह भी बताई या जो 1100 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है वह जो 20 प्रतिशत अम्बेडकर गांव है उनमें खर्च किया जा रहा है शेष 80 प्रतिशत गांव हैं उनमें भी शिड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, उनके

लिये आप क्या कह रही हैं, उनमें क्या प्राविधान करेंगी, कैसे उनकी तरक्की करेंगी, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिये । मुझे बड़ा हैरत और आश्चर्य यह होता है कि अम्बेडकर गांवों के लिये तो 1100 करोड़ और गांधी ग्राम के लिये केवल 41 करोड़ खर्च किया जा रहा है ।

हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं लेकिन दुख है कि गांधी ग्रामों और स्वराज्य ग्रामों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । यदि दोनों को मिलाकर आने 500 करोड़ रुपया ही आवंटित कर दिया होता तो शायद आजादी की स्वर्ण जयन्ती में स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने अपनी आहुतियां दी आजादी की लड़ाई में और आज हमारे बीच नहीं है, स्वर्ग सिधार गये, बहुत से लोग मौजूद भी हैं, शायद उनकी आत्मा को प्रसन्नता होती ।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के हंसने पर)

यह हंसने का विषय नहीं है मैं आजादी की लड़ाई में अपनी आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर रहा हूं कि वह स्वर्ग सिधार गये हैं (हंसी) इसमें हंसने की क्या बात है ? यह बुद्धि से काम लेंगे नहीं, केवल हंस देंगे । जो स्वर्ग सिधार गये हैं, उनकी आत्मा खुश होती और जो जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वह भी आपको वाहवाही देते लेकिन आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया, (X X X)

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर)

आपकी मुख्यमंत्री ने कहा है, इटावा में कहा है, श्रीमन् मैं इसे पढ़ देता हूं, अमर उजाला में इसका समाचार भी निकला है । वैसे मैं कहना नहीं चाहता था ।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, क्या पेपर कटिंग के आधार पर कोई बात कही जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष–

आप अच्छी तरह जानते है कि समाचार-पत्र की बातों का यहां संज्ञान नहीं लिया जाता, उसके आधार पर कोई बात मत कहिये ।

होम गार्डस मंत्री (श्री लाल मणि प्रसाद)–

मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, चन्द्रशेखर आजाद जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी कुर्बानी के चलते ही हम लोगों को आज इस स्वतंत्र भारत में रहने का मौका मिला है । बहुजन समाज पार्टी और सुश्री मायावती जी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आदर करती हैं और इस तरह से झूठा आरोप लगाना उचित नहीं है । इस तरह की बात को कहीं पर भी मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा है । यह बिल्कुल अर्नगल है, असत्य है, निराधार है । ऐसी बातों का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, बीच में टोकाटाकी न होने दें । (X X X)

(X X X) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(X X X) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष– "कहलाने एकत वसत, अहि मयूर मृग बाघ ।

मेरा निवेदन इतना है कि समाचार-पत्र के आधार पर कोई बात न कहें ।

डा० अशोक बाजपेयी–अगर अखबार में ऐसी कोई बात छपी है तो इसका खंडन आना चाहिये ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि अच्छा होता नेता सदन जिन्होंने उन पंक्तियों को कहा था अपना स्पष्टीकरण दे देती कि हमने नहीं कहा है । तो मुझे संतोष हो जाता और सोचता कि शायद अखबार वालों ने गलत लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है । मान्यवर, (X X X) मैं कह देना चाहता हूं कि गांधी जी को गाली देने वाले लोग सोच समझ लें, विचार कर लें कि यदि गांधी जी न सोते तो यह स्वतंत्रता संग्राम न होता और चन्द्र शेखर आजाद न होते, सुभाष चन्द्र बोस और भगत सिंह जैसे लोग, नेहरू और मोतीलाल जैसे लोग न होते तो आज हम इस मा० सदन में न बैठे होते ।

मान्यवर, अम्बेडकर जी का मैं आदर और सम्मान करता हूं । वह बहुत बड़े शैक्षिक और बुद्धिजीवी थे लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में एक दिन भी योगदान किया हो या जेल गये हों तो आप मुझे बता दें ? (व्यवधान) मान्यवर, मैं उनका सम्मान और आदर करता हूं लेकिन आप बता दें कि संविधान किसने बनाया है, क्या संविधान अम्बेडकर जी ने बनाया है ? यह केवल विषय समिति के अध्यक्ष थे । संविधान समिति के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद जी थे । इसको आप लोग पढ़ लें ।

आगे आपने कहा कि अनुसूचित जाति और जन जाति की भालई के लिए 665 विद्यालय खोले गये हैं और जिनमें 600 अध्यापक हैं । मान्यवर, आज 2-3 वर्षों से उन अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है । यदि सरकार उनकी हितैषी है तो जो अध्यापक आज भुखमरी के कगार पर हैं उनको वेतन दे देतीं । इस पर क्या सरकार ने सोचा है ? इसलिए नेता सदन तो घड़ियाली आंसू बहा रही हैं और यह सब अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए कह रही हैं ।

मान्यवर, जो बात पहले मैंने कहा था कि इस प्रदेश का इस बजट से किसी तरह का भला नहीं होने वाला है । गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या जो आज 43 प्रतिशत है वह बढ़कर इस बजट के रहते 50 प्रतिशत बढ़ जाएगी और ऐसे लोगों पर टैक्स लगेगा, आपकी अगर सरकार रही तो और शायद आपकी सरकार तो नहीं रहेगी शायद भाजपा को आना पड़े तो शायद कर आप भाजपा के खाते में जोड़ना चाहती हैं ।

(टोकाटाकी होने पर)

हम मेल मिलाप वाला काम नहीं करते हैं हम बैठेंगे तो शक्ति से बैठेंगे । हम इस तरह से इकट्ठा होने वाले नहीं थे । मैंने कहा था :–

जगत तपोवन सो कियो, दीरघ दाघ निदाघ ।।"

आपने कहा कि भयमुक्त समाज स्थापित करना हमारा संकल्प है और उसके तहत 45 दिन का एक अपराध नियंत्रण अभियान भी चलाया और कहती हैं कि भयमुक्त समाज बने । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इसी समय में जब आप बजट पेश कर रही होंगी इटावा में 7 लोगों की हत्या 24 घंटे के अन्दर हो गयी । आपने जानबूझकर हमारे समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के लोगों की 186 लोगों की हत्या भी कराई है, यह भी कलंक आपके सर से मिट नहीं सकता और इसके बाद भी जब आप भयमुक्त वातावरण नहीं कायम कर सकी तो आगरा में दंगा करवा दिया एक अध्यापक की मृत्यु हो गयी ।

मुझे खुशी होती कि शुरूवात हो गयी थी आकस्मिक तरीके से आगरा में दंगे की तो आप पुनः व्यवस्था कर देती कि दुबारा वहां पर किसी तरह से दंगा न पनपता । लेकिन दुबारा दंगा भड़का इससे तो आपकी आकर्मण्यता और प्रशासनिक क्षमता सामने आ गयी । मान्यवर, इतना भयमुक्त बना कि एक दंगा नहीं 18 दंगें हो गये । पुलिस और शिया सुन्नी का दंगा पैदा हो गया जो कभी नहीं हुआ । शिया सुन्नी लड़ना नहीं चाहते थे बुखारी जी दिल्ली से आ रहे थे शिया सुन्नी ने आपस में तय कर लिया था अगर उनको अरेस्ट न किया जाता तो दंगा नहीं भड़कता । क्यों अरेस्ट कर लिया ? अगर यहां कोई गड़बड़ करता तो जैसे पहले अरेस्ट किया था वैसे करवा लेती । जब दुबारा आ रहे थे, सब तय हो गया था तो गाजियाबाद में अरेस्ट करने का क्या औचित्य था ? यह तो जानबूझकर पुलिस और शिया सुन्नी में झगड़ा पैदा करा दिया ।

| समय 8 बजकर 5 मिनट |

इतना ही नहीं आपने कई ऐक्टों के जरिये चाहे वह गुण्डा ऐक्ट हो, रासुका हो या अन्य कोई उनके जरिये से थोड़े नहीं 98 हजार लोगों को जेल में ठूंस रखा है ।

(व्यवधान)

संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)–

अजरदारी जुलूस पर किसने रोक लगाई थी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कृपया अपने भाषण में कह लीजियेगा, दोनों लोग कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री धनीराम वर्मा–

ऐसे लोगों को भी रासुका में निरूद्ध किया है जिनके खिलाफ इसके पहले कोई आपराधिक हिस्ट्री नहीं थी ?

(व्यवधान)

तो जो यह भयमुक्त समाज बनाने की बात है या भयभीत की बात है । सारा समाज भयभीत है पता नहीं ऐसे किसी ऐक्ट में, जो शेड्युल कास्ट का ऐक्ट है, कब कौन बंद हो जाय, 7 साल 11 साल के लड़के इस ऐक्ट में बंद किये गये हैं, पूरे-परे परिवार को बंद किया गया है ।

आज हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस ऐक्ट के दुरुपयोग की बात कही, तो भा०ज०पा० भी कहने लगी, बाजपेयी जी भी कहने लगे ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । बाहर जैसी बात होती है वह तो होती ही है मान्यवर, सदन के अंदर सही बात कहनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री रंग नाथ मिश्र–

| x x x |

श्री अध्यक्ष–

माननीय मिश्र आप कृपया बैठ जायें । माननीय मिश्र कृपया बैठ जायें यह लिखा नहीं जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को यह हिदायत देदें कि संसदीय मर्यादा का पालन करें जो बात कही जा रही है उसे सुने । नेता विरोधी दल और नेता सदन दोनों समकक्ष होते हैं । अभी नेता सदन को भी बोलना है । अगर इस तरह की परम्परा पड़ गयी तो किसी का भाषण नहीं हो पायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें । माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं उनको बोलने दें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मेरे कहने का मतलब यह है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है और वह आपके संरक्षण में हो रहा है । यह बात माननीय वाजपेयी जी ने कहीं, आपके कल्याण सिंह जी ने कही कि इसका दुरुपयोग रोका जाय । श्रीमन्, आगे इन्होंने कहा कि आलू किसानों की समस्याओं का निपटारा किया है । श्रीमन्, अभी इसको छोड़ दीजिये । आज प्रदेश में जो आतंक और भय का वातावरण व्याप्त है इसके रहते हुए दूसरे प्रदेश और देश के लोग यहां उत्तर प्रदेश में अपनी पूंजी का विनियोजन करने को तैयार नहीं हैं । जिस प्रदेश और देश में शांति नहीं होती है उस प्रदेश और देश में दूसरे प्रदेश और देश के लोग अपने उद्योग धंधे लगाने को तैयार नहीं होते हैं और आज यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है । इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश पिछड़ा का पिछड़ा रह जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में संसाधन होते हुए भी वह पिछड़ा है और वह इसलिए कि यहां का वातावरण भय और आतंक का है । जब तक यह वातावरण बना रहेगा तब तक यह प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है । श्रीमन्, मेरे पास सूची है उत्तर प्रदेश में भय और आतंक फैलाने के लिए कई लोगों को रासुका में निरूद्ध किया जो कि बेगुनाह थे । इसको मैं बाद में बताऊंगा । श्रीमन्, आपने अपने बजट में यह कहा है कि हमने आलू किसानों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया है । यह बड़े ही आश्चर्य की बात है और सत्ता पक्ष का व्यक्ति मान रहा होगा । आलू किसानों की समस्या को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया है । मैं आरोप लगा रहा हूं कि दो अरब से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से पैसा वसूल करके आलू उत्पादकों को बरबाद करने का काम किया गया है । मान्यवर, आलू का का उत्पादन अच्छा हुआ और इन कोल्ड स्टोरेज की क्षमता थी उसकी आधी । आलू इस साल 84 लाख मीट्रिक टन पैदा हुआ और क्षमता थी इनकी आधी कोल्ड स्टोरेज में रखने की । आप बता दो कि कहां पर कोल्ड स्टोरेज है, मैं उस पर कब्जा कर लूं ।

(टोकाटाकी होने पर)

श्री अध्यक्ष–

बीच में टोका टोकी न करें ।

श्री धनीराम वर्मा–

बड़ी खुशी की बात है, कोल्ड स्टोरेज मिल जाये । मैं काश्तकार हूं और स्वयं आलू पैदा करता हूं, क्या हाल हुआ, सभी लोग जानते हैं । जब किसान आलू लेकर कोल्ड स्टोरेज गया, तो क्या हुआ, किसान का आलू बाहर और व्यापारी का आलू भीतर । किसान 4-4 और 6-6 दिन कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर पड़ा रहा, आलू लिये हुये खड़ा रहा, ट्रैक्टर पर किसान आलू लिये हुये, खुली धूप में पड़ा रहा, भूखा प्यासा पड़ा रहा, आलू उसकी गाढ़ी कमाई का है, कुछ सिद्ध हो जायेगा तो लड़के की फीस निकल आयेगी, शादी लड़की की हो जायेगी । लेकिन क्या हुआ, 45 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से भाड़ा था, जिसका वजन 85 किलो था, और किसान को कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी, वह आलू ले जाता था और उसका आलू कोल्ड स्टोरेज में ले लिया जाता था, लेकिन इस साल क्या हुआ, पुलिस भी लगायी

गयी और पुलिस के माध्यम से भी रिश्वत ली गयी ? 10 रुपये और 15 रुपये बोरी रिश्वत ली जब किसान से रिश्वत ली गयी तब उसका आलू अन्दर गया । और आज की स्थिति क्या है, 65–70 रुपया लिया गया और कुछ लोग कहते हैं कि 85 रुपया लिया गया, इतना ही नहीं एक बोरी की तौल एक कुन्तल और 10–15 किलो तक लिखी गयी ।

इतने में ही संतोष हो जाता तो कोई बात नहीं थी आज को-आपरेटिव के 9 कोल्ड स्टोरेज हैं जिनमें आलू रखा है हो सकता है कि बाद में एक आध में और रख दिया हो । उसमें 90 प्रतिशत आलू सड़ गया है करीब 60 हजार मीट्रिक टन आलू सड़ चुका है प्राइवेट और सरकारी कोल्ड स्टोरेज में यह स्थिति आज है । अभी पिछले दिन माननीय अवधेश जी ने अपने यहां की बात कही उन्होंने पूरी स्थिति से अवगत कराया । हमारे विधायक जानते हैं, फर्रुखाबाद मेरे पड़ोस में है वहां आलू कोल्ड स्टोरेज में सड़ चुका है और वह सड़कों पर फैला पड़ा है उसे सुअर भी नहीं खा रहे हैं । उसे दबा ही दिया जाता तो बदबू नहीं आती । सड़ने का कारण यह भी रहा कि आलू कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा भर दिया गया जितनी क्षमता थी उससे ज्यादा भर दिया क्योंकि इस साल पैदावार दुगनी हुई । सरकार ने घोषणा की थी 130, 135 रुपया कुन्टल समर्थन मूल्य देंगे । वह दिया नहीं सरकार ने 150 करोड़ रुपया देने की बात कही लेकिन आलू 10 प्रतिशत भी नहीं खरीदा । जो 150 करोड़ रुपया आलू खरीदने के लिए दिया था कह दिया कि खरीद लिया है । क्योंकि आलू खरीदते तो उसको रखने के लिए और खर्च करना पड़ता जिससे और नुकसान होता । इतना बड़ा काश्तकारों के साथ धोखा किया गया है । आलू पैदा करने वाले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं ?

हमारा जिला फर्रुखाबाद से लगा हुआ है वहां काश्तकारों की बर्बादी हुई है उत्तर प्रदेश में जितना आलू पैदा होता है इसको देखें तो देश में जितना आलू पैदा होता है उसका 45 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश में जितना आलू पैदा होता है उसका आधा आलू फर्रुखाबाद में पैदा होता है । फर्रुखाबाद मुझे भी जाने का मौका मिला वहां हमारी रिश्तेदारियां पड़ती हैं और कुछ प्रोग्राम भी लगे थे ।

तीन कोल्ड स्टोरेज मेरे सामने पड़े नसरापुर, सरायमीरा और एक और बीच में कोल्ड स्टोरेज पड़ता है । तो उन कोल्ड स्टोरेज के सामने हजारों बोरा आलू बुरी तरह से सड़ रहा है । लोग जब वहां से निकलते हैं तो वे नाक मूंद कर निकलते हैं ।

बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने आलू खोदा ही नहीं और बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज में रखा ही नहीं, उनका आलू घर में ही सड़ गया । किसान मण्डियों में आलू को ऐसे ही पटक आया बेचने की बात तो अलग रही । आप लोगों में से भी बहुत लोग आलू पैदा करते होंगे तो उस स्थिति से अवगत होंगे । तो यह स्थिति काश्तकारों की हुई हैं । और यह सरकार कहती है कि करोड़ों रुपया काश्तकारों के लिए बजट में रखा गया है । यह गलत घोषणा करने से किसानों की समस्या सुलझेगी नहीं ।

आपने किसानों की कौन सी समस्यायें सुलझायीं हैं उनको बता दें ? आगे मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों की समस्या के बारे में 23-24 अप्रैल को जब प्रश्न का उत्तर आया था तो आपने कहा था कि बकाया साढ़े 9 अरब के आसपास है । आप कह रही हैं हमने 14 अरब पेमेंट कर दिया तो फिर आप यह जो कह रही हैं । 4 अरब 32 करोड़ जो मांग रही हैं यह किसलिये मांग रही हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि आप मिथ्यावादी हैं और गलत बयानी कर रही हैं । आप सदन को गुमराह कर रही हैं । क्या जरूरत है झूठ बोलने की, आप सही कहें । यही कहने से ज्यादा ठीक रहता है और सही कहने से अंतोगत्वा आपको ही फायदा होगा । आज आलू और गन्ना किसान पिस गया है । इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि आज गेहूं किसान भी पिस गया है वह बुरी तरह से परेशान है । क्यों वह परेशान है क्योंकि आपने स्टाक सीमा लगा दी और गेहूं के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया ।

किसान ने अबकी बड़ी मेहनत की और गेहूं की पैदावार अधिक हुयी । लेकिन किसान की जो गेहूं पैदा करने पर लागत आयी है वह लागत मूल्य किसान को नहीं मिल रही है । इससे क्या हो रहा है कि किसान अपने बच्चे की पढाई के लिये परेशान है, धान की रोपाई करने के लिये परेशान है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है ? किसान को सस्ता मद्दा गेहूं बेचना पड़ेगा । किसान आज हर तरफ से परेशान है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप हर बात झूठ और मिथ्या कहती हैं । आपने कहा कि 15 मई से 15 जुलाई तक मैंने पौध डालने के लिये नहरों में पानी दिया है । आप सिंचाई विभाग से आंकड़े मंगवा लीजिये । मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिमी इटावा शाखा में 15 अप्रैल से 15 जून तक पानी नहीं आया है आप पता लगा लीजिये । वहां बहुत से रजबहे ऐसे हैं जिनमें आज तक पानी नहीं आया है और आप कहती हैं कि धान की पौध डलवा दी हैं । आप नोट कर लीजिये पता लगा लीजियेगा ।

हमारी विधूना तहसील में रजबहा बासठ, महम्दाबाद, कुर्सी माइनर, स्तनपुर माइनर, भीखूपुर और हरचंदपुर रजबहे में एक बूंद पानी नहीं गया है । अगर पानी गया हो तो मैं सारी बातें वापस लेता हूं । वहां का किसान आता है और कहता है कि हमारे खेतों की सिचाई न लिखी जाय क्योंकि पानी ही नहीं आया है । बासठ और महम्दाबाद में 2-3 साल से टेल तक पानी नहीं पहुंचता है ।

उसके बाद पानी नहीं पहुंचा । आप लोग पता लगा लीजिये और आप कह रहे हैं कि हम प्रदेश का विकास करेंगे । जब तक पानी और बिजली, अच्छे बीज और समय पर समुचित खाद की व्यवस्था उन तक नहीं करेंगे इस प्रदेश की विकास गति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और इसलिये नहीं बढ़ा सकते हैं कि प्रदेश और देश की 70–72 प्रतिशत जनसंख्या खेती में लगी हुई है और खेती का हाल यह है कि.....

(व्यवधान)

मैं यहां कह देना चाहता हूं कि इस प्रदेश की माली हालत अच्छी नहीं है । इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और गरीबी की रेखा से जो नीचे जी रहे हैं, उनमें कमी ऐसे नहीं आयेगी । जब तक इस प्रदेश में खेती पर लगे हुए लोगों की संख्या कम नहीं होगी और संख्या भी यदि कम हो जाय, सिंचाई और समुचित खाद की व्यवस्था समय पर नहीं होगी, अच्छे बीज नहीं मिलेंगे और असली बात जो है कि किसानों को लाभकारी मूल्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक यह प्रदेश आगे बढ़ने वाला है ही नहीं । मैं यहां पर यह कह देना चाहता हूं कि सन् 1820 में अमेरिका में खेती पर लगे हुए लोगों की संख्या 32.33 प्रतिशत थी । अमेरिका उस समय गरीब थी । इंग्लैंड में उस समय खेती में लगे हुए लोगों की संख्या 1820 में 20 प्रतिशत थी । अंग्रेज इतने शक्तिशाली समृद्धशाली नहीं थे । 1820 में हमारे देश और प्रदेश में 70/72 प्रतिशत लोग खेती में लगे थे और आज भी लगे हुए हैं । हमारा देश गरीब है । आज अमेरिका में 3 प्रतिशत लोग खेती में हैं सबसे आगे पैसे में हैं और ब्रिटेन में 2 प्रतिशत बल्कि पौने दो प्रतिशत लोग खेती में हैं ।

(व्यवधान)

आंकड़ों से पता लगा लीजिये । यह पता लगाना आपका काम है । इतना ही नहीं इंग्लैंड में तो यह मैंने देखा है और पूछा है यह निश्चित कर दिया जाता है । फलां काश्तकार इतना पैदा करेगा इतने एकड़ जमीन में इतनी फसल पैदा करेगा और यदि वहां ज्यादा फसल पैदा करेगा तो उस पर जुर्माना पड़ेगा हमारे यहां 70 प्रतिशत लोग खेती में लगे हुए हैं उनकी हालत क्या है अमेरिका, इंग्लैंड की हालत क्या है मेरा यह कहना है कि इस प्रदेश में जब तक खेती में लगे हुए लोगों का प्रतिशत कम नहीं होगा तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी । जो कम प्रतिशत होगा उन लोगों को उद्योग धन्धे में लगाएं । बड़े उद्योग धन्धों में तो वह लग नहीं सकते हैं क्योंकि बड़े उद्योग धन्धों में मशीनें काम करती हैं उसमें मजदूर के काम की आवश्यकता नहीं है ।

मझोले और छोटे कुटीर उद्योग धन्धे खुलवाने की व्यवस्था कराइये तभी शिड्यूल कास्ट के लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का विकास होगा । तभी जो खेती में लगे वह किसान उससे हटेंगे और कुटीर उद्योग धन्धों में काम करेंगे । तभी स्थिति सही होगी । जब काम नहीं मिलते हैं ये तो हमेशा से रहा है काम नहीं तो दाम नहीं इस तरह कैसे प्रदेश की तरक्की होगी । सबसे पहले प्रयास करना चाहिये किस तरह से किसान की जेब में प्रदेश के करीब की जेब में पैसा पहुंचे आप खेत की पैदावार बढ़ायेंगे या उद्योग धन्धों में काम देकर उनकी स्थिति सुधारेंगे । खेती के उत्पादन के लिए हमारे यहां बहुत बड़ा क्षेत्र है लेकिन बड़े दुख की बात है कि किसान को खेती के लिए समुचित साधन नहीं मिलने के कारण, सिंचाई न होने के कारण पैदावार कैसे बढ़ेगी । इस तरह से तो फसल नष्ट होगी । धान की बुआई जिस समय होनी चाहिए थी उस समय नहीं हुई जिसकी वजह से धान की बालियां सही नहीं आई । इनको क्या पता किस समय बुआई होती है । और समय पर बुआई न होने से किसान पेंट मसोस कर रह जाएगा । मेरे इटावा

(शोर)

जनपद में सदर ब्लाक, मेरा क्षेत्र है उसमें दिखवा लीजिए । पचास परसेन्ट खराब पड़े हैं अगर खराब न हों तो मैं अपनी बात वापस ले लूं ।

(व्यवधान)

जब कभी ब्लाक की मीटिंग हुई मैं उसमें गया ।

(व्यवधान)

सुन लीजिए । इस तरह से एक नमूना बता रहा हूं । मैं कहता हूं इस तरह से एक जगह का उदाहरण ले लें । एक चावल हांडी का पक जाता है तो पूरे चावल पके मान लिए जाते हैं एक चावल कच्चा रहता है तो सारे चावल कच्चे माने जाते हैं । इसलिए उदाहरण दिया । जिले और ब्लाक के अधिकारी इस संबंध में पूरी तरह से आंखों पर पट्टी और कानों में ऊंगली डाले हुए हैं । न देखते हैं और न सुनते हैं ।

(व्यवधान)

अभी मैं सिंचाई और ट्यूबवैल की बात कह रहा था क्या पता लगता है यांत्रिक खराबी ? क्या बिजली का तार कट गया ? ट्रांसफार्मर जल गए हैं । बिजली के तार टूटी हालत में खराब पड़े हैं । ट्रांसफारमर इसलिए जलते हैं क्योंकि वह नकली ट्रांसफरमर लगा दिए गए तथा पुराने ट्रांसफारमरों को सही करके नए के हिसाब से खरीद लिं जाते हैं मैं इस सम्बन्ध में राज्य विद्युत परिषद् के चेयरमैन के सम्बन्ध में आरोप लगा रहा हूं कि उनकी नियुक्ति पैसा लेकर की गई हैं । अगर कोई पैसा लेकर आएगा तो वह फिर अपने नीचे के अधिकारियों से पैसा ले लेगा ही । चेयर मैन अधीक्षण अभियन्ता से पैसा लेगा, अधिशासी अभियन्ता से लेगा । अगर वह 10 करोड़ रुपया देकर आएगा तो वह 50 करोड़ रुपया कमाएगा । इस लिए प्रदेश की हालत इतनी खराब हो गई हैं । आपने बजट भाषण में कहा था कि हम 10 घण्टा बिजली देंगे हमारी जब सरकार थी तब का आप रिकार्ड लें उस समय 18 से 24 घंटे तक बिजली दी जाती थी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल जी माननीय सदस्यों की राय है कि आप कल अपना भाषण जारी रखें ।

श्री धनीराम वर्मा–

ठीक है मान्यवर, मैं कल अपना भाषण जारी रखूंगा । कल भी मैं 3–4 घंटे जरूर अपने भाषण में लूंगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24-7-1997 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की फिरोज़ाबाद के कांच उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याणार्थ 100 शैय्याओं के अस्पताल का निर्माण कराए जाने तथा उनको शारीरिक विसंगतियों से बचाने हेतु सर्वेक्षण कराए जाने के संबंध में है इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

दूसरी सूचना श्री विक्रमाजीत मौर्य की प्रदेश में भूमि के क्रय-विक्रय हेतु स्टाम्प दरों एवं अन्य दरों की बढ़ोत्तरी किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

तीसरी सूचना श्री गोपाल कृष्ण की जनपद पीलीभीत में शारदा नदी में रहे कटान से प्रभावित गांवों को बाढ़ की विभीषिका से बचाए जाने के सम्बन्ध में इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

चौथी सूचना श्री विनोद मणि तिवारी की प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति सम्बन्धी सूची में कथित रूप से व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में इस सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता हैं।

पांचवी सूचना श्री धर्मज्ञ मिश्र की हरदोई जिले के मल्लावा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत चोरों द्वारा तारों के काटने से बाधित विद्युत आपूर्ति को पुनः संचालित कराए जाने के सम्बन्ध में इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

छठी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की मथुरा जिले के कस्बा करह में वांछित अपराधी श्री पप्पू के फरार होने तथा एक मदरसे में बमों की बरामदगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 110 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं; इसमें बिना प्रस्ताव के सूचना और आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें 10 प्रकार के प्रस्ताव की रूप रेखा दी गई पहले नम्बर का प्रस्ताव है संवेदन या बधाई तो नेता विपक्ष के लिए बधाई प्रस्ताव रख रहा हूं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर दूंगा। आपकी अनुमति से एक प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं। [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मिश्र जी आप बैठ जायं, यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद–

सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का माननीय नेता विरोधी दल का पानी पीने से चिन्तित है लेकिन जो पानी नेता सदन भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को पिला रही हैं यह वह पानी नहीं है।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से नि

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश शुल्क तथा अध्ययन शुक्ल बढ़ाये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य

श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह (स्वास्थ्य राज्य मंत्री)–

(सदन के सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

। मान्यवर, वर्तमान में प्रदेश के 29 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एम० बी० बी० एस०/बी० डी०एस०/बी०एच०एम०एस०/बी०यू०एम०एस०/बी०ए०एम०एस० तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का अध्ययन होता है । इन चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों से ली जाने वाली शुल्कों का निर्धारण वर्ष 1960 से पूर्व किया गया था तथा वहीं शुल्क शासनादेश दिनांक 31-1-97 से पूर्व लिया जाता था ।

राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी । छात्रों की शिक्षा में प्रयोग आने वाली लगभग समस्त वस्तुओं के मूल्यों में कई गुना वृद्धि हुई है । मंहगाई के कारण जहां एक चिकित्सा महाविद्यालयों की मांगों को राज्य के सीमित संसाधनों के कारण पूरा किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था । इसके अतिरिक्त प्रदेश के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि के संबंध में मा० मंत्रि-परिषद् की उप समिति की बैठक दिनांक 24-1-94 में यह निर्देश दिये गये थे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग अपने स्तर से छात्रों से ली जाने वाली शुल्क तथा राजकीय मेडिकल कालेजों में मरीजों से ली जाने वाली विभिन्न परीक्षण शुल्कों में वृद्धि का प्रस्ताव उप समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय ।

तत्कालीन सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 24-9-94 को हुई बैठक में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव मा० मंत्रि-परिषद् की उप समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । दिनांक 2 सितम्बर, 1995 को तत्कालीन मा० स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद् की उप समिति की बैठक में भी फीस वृद्धि का निर्णय लिया गया । दिनांक 23-12-95 को तत्कालीन प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय के अनुपालन में तत्कालीन विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया । समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त छात्रों से ली जाने वाली शुल्कों तथा विभिन्न परीक्षण शुल्कों की दरों में पुनरीक्षण किया जाना अत्यन्त आवश्यक पाया गया । समिति की संस्तुतियों पर उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के उपरान्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों से ली जाने वाली शुल्कों में वृद्धि का प्रस्ताव मा० परामर्शदात्री परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 3-1-97 को परामर्श दात्री परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया गया । तत्पश्चात् प्रदेश के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों तथा के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के छात्रों से ली जाने वाली शुल्कों में वृद्धि संबंधी शासनादेश दिनांक 31-1-97 निर्गत किया गया है । उक्त शासनादेश में आरक्षित श्रेणी के छात्रों से शिक्षण शुल्क 50 प्रतिशत की दर से लिये जाने की व्यवस्था है ।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क वृद्धि का प्रकरण दिनांक 24-1-94 से चल रहा है । फीस वृद्धि का निर्णय तत्कालीन मा० मंत्रिपरिषद् की उप समिति द्वारा लिया गया तथा इस पर विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त अध्ययन एवं विचार किया गया ।

प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों एवं के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में छात्रों से लिये जाने वाली विभिन्न शुल्कों की दरों में वृद्धि के संबंध में मा०

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

न्यायालय में रिट याचिका संख्या–941/1997 उमेश वर्मा, एडवोकेट व अन्य बनाम स्टेट व रिट याचिका संख्या–961/1997 राज नाथ राम व अन्य बनाम स्टेट में मा० उच्च न्यायालय ने दिनांक 31-1-97 को पारित अंतरिम आदेश में एक माह के लिए स्थगन आदेश देते हुए शुल्कों में पुनर्विचार किये जाने के आदेश दिये थे। इस संबंध में शासन द्वारा प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया, वर्तमान मंहगाई को देखते हुए फीस की दरों में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया था। अतः प्रकरण में पुनर्विचार करते हुए शासन द्वारा शुल्कों में वृद्धि का पर्याप्त औचित्य पाया गया एवं शासनादेश दिनांक 31-1-97 में संशोधन का कोई औचित्य नहीं पाया गया। तदनुसार आदेश दिनांक 2-7-97 निर्गत कर दिया गया है।

रिट याचिका संख्या–8418/97 राकेश कुमार यादव व अन्य बनाम स्टेट व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 15-7-97 को यह आदेश दिये हैं कि छात्रों द्वारा पूर्व में जमा शुल्क का 5 गुना जमा करने पर उनका अध्ययन जारी रखा जाय। मा० उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव, वित्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् के अधिकारियों की एक कमेटी गठित करते हुए फीस की वृद्धि पर विचार करने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।।

जिला मैनपुरी के अन्तर्गत अपर गंगा नहर (कानपुर) ब्रांच की पटरी को दुरस्त कराये जाने व रजवाहों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत सिंचाई एवं गन्ना मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, लोअर गंगा कैनाल...

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

[नरोरा के पास निकलती है। इस नहर के कानपुर शाखा के कि० मी० 88 के निकट किशनी ब्लाक व तहसील भोंगाव जनपद मैनपुरी के ग्राम तरिहा रामनगर के पास बांई पटरी मजबूत है तथा दायी पटरी को मजबूत कराया जा रहा है कानपुर शाखा अप्रैल, 97 में 3 सप्ताह तथा मई/जून/जुलाई, 97 में अब तक लगातार चल रही है। विभाग द्वारा नहर की पटरी के ऊपर निगरानी रखी जा रही है तथा अब तक इस नहर की पटरी के टूटने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है।

ब्लाक बेवर में जलालपुर, दिखतमई, अरमसराय की जल निकासी हेतु जलालपुर तिगमा नाले भोगांव नाले में गिरते हैं भोगांव नाला ईशन नदी में गिरता है। वर्ष 95-96 में तिगमा नाले की कुल लंबाई 5.40 कि०मी० एवं 96-97 में भोगांव नाले की कुल लम्बाई 17.71 कि०मी० में से 0.0 से 5.4 कि०मी० की सफाई का कार्य कराया गया है।

सुल्तानपुर ब्लाक के ग्राम वीलों, औरिन्द होते हुए औरन्धकिन्हावर कट नाला, नाका नाले में गिरता है। बाद में यह नाला काली नदी में गिरता है। औरिन्ध–किन्हावर कट की ड्रेन की रिमाडलिंग का कार्य भूमि सुधार निगम द्वारा कराया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट व नलकूप निगम के माध्यम से कराया जा रहा है।

वर्ष 1996-97 में ब्लाक सुल्तानगंज व किशनी में माइनरों की सफाई का कार्य कराया गया है जिसकी समय-समय पर जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा नामित समिति द्वारा चेकिंग की गई है वर्ष 97-98 में

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अभी तक सफाई का कोई कार्य नहीं कराया गया है । नहर की सफाई का कार्य रबी की बुवाई से पहले नहर की बन्दी में कराया जायेगा ।

भोगांव रजवाहे के टेल पर गत रबी में पानी पहुंचाया गया खरीफ में इसे रोस्टर के अनुसार चलाया जा रहा है ।

राजवहा नगरिया कानपुर शाखा से निकलता है, जिसकी कुल लम्बाई 60.2 कि०मी० है । गत रबी में इस नहर के टेल तक पानी बहुत कठिनाई से प्रयास करके पहुंचाया गया था । वर्तमान खरीफ में इस नहर को रोस्टर द्वारा चलाया जा रहा है । अब तक इस नहर के कि०मी० 52 तक पानी पहुंचाया जा सका है । शेष भाग में पानी पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है ।]

गिलट, खोहा, आभूषण एवं चैन पर अक्टूबर, 1994 में लगे व्यापार कर को हटाये जाने के संबंध में श्री राम बाबू हरित द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, प्राप्त सूचना के आधार पर .....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[.....आगरा जनपद व उसके आसपास के जिलों में इस व्यवसाय से संबंधित केवल 52 व्यापारी व्यापार-कर विभाग में पंजीकृत हैं और कर दे रहे हैं । दिनांक 1-10-94 से बनावटी आभूषणों के उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर 4% की दर से कर लगाया गया है । जब व्यापारी द्वारा उपभोक्ता को बिक्री की जाती है तभी कर का दायित्व होता है । यदि निर्माता व्यापारी की बिक्री रुपया 1,00,000/- से कम है और उसके द्वारा उपभोक्ता को बिक्री की जा रही है तब उन पर कर का कोई दायित्व नहीं होता है । यदि इन छोटे-छोटे निर्माताओं द्वारा ग्राहकों को सीधे बिक्री नहीं की जाती है और बड़े व्यापारियों को बिक्री की जाती है तब उन व्यापारियों को वार्षिक बिक्री डेढ़ लाख रुपया अथवा उससे अधिक होने पर ही कर दायित्व होता है । इस कारण बनावटी आभूषणों की बिक्री पर कर लगाये जाने से उद्योग में कार्यरत छोटे स्तर के व्यापारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि केवल 52 व्यापारी ही इस कर के दायित्व से प्रभावित हुये हैं ।

2. मा० विधायक जी द्वारा प्रेषित सूचना में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश आदि प्रमुख राज्यों में इस पर कोई कर नहीं लगाया जाना सूचित है । अन्य राज्यों में उक्त वस्तुओं पर कर की दर की अद्यावधिक सूचना उपलब्ध नहीं है । यदि इन राज्यों में कोई करमुक्ति दी गई है तो उससे उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । प्रत्येक राज्य अपनी आर्थिक परिस्थिति, उद्योग की स्थिति एवं राजस्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर की दर निर्धारित करता है । बनावटी आभूषण इस प्रकार की वस्तु नहीं है जिनका उपभोक्ता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों से मंगाकर प्रयोग करें । इस कारण उन राज्यों में कर मुक्ति दिये जाने के आधार पर उत्तर प्रदेश में करमुक्ति दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

3. सूचना का तीसरा बिन्दु उत्तर प्रदेश में व्यापार-कर लगाने से इन आभूषणों की बिक्री 65% घटने का है । उपलब्ध सूचना के अनुसार यह स्थिति सही नहीं है । आगरा एवं उसके आसपास के जिलों में 52 व्यापारी जो व्यापार-कर विभाग में पंजीकृत हैं और कर दे रहे हैं, से वर्ष 1994-95, 95-96 एवं 96-97 में क्रमशः 3.80 लाख रुपया, 6.37 लाख रुपया तथा 8.38 लाख रुपया राजस्व प्राप्त हुआ है । इस

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रकार वर्ष 1996-97 में वर्ष 1995-96 की तुलना में व्यापार-कर की प्राप्ति में 30% की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि इस अवधि में कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । व्यापार कर की धनराशि की बढ़ोत्तरी से स्पष्ट है कि आगरा में बनावटी आभूषणों के व्यापार में कोई गिरावट नहीं आई है बल्कि उसके विपरीत वर्ष 1996-97 में लगभग 30% व्यापार में बढ़ोत्तरी हुई है ।

4. मा० विधायक जी द्वारा दी गई सूचना के पूर्व मंत्री जी द्वारा पान मसाले से व्यापार-कर हटा दिये जाने की बात कही गयी है जबकि उसके खाने से कैंसर रोग हो जाता है । यह तथ्य सही नहीं है कि पान मसाले को व्यापार-कर से मुक्त रखा गया है । यह अवश्य है कि कुछ न्यायालयों द्वारा जर्दायुक्त पान मसाले में तम्बाकू उत्पाद मानते हुए करमुक्ति दी गई थी परन्तु इस संबंध में भी विज्ञप्ति जारी करके दिनांक 1-7-97 से तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद को करमुक्ति की श्रेणी में जर्दायुक्त पान मसाले को निकाल दिया गया है । इस प्रकार पान मसाला, जिसमें जर्दायुक्त पान मसाला शामिल है, की बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तु की भांति 8% की दर से कर का दायित्व है ।

5. बनावटी आभूषण अब काफी मंहगें बिकते हैं और उनका निर्माण भी संगठित क्षेत्र में मशीनों द्वारा किया जाता है । वर्तमान समय में सम्पन्न लोगों द्वारा भी सामान्य रूप से बनावटी आभूषणों का प्रयोग किया जाता है । जब जीवनोपयोगी वस्तुयें गल्ला, दाल इत्यादि पर 4% की दर से व्यापार कर लगाया जाता है तब बनावटी आभूषणों की बिक्री को करमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि 8 बजकर 40 मिनट पर शुक्रवार दिनांक 25-7-1997 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
24 जुलाई, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०–एल० 268 विधान सभा (544)–1997–813 प्रतियां (डी० टी० पी०) ।